

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास लिमिटेड (अनिडको)

निदेशक मण्डल

श्री. केशवचन्द्र, भा.प्र.से.	अध्यक्ष
सुश्री. नंदिनी पालीवाल, भा.प्र.से.	प्रबंध निदेशक
डॉ.सतयंद्र सिंह दुरसावत, भा.प्र.से.	कार्यकारी निदेशक
डॉ.अमन गुप्ता, भा.प्र.से.	कार्यकारी निदेशक
श्री. अर्जुन शर्मा, भा.प्र.से.	कार्यकारी निदेशक
सुश्री पल्लवी सरकार, भा.प्र.से.	कार्यकारी निदेशक
सुश्री नंदिनी महाराज, भा.प्र.से.	कार्यकारी निदेशक
श्री सी. अरविंद, दानिक्स	कार्यकारी निदेशक
श्री विश्वेन्द्र, दानिक्स	कार्यकारी निदेशक

कम्पनी सचिव	:	श्री बासुकी नाथ साह
मुख्य वित्तीय अधिकारी	:	सीएमए पी. रघु राम
बैंकर्स :		इण्डियन बैंक, श्री विजय पुरम भारतीय स्टेट बैंक, श्री विजय पुरम एक्सेस बैंक, श्री विजय पुरम केनरा बैंक, सचिवालय शाखा, श्री विजय पुरम

पंजीकृत कार्यालय	विकास भवन पोस्टबॉक्स सं. 180 श्री विजय पुरम— 744 101 दूरभाष: 03192 — 232098, 236242, 246028 फैक्स: 03192 —232076, 232501 ई-मेल: aniidco@gmail.com वैबसाइट: http://aniidco.and.nic.in
------------------	---

अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड
(सरकारी उपक्रम)

सदस्यों के लिए निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

निदेशकगण 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए 36 वें वार्षिक लेखा परीक्षा विवरण प्रस्तुत करते हुए बड़े हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान इस कंपनी की कुल बिक्री ₹490.08 करोड़ रिकॉर्ड किया गया जबकि पिछले वर्ष की कुल बिक्री ₹ 465.53 करोड़ थी। कंपनी का कराधान से पहले लाभ ₹44.96 करोड़ से वृद्धि होकर ₹ 44.41 करोड़ हुई हैं।

वित्तीय परिणाम

वर्ष 2023-2024 के कार्य और वित्तीय परिणाम का विवरण इस प्रकार हैं।

(₹ लाख में)

मुख्य परिणाम	2023-24	2022-23
कुल बिक्री	49,008.23	46,553.99
वर्ष का लाभ (कर से पूर्व)	4,440.99	4,496.87
वर्ष का लाभ (कर से पश्चात)	3,331.60	3,486.80

निगम द्वारा भुगतान की गई लाइसेंस शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा मूल्यवर्धित कर का विवरण इस प्रकार है:-

(₹ लाख में)

वर्ष	2023-24	2022-23
लाइसेंस 'शुल्क	329.02	312.40
उत्पाद 'शुल्क	12807.46	13858.81
मूल्य वर्धित कर	2809.54	2683.80
कुल राशि	15946.02	16855.01

संचालन

1. आई.एम.एफ.एल. प्रभाग

आई.एम.एफ.एल. प्रभाग का पिछले दो वर्षों का क्रियाकलाप (₹.लाख में)

विवरण	2023-24	2022-23
संचालन से राजस्व (कुल बिक्री)	28034.37	26732.64
अन्य आय	184.36	338.4
कुल आय	28218.73	27071.04
उपभोग किए गए सामग्रियों की लागत	22642.32	21237.28
कर्मचारियों को पारिश्रमिक	413.87	347.94
प्रशासनिक, संचालन, विक्रय तथा ओवरहेड वितरण	504.37	426.76
मूल्यहास	0.82	0.62
कुल व्यय	23561.38	22012.60
संचालन से लाभ/(हानि)	4657.35	5058.44

चेन्नई से श्री विजय पुरम तक परिवहन लागत में वृद्धि के कारण डिवीजन की बिक्री ₹ 267.33 करोड़ से बढ़कर ₹ 280.34 करोड़ हो गई है और परिचालन लाभ ₹ 50.58 करोड़ से घटकर ₹ 46.57 करोड़ हो गया है।

(2). पेट्रोलियम प्रभाग

निगम द्वीपों के विभिन्न हिस्सों में नौ आई.ओ.सी खुदरा दुकानें और चार उपभोक्ता दुकानें संचालित कर रहा है । निगम बिल्लीग्राउंड, फरारगंज और कार निकोबार में तीन नए पी.ओ.एल आउटलेट खोलने की प्रक्रिया में है ।

पेट्रोलियम प्रभाग का पिछले दो वर्षों का क्रियाकलाप (₹ लाख में)

विवरण	2023-24	2022-23
संचालन से राजस्व (कुल बिक्री)	17449.27	16757.13
अन्य आय	11.66	23.50
कुल राजस्व	17460.93	16780.63
उपभोग किए गए सामग्रियों की लागत	16699.28	16031.36
कर्मचारियों को पारिश्रमिक	322.05	310.36
प्रशासनिक, संचालन, विक्रय तथा ओवरहेड वितरण	274.33	186.74
मूल्यहास	39.59	39.48
कुल व्यय	17335.25	16567.94
संचालन से लाभ/(हानि)	125.68	212.69

इस प्रभाग ने समीक्षा वर्ष के दौरान 210.99 लाख लीटर पेट्रोलियम उत्पाद की बिक्री की जबकि पिछले वर्ष यह बिक्री ₹ 199.55 लाख लीटर की थी ।हालाँकि बिक्री की मात्रा में मामूली वृद्धि की गई है, लेकिन बढ़ी हुई परिचालन व्यय को पूरा करने की मात्रा में नहीं ।

(3). पर्यटन प्रभाग

निगम के पर्यटन प्रभाग के क्रियाकलाप में होटल मेगापोड रिसॉर्ट,डॉलफिन रिसॉर्ट तथा हॉर्नबिल नेस्ट का संचालन शामिल हैं ।

पिछले दो वर्षों में होटल में पर्यटकों की ठहरने का प्रतिष्ठत इस प्रकार है:

इकाई	2023-24	2022-23
मेगापोड रिसॉर्ट	52.75	49.24
डॉलफिन रिसॉर्ट	54.65	46.71
हॉर्नबिल नेस्ट	40.67	32.36

पर्यटन प्रभाग का पिछले दो वर्षों का क्रियाकलाप (₹ लाख में)

विवरण	2023-24	2022-23
संचालन से राजस्व (कुल बिक्री)	1596.79	1432.29
अन्य आय	10.73	12.15
कुल राजस्व	1607.52	1444.44
उपभोग किए गए सामग्रियों की लागत	191.01	61.11
कर्मचारियों को पारिश्रमिक	431.87	361.14
प्रशासनिक, संचालन, विक्रय तथा ओवरहेड वितरण	1053.48	1077.05
मूल्यहास	40.27	38.79
कुल व्यय	1716.63	1538.09
संचालन से लाभ/(हानि)	(109.11)	(93.65)

डिवीजन के अधिभोग और टर्नओवर में मामूली वृद्धि हुई है, लेकिन बढ़े हुए परिचालन व्यय को पूरा करने की मात्रा में नहीं ।

(4). दुग्ध प्रभाग

निगम, द्वीपों में दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों का उत्पादन एवं विपणन से संबंधित कार्यों से जुड़ा हुआ है। प्रभाग के पिछले दो वर्षों के निष्पादन व क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं:

दुग्ध प्रभाग का पिछले दो वर्षों का क्रियाकलाप (₹ लाख में)

विवरण	2023-24	2022-23
संचालन से राजस्व (कुल बिक्री)	1433.27	1251.33
अन्य आय	-	0.47
कुल राजस्व	1433.27	1251.80
उपभुक्त सामग्रियों की लागत	1099.14	988.40
कर्मचारियों को पारिश्रमिक	74.99	85.30
प्रशासनिक, संचाल, विक्रय तथा वितरण ओवरहेड	233.42	115.25
मूल्यहास	23.16	20.03
कुल व्यय	1430.71	1208.98
संचालन से लाभ/(हानि)	2.56	42.82

परिचालन व्यय में वृद्धि के कारण परिचालन लाभ ₹ 42.82 लाख से घटकर ₹ 2.56 लाख हो गया है।

(5). ऋण तथा वित्तीय प्रभाग

निगम अंडमान एवं निकोबार प्रशासन को किराये पर वाहन उपलब्ध करा रहा है।

ऋण एवं वित्त का पिछले दो वर्षों का क्रियाकलाप (₹ लाख में)

विवरण	2023-24	2022-23
संचालन से राजस्व (कुल बिक्री)	58.81	22.98
अन्य आय	-	0.31
कुल राजस्व	58.81	23.29
उपभुक्त सामग्रियों की लागत	0.01	0.69
कर्मचारियों को पारिश्रमिक	19.43	15.22
प्रशासनिक, संचाल, विक्रय तथा वितरण ओवरहेड	0.08	9.35
मूल्यहास	27.48	6.02
कुल व्यय	47.00	31.28
संचालन से लाभ/(हानि)	11.81	(7.99)

चालू वर्ष में नये वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण टर्नओवर में वृद्धि हुई है।

(6). परियोजना प्रभाग

परियोजना प्रभाग की आय में पर्यटन परियोजनाओं के लिए भूमि के पट्टे से प्राप्त पट्टा किराया शामिल है।

परियोजना प्रभाग का पिछले दो वर्षों का क्रियाकलाप (₹ लाख में)

विवरण	2023-24	2022-23
संचालन से राजस्व (कुल बिक्री)	388.06	334.81
अन्य आय	-	42.15
कुल राजस्व	388.06	376.96
उपभुक्त सामग्रियों की लागत	-	0
कर्मचारियों को पारिश्रमिक	13.08	91.43
प्रशासनिक, संचाल, विक्रय तथा वितरण ओवरहेड	84.96	19.38
मूल्यहास	-	0.45
कुल व्यय	98.04	111.26
संचालन से लाभ/(हानि)	290.02	265.70

(7). निगमित कार्यालय

निगमित कार्यालय नियामक निकाय के रूप में कार्य करता है और निगम के सभी प्रभागों की निगरानी करता है। सावधि जमा पर अर्जित ब्याज को निगमित कार्यालय की आय के रूप में दिखाया जाता है। निगमित व्यय को उनके टर्नओवर के आधार पर परिचालन प्रभाग के बीच वितरित किया जा रहा है।

निगमित कार्यालय का पिछले दो वर्षों का क्रियाकलाप (₹ लाख में)

विवरण	2023-24	2022-23
संचालन से राजस्व (कुल बिक्री)*	47.67	22.81
अन्य आय	1169.73	619.01
कुल राजस्व	1217.40	641.82
उपभुक्त सामग्रियों की लागत	0.68	26.85
कर्मचारियों को पारिश्रमिक	1293.49	1067.84
प्रशासनिक, संचाल, विक्रय तथा वितरण ओवरहेड	415.17	396.94
मूल्यहास	37.06	49.26
कुल व्यय	1746.40	1540.89
संचालन से लाभ/(हानि)	(529.00)	(899.07)

(*पीत भण्डार से आय)

फिक्स्ड डिपॉजिट निवेश में वृद्धि के कारण अन्य आय में वृद्धि हुई है।

भविष्य की संभावित क्रियाकलाप

पर्यटन/बुनियादी ढांचागत विकास परियोजनाओं का विकास

पर्यटन और ढांचागत परियोजनाओं का विकास द्वीप विकास एजेंसी (आईडीए) के निर्णयों के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में (पीपीपी) पर इको-पर्यटन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निगम को परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। अंडमान और निकोबार प्रशासन ने ग्रेट निकोबार परियोजनाओं के कार्यान्वयन और (एनएससीबी) परियोजनाओं के विकास के लिए निगम को परियोजना प्रस्तावक के रूप में नियुक्त किया है। निगम द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है:

- **लॉन्ग आइलैंड, एवेस आइलैंड, स्मिथ आइलैंड और शहीद द्वीप में फोर आइलैंड इको टूरिज्म रिसॉर्ट**
लॉन्ग आइलैंड, एवेस आइलैंड, स्मिथ आइलैंड और शहीद द्वीप में (पीपीपी) पर इको टूरिज्म रिसॉर्ट्स के विकास के लिए नीति आयोग द्वारा नियुक्त सलाहकार द्वारा मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया गया है। मेसर्स (केपीएमजी) एडवाइजरी सर्विसेज को लेनदेन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है और व्यवहार्यता रिपोर्ट और तैयार बोली दस्तावेज (पीपीपीएसी/एसएफसी) अनुमोदन, सरकार के लिए 15/02/2024 को एमएचए को प्रस्तुत किए गए हैं। भारत का. (पीपीपीएसी/एसएफसी) की मंजूरी मिलने के बाद, परियोजना के विकास के लिए रियायतग्राही की नियुक्ति के लिए आरएफपी जारी किया जाएगा।
- **मेगापोड रिसॉर्ट की विकास**
मेगापोड रिसॉर्ट को पीपीपी के आधार पर एक प्रमुख होटल श्रृंखला को शामिल करके 5-सितारा लक्जरी रिसॉर्ट के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। तदनुसार, मेसर्स डेलोइट टच टोहमात्सू इंडिया एलएलपी को लेनदेन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया और व्यवहार्यता रिपोर्ट और बोली दस्तावेज भारत सरकार के एसएफसी अनुमोदन के लिए 15/02/2024 को एमएचए को प्रस्तुत किए गए हैं। परियोजना के विकास के लिए रियायतग्राही की नियुक्ति के लिए एसएफसी की मंजूरी के बाद आरएफपी जारी किया जाएगा।

- **ग्रेट निकोबार द्वीप का समग्र विकास परियोजना**

ग्रेट निकोबार द्वीप के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने ग्रेट निकोबार द्वीप के समग्र विकास की परियोजना की कल्पना की है। ग्रेट निकोबार द्वीप के समग्र विकास की इंटरलिंकड परियोजना में अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (आईसीटीटी) की स्थापना के अलावा ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, पावरप्लांट और टाउनशिप की स्थापना भी शामिल है।

नीति आयोग द्वारा नियुक्त मेसर्स एईसीओएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने परियोजना के लिए मसौदा मास्टर प्लान तैयार किया और पर्यावरणीय मंजूरी के लिए ईआईए अध्ययन किया। परियोजना के लिए ईसी, सीआरजेड और एफसी मंजूरी अक्टूबर/नवंबर, 2024 के दौरान एमओईएफ एंड सीसी द्वारा दी गई है।

निगम ने टाउनशिप परियोजना के लिए ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विस्तृत मास्टर प्लान और डीपीआर तैयार करने के लिए मेसर्स एजिस इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया है, जिसे दिसंबर 2024 तक अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। भारत सरकार ने क्रमशः बंदरगाह, हवाई अड्डे और बिजली संयंत्र के लिए परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एम ओ पी एस डब्ल्यू , ए ए आई और एन टी पी सी को जिम्मेदारी सौंपी है ।

- **नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक**

माननीय प्रधान मंत्री ने वर्ष 1943 में नेता जी सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय भूमि पर तिरंगा फहराने की 75 वीं वर्षगांठ के अवसर पर रॉस द्वीप का नाम बदलकर “नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप” कर दिया और सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा। अनिडको ने इस राष्ट्रीय स्मारक की विकास योजना तैयार करने के लिए मेसर्स मीनहार्ट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। परियोजना की विकास योजना में डीपीआर, व्यवहार्यता, परियोजना संरचना, आरएफपी और द्वीप पर विभिन्न परियोजनाओं के लिए बोलीदाताओं को अंतिम रूप देने जैसे घटक शामिल हैं।

सलाहकार विस्तृत विकास योजना और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की प्रक्रिया में है और उसके बाद पीपीपी/ईपीसी पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विशेष एजेंसियों की नियुक्ति के लिए आरएफपी आमंत्रित किया जाएगा।

- **पैकेज द्वीप समूह/11 स्थलों का समग्र विकास**

नीति आयोग और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से यूटी प्रशासन ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में इको टूरिजम परियोजनाओं के विकास के दूसरे चरण के रूप में 11 अतिरिक्त द्वीपों/स्थलों का समग्र विकास करने का निर्णय लिया है। उत्तरी अंडमान में डिगलीपुर, मध्य अंडमान में मायाबंदर, रंगत और नॉर्थ पैसेज द्वीप और दक्षिण अंडमान में स्थलों की पहचान की गई है। द्वीपों में इन चयनित किए गए द्वीपों/स्थलों के समग्र और सतत विकास को सुविधाजनक बनाने के समग्र इरादे पर विचार किया जा रहा है।

नीति आयोग द्वारा नियुक्त मेसर्स (एईसीओएम) ने भूमि उपयुक्तता मूल्यांकन, पर्यावरण संवेदनशीलता विश्लेषण, बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन आदि किया है और परियोजनाओं की पहचान के लिए मसौदा मास्टर प्लान तैयार किया है। मास्टर प्लान, डीपीआर और वित्तीय व्यवहार्यता रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद, परियोजनाओं को शुरू करने के लिए लेनदेन सलाहकार नियुक्त किया जाएगा।

- **स्वराज द्वीप के राधानगर बीच का विकास**

पर्यटन विभाग अंडमान और निकोबार प्रशासन ने (पीपीपी) पर इको टूरिजम के विकास के लिए स्वराज द्वीप में राधानगर के समुद्री तट के किनारे 18 हेक्टेयर भूमि की पहचान की है। निगम राधानगर समुद्र तट के लिए विकास योजना तैयार करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति के लिए आरएफपी जारी करने की प्रक्रिया में है।

- **विरासत पर्यटन सर्किट— चैथम, वाइपर और एनएससीबी द्वीप**

अंडमान और निकोबार प्रशासन चैथम, वाइपर और नेता जी सुभाष चंद्र बोस द्वीप को जोड़ने के लिए एक विरासत पर्यटन सर्किट विकसित करने की योजना बना रहा है। प्रस्तावित विरासत पर्यटन सर्किट का प्राथमिक उद्देश्य चैथम, वाइपर द्वीप और एनएससीबी द्वीप के समृद्ध ऐतिहासिक महत्व को प्रदर्शित करना है। अनिडको ने विकास योजना की तैयारी के लिए सलाहकार की नियुक्ति के लिए निविदा आमंत्रित की है जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

बोर्ड की बैठक

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल की तीन बैठकें दिनांक 8 जून 2023, 30 अगस्त, 2023 तथा 19 दिसम्बर, 2023 को आयोजित की गई जिसकी सूचना तथा बैठक की कार्यवृत्त में यथोचित रिकॉर्ड किया गया।

वार्षिक विवरण का सांराष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 के उप-खंड 3 के अंतर्गत कंपनी की वार्षिक विवरण का सांराष इस रिपोर्ट के अनुलग्नक I में संलग्न किया गया है।

निगमित सामाजिक दायित्व

निगम द्वारा अपने अर्जित लाभांश में से सामाजिक कार्यों के लिए योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वृत्तीय वर्ष 2023–2024 दौरान निगम ने बालिका निकेतन अट्टम पहाड़ और बाल गृह फेरारगंज के लिए 5 सेट डेस्कटॉप कंप्यूटर और प्रिंटर खाली दूध की थैली संग्रह योजना दूरदराज के आंगनवाड़ी केंद्रों तक दूध पाउंडर पहुंचाकर कुपोषण की रोकथाम घर तिरंगा अभियान के लिए निधि के लिए 70.17 लाख रुपये की राशि के लिए विभिन्न सीएसआर गतिविधियाँ शुरू की हैं।

कंपनी के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की संक्षिप्त रूपरेखा और वर्ष के दौरान सी एस आर गतिविधियों पर कंपनी द्वारा की गई पहल इस रिपोर्ट के अनुबंध II में कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व) नियम 2014 में निर्धारित प्रारूप में दी गई है तथा यह विवरण कंपनी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

संबंधित पार्टी से लेन-देन

कंपनी अधिनियम की धारा 188 के अंतर्गत समीक्षा वर्ष के दौरान कंपनी ने संबंधित पार्टी से लेन-देन, करार नहीं की है।

कंपनी द्वारा ऋण एवं निवेश

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा न ही किसी प्रकार का निवेश, ऋण, अग्रिम दिया गया और नहीं गारंटी दी है और न ही अन्य निकाय कॉर्पोरेट प्रदान नहीं की हैं।

सहायक कंपनी

दिनांक 31.03.2023 तक कंपनी के अधीनस्थ एक सहायक कंपनी है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 2(6) के अंतर्गत कोई भी सहायक कंपनी नहीं है। सहायक कंपनियों के व्यवसाय के प्रकृति में किसी भी प्रकार का मुख्य बदलाव नहीं पाया गया। अधिनियम की धारा 129(3) का अनुसरण करते हुए कंपनी के सहायकों की वित्तीय विवरणों के मुख्य विशेषताओं को शामिल करते हुए कंपनी के वित्तीय विवरण की फार्म संख्या ए.ओ.सी-1 में संलग्न किया गया है।

अधिनियम की धारा 136 में दर्शाए गए प्रावधान का अनुसरण करते हुए कंपनी के वित्तीय विवरणों, समेकित वित्तीय विवरण सहित संबंधित दस्तावेजों को सभी सदस्यों को भेजा जाएगा तथा इसे वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्देशकगणों की उत्तरदायित्व का विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सी) के उपबंधों के अनुसार निर्देशकगण निम्नलिखित पुष्टि करते हैं :

आपके निर्देशक मण्डल यह पुष्टि करते हैं कि :—

- वार्षिक लेखा की तैयारी में सामग्री विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण सहित लागू मानक लेखा विधि का पालन किया गया है ।
- वे ऐसे लेखा विधि पद्धति का चुनाव व उनका तर्क संगति से प्रयोग किए हैं जो निर्णय एवं अनुमान लगाने पर संतुलित तथा ठीक हैं, ताकि हम वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यों को सत्य तथा सही रूप में प्रस्तुत कर सकें और इस अवधि में कंपनी के लाभ तथा हानि को भी दर्शा सकें ।
- कम्पनी की संपत्ति की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं कमियों से बचने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा रिकॉर्डों के देखरेख तथा रखरखाव के लिए उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई: तथा
- उन्होंने प्रचलित आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है ।
- कंपनी ने सुसंगत पद्धतियों का चयन किया है जिससे कि उपयुक्त सभी विधि में दर्शाए गए प्रावधानों की स्वीकृति सुनिश्चित किया जा सके तथा यह पद्धतियां योग्यपूर्ण व पर्याप्त हो ।

लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी का विवरण

इस वित्तीय वर्ष के दौरान लेखा परीक्षक द्वारा किसी धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई ।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित योग्य राय का स्पष्टीकरण

लेखा परीक्षक के रिपोर्ट में उल्लिखित योग्य राय का स्पष्टीकरण अनुबंध III में संलग्न है ।

गुणवत्ता में वृद्धि

आपके निगम के प्रबंधन द्वारा निगम के उत्पादों की गुणवत्ता और दिए जा रहे सेवाओं में सुधार लाने की दिशा में हर संभव प्रयत्न किया जाएगा । सभी कर्मचारियों और वरिष्ठ स्तर के प्रबंधकीय अधिकारियों कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।

लेखा परीक्षक

लेखा परीक्षक मेसर्स बाबू और बदात, सनदी लेखाकार, जो आपके कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक हैं, आगामी वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्त हो रहे हैं और वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वैधानिक लेखा परीक्षकरूप में नियुक्त किया गया है ।

आंतरिक नियंत्रण पद्धति और उनकी पर्याप्तता

अनिडको द्वारा इन द्वीप समूह में पर्यटन, मदिरा, पेट्रोल, इस्पात, हवाई टिकट सेवाएं, ऋण तथा वित्त सहित सार्वजनिक-निजी साझेदारी के साथ पर्यटन परियोजनाओं का विकास जैसे क्रियाकलापों के साथ बहु आयामी व्यवसाय आरंभ किया है ।

पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा पद्धति सुनिश्चित करने के लिए एक पद्धति को लागू किया गया है । तदनुसार, कंपनी ने आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए मेसर्स डी. गरोडिया, सनदी लेखाकार, श्री विजय पुरम को नियुक्त किया जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2021–22 की लेखा परीक्षा की है तथा मेसर्स डी. गारोदिया एण्ड कंपनी को वित्तीय वर्ष 2023–24 के आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए भी नियुक्त किया गया है ।

मानव संसाधन

निगम की सफलता का श्रेय लोगों को जाता है और पूर्ण विश्वास है कि केवल कर्मचारी ही एक संगठन का कर्णधार होता है और इस दिशा में मुख्यभूमि से विशेषज्ञों को बुलाकर उनके अंदर छिपे प्रतिभाओं को उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है ।

इस संगठन के कार्य निष्पादन, निगम के प्रति विश्वास उत्पन्न करने तथा कार्य को अंजाम देने की स्वतंत्रता जैसी माहौल पैदा करने पर हम विशेष बल दे रहे हैं । हमें विश्वास है कि ये सभी प्रयास अनिडको परिवार, जिनके कर्मचारियों की संख्या 300 के लगभग है, को मदद करेगी और इस स्थान के विकास में एक नया अध्याय जोड़ेगी । निगम के कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों के प्रति अभिप्रेरित करने के उद्देश्य से निगम ने एक्स.एल.आर.आई संस्था, जमशेदपुर के परामर्श द्वारा कर्मचारियों के कार्य निष्पादन आधार पर प्रोत्साहन योजना तैयार किया गया है ।

आवधिक जमा की स्वीकृति

समीक्षा वर्ष के दौरान निगम ने न ही जनता के किसी आवधिक जमा को स्वीकार की अथवा न ही नवीकरण किया है ।

निर्देशक मण्डल में फेरबदल

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान निम्नलिखित निदेशकों में फेरबदल किया गया :-

1. श्री अर्जुन शर्मा, भा.प्र.से., श्री विश्वेन्द्र, भा.प्र.से., श्री अमन गुप्ता, भा.प्र.से., तथा श्रीमती नंदिनी महाराज, भा.प्र.से. को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया तथा श्री श्री बी.एस. जागलान, भा.प्र.से. तथा श्रीमती वेदिता रेड्डी, भा.प्र.से. निगम के कार्यकारी निदेशक पद से कार्यमुक्त हुए ।
2. श्री बिनय भुषण, भा.प्र.से. तथा श्री सुरेन्द्र प्रहलादका, निगम के निदेशक पर नियुक्त किया गया ।
3. बोर्ड ने श्री बी.एस.जागलान, श्रीमती वेदिता रेड्डी भा.प्र.से., श्री बिनय भुषण, तथा श्री सुरेन्द्र प्रहलादका, द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान दिए गए सेवाओं के लिए आभार व्यक्त की हैं ।

ऊर्जा संरक्षण

यह कम्पनी विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों से जुड़ा है और दूध प्रसंस्करण तथा पैकिंग को छोड़कर किसी भी क्रियाकलापों में अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती । अतः कंपनी के उत्पादों के लिए ऊर्जा की खपत बहुत ही कम है । फिर भी कंपनी ने इसके लिए उचित प्रबंध किए हैं और ऊर्जा संरक्षण के प्रति सजग हैं ।

प्रौद्योगिकी सविलयन

आपके निगम किसी भी विदेशी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं है । सभी तकनीकों का विकास यहीं पर उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार एवं वृद्धि के स्तर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ।

विदेशी मुद्रा विनियम

वर्ष 2023-2024 के दौरान अर्जित तथा निर्गम विदेशी मुद्रा	
अर्जित : वर्ष के दौरान प्राप्त विदेशी मुद्रा	- षून्य
निर्गम: वर्ष के दौरान	- षून्य

जोखिम प्रबंधन

कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले सभी भौतिक जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है और उन्हें नियमित आधा पर लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है । समिति जोखिम सहनशीलता निर्धारित करने के लिए कंपनी की प्रक्रियाओं और नीतियों की देख रेख करती है और प्रबंधन के माप और स्थापित स्तरों पर समग्र जोखिम सहनशीलता की तुलना की समीक्षा करती है । व्यवसायों और कार्यों द्वारा पहचाने गए प्रमुख जोखिमों को नियमित आधा पर कम करने वाली कार्रवाईयों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से विचार किया जाता है ।

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धता

इस रिपोर्ट की तारीख तक वित्तीय वर्ष के अंत के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं ।

आभारोक्ति

समीक्षा वर्ष के दौरान आपके निदेशकगण सभी व्यवसाय सहयोगियों, ग्राहकों, बैंकर्स, शेयरधारकों, लेखा परीक्षकों और कंपनी से जुड़े लोगों का खुले दिल से धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं ।

आपके निदेशकगण गृह मंत्रालय, निगमित मामले से संबंधित मंत्रालय और सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय को भी धन्यवाद देते हैं । आपके निदेशकगण विशेषकर माननीय उपराज्यपाल महोदय और अंडमान तथा निकोबार प्रशासन को भी उनके द्वारा पूरे वर्ष दिए गए मार्गदर्शन, सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं ।

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

श्री विजय पुरम

दिनांक: 23/09/2024

(निदेशक)

(प्रबंध निदेशक)

फार्म न. एम जी टी - 9
वार्षिक लाभ का सारांश
दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा नियम 12(1) के अनुपालन अनुसार)
(प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014)

I. पंजीकरण तथा अन्य विवरण :

- I) सी आई एन:- **U74999AN19985GC000028**
 II) पंजीकरण दिनांक:- **28.06.1988**
 III) कंपनी का नाम:- **अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड**
 IV) कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी :- **सरकारी कंपनी**
 V) पंजीकृत कार्यालय तथा संपर्क विवरण का पता: **विकास भवन, श्री विजय पुरम, डाक
पेटी संख्या 180
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह - 744101
दूरभाष संख्या: 03192-246028
वेबसाइट: <http://aniidco.and.nic.in>**
 VI) क्या कंपनी सूचीबद्ध है: **नहीं**
 VII) नाम: पंजीयक तथा स्थानांतरण अभिकर्ता का नाम, पता तथा संपर्क विवरण, यदि कोई, -
उपयुक्त नहीं

II. कंपनी का प्रधान व्यवसाय क्रियाकलाप :

कंपनी के कुल बिक्री का 10 प्रतिशत अथवा अधिक अंशदान देने वाले सभी व्यवसाय क्रियाकलापों को दर्शाया जाएगा ।

क्रम संख्या	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम तथा विवरण	उत्पादों/सेवा का एन आई सी कोड	कंपनी के कुल बिक्री का प्रतिशत
1.	सामग्रियों तथा निर्मित वस्तुओं का व्यापार	46308, 47300, 10501 आदि	100

III. सहायक, सहयोगी कंपनी का विवरण :

क्रम संख्या	कंपनी का नाम व पता	सी आई एन/जी एल एन	सहायक व सहयोगी कंपनी	षेयर का प्रतिशत	उपर्युक्त धारा
1.	अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड (ए एफ एल)	U05001AN1991SG C000035	सहायक	100	2(87)

IV. षेयर रखने की विधि :

भारत का राष्ट्रपति : 85 प्रतिशत
उपराज्यपाल, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह : 15 प्रतिशत

V. निदेशको का षेयर तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :

क्रम सं.		वर्ष के प्रारंभ में षेयर (01.04.2023)	वर्ष के दौरान जोड़ा गया षेयर		
		षेयर की संख्या	कंपनी का कुल षेयर प्रतिषत	षेयर की संख्या	कंपनी के कुल षेयरों का प्रतिषत
1.	सुश्री नंदनी पालीवाल	1	0	1	0
	वर्ष के अंत में (31.03.2024)	1	0	0	0
2.	श्री हरि कल्लीक्कट	1	0	0	0
	वर्ष के अंत में (31.03.2024)	0	0	1	0
3.	श्री विश्वेन्द्र	0	0	1	0
	वर्ष के अंत में (31.03.2024)	1	0	1	0

VI. ऋणग्रस्सता :

कंपनी के ऋणग्रस्सता में शामिल बकाया ब्याज/बीमाकिंक परंतु भुगतान के लिए देय नहीं : शून्य

VII. निदेशकों का पारिश्रमिक तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशको तथा/अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक: ₹ 40,500

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक (बैठक शुल्क): ₹1,19,500

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/डब्ल्यू टी डी के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक: शून्य

VIII. जुर्माना/दंड : शून्य

निगमित समाजिक दायित्व से संबंधित गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी के निगमित समाजिक जिम्मेदारी की संक्षिप्त रूपरेखा

अनिडको का निगमित समाजिक दायित्व से संबंधित नीति कंपनी के वेबसाइट में दर्शाया गया है । कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची VII के अंतर्गत दर्शाए गए नियमों के तहत यह गतिविधियां प्रारंभ किया जाएगा। निगमित समाजिक दायित्व से जुड़े परियोजना/कार्यक्रम अथवा क्रियाकलाप केवल अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में ही संचालित किया जाएगा । निगम द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्राप्त औसत शुद्ध लाभ के न्यूनतम 2 प्रतिशत तथा अधिकतम 3 प्रतिशत की दर से निगमित समाजिक दायित्व से जुड़े कार्यों पर खर्च किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, सी.एस.आर. गतिविधियां पंजीकृत ट्रस्ट अथवा पंजीकृत संस्था अथवा कंपनी द्वारा स्थापित कंपनी अथवा सहायक कंपनी अथवा सहयोगी कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 8 के तहत अथवा पिछले तीन वर्षों से अनुरूप कार्यक्रम व परियोजनाएं संचालित कंपनी/संस्था/स्वायत्त निकाय/सरकारी विभाग द्वारा आरंभ किया जाएगा ।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, निगम ने निगमित समाजिक दायित्व के अंतर्गत क्रियाकलापों में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कुपोषण की रोकथाम, पर्यावरणीय स्थिरता आदि से जुड़े कार्यों में किए गए ।

2. सी.एस.आर. समिति की संरचना

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	निदेशक पद का पदनाम/प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान उपस्थित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
1	सुश्री नंदिनी पालीवाल	प्रबंध निदेशक	4	4
2	श्रीमती वेदिता रेड्डी	कार्यकारी निदेशक	3	2
3	श्री सी अरविंद	कार्यकारी निदेशक	4	3

3. कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा किए जाने पर वेब-लिंक प्रदान करें।

<https://aniidco.and.nic.in>

4. कार्यकारी सारांश प्रदान करें नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन के वेब-लिंक के साथ, यदि लागू हो तो । उपयुक्त नहीं

5. (क) कंपनी का औसत शुद्ध लाभधारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार : ₹ 3469.65 लाख

(ख) कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशतधारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार
₹ 69.39 लाख

(ग) पिछले वित्तीय वर्ष की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष : शून्य

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो। : शून्य

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(बी)+(सी)-(डी)] : ₹ 69.39 लाख

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चल रही लाख ₹ 70.17 लाख परियोजना और चल रही परियोजना के अलावा अन्य दोनों)

(ख) प्रशासनिक उपरिव्ययों में व्यय की गई राशि : शून्य

(ग) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो: उपयुक्त नहीं

(घ) वित्तीय वर्ष के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व पर खर्च किए:

गए राशि का विवरण (ए)+(बी)+(सी): ₹ 70.17 लाख

(ड) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (रु. में)	अव्ययित राशि (रु. में)				
	धारा 135 की उपधारा (6) के अनुसार अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित कुल राशि			धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची 7 के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि	
	राशि	हस्तांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि
18,16,776.00	51,99,839.00	26.04.2024	.	.	.

सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो :

उपयुक्त नहीं

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अप्रयुक्त निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का विवरण

क्रम सं.	पिछले वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उपधारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	धारा 135 की उपधारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)	धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची 7 के अंतर्गत निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरित राशि यदि कोई हो	आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपये में)	कमीयाद कोई हो
					राशि (रुपये में)	हस्तांतरण की तिथि	
1	वित्तीय वर्ष - 1	-	-	-	-	-	-
2	वित्तीय वर्ष - 2	30,35,000	-	30,35,000	-	-	-
3	वित्तीय वर्ष - 3	-	-	-	32,00,000	29-7-2022	-

8. क्या निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से कोई पूंजीगत परिसंपत्ति बनाई गई है या अर्जित की गई है वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि ? : नहीं

9. यदि कंपनी धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है तो कारण निर्दिष्ट करें

कंपनी ने आवश्यक राशि खर्च करने के लिए सभी प्रयास किए। 08 फरवरी, 2024 और 20 मार्च, कार्यालय और समाज कल्याण विभाग से प्राप्त प्रस्तावों की जांच की गई, हालांकि, आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण उन्हें अंतिम रूप नहीं दिया जा सका/अनुमोदित नहीं किया जा सका। अप्रैल, 2024 के दौरान ₹ 51,99,839 रुपये की अव्ययित राशि एसबीआई, श्री विजय पुरम के एक अलग बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई है।

(नंदनी पालीवाल, भा.प्र.से.)

अध्यक्ष

निगमित सामाजिक दायित्व समिति

अनुलग्नक-III

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर उल्लेखित योग्य राय पर स्पष्टीकरण

1. आंतरिक लेखा परीक्षक के कार्यक्षेत्र में प्रमुख परिचालन और वित्तीय क्षेत्रों का पर्याप्त कवरेज है। हालांकि वैधानिक नियमों और विनियमों के अनुपालन में सुधार के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा के पर्याप्त कवरेज के लिए वर्ष 2024-25 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए नई निविदा में कार्य का अतिरिक्त दायरा जोड़ा गया है।
2. वेबकॉन ने वित्तीय वर्ष 2018-19 तक लाभांश का भुगतान किया है। कंपनी का नवीनतम वित्तीय विवरण प्राप्त किया जा रहा है, उसके बाद मूल्यांकन किया जाएगा।
3. कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम, 2017 के सभी प्रावधानों का अनुपालन किया है, (आईओसीएल) अपने (एसएपी) खाते से स्वचालित रूप से लाइसेंस शुल्क काट रहा है और अनिडको सीधे (आईओसीएल) को भुगतान संसाधित नहीं कर रहा है। अनिडको ने सभी कर प्रावधानों का अनुपालन करते हुए सभी भुगतान संसाधित किए हैं। ऑडिटर द्वारा उठाई गई टिप्पणी को (आईओसीएल) कोलकाता कार्यालय के समक्ष रखा गया है और वित्तीय वर्ष 2024-25 से अनुपालन किया जाएगा। और (आईपीएंडटी) से पट्टे पर ली गई संपत्तियों के संबंध में जीएसटी के संदर्भ में, (आईपीएंडटी) वित्तीय वर्ष 2024-25 से फॉरवर्ड चार्ज तंत्र पर (जीएसटी) वसूलने जा रहा है।
4. निगम अर्धवार्षिक आधार पर भौतिक सत्यापन कर रहा है। कंपनी द्वारा विभिन्न इकाइयों/स्थानों पर अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया और पाई गई संपत्तियों के अनुसार रिकॉर्ड किया गया। सत्यापन के दौरान, यदि कोई भिन्नता/विचलन समान पाया जाता है तो उसे ऐतिहासिक लागत पद्धति के अनुसार परिसंपत्तियों की क्षतिपूर्ति की सीमा तक परिसंपत्ति रजिस्टर से हटा दिया जाएगा।
5. ऐतिहासिक लागत अवधारणा पद्धति के अनुसार, कंपनी अधिनियम के अनुसार पूर्ण मूल्यहास वसूलने के बाद संपत्ति को उसके अवशिष्ट/बचाव मूल्य पर विभिन्न संपत्ति प्रमुखों के तहत कंपनी के खातों की किताबों में दिखाया जाता है। कंपनी अनुपयोगी पुरानी संपत्तियों की निंदा की प्रक्रिया में है, जिनका उपयोगी जीवन पहले ही समाप्त हो चुका है।
6. प्रगति में चल रहे पूंजीगत कार्य को कार्य पूरा होने पर समायोजित किया जाएगा।
7. (पीईटी) बोतलों का परीक्षण सरकार से किया गया है। लैब, चेन्नई और उन्होंने पुष्टि की कि नमूनों में एथिल अल्कोहल की मात्रा अल्कोहलिक पेय के भारतीय मानकों के अनुसार घोषित शक्ति की सहनशीलता सीमा के भीतर है। इसके अलावा, प्रबंधन ने इन पेट बोतलों के स्टॉक की बिक्री के लिए एकमुश्त अनुमति देने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्री विजया पुरम से भी संपर्क किया था। इसलिए निगम ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किसी भी इन्वेंट्री को राइट ऑफ नहीं माना। यदि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्री विजया पुरम, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बिक्री के लिए एकमुश्त अनुमति नहीं देगा, तो बड़े खाते में डालने से संबंधित आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे।

लेखा परीक्षक का निष्पक्ष रिपोर्ट

सेवा में,
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
समन्वित विकास निगम लिमिटेड, श्री विजय पुरम के सदस्यगण

योग्य राय

हमने दिनांक 31 मार्च 2024 तक के अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड ("कंपनी") का संलग्न तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा हानि तथा नकदी प्रवाह विवरण, जो इसके साथ संलग्न है, का लेखा परीक्षा कर लिया है, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय अनुभाग के आधार पर वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं, 2013 ("अधिनियम") आवश्यक तरीके से और कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2014 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों और आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है। भारत में, 31 मार्च 2024 को कंपनी के मामलों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ, इक्विटी में परिवर्तन और इसके नकदी प्रवाह।

योग्य राय के लिए आधार

1. कंपनी का आंतरिक ऑडिट कार्य उसके संचालन के आकार और प्रकृति के अनुरूप नहीं है। विशेष रूप से, आंतरिक ऑडिट प्रक्रिया में वैधानिक नियमों और विनियमों, इन्वेंट्री प्रबंधन, राजस्व मान्यता के अनुपालन सहित प्रमुख परिचालन और वित्तीय क्षेत्रों की पर्याप्त कवरेज का अभाव है। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में संभावित गलत विवरण हो सकते हैं जिनका समय पर पता नहीं लगाया जा सकता है या उन्हें रोका नहीं जा सकता है।
2. कंपनी ने शेयरों का मूल्यांकन किए बिना वेबकॉन कंसल्टिंग (इंडिया) लिमिटेड में निवेश पर नुकसान के लिए 6,00,000 रुपये का प्रावधान किया है। परिणामस्वरूप, हम निवेश पर नुकसान के प्रावधान की उपयुक्तता के बारे में पर्याप्त उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ थे। परिणामस्वरूप, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ थे कि निवेश पर नुकसान के प्रावधान, निवेश की वहन राशि और 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर संबंधित प्रभाव के लिए कोई समायोजन आवश्यक हो सकता है या नहीं।
3. कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम, 2017 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है। विशेष रूप से, कंपनी ने:
 - क) आईओसी को भुगतान की गई लाइसेंस फीस पर टीडीएस नहीं काटा गया। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194। के प्रावधानों के अनुसार ₹ 56.05 लाख।
 - (ख) आईपीएंडटी और अन्य सरकारी विभागों से लीज पर ली गई संपत्तियों के संबंध में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया है।इन मामलों के परिणामस्वरूप, हम कर देनदारियों और खर्चों की पूर्णता और सटीकता के संबंध में पर्याप्त उचित ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे। नतीजतन, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ थे कि क्या कर देनदारियों, दंड और ब्याज के संबंध में कोई समायोजन आवश्यक हो सकता है, और 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर प्रभाव पड़ सकता है।
4. कंपनी द्वारा विभिन्न इकाइयों/स्थानों पर अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया और उस इकाई/स्थान में पाई गई संपत्तियों के अनुसार रिकॉर्ड किया गया। हालांकि, इसका मिलान संपत्ति रजिस्टर

से नहीं किया गया था। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में पाई गई भिन्नता/विचलन को परिसंपत्ति रजिस्टर में समायोजित नहीं किया गया और खातों पर कोई प्रभाव नहीं डाला गया है।

5. 'महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और वित्तीय विवरणों के नोट्स' के नोट 9 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, यह देखा गया कि कंपनी के खातों की किताबों में बहुत सारी संपत्तियां अलग-अलग संपत्ति शीर्ष के तहत उसके अवशिष्ट/बचाव मूल्य पर दिखाई जाती हैं। इसके अलावा, यदि उन परिसंपत्तियों का शेष उपयोगी जीवन शून्य है और कंपनी द्वारा कोई मूल्यह्रास नहीं लिया जाता है क्योंकि उन्हें पिछले कई वर्षों से उनके अवशिष्ट मूल्य में दिखाया गया है। हालाँकि, आईएनडी एस16 के अनुसार, मूल्यह्रास को केवल तभी जब्त किया जा सकता है जब परिसंपत्ति को डिमोर्टाइज किया गया हो/बिक्री की गई हो या बिक्री के लिए रखा गया हो। इसके अलावा, आईएनडी एस 16 के अनुसार, कंपनी को इन परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए और पुनर्मूल्यांकित राशि पर मूल्यह्रास वसूलना चाहिए। नतीजतन, अचल संपत्तियों को रुपये से अधिक बताया गया है। ₹ 63.84 लाख और संचित मूल्यह्रास को उसी राशि से कम करके आंका गया है।
6. जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 29 में वर्णित है, पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सी डब्ल्यू आई पी) में रु. 59.66 लाख की परियोजनाएं शामिल हैं। ₹ 59.66 लाख जो पूर्णता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति के बिना विस्तारित अवधि से चल रहे हैं। प्रबंधन ने इन परियोजनाओं के मूल्यांकन और संभावित हानि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त उचित साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए हैं। परिणामस्वरूप, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ थे कि क्या इस राशि में कोई समायोजन आवश्यक था।
7. इन्वेंट्री के मूल्यांकन के लिए 'महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और वित्तीय विवरणों के नोट्स' के नोट 10 पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। कंपनी ऐतिहासिक लागत या अनुमानित शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम पर स्टॉक का मूल्यांकन करती है। अंडमान और निकोबार प्रशासन ने अपनी अधिसूचना सं. 186 दिनांक 05.09.2019 एएचएस ने 2 लीटर से कम शराब सहित पीईटी बोतलों— पानी और पेय पदार्थों के निर्माण, भंडारण, उपयोग, आयात, परिवहन, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके परिणामस्वरूप कंपनी की इन्वेंट्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिक्री योग्य नहीं रह गया है और शून्य शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर लिखा गया है। 31.03.2024 को स्टॉक का मूल्य ₹ 46.26 लाख। कंपनी ने वित्तीय विवरणों में किसी भी इन्वेंट्री राइट-डाउन को मान्यता नहीं दी है। नतीजतन, समापन स्टॉक रुपये से अधिक बताया गया है। ₹ 46.26 लाख और शुद्ध मुनाफा इतनी ही राशि से अधिक बताया गया है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) में निर्दिष्ट लेखा मानदंड के अनुसार लेखा परीक्षा की है तथा लेखा मानदण्ड नियमों में यह आपेक्षित है कि हम उचित तर्कसंगत आश्वासन को प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाते हैं और उसका क्रियाव्ययन करते हैं जिससे कि वित्तीय विवरण में ऋटि न हो। लेखा परीक्षा के कार्य प्रणाली में वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए राशि एवं प्रकटन से संबंधित साक्ष्य शामिल है। चयन किए गए कार्य प्रणाली लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर रहता है। जिसमें वित्तीय विवरणों में ऋटि अथवा धोखा के जरिए हुए विसंगति का मूल्यांकन भी शामिल है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए, लेखा परीक्षक कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए उचित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं, जिससे कि लेखा परीक्षा की प्रक्रिया इन परिस्थितियों में उपयुक्त हो लेकिन कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करना नहीं है। लेखा परीक्षा में इस्तेमाल किए गए लेखांकन नीतियों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन तथा कंपनी के निदेशकों द्वारा उपयुक्त लेखांकन नीतियों की युक्तिपूर्णता के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति भी शामिल है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख ऑडिट मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन के अनुसार सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। भारत में आम तौर पर स्वीकृत और अन्य लेखांकन सिद्धांत।

इन दायित्वों में यह अपेक्षित है कि हम उचित आश्वासन को प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाते हैं और उसका क्रियाव्ययन करते हैं जिसमें अधिनियम में दर्शाए गए प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड की रख-रखाव, कंपनी के परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी से संरक्षण अथवा अन्य विषमताओं को पता करना, उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन तथा प्रयोग, उचित निर्णय तथा आकलन जो निष्पक्ष एवं गलत बयान एवं धोखाधड़ी से मुक्त हो तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रख-रखाव एवं कार्यान्वयन करते हैं जिससे कि वित्तीय विवरण में गलत विवरण शामिल न हो तथा लेखा परीक्षा में इस्तेमाल किए गए लेखांकन नीतियों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा उपयुक्त लेखांकन नीतियों की युक्तिपूर्णता के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति एवं वित्तीय विवरणों में ऋट्टि अथवा धोखा के जरिए हुए विसंगति का मूल्यांकन भी शामिल है।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अपना विचार व्यक्त करना है। हमने यह लेखा परीक्षा भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षा पर जारी मानदंड के अनुसार की है। हमने अधिनियम में निर्दिष्ट लेखा मानदंड के अनुसार लेखा परीक्षा की है तथा लेखा मानदण्ड नियमों में यह अपेक्षित है कि हम उचित तर्कसंगत आश्वासन को प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाते हैं और उसका क्रियाव्ययन करते हैं जिससे कि वित्तीय विवरण में ऋट्टि न हो।

लेखा परीक्षा के कार्यप्रणाली में वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए राशि एवं प्रकटन से संबंधित साक्ष्य शामिल है। चयन किए गए कार्यप्रणाली लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर रहता है। जिसमें वित्तीय विवरणों में ऋट्टि अथवा धोखा के जरिए हुए विसंगति का मूल्यांकन भी शामिल है।

- इन जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए, लेखा परीक्षक कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए उचित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं, जिससे कि लेखा परीक्षा की प्रक्रिया इन परिस्थितियों में उपयुक्त हो लेकिन कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करना नहीं है। लेखा परीक्षा में इस्तेमाल किए गए लेखांकन नीतियों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन तथा कंपनी के निदेशकों द्वारा उपयुक्त लेखांकन नीतियों की युक्तिपूर्णता के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति भी शामिल है।
लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, लेखा अनुमान तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन किया गया।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करें ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के लिए प्रबंधन द्वारा चालू व्यवसाय के आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल हैं, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो।
- अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संवाद करना, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है, जिसे हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।
- शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह कथन प्रदान करना कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करना, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपने लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की उचित रूप से ऐसी संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद की जा सकती है।

अन्य मामलें

- जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 9में वर्णित है, कंपनी ने 31/3/2024 तक संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में हटबे और डिगलीपुर में आरओएल आउटलेट के सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण की लागत ₹130.79 लाख का पूंजीकरण किया है। यह पूंजीकरण पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना किया गया था, जैसा कि यह प्रमाणित करने के लिए आवश्यक है कि परिसंपत्ति प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थिति में थी, जैसा कि भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) 16— संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुसार है। पूर्णता प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति में, हम यह सत्यापित करने में असमर्थ थे कि परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार थी या नहीं। नतीजतन, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ थे कि परिसंपत्ति की वहन राशि, मूल्यहास व्यय और संबंधित प्रकटीकरण में कोई समायोजन आवश्यक था या नहीं।
- जमा, अग्रिम, व्यापार प्राप्त और व्यापार देय के संबंध में शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने की मौजूदा प्रणाली पर्याप्त नहीं है। अधिकांश मामलों में, ऐसी पुष्टि उपलब्ध नहीं है। हमें एसए-505 मानकों में आवश्यक बाहरी पुष्टि प्राप्त नहीं कर सके, इसलिए यदि कोई समायोजन या प्रकटीकरण उत्पन्न होता है, तो हम उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
- ₹ 405.15 लाख रुपये के व्यापार प्राप्तियों के बारे में नोट संख्या 15 का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जो चालान तिथि से 1वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं। कंपनी ने ऐसे व्यापार प्राप्तियों से कोई पुष्टि प्राप्त नहीं की है। उपरोक्त के मद्देनजर हम ऋणों की वसूली और इन शेष राशियों की वहन राशि में अप्राप्ति के लिए किए जाने वाले किसी भी प्रावधान और वित्तीय विवरणों पर परिणामी प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
- हम वित्तीय विवरणों के नोट 17(बी) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कर्मचारियों द्वारा आईएमएफएल शॉप में आईएमएफएल स्टॉक की कमी और इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए कंपनी द्वारा चल रही जांच का वर्णन किया गया है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमियों के कारण स्टॉक की ये कमी हुई। इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।
- जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 13(ए) में वर्णित है, क्रेडिट और वित्त विभाग लेखा प्रणाली में उधारकर्ता-वार आधार पर आय मान्यता और परिसंपत्ति वर्गीकरण को बनाए नहीं रखता है। इसके

बजाय, बनाए गए रजिस्टर के आधार पर वर्ष के अंत में समेकित जर्नल प्रविष्टियाँ दर्ज की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, आरबीआई मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधानों का पता लगाने के लिए सुरक्षा के अस्तित्व और मूल्य की समय-समय पर समीक्षा करने की मानक प्रथा का पालन नहीं किया जाता है। प्रबंधन ने आरबीआई मानदंडों के अनुसार आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और आवश्यक सुरक्षा मूल्यांकन के प्रावधानों की सटीकता और पूर्णता का समर्थन करने के लिए पर्याप्त उचित सबूत नहीं दिए हैं। नतीजतन, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ थे कि इन राशियों में कोई समायोजन आवश्यक था या नहीं।

- कंपनी ने चालू वर्ष में अवकाश नकदीकरण के लिए ₹ 357.75 लाख रुपए का प्रावधान किया है, जिसका उद्देश्य पिछले वर्षों में अर्ध-वेतन अवकाश के लिए किए गए अल्प प्रावधानों की भरपाई करना है।
- जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 4(बी) में वर्णित है, ₹ 150.39 लाख रुपए की अनुदान सहायता शेष राशि को चालू वर्ष और कई पिछले वर्षों के लिए बैलेंस शीट में समायोजित नहीं किया गया है। प्रबंधन ने इस शेष राशि के मूल्यांकन और अस्तित्व का समर्थन करने के लिए पर्याप्त उचित साक्ष्य प्रदान नहीं किए हैं। परिणामस्वरूप, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ थे कि इन राशियों में कोई समायोजन आवश्यक था या नहीं।
- अपनी सहायक कंपनी मेसर्स अंडमान फिशरीज लिमिटेड में निवेश और अपनी सहायक कंपनी को दिए गए ऋण और अग्रिम के संबंध में कंपनी के प्रबंधन का विचार है कि ऐसे निवेशों की हानि के लिए 100% प्रावधान किया गया है। हालांकि, सहायक कंपनी में उन निवेशों के उचित मूल्यांकन के अभाव में, हम इस संबंध में कंपनी द्वारा किए गए कुल प्रावधान पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
- मेसर्स अंडमान फिशरीज लिमिटेड के वित्तीय विवरण से पता चलता है कि कंपनी ने घाटा जमा कर लिया है और शुद्ध मूल्य पूरी तरह से खत्म हो गया है। ये स्थितियाँ, अन्य मामलों के साथ-साथ एक भौतिक अनिश्चितता के अस्तित्व को इंगित करती हैं जो कंपनी की चालू चिंता के रूप में जारी रहने की क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। हालांकि, कंपनी के वित्तीय विवरण चालू चिंता के आधार पर तैयार किए गए हैं जो इसकी होल्डिंग कंपनी के निरंतर समर्थन पर निर्भर है।
- हम वित्तीय विवरणों के नोट 17 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो भारत सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए परामर्श सेवाओं के लिए कंपनी के व्यय का वर्णन करता है। हमारी ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक, संबंधित सरकारी विभागों के साथ अंतिम समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

1. अन्य विधि एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की अपेक्षा के अनुसार, हम उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर, लागू सीमा तक, "अनुलग्नक ए" में एक विवरण देते हैं।
2. हम अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की ऐसी जाँचों के आधार पर, जैसा कि हमने उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर "अनुलग्नक बी" में अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षा के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - क) हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे

- ख) उपरोक्त पैराग्राफ में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है:
- ग) उपरोक्त योग्य राय पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं:
- घ) उपरोक्त योग्य राय के आधार पर पैराग्राफ में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, जैसा कि लागू हो
- ड) उपरोक्त योग्य राय और योग्य राय पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामले, हमारी राय में, कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।
- च) हमें सूचित किया गया है कि निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है, जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार है।
- छ) कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक सी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।
- ज) हमें सूचित किया जाता है कि प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की अनुसूची ट के साथ धारा 197 के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार।
- झ) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
- (i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है – वित्तीय विवरणों के नोट 29 (i) (ए), (बी) और (सी) का संदर्भ लें।
 - (ii) कंपनी ने लागू कानून या लेखा मानकों के तहत आवश्यक प्रावधान किया है, दीर्घकालिक अनुबंधों पर भौतिक पूर्वानुमानित नुकसान, यदि कोई हो, के लिए
 - (ii) कंपनी के पास ऐसी कोई राशि नहीं है जिसे अधिनियम के प्रावधान के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक हो।
 - (iv) प्रबंधन ने खुलासा किया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों पर नोटों के अलावा, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं, जिसमें विदेशी संस्थाएं भी शामिल हैं, को (या तो उधार ली गई निधियों या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधियों के प्रकार से) कोई निधि अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं की गई है (चाहे वह उधार ली गई निधियों से हो या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या निधियों के प्रकार से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ:
- (ए) किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा
- (बी) किसी भी तरह से ("अंतिम लाभार्थी") कंपनी द्वारा या उसकी ओर से या

- (सी) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगा।
- (डी). लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उपखंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (ए) और (बी) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत विवरण है।
- (V) जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट 31 में कहा गया है:
- (ए). पिछले वर्ष के लिए घोषित लाभांश के संबंध में कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान भुगतान किया गया अंतिम लाभांश कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार है, जहाँ तक यह लाभांश के भुगतान पर लागू होता है।
- (बी) कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। घोषित लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जहाँ तक यह लाभांश की घोषणा पर लागू होता है।

हमारी जाँच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जाँच शामिल है, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेन-देन के लिए पूरे वर्ष संचालित होता है। इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, इसलिए कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

बाबू और बादात
चार्टर्ड अकाउन्टेंट
एफ आर एन: 321009E

स्थान: श्री विजय पुरम
दिनांक: 23/09/2024

(सी ए इमरान हाशिम बादात)
पार्टनर
सदस्यता सं. **065814**
यूडीआईएन सं. **24065814BKBLTW9835**

"अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं" पर हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक।

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- (i) (क) कंपनी ने आम तौर पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
 - (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है हालांकि, भौतिक सत्यापन और पुस्तक रिकॉर्ड के रिकॉर्ड का मिलान नहीं किया गया है।
 - (ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, वित्तीय विवरणों में बताई गई सभी अचल संपत्तियों (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टे के समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं) के शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर हैं।
 - (घ) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (i) (डी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।
 - (ङ) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कंपनी के विरुद्ध कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।
- (ii) (क) जैसा कि हमें समझाया गया है और हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के आधार पर, हमारी राय में, प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में, प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है। प्रबंधन द्वारा स्टॉक के भौतिक सत्यापन पर बुक रिकॉर्ड की तुलना में इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई। भौतिक सत्यापन के दौरान देखी गई छोटी-मोटी विसंगतियों को लेखा पुस्तकों में उचित रूप से निपटाया गया।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बुक रिकॉर्ड की तुलना में इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन पर देखी गई विसंगतियां भौतिक नहीं थीं और आईएमएफएल शॉप रंगत में ₹ 56.88 लाख की कमी के कुछ मामलों को छोड़कर, लेखा पुस्तकों में उचित तरीके से निपटा गया है। इन कमियों की पहचान कंपनी के कर्मचारियों द्वारा की गई थी और प्रबंधन द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई और वसूली कार्यवाही सहित उचित कार्रवाई की गई है।

 - (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को वर्ष के किसी भी समय, चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर नहीं की गई है और इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (iii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित/असुरक्षित ऋण नहीं दिया है, इसलिए आदेश के उप-खंड 3(iii)(ए), 3(iii)(बी), और 3(iii)(सी), लागू नहीं होते हैं।
- (iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई ऋण नहीं दिया है या कोई गारंटी और सुरक्षा नहीं दी है।

- (v) कंपनी ने कोई जमा या राशि स्वीकार नहीं की है जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के अंतर्गत कवर किया गया जमा माना जाता है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(V) लागू नहीं होता है
- (vi) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लागत अभिलेखों का रखरखाव निर्दिष्ट नहीं किया गया है।
- (vii) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और किसी भी अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया को उचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा कराती है।
- (ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा किसी विवाद के कारण भविष्य निधि, आयकर के निम्नलिखित बकाया जमा नहीं कराए गए हैं:

प्राधिकारी का नाम	देय का प्रकृति	राशि	अवधि	न्यायालय, जहां पर मामला लंबित है ।
भविष्य निधि	भविष्य निधि	22,60,043	2005-09	भविष्य निधि न्यायालय, कोलकता
आयकर अधिनियम 1961	आय कर	1,30,72,327	2007-08	आयकर आयुक्त (अपील)– XI कंपनी कं पक्ष में आदेश जारी किया गया परंतु डी सी आई टी के समक्ष विलंबित है ।
आयकर अधिनियम 1961	आय कर	1,51,12,300	2008-09	आयकर आयुक्त (अपील)–I कंपनी कं पक्ष में आदेश जारी किया गया परंतु डी सी आई टी के समक्ष विलंबित है ।
आयकर अधिनियम 1961	आय कर	89,58,073	2009-10	आयकर आयुक्त (अपील)– XI कंपनी कं पक्ष में आदेश जारी किया गया परंतु डी सी आई टी के समक्ष विलंबित है ।
आयकर अधिनियम 1961	आय कर	2,08,92,808	2010-11	आय कर आयुक्त (अपील) – I
आयकर अधिनियम 1961	आय कर	9,56,860	2011-12	आयकर आयुक्त (अपील)– XI कंपनी कं पक्ष में आदेश जारी किया गया परंतु डी सी आई टी के समक्ष विलंबित है ।
आयकर अधिनियम 1961	आय कर	20,77,920	2013-14	आय कर आयुक्त (अपील) – I
आयकर अधिनियम 1961	आय कर	1,02,14,860	2014-15	आय कर आयुक्त (अपील) – I
आयकर अधिनियम 1961	आय कर	3,25,704	2015-16	सुधार याचिका जारी किया जाएगा
आयकर अधिनियम 1961	आय कर	9,89,632	2016-17	सुधार याचिका जारी किया जाएगा
आयकर अधिनियम 1961	आय कर	2,25,80,280	2017-18	आय कर आयुक्त (अपील) – I
आयकर अधिनियम 1961	आय कर	5,23,460	2018-19	सुधार याचिका जारी किया जाएगा
आयकर अधिनियम 1961	आय कर	4,98,96,300	2019-20	सुधार याचिका जारी किया जाएगा
आयकर अधिनियम 1961	आय कर	18,35,318	2020-21	आय कर आयुक्त (अपील) – I
टीडीएस / टीटीएस रिटर्न	आय कर	75,540	2019-20	—

- (Viii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में, खाता बहियों में आय के रूप में पहले से दर्ज न किए गए किसी भी लेन-देन को आय के रूप में समर्पित या प्रकट नहीं किया है।
- (ix) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(X)(ए) लागू नहीं होता है।
- (x) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(X)(बी) लागू नहीं होता है।
- (xi) (क) कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखापरीक्षा मानकों में उल्लिखित भौतिकता के सिद्धांतों पर विचार करते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी लेखापरीक्षा के दौरान नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है। हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने ₹ 56.88 लाख रुपये की राशि के स्टॉक की कमी के मामलों की पहचान की है जो कंपनी के कर्मचारियों के कारण पाए गए थे। प्रबंधन ने इस संबंध में उचित कार्रवाई की है और संबंधित कर्मचारी को निलंबित कर दिया है।
- (ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में केंद्र सरकार के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।
- (ग) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को कोई व्हिसल-ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- (xii) कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(Xii)(ए), 3(Xii)(बी) एवं 3(Xii)(सी) लागू नहीं होता है।
- (xiii) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन कंपनी अधिनियम की धारा 177 एवं 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू है तथा लागू लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों में विवरण प्रकट किया गया है।
- (xiv) कंपनी ने अपने आकार और व्यावसायिक गतिविधियों के अनुसार सभी इकाइयों की आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया। लेकिन आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट कंपनी की सभी गतिविधियों को कवर नहीं कर रही है और रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं की गई है।
- (xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उसके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (xvi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45।ए के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय निगम के तहत कोई पंजीकरण नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi)(ए) लागू नहीं होता है।
- (xvii) कंपनी को वित्तीय वर्ष और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में नकद हानि नहीं हुई है और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xvii) के प्रावधान इकाई पर लागू नहीं होते हैं।

- (xviii) वर्ष के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है और तदनुसार, आदेश के खंड 3(xviii) के प्रावधान इकाई पर लागू नहीं होते हैं ।
- (xix) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा वित्तीय अनुपात, आयु और वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति की अपेक्षित तिथियों और वित्तीय देनदारियों के भुगतान, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी अपनी बैलेंस शीट की तिथि पर विद्यमान देनदारियों को बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर चुकाने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा चुका दिया जाएगा।
- (xx) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर अधिनियम की धारा 135 में उल्लिखित चालू परियोजनाओं या चालू परियोजनाओं के अलावा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए कोई भी राशि अव्ययित नहीं है और तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (XX)(ए) और (XX)(बी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।
- (xxi) आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (XXi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग इस कंपनी के लेखापरीक्षा के संबंध में लागू नहीं है।

बाबू और बादात
चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स
एफ आर एन: 321009E

स्थान: श्री विजय पुरम
दिनांक: 23/09/2024

(सी ए इमरान हाशिम बादात)
पार्टनर
सदस्यता सं. 065814
यूडीआईएन सं. 24065814BKBLTW9835

आंतरिक वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षक का निष्पक्ष रिपोर्ट (संलग्नक 'ख')

(अन्य विधि एवं विनायमक आपेक्षित के संबंध में जारी रिपोर्ट के अंतर्गत पैराग्राफ का हवाला लें)

3

क्र.सं.	दिशा-निर्देश	की गई कार्रवाई	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर प्रभाव
1	क्या कंपनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से लेखांकन लेनदेन के सभी प्रक्रिया करने की पद्धति है। यदि हां, तो विवरण दें।	सभी लेखांकन लेनदेन सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से किए जा रहे हैं। यह कार्य टैली सोल्योषन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित आई टी साफ्टवेयर पैकेज के माध्यम से की जा रही है। इसलिए लेनदेन से संबंधित प्रक्रिया का निर्धारण नहीं की जा सकती है।	शून्य
2.	क्या किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन है या कर्ज चुकाने के लिए कंपनी को ऋण देने में असमर्थता के कारण कंपनी को ऋण/ऋण/ब्याज इत्यादि के मामलों में छूट दी गई है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जा सकता है।	प्रतिवेदित वर्ष के दौरान किसी भी ऋण को पुनर्गठित नहीं किया गया।	शून्य
3.	क्या केन्द्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि/प्राप्त को उसकी अवधि और स्थिति के अनुसार ठीक से उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	इस प्रकार के मामलों प्रकाश में नहीं आया है।	शून्य

बाबू और बादात
चार्टर्ड अकाउन्टेंट
एफ आर एन: 321009E

स्थान: श्री विजय पुरम
दिनांक: 23/09/2024

(सी ए इमरान हाशिम बादात)
पार्टनर
सदस्यता सं. 065814
यूडीआईएन सं. 24065814BKBLTW9835

आंतरिक वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षक का निष्पक्ष रिपोर्ट (संलग्नक 'ग')

हमने दिनांक 31 मार्च 2024 तक के अंदाजित तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड ('कंपनी') के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सहित कंपनी के उसी तारीख को समाप्त वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा कर लिया है।

कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल का यह दायित्व है कि वे भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर दर्शाए गए महत्वपूर्ण प्रावधानों पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय विवरण का रख-रखाव करें। इन दायित्वों में यह अपेक्षित है कि हम कंपनी अधिनियम 2013 में निहित प्रावधान के आधार पर उचित आश्वासन को प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना तैयार करते तथा उनका क्रियाव्ययन करते हैं जिसमें अधिनियम में दर्शाए गए प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड की रख-रखाव, कंपनी के परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी से संरक्षण अथवा अन्य विषमताओं को पता करना, उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन तथा प्रयोग, उचित निर्णय तथा आकलन जो निष्पक्ष एवं गलत बयान एवं धोखाधड़ी से मुक्त हो तथा समयानुसार वित्तीय संबंधित सूचना की तैयारी आदि शामिल है।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व कि हमारी लेखा परीक्षा में कंपनी के आंतरिक वित्तीय विवरणों पर अपना विचार व्यक्त करें। हमने यह लेखा परीक्षा में कंपनी अधिनियम, 2013 के खण्ड 143(10) में दर्शाए गए प्रावधान के अनुसार भारत के सनदी लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा पर जारी मानदंड के अनुसार की है जिसमें यह अपेक्षित है कि हम वित्तीय विवरणों के रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय विवरण पर उचित तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना तैयार कर उनको क्रियान्वित करते हैं जिससे कि वित्तीय विवरण में त्रुटि न हो।

अस्वीकरण में दर्शाए गए मामलों पर हम कंपनी के वित्तीय विवरणों में आंतरिक लेखा नियंत्रण पद्धति पर पर्याप्त सुसंगत लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर लेखा पर अपने विचार व्यक्त करने में असमर्थ थे।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्रायः

एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय विवरण पर वित्तीय प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया सामान्य तौर पर लेखा सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है जिससे कि हमें वित्तीय विवरणों पर उचित आश्वासन प्रदान कर सकें। कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन में कंपनी के आंतरिक वित्तीय विवरण में निम्नलिखित नीतियां व कार्यप्रणाली शामिल हैं :-

- (1) कंपनी के परिसम्पत्तियों के संबंध में उचित रिकॉर्ड, रख-रखाव, उनसे संबंधित लेन-देन तथा निपटाए जाने से संबंधित तथ्यों पर आश्वासन प्रदान करना।
- (2) भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के वित्तीय लेन-देन पर उचित आश्वासन देना।
- (3) वित्तीय विवरण पर समय समय पर प्रभावित होने वाले आप्राधिकृत अधिकरण अथवा संरक्षण, प्रयोग अथवा कंपनी के परिसम्पत्तियों को निपटाए जाने से संबंधित तथ्यों पर उचित आश्वासन प्रस्तुत करना।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय विवरण के सीमाएं

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमाएं निर्धारित होने पर संभवतः कंपनी में अनुचित प्रबंधन, गलत विवरण तथा धोखाधड़ी के मामले प्रकाश में आते हैं, जिसका पता नहीं लग पाता है। इसके अतिरिक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखा में भविष्य के संदर्भ में मूल्यांकन करने पर, शर्तों के परिवर्तन होने पर यह अपर्याप्त व संकट व आपत्तिपूर्ण प्रतीत होता है तथा इससे कार्यप्रणाली अथवा नीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

योग्य राय

हमारे जाँच के आधार पर तथा लेखा परीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखा में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई :

1. कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य उसके परिचालन के आकार और प्रकृति के अनुरूप नहीं है। विशेष रूप से, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया में प्रमुख परिचालन और वित्तीय क्षेत्रों की पर्याप्त कवरेज का अभाव है, जिसमें वैधानिक नियमों और विनियमों, इन्वेंट्री प्रबंधन, राजस्व मान्यता का अनुपालन शामिल है। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में संभावित भौतिक गलत बयानी हो सकती है, जिसका समय पर पता नहीं लगाया जा सकता या उसे रोका नहीं जा सकता।
2. हम वित्तीय विवरणों के नोट 17(ए) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कर्मचारियों द्वारा कुछ दुकानों में आईएमएफएल स्टॉक की कमी और इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए कंपनी द्वारा चल रही जांच का वर्णन किया गया है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में 3 कमजोरियों के कारण स्टॉक की ये कमी हुई। इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।
3. हमारे ऑडिट के दौरान, हमने ऐसे मामलों की पहचान की, जहाँ कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 और माल और सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम, 2017 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया। विशेष रूप से:
 - क) कंपनी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194I के तहत भारतीय तेल निगम (आईओसी) को भुगतान किए गए लाइसेंस शुल्क पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) काटने में विफल रही।
 - ख) कंपनी ने सूचना, प्रचार और पर्यटन विभाग (आईपीएंडटी) और अन्य सरकारी विभागों से लीज पर ली गई संपत्तियों के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी का भुगतान नहीं किया।

इन मामलों के परिणामस्वरूप, हम कर देनदारियों और खर्चों की पूर्णता और सटीकता के बारे में पर्याप्त उचित ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ थे। परिणामस्वरूप, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ थे कि क्या कर देनदारियों, दंड और ब्याज के संबंध में कोई समायोजन आवश्यक हो सकता है, और 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर संबंधित प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमाएं निर्धारित होने पर संभवतः कंपनी में अनुचित प्रबंधन, गलत विवरण तथा धोखाधड़ी के मामलों प्रकाश में आते हैं, जिसका पता नहीं लग पाता है। इसके अतिरिक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखा में भविष्य के संदर्भ में मूल्यांकन करने पर, शर्तों के परिवर्तन होने पर यह अपर्याप्त व संकट व आपत्तिपूर्ण प्रतीत होता है तथा इससे कार्यप्रणाली अथवा नीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

हमारे राय के अनुसार कंपनी द्वारा भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा के आंतरिक वित्तीय विवरण पर दर्शाए गए मार्गदर्शन नोट के आधार पर हमने दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर टिप्पणी व्यक्त की है जो हमारे दृष्टिकोण से पर्याप्त व उचित है। हमने उपर्युक्त प्रकटीकरण पर विचार लेखा परीक्षा के प्रयोग के लिए प्रयोग किए गए प्रकृति, समय तथा लेखा परीक्षण तक निर्धारित थी। इसका कंपनी के वित्तीय विवरणों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा है।

बाबू और बादात
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफ आर एन: 321009E

स्थान: श्री विजय पुरम
दिनांक: 23/09/2024

(सी ए इमरान हाशिम बादात)
पार्टनर

सदस्यता सं. 065814
यूडीआईएन सं. 24065814BKBLTW9835

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड, के दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षण की टिप्पणी |

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2024, को समाप्त वर्ष के लिए अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरण की तैयारी करना कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कंपनी प्रबंधन का दायित्व है | कंपनी अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षा द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अपने व्यवसायिक निकाय 'इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा और आश्वासन मानक के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित कंपनी अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रस्तुत करने के लिए अधिनियम की धारा 143(10) में निहित नियमानुसार जिम्मेदार है | इस बात का उल्लेख उनके दिनांक 23 सितंबर, 2024 के लेखा परीक्षा रिपोर्ट में की गई है |

मैं भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षा की ओर से अधिनियम की धारा 143 (6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षा की है | यह अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से किया गया तथा वैधानिक लेखा परीक्षकों के सीमित प्राथमिक जांच-पड़ताल एवं कंपनी के कार्मिकों से संबंधित कुछ चयानत्मक लेखा अभिलेखों की परीक्षण से किया गया |

जी. आई प्रेस इमारत, 8 किरण शंकर रे रोड़ (पहली मांजील), कोलकाता – 700001 सरकार ऑफ इंडिया प्रेस इमारत, 8 किरण शंकर रे रोड़, कोलकाता – 700001 दूरभाष: 2254-0231, (ग्राम : अकाउंटेंट) पोस्ट बॉक्स – 2006, फेक्स नं – 03322136377

मेरे अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे ज्ञान में ऐसा कुछ भी महात्वपूर्ण नहीं आया है, जो अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर किसी भी टिप्पणी या अनुपूरक को उत्पन्न हो |

भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की ओर से

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 16/12/2024

(उदय शंकर प्रसाद)
महानिदेशक, लेखा परीक्षा
सेन्ट्रल: कोलकाता

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
समन्वित विकास निगम लिमिटेड
(एक सरकारी उपक्रम)
31 मार्च 2024 का तुलन पत्र

(₹ लाख में)

	नोट संख्या	दिनांक 31.03.2024	दिनांक 31.03.2023
इक्विटी तथा देय			
शेयरधारकों की निधि			
शेयर पूंजी	2	1,097.01	1,097.01
आरक्षित एवं अधिशेष	3	25,589.10	22,257.50
गैर-मौजुदा देय			
अन्य दीर्घ अवधि प्रावधान	4	179.03	177.70
दीर्घ अवधि प्रावधान	5	1,261.34	972.34
चालू देय			
व्यापार देय			
(क) सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम	6	236.23	-
(ख) अन्य		2,165.91	3,070.68
अन्य चालू देय	7	1,815.04	2,053.22
अल्पावधि प्रावधान	8	13,861.12	13,790.48
कुल		46,204.78	43,418.93
परिसम्पत्तियाँ			
गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ			
स्थायी परिसम्पत्ति			
— संपत्ति संयंत्र उपकरण	9	2,337.77	2,124.69
—अवास्तविक		3.66	3.48
—पूँजीगत कार्य प्रगति पर		74.35	76.45
गर-चालू निवेश	10	-	6.00
दीर्घकालिन ऋण एवं अग्रिम	11	26.19	52.57
अस्थगित कर सम्पत्ति (शुद्ध)	12	349.50	265.36
अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ			
ऋण एवं वित्त प्रभाग से आवधिक ऋण	13	14.62	25.24
चालू परिसम्पत्ति			
सम्पत्ति सूची	14	5202.01	8,623.65
व्यापार प्राप्त्य	15	1,315.40	959.01
नकद तथा बैंक शेष	16	20,307.14	16,688.58
अल्पकालिन ऋण एवं अग्रिम	17	16,463.22	14,587.86
अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	18	110.92	6.04
कुल		46,204.78	43,418.93

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति एवं टिप्पणियाँ 1 से 30

ऊपर उल्लेख किया गया नोट वित्तिय विवरण का पूरा भाग है।

कृते मेसर्स बाबू और बादात
(चार्टर्ड अकाउंटेंट)

एफ आर एन 321009E

(सी ए इमरान हाशिम बादात)
पार्टनर

सदस्यता सं.. 065814

स्थान: श्री विजय पुरम

दिनांक: 23/09/2024

यूडीआईएन सं. 24065814BKBLTW9835

Sd/-
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

Sd/-
(कंपनी सचिव)

Sd/-
(निदेशक)
DIN : 03463195

Sd/-
(प्रबंध निदेशक)
DIN : 09779872

**अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
समन्वित विकास निगम लिमिटेड
(एक सरकारी उपक्रम)**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि वित्तीय विवरण पर नोट

(₹ लाख में)

	नोट संख्या	वर्ष क अंत में 31.03.2024	वर्ष क अंत में 31.03.2023
आय			
परिचालन से राजस्व	19	49,008.23	46,553.99
अन्य राजस्व	20	1,376.47	1,035.98
कुल राजस्व		50,384.70	47,589.97
व्यय			
उपभोक्त सामग्रियों की खपत	21	1,230.21	996.51
व्यापार के लिए स्टॉक की खरीद	22	36,220.83	37,115.97
तैयार माल की सूची परिवर्तन, कार्य प्रगति, व्यापार स्टॉक			
कार्य प्रगति, व्यापार स्टॉक	23	3202.67	227.74
कर्मचारियों के लाभ के लिए व्यय	24	2,568.78	2,279.46
मूल्यहास तथा ऋणमुक्ति पर व्यय	9	168.38	154.64
संचालन एवं अन्य व्यय	25	2,552.84	2,318.78
कुल व्यय		45,943.71	43,093.11
विशेष तथा असाधारण सामग्रियों से पहल लाभ तथा कर		4,440.99	4,496.86
असाधारण सामग्रियां – वापस लेने का प्रावधान		1.49	154.38
विशेष तथा असाधारण सामग्रियों से पहल लाभ तथा कर		4,442.49	4,651.24
घटाए: चालू कर का प्रावधान		1,195.03	1,117.95
घटाए: किए गए आस्थगित कर का प्रावधान		-	46.50
जोड़े: अस्थगित कर निपटाए जाने का प्रावधान		84.14	-
विनियोजन के लिए उपलब्ध प्रावधान		3,331.60	3,486.79
प्रति शेयर का लाभ: मूल तथा मिश्रित	कुल 26	303.70	317.85

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति एवं टिप्पणियां 1 से 30

ऊपर उल्लेख किया गया नोट वित्तीय विवरण का पूरा भाग है।

कृते मेसर्स बाबू और बादात

(चार्टर्ड अकाउंटेंट)

एफ आर एन 321009E

(सी ए इमरान हाशिम बादात)

पार्टनर

सदस्यता सं. 065814

स्थान: श्री विजय पुरम

दिनांक: 23/09/2024

यूडीआईएन सं. 24065814BKBLTW9835

Sd/-

(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

Sd/-

(कंपनी सचिव)

Sd/-

(निदेशक)

DIN : 03463195

Sd/-

(प्रबंध निदेशक)

DIN : 09779872

**अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
समन्वित विकास निगम लिमिटेड**

(सरकारी उपक्रम)

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	दिनांक 31.03.2024	दिनांक 31.03.2023
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
कर से पहल शुद्ध लाभ तथा आसाधारण वस्तुएं	4,440.99	4,496.86
<u>समायोजन के लिए:</u>		
मूल्यहास	168.38	154.64
सावधि जमा पर ब्याज	(1,164.35)	(619.16)
अशोध्य तथा संदहपूर्ण ऋण के लिए प्रावधान	8.29	93.93
बट्टे खाते पर डालने का प्रावधान	1.49	154.38
लीज किराये पर आ	(388.06)	(334.81)
प्रचालन लाभ तथा कार्यपूंजी में परिवर्तन	3,066.74	3,945.84
<u>समायोजन के लिए:</u>		
इन्वेंटरी में कमी / (वृद्धि)	3,421.64	212.61
व्यापार प्राप्त में कमी / (वृद्धि)	(364.68)	(121.97)
संभूति ब्याज में कमी / (वृद्धि)	(244.81)	14.86
चालू ऋण एवं अग्रिम कमी / (वृद्धि)	(1,875.27)	(1,101.60)
अन्य चालू देय में वृद्धि / (कमी)	(236.85)	315.96
व्यापार देय में वृद्धि / (कमी)	(668.54)	(593.97)
अन्य चालू परिसंपत्ति में कमी / (वृद्धि)	139.94	(16.42)
अल्पावधि प्रावधान में वृद्धि / (कमी)	(1,124.40)	302.33
ऋण एवं वित्त प्रभाग से अल्पावधि ऋण में कमी / (वृद्धि)	10.62	12.84
संचालन क्रियाकलापों से शुद्ध नकदी (क)	2,124.39	2,970.47
निवेश क्रियाकलापों से शुद्ध नकद प्रवाह (ख)		
पट्टे के किराया का आय	388.06	334.81
दीर्घकालीन अवधि प्रावधान में वृद्धि / (कमी)	295.00	(182.32)
दीर्घ-अवधि ऋण तथा अग्रिम में कमी / (वृद्धि)	26.38	89.98
अचल परिसम्पत्ति में जोड़ना (शुद्ध)	(384.07)	(354.89)
पूंजीगत कार्यों की प्रगति में परिवर्तन	2.10	(16.79)
सावधिक जमा पर ब्याज	1,164.35	619.16
लाभ और हानि के समायोजन के पश्चात अचल संपत्ति की बिक्री	2.35	2.68
निवेश क्रियाकलापों से शुद्ध नकद प्रवाह (ख)	1,494.17	492.63
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
प्रस्तावित लाभांश	-	(1,046.04)
वित्तीय क्रियाकलापों से शुद्ध नकद (ग)	-	(1,046.04)
नकदी तथा नकदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग)	3,618.56	2,417.06
वर्ष के प्रारंभ में नकदी तथा नकदी समतुल्य	16,688.58	14,271.52
वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी समतुल्य	20,307.14	16,688.58
	3,618.56	2,417.06

31-03-2024 को समाप्त अवधि के लिए नकद प्रवाह विवरण से संबंधित नोट

1. उपरोक्त नकद प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत जैसा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी नकद प्रवाह विवरण पर लेखा मानक 3 में निर्धारित किया गया है, के अनुसार तैयार किया गया है।
2. कोष्ट के अंदर दर्शाया गया अंक नकद लागत को दर्शाता है।
3. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां पर आवश्यक हुआ, पुनः संगठित/पुनःव्यस्थित किया गया है जिससे कि चालू वर्ष के वर्गीकरण में समरूपता लाया जा सके।
4. नकद तथा नकद तुल्य में शामिल हे:

अनुसूचित बैंको में शेष
अन्य बैंक शेष
गैर अनुसूचित बैंको में शेष
हाथ में उपलब्ध नकद

कुल

राशि	राशि
1,265.10	2,336.06
18,945.07	14,160.04
16.44	136.46
80.53	56.02
20,307.13	16,688.58

5. अल्पावधि जमा के अंतर्गत इंडियन बैंक, श्री विजय पुरम शाखा में क्रेडिट गारंटी निधि में ₹ 28.6लाख शामिल है। (पिछले वर्ष ₹ 27.31 लाख)

यह नकद प्रवाह विवरण समसंख्यक दिनांक पर जारी रिपोर्ट पर आधारित है।

कृते मेसर्स बाबू और बादात
(चार्टर्ड अकाउंटेंट)
एफ आर एन 321009E

(सी ए इमरान हाशिम बादात)
पार्टनर

सदस्यता सं. 065814

स्थान: श्री विजय पुरम

दिनांक: 23/09/2024

यूडीआईएन सं. 24065814BKBLTW9835

Sd/-
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

Sd/-
(कंपनी सचिव)

Sd/-
(निदेशक)
DIN : 03463195

Sd/-
(प्रबंध निदेशक)
DIN : 09779872

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 1: महत्वपूर्ण लेखा नीतियों तथा व्याख्यात्मक सूचना का सारांश

1. निगमित जानकारी:

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संभावित विकास निगम लिमिटेड (अनिडको) को द्वीपसमूह के तीव्र आर्थिक विकास के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 28 जून 1988 को शामिल किया गया था। निगम का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र का समग्र और सतत विकास करना है। अनिडका निम्नलिखित व्यवसाय में लगा हुआ है:

- पेट्रोलियम उत्पाद, भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल), दूध और दूध उत्पादों का व्यापार।
- श्री विजय पुरम में मेगापोड रिजॉर्ट और हॉर्नबिल रिजॉर्ट और स्वराज द्वीप द्वीप में डॉल्फिन रिजॉर्ट का संचालन।
- पीपीपी मोड के माध्यम से अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

2. लेखा के आधार:

वित्तीय विवरण, ऐतिहासिक लागत परम्परा के अधीन संभूति तथा अनिवार्य लेखा मानकों के आधार पर देश की सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी द्वारा नियमित रूप से अपनाए गए लेखा नीतियों के अनुसार तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरण में सभी तथ्यों सहित कंपनी अधिनियम, 2013 के खण्ड 133 के अंतर्गत (कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 (संशोधित) मानक नियम से जुड़े सभी संबंधित प्रावधान तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की घोषणा का अनुसरण करते हुए तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणों को बिमाकिंक आधार तैयार किया गया तथा पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कंपनी द्वारा नियमित रूप से लेखा नीतियों का प्रयोग किया गया।

अधिनियम के अनुसूची III के अनुसार कंपनी के सामान्य संचालन प्रणाली के तहत सभी परिसम्पत्तियों तथा देय को चालू तथा गैर-चालू परिसम्पत्तियों में वर्गीकृत किया गया है। कार्य प्रकृति के आधार पर कंपनी द्वारा परिसम्पत्तियों तथा देय को चालू तथा गैर चालू प्रयोजन में संचालित 12 माह तक प्राप्त किया जाता है।

3. आंकलन का प्रयोग :

आंकलन के लिए आंकलन से पूर्व किए जाने वाले आंकलन से संबंधित पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है जो वित्तीय वर्ष के संभावित परिसम्पत्ति तथा देयता के राशि तथा कारोबार वर्ष के दौरान संभावित राजस्व तथा व्यय की संभावित राशि को प्रभावित कर सकें। यद्यपि, यह आंकलन प्रबंधन के चालू गतिविधियों के आधार पर होता है जिस कारण वास्तविक आंकलन में अंतर होता है। वास्तविक परिणाम तथा आंकलन के बीच विभिन्नता, कार्यान्वित होने की अवधि के अनुसार मान्यता दी जाती है।

4. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण:

सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण बैलेंस शीट में लागत में से संचित मूल्यह्रास और हानि हानि (यदि कोई हो) घटाकर दर्शाए जाते हैं। किसी परिसंपत्ति की लागत में उसका क्रय मूल्य और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए वर्तमान स्थान और कार्यशील स्थिति में लाने की कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लागत शामिल होती है। अचल परिसंपत्तियों के मूल्य से संबंधित बाद के व्यय, यदि कोई हों, को उसके बही मूल्य में तभी जोड़ा जाता है, जब वे मौजूदा परिसंपत्ति से भविष्य के लाभों को उसके पहले से निर्धारित प्रदर्शन मानक से अधिक बढ़ाते हैं।

5. प्रत्यक्ष परिसम्पत्ति:

प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों में कम्प्यूटर साफ्टवेयर सहित तीन वर्षों के ऋण अवधि को लागत पर आंका जाता है।

6. मूल्यह्रास/ऋणपरिषोधन :

यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के अधीन निर्धारित दर के आधार पर अचल सम्पत्तियों पर वास्तविक लागत पर मूल्यह्रास दिया गया है। परिसम्पत्तियों को भट्ठे पर डालने का मूल्य दिनांक 01 अप्रैल 2014 से पहले तक प्राप्त किया जाता है तथा इसे कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची II के अनुसार

निर्धारित प्रयोग को मूल्यहास में आंका जाता है। अचल परिसम्पत्तियों में वृद्धि के मामलों में मूल्यहास उसके वृद्धि के तारीख से यथानुपात दर पर की जाती है। बिक्री किए गए अचल परिसम्पत्तियों के मामलों में मूल्यहास उसके बिक्री की तारीख से पूर्व तारीख तक यथानुपात दी गई है। परिसम्पत्ति, जिनका वास्तविक लागत रु. 5000/- से कम होने पर मूल्यहास शत प्रतिशत के रूप में आंका जाता है।

7. परिसम्पत्तियों का हानिकरण:

लेखा मानक 28 के अनुसार सम्पत्ति के वहन राशि को प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर समीक्षा की जाती है। आंतरिक तथा बाहरी कारक के आधार पर परिसम्पत्ति को क्षतिपूर्ण माना जाता है, जब उसे ले जाने की लागत वसूली योग्य से अधिक हो। वसूली योग्य राशि परिसम्पत्तियों के शुद्ध विक्रय कीमत तथा प्रयोग की जानी वाली मूल्य से अधिक है। मूल्य का निर्धारण अनुमानित भविष्य नकदी प्रवाह से वर्तमान मूल्य को घटाकर किया जाता है। संपत्ति के हानि निर्धारण के लिए संपत्ति को खण्ड में विभाजित किया जाता है जिससे कि यह नकदी प्रवाह पर अलग से पहचाना जा सके।

8. निर्माण के दौरान व्यय:

नए इकाई तथा वर्तमान इकाईयों का विस्तार करने पर, संस्थापन के तिथि से खर्च की गई सभी पूर्व संचालित व्यय को पूंजी में परिणत कर उसे यथानुपात आधार पर अचल सम्पत्तियों में की लागत में शामिल किया गया है।

9. निवेश:

दीर्घ अवधि निवेश को लागत पर दर्शया गया है। अस्थाई प्रकृति निवेशों को छोड़कर प्रत्येक दीर्घ अवधि निवेश की मूल्य में कमी को अस्वीकार करने के लिए प्रावधान रखा गया।

10. सम्पत्ति सूची:

कच्चा माल तथा भण्डार, जिसके मूल्य को परम्परागत लागत में आंका गया है, को छोड़कर सम्पत्ति सूची के मूल्यों को परम्परागत लागत के क्रम में आंका गया है तथा शुद्ध वसूली योग्य कीमत पर आंका गया। परम्परागत लागत में खरीद लागत तथा अन्य कोई लागत, जो इस सम्पत्ति को इसके वर्तमान स्थान तथा स्थिति में खर्च किया गया, का जोड़ शामिल है।

सामान्यतः विक्रय कीमत ही शुद्ध वसूली योग्य मूल्य होता है जिसमें विक्रय के लिए अनुमानित खर्च को घटाया जाता है।

11. राजस्व स्वीकृति:

क) समानों की बिक्री

वस्तुओं के बिक्री की मान्यता वस्तु की जोखिम तथा स्वामित्व खरीददारों तक पहुंचने के पश्चात् आंका जाता है। मेगापोड रिसॉर्ट, दूध तथा दूध उत्पादों को छोड़कर बिक्री को सामान्यतः व्यापार में शुद्ध छूट के आधार पर दर्ज किया जाता है।

ख) सेवाओं से राजस्व

सेवाओं से प्राप्त राजस्व की मान्यता जब कभी दिए गए सेवा के आधार पर निर्धारण किया गया है।

ग) संभूति आधार पर ब्याज तथा कमीशन का निर्धारण किया गया है।

निवेश से लाभांश, भुगतान की प्राप्ति सुनिश्चित होने के आधार पर मान्यता दिया गया है।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा अनुमोदित सूत्र के अनुसार इस्पात एवं आई एम एफ एल उत्पादों के विक्रय कीमत का निर्धारण किया जाता है। पेट्रोलियम उत्पाद की बिक्री भारतीय तेल निगम द्वारा निर्धारित विक्रय कीमत के आधार पर होता है जबकि दूध के मामले, व अन्य वस्तुओं व सेवाओं को विक्रय कीमत का निर्धारण कंपनी द्वारा की जाती है।

12. विदेशी मुद्रा का कारोबार:

(i) प्रारंभिक स्वीकृति:

विदेशी मुद्रा के लेन-देन को रिपोर्टिंग मुद्रा के आधार पर किया गया है, विदेशी मुद्रा की राशि तथा लेन-देन के समय मुद्रा की प्रचलित विनिमय दर के अनुसार रिकॉर्ड किया गया अथवा कारोबार के समय उनके अनुमानित वास्तविक दर पर रिकॉर्ड किया गया।

(ii) परिवर्तन : विनिमय में अंतर

तुलन पत्र पर दर्शाए गए विदेशी मुद्रा परिसम्पत्ति तथा देयता को अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दर तथा वहां से विनिमय हानि/लाभ के आधार पर अचल परिसम्पत्ति पर समायोजित किया गया है अथवा मामले के अनुसार लाभ तथा हानि लेखा पर चार्ज किया गया ।

13. कर्मचारियों के लाभ:

- (क) भविष्य निधि का निर्धारण अंशदान योजना के अंतर्गत किया गया है तथा वर्ष के दौरान किए गए अंशदान को वर्ष के लाभ तथा हानि लेखा में चार्ज किया गया है ।
- (ख) डिपॉजिट लिंक बीमा क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय में अंशदान के रूप में मान्यता दी गई है ।
- (ग) कर्मचारियों को वर्ष के अंत में देय अप्रयोज्य अवकाश मूल्य को वास्तविक आधार पर छुट्टी भुनाने का प्रावधान दिया गया है ।
- (घ) यह कम्पनी उपदान निधि में अंशदान करती है, जो वित्तीय वर्ष 2015-16 तक भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एक सामूहिक उपदान पॉलिसी के अंतर्गत बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया । वर्ष 2016-17 से भारतीय जीवन निगम को वास्तविक आधार पर भुगतान की जाती है ।
- (ङ) "कर्मचारियों को कार्य निष्पादन संबंधित प्रोत्साहन" कंपनी के कार्य निष्पादन प्रोत्साहन योजना के तहत दिया गया ।
- (ढ) कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत/ए.एफ.एस.पी से संबंधित देय संबंधित परिवार के आश्रित सदस्यों एवं उनके वेतनमान के अनुसार, बिना व्यतीत किए गए छुट्टी यात्रा रियायत लाभ के आधार पर वर्ष के अंत तक बिमाकिक आधार पर प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है ।

14. सरकारी अनुदान तथा छूट:

अनुदान तथा छूट की प्राप्ति के लिए पर्याप्त आश्वासन तथा दिए गए शर्तों के अनुपालन पर ही सरकार द्वारा अनुदान एवं छूट की स्वीकृति दी जाती है ।

जब अनुदान अथवा छूट, व्यय से संबंधित वस्तुएं पर होने पर, उसकी क्षतिपूर्ति, संबंधित व्यय पर कटौती कर दर्शाया जाता है । यद्यपि अनुदान अथवा छूट सम्पत्ति से संबंधित होने पर इसका मूल्य सम्पत्ति लाने में हुए खर्च से घटाया जाता है ।

15. कर

कर में प्रचलित कर तथा आस्थगित कर शामिल है । प्रचलित कर वह राशि है जो आयकर अधिनियम 1961 द्वारा निर्धारित की जाती है । प्रचलित कर का निर्धारण अनुमानित कर योग्य आय पर कर की दर तथा विधि के आधार पर किया जाता है ।

कर योग्य राशि तथा प्रतिवेदित वर्ष के आय के अंतर को मूल्यांकन करते हुए आस्थगित कर का निर्धारण किया जाता है तथा उसके पश्चात् कर की दर तथा कर से संबंधित विधि प्रयोग करते हुए कर की गणना को तुलन पत्र पर दर्शाया जाता है ।

16. बिक्री कर/मूल्य योजित कर

भुगतान की गई विक्रय कर को लाभ तथा हानि लेखा पर दर्शाया गया है ।

17. पूर्व अवधि समायोजन

पूर्व अवधि से संबंधित आय और व्यय का खुलासा करने में कोई त्रुटि या चूक को चालू वर्ष में सुधारा/समायोजित किया गया तथा शुद्ध प्रभाव लाभ एवं हानि विवरण में अलग से दर्शाया गया है ।

18. आकस्मिक देयता तथा आकस्मिक परिसम्पत्ति पर प्रावधान:

पूर्व वित्तीय परिणाम के फलस्वरूप वर्तमान में इन पर होने वाले दायित्वों को पूरा करने के लिए संभावित खर्च का प्रावधान रखा गया है तथा इनसे संबंधित आंकलन भी किया जा सकता है । प्रत्येक तुलनपत्र तिथि में इन प्रावधानों की समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान में सही आंकलन का पता लगने के लिए इसे समायोजित किया गया है । यदि संभावित दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होने पर इस प्रावधान को प्रतिवर्तित किया जाता है । आकस्मिक देयता के लिए संभावित दायित्व अथवा वर्तमान में इन दायित्वों पर उपलब्ध सूचना के आधार पर आंकने का प्रावधान रखा गया है । वित्तीय विवरण में आकस्मिक

परिसम्पत्तियों आंका नहीं गया है। परंतु आकस्मिक परिसम्पत्तियों को निरंतर निर्धारित किया जाता है तथा अंतःप्रवाही सुनिश्चित होने पर इन सम्पत्तियों तथा संबंधित आय को परिवर्तन हुए कार्यकाल के दौरान दर्शाया जाता है।

19. लाभांश तथा उसके कर:

निदेशकों द्वारा प्रस्तावित वार्षिक लाभांश का प्रावधान लेखा में रखा जाता है, बशर्ते कि वार्षिक आम बैठक में सदस्यों की अनुमति प्राप्त हो। लाभांश वितरण कर अलग से दर्शाए जाने का प्रावधान रखा गया है।

20. प्रति शेयर का अर्जन :

मुख्य रूप में प्रति शेयर की गणना, अवधि के शुद्ध लाभ अथवा हानि को अवधि के दौरान बकाया इक्यूटि शेयरों के शुद्ध-भार औसतन से विभाजित कर प्राप्त किया जाता है। वर्ष के दौरान मिश्रित अर्जित प्रति शेयर की गणना वर्ष के दौरान शेयर धारकों के शुद्ध लाभ अथवा हानि शेयर धारकों की संख्या के आधार पर कर सभी मिश्रित इक्विटी शेयरों में समायोजित किया जाता है।

21. नकद प्रवाह विवरण:

नकद प्रवाह के प्रतिवेदन के लिए अप्रत्यक्ष पद्धति का प्रयोग किया जाता है जिसमें कर से पूर्व लाभांश का समायोजन बिना नकद प्रवाह प्रकृति के लेन-देन की साथ किया जाता है। कंपनी के नियमित रूप से राजस्व सृजन, वित्तीय तथा निवेश से संबंधित कार्यकलापों को अलग-अलग किया जाता है। तुलन पत्र पर नकद तथा नकद तुल्य राशि बैंक में नकद/चेक तथा अल्पावधि निवेश सहित 12 माह व उससे कम मूल्य के मूल परिपक्वता भी शामिल है।

22. ए.एस.17 के अनुसार खण्डीय रिपोर्टिंग नीति:

(i) खण्ड की पहचान:

मूलभूत खण्ड

व्यवसायिक खण्ड

कंपनी का व्यवसाय उनके उत्पादों के प्रकृति के अनुसार सुव्यवस्थित एवं प्रबंधन किया जाता है। प्रत्येक खण्ड अपने अपने उत्पादों के योजनाबद्ध तरीके से कार्य करता है।

द्वितीय खण्ड

भौगोलिक खण्ड

कंपनी के लिए भौगोलिक खण्ड उपयुक्त नहीं हैं

(ii) सामान्य लागत का आबंटन

सामान्य बांटने योग्य लागत को प्रत्येक प्रभाग के तुलनात्मक अंशदान के अनुसार कुल लागत को आबंटित किया जाता है।

(iii) बिना आबंटित मदें:

निगमित तथा अन्य व्यवसायिक खण्ड में सामान्य निगमित आय तथा व्यय संबंधित सामग्रियों को शामिल किया जाता है जिसे किसी अन्य व्यवसायिक खण्ड में आबंटित नहीं किया गया हो

23. पूर्ण करना: पिछले वर्ष की गणना:

पिछले वर्ष की गणना को आध्यक्तानुसार पुनःवगीकृत एवं पुनःसुव्यवस्थित किया गया है जिससे कि चालू वित्तीय वर्ष में उससे तुलना कर सके।

24. पूर्ण करना:

वित्तीय विवरण में दिए रूपयों के अंकों को पूरा कर नजदीकी ₹ 1000/- में बदल दिया है। जहाँ पर आवश्यक हुआ मात्रात्मक अंकों को नजदीकी इकाई में परिणत कर लिया गया।

**अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
समन्वित विकास निगम लिमिटेड**
(सरकारी उपक्रम)

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण			वर्ष क अंत में 31.03.2024	वर्ष क अंत में 31.03.2023
नोट संख्या: 2 <u>शेयर पूंजी</u>				
<u>प्राधिकृत</u>				
100 के 50,00,000 इक्विटी शेयर			5,000.00	5,000.00
<u>कुल जारी, सदस्यता तथा भुगतान की गई राशि</u>				
₹100 का ₹10,97,006 शेयर (पिछले वर्ष 10,97,006)				
जिसमें से 17,546 शेयर नकद राशि बिना जारी किया गया			1,097.01	1,097.01
कुल			1,097.01	1,097.01
<u>नोट सं. 2(क) इक्विटी शेयरों का समाधान की संख्या तथा वर्ष के शुरूआत एवं</u>				
समीक्षाधीन वर्ष के अंत में बकाया			1,097.01	1,097.01
वर्ष के प्रारंभ में शेष			-	-
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर			-	-
वर्ष के दौरान वापस लिए गए शेयर			1,097.01	1,097.01
वर्ष के अंत में शेष				
<u>नोट सं. 2 (ख) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारकों का विवरण</u>				
क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	शेयर का प्रतिशत	शेयर की संख्या	
1	भारत के राष्ट्रपति	85	933,348	
2	उपराज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	15	163,656	
पिछले वर्ष के लिए शेयर धारकों का विवरण समान है।				
<u>नोट सं. (ग) प्रशासन के पशुचिकित्सा विभाग से दूध पावडर की राशि ₹17,546 के बदले में बोर्ड ने अपने कार्यसूची संख्या 23.09 के तहत दिनांक 22.01.1993 को द्वीपसमूह के उपराज्यपाल के पक्ष में ₹100 की दर से 17,54,664 इक्विटी शेयर जारी किया गया।</u>				
नोट संख्या: 3 <u>आरक्षण तथा अधिशेष</u>				
<u>सामान्य आरक्षण</u>				
वर्ष के प्रारंभ में			22,257.50	19,816.75
जोड़े: अधिशेष से स्थानांतरण			3,331.60	2,440.75
वर्ष / अवधि के अंत में			25,589.10	22,257.50
<u>ख) लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष</u>				
वर्ष के प्रारंभ में			0.00	0.02
जोड़े: वर्ष / अवधि के लिए लाभ			3,331.60	3,486.79
घटाए: विनियोग				
प्रस्तावित लाभांश (वितरण योग्य लाभ का 30 प्रतिशत की दर से) नोट 28 (iv) के संदर्भ में।			-	-
सामान्य आरक्षण में स्थानांतरण			3,331.60	3,486.60
वर्ष / अवधि के अंत में			0.00	0.01
			25,589.10	22,257.50

(₹ लाख में)

विवरण	वर्ष क अंत में 31.03.2024	वर्ष क अंत में 31.03.2023
नोट संख्या – 4		
अन्य दीर्घअवधि देय		
क्रेडिट गारंटी कोष		
प्रारंभिक शेष	27.32	
जोड़े: वर्ष के दौरान सृजित आय	-	
वर्ष के दौरान जोड़े	1.32	
कुल निधि	28.64	
घटाए: वर्ष के दौरान उपयोग	-	
अंशमान तथा निकोबार प्रशासन से सहायता		
अनुदान		
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्ति	150.39	
घटाए: वर्ष के दौरान उपयोग	-	
	150.39	150.39
कुल	179.03	177.70

नोट 4 (क): क्रेडिट गारंटी निधि: पिछले वर्षों में कंपनी को उद्योग निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन से कंपनी को औद्योगिक ऋण के खिलाफ संपादिक सुरक्षा के बदले में गारंटी प्रदान करने के लिए दिया गया जिसकी अग्रेजित शेष ₹ 27.31 लाख थी। उपर्युक्त निवेश से सृजित आय पर ब्याज को कर की कटौती करने के पश्चात् निधि में जमा किया गया तथा योजना के शर्तों तहत उपयोग किए गए किसी भी राशि को कोष से कटौती की गई। इस तरह कोष के खिलाफ दायित्व की गारंटी दिनांक 31.03.2024 तक ₹ 28.64 लाख है।

नाट 4 (ख): सक्षम प्राधिकारी के कार्योत्तर अनुमोदन के लंबित होने के कारण असमायोजित शेष (₹ 135.63 लाख), वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 90.00 लाख प्राप्त हुआ जिसमें से दिनांक 31.03.2023 तक ₹ 75.24 लाख खर्च किए जा चुके हैं।

वर्ष	विवरण	प्रयोजन	राशि लाख में
1994-95	सूचना, प्रचार एवं पर्यटन विभाग के लेखा अधिकारी से दिनांक 21.03.1995 को जारी आदेश संख्या 467 से प्राप्त राशि	द्वीप समूह में पर्यटन विकास के लिए	₹ 65.63
1995-96	सूचना, प्रचार एवं पर्यटन विभाग के लेखा अधिकारी से दिनांक 29.03.1996 को जारी आदेश संख्या 837 से प्राप्त राशि	द्वीप समूह में पर्यटन विकास के लिए	₹ 70.00
2016-17	आदेश संख्या शून्य दिनांक शून्य द्वारा पशुचिकित्सा निदेशालय से प्राप्त	दूध एकत्रीकरण के विस्तार के लिए	₹ 14.76
प्रशासन से प्राप्त कुल सहायता अनुदान			₹ 150.39
नोट संख्या:5	दीर्घअवधि प्रावधान		
	छुट्टी भुनाने का प्रावधान	1,154.89	832.04
	उपदान का प्रावधान	75.26	83.15
	छुट्टी यात्रा रियायत/ए.एफ.एस.पी के लिए प्रावधान	31.18	57.10
	मानक परिसम्पत्ति के विरुद्ध प्रावधान	0.01	0.05
	कुल	1261.34	972.34
नोट संख्या 6	व्यापार देय		
	व्यापार देय	-	-
	1)सक्षम, लघु तथा मध्यम उद्यमों से बकाया देय (6क)	236.23	-
	2) अन्य व्यापार देय	2,165.91	3,070.68
	कुल	2,402.14	3,070.68

नोट संख्या 6 (क): सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत कंपनी द्वारा सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम की पहचान किया गया। कंपनी के पास उपलब्ध सूचना तथा प्राप्त पुष्टिकरण के आधार पर तथा वर्ष के अंत में देय ₹ 236 लाख थी। (पिछले वर्ष – शून्य)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार देय आयु सीमा अनुसूचीस

(₹ लाख में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	1-2 वर्ष	3वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	236.23				236.23
(ii) अन्य	2,041.60	92.74	25.01	6.55	2,165.91
(iii) विवादित बकाया –एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-
कुल योग	2277.83	92.74	25.01	6.55	2,402.14

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार देय आयु सीमा अनुसूची

(₹ लाख में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	1-2 वर्ष	3वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	-				-
(ii) अन्य	3,038.21	25.01	3.25	4.21	3,070.68
(iii) विवादित बकाया –एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-
कुल योग	3,038.21	25.01	3.25	4.21	3,070.68

(₹ लाख में)

विवरण	दिनांक 31.03.2024	दिनांक 31.03.2023
नोट संख्या 7		
अन्य चालू देयता		
<u>अग्रिम के रूप में प्राप्त आय</u>		
<u>अन्य देय</u>		
<u>जमा देय</u>		
अन्य	21.35	121.35
उपभोक्ताओं से अग्रिम	14.01	9.11
उपायुक्त को दी जाने वाले मदिरा लाइसेंस शुल्क		
	20.11	
व्यय के लिए बकाया देय	126.60	
आपूर्तिदाताओं से प्राप्त बकाया राशि/प्रतिभूति जमा	35.51	
अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड के शेषों पर प्रतिक्रय ब्याज	5.39	
कर देय	83.48	
सूक्ष्म ऋण योजना	0.04	
अन्य	34.76	
मत्स्य निदेशक को जमा देय	7 (क)	
फुटकर ऋणदाताओं से अग्रिम	10.00	10.00
	1,463.78	1,352.34
कुल	1,815.04	2,053.22

नोट 7(क): कंपनी ने वर्ष 1989-90 से 1996-97 के दौरान मत्स्य निदेशक से निधि प्राप्त की। जिसमें से ₹ 10 लाख उपयोग नहीं किया गया है। उपयुक्त राशि अब स्टेट बैंक, श्री विजय पुरम के चालू खाते में रखा गया है।

नोट – 8		अल्पावधि प्रावधान	
कार्य निष्पादन से संबंधित योजनाओं के लिए प्रावधान		141.58	223.82
छुट्टी भुनाने के लिए प्रावधान		42.41	34.23
एल टी सी/ ए एफ सी पी का प्रावधान	8 (क)	15.81	20.09
अन्य			
कर के लिए प्रावधान			
– निर्धारण वर्ष 2008–09		341.61	
– निर्धारण वर्ष 2009–10		359.40	
– निर्धारण वर्ष 2010–11		315.95	
– निर्धारण वर्ष 2011–12		376.38	
– निर्धारण वर्ष 2013–14		563.59	
– निर्धारण वर्ष 2014–15		726.28	
– निर्धारण वर्ष 2015–16		705.60	
– निर्धारण वर्ष 2016–17		1140.51	
– निर्धारण वर्ष 2017–18		1477.61	
– निर्धारण वर्ष 2018–19		921.21	
– निर्धारण वर्ष 2019–20		1584.30	
– निर्धारण वर्ष 2020–21		1210.10	
– निर्धारण वर्ष 2021–22		741.75	
– निर्धारण वर्ष 2022–23		884.06	
– निर्धारण वर्ष 2023–24		1,117.95	
– निर्धारण वर्ष 2024–25		1,195.03	
प्रस्तावित लाभांश (वितरण योग्य लाभ का 30 प्रतिशत)	29(iv)	13,661.32	12,466.30
स्टॉक पर हानि का प्रावधान		-	-
		-	1,046.04
कुल		13,861.12	13,790.48

नोट 8(क): भारतीय चार्टर्ड अकाउन्टेंट संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक संख्या ए एस 15 में विनिर्दिष्ट के अनुसार छुट्टी यात्रा रियायत/वार्षिक निःशुल्क शी पैसेज का बीमाकिंक मूल्यांकन किया गया ।

नोट 8(ख): लेखा खाते के आधार पर आयकर पर टी डी एस का प्रावधान : ₹ 122.62 लाख ।

**अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
समन्वित विकास निगम लिमिटेड**
(सरकारी उपक्रम)

नोट : 9

(` लाख में)

क्र.सं.	परिसंपत्तियों का विवरण	ग्रॉस ब्लॉक				मूल्यहास				शुद्ध ब्लॉक		
		दिनांक 01.04.2023 तक मूल लागत	वर्ष के दौरान सम्मूलित	वर्ष के दौरान समायोजन	दिनांक 31.03.2024 तक	दिनांक 01.04.23 संचित मूल्यहास	प्रदान किया गया	समायोजित व स्थानांतरित	दिनांक तक 31.03.2024	दिनांक तक 31.03.2024	दिनांक तक 31.03.2023	
क	वास्तविक परिसम्पत्ति	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	भूमि	59.48		-	59.48	-			-	59.48	59.48	
2	भवन	2,348.40	146.50		2,494.90	721.03	72.54		793.57	1,701.32	1,627.41	
3	कछाल, कर्मोटा तथा तरसा में पी.ओ.एल टैंक	0.00			0.00	-			-	0.00	0.00	
4	संचयन और मशीनरी	677.39	25.91	1.49	701.81	466.50	33.67		480.17	221.64	230.89	
5	फर्नीचर तथा फिक्चर	235.13	4.69		239.82	187.23	10.34		197.57	42.23	47.90	
6	वाहन	833.48	191.42	0.74	1,024.16	740.89	35.14		776.03	248.13	92.60	
7	कार्यालय सामग्री	20.13	3.15	0.12	23.16	16.54	0.51		17.05	6.11	3.59	
8	विद्युतीकरण संस्थापन तथा उपकरण	134.03	6.55	-	140.58	100.96	5.22		106.18	34.40	33.08	
9	कम्प्युटर	196.61	4.77		201.38	166.86	10.06		176.92	24.46	29.75	
10	क्रोकेरी	19.92			19.92	19.92			19.92	-	-	
11	लेनिन	21.25			21.25	21.25			21.25	0.00	-	
	कुल वास्तविक परिसम्पत्तियाँ	4,545.82	382.99	2.35	4,926.46	2,421.18	167.48	-	2,588.66	2,337.77	2,124.69	
ख	अस्पष्ट परिसम्पत्तियाँ									-		
	सापटवेयर	42.07	1.08	-	43.15	38.59	0.90	-	39.49	3.66	3.48	
					-					-		
	पूँजीगत कार्य प्रगति पर	76.45	-	2.10	74.35		-	-		74.35	76.45	
ग	कुल परिसम्पत्ति (क+ख+ग)	4,664.34	384.07	4.45	5,043.96	2,459.77	168.38	-	2,628.15	2,415.78	2,204.62	
	पिछले वर्ष	4,295.37	371.68	2.68	4,664.36	2,305.11	154.64	-	2,459.74	2,204.62	1,990.20	

नोट 9(i): वर्ष 1991-92 के दौरान कंपनी ने अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के पशुचिकित्सा विभाग से दुग्ध संयंत्र, भवन, संयंत्र, मशीन एवं अन्य परिसंपत्तियों के साथ निःशुल्क रूप में प्राप्त की थी। इन परिसंपत्तियों को लेखा पर दर्शाए गए अचल परिसंपत्तियों पर शामिल नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त पशुपालन विभाग द्वारा दिनांक 29.10.2012 को जारी आदेश सं. 2135 के तहत वर्ष के दौरान डिग्लोपुर से पोर्टब्लेयर के बीच सहायता अनुदान द्वारा दूध श्रृंखला स्थापित किए जाने हेतु परिसंपत्तियों की खरीद की गई। परिसंपत्तियों को भारतीय लेखाकन संस्थान द्वारा जारी निर्देश के अनुसार ए.एस. 12 में दर्शाया गया है।

नोट 9(ii): निगम ने कछाल, कर्मोटा तथा तरसा में ₹ 552.10 लाख की लागत से पेट्रोल पम्प का निर्माण किया है। यह परिसंपत्तियों की लागत भारतीय तेल निगम से 10 वर्षों तक वसूल जाएगा, जो दिनांक 01.04.2014 प्रारंभ हुआ है। अतः पूरे परिसंपत्तियों को सामान्य मूल्य ₹ 1 में तथा शेष राशि को प्राप्ति योग्य राशि के अंतर्गत और शेष राशि को "अल्पकालिक ऋण और अग्रिम" शीर्षक के तहत आई.ओ.सी. लिमिटेड से प्राय के रूप में दिखाया गया है, ₹ 21.88 लाख रुपये (नोट 17 के संदर्भ में)। उक्त संपत्ति पर कोई मूल्यहास नहीं लगाया गया है।

नोट 9(iii): पर्यटन परियोजना के विकास के लिए पट्टे पर 60 वर्षों की अवधि तक तीन स्थानों की भूमि की राशि ₹. 9.46 लाख पर लिया गया। पट्टे पर लिए गए इन स्थानों की भूमि का विक्रय नोट 17(क) पर दर्शाया गया है।

नोट 9(iv): कंपनी के अधिकांशों द्वारा कंपनी के परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष में 2 बार किया जाता है।

नोट 9(v): निगम के पास 54.03 हेक्टेयर भूमि है जिसमें से 5.93 हेक्टेयर भूमि का मूल्य शून्य दर्शाया गया है।

नोट 9(vi): अंडमान तथा निकोबार प्रशासन से पट्टे के आधार पर कुछ परिसंपत्तियों निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्राप्त की गईं।

क) हॉर्नबिल नेस्ट : मासिक पट्टे का किराया ₹. 0.20 लाख सहित कर पश्चात 20 प्रतिशत लोभाश। पट्टा दिनांक 07.09.2028 तक प्रभावी रहेगा।

ख) जल क्रीड़ा उपकरण: कर के बाद लाभ का आबंटन 20 प्रतिशत। यह पट्टा दिनांक 31.05.2031 तक प्रभावी रहेगा।

ग) डोलोफिन रिसॉर्ट पट्टे का मासिक किराया ₹ 2.25 लाख सहित कर के पश्चात् लोभाश का 30 का आबंटन 30 प्रतिशत। पट्टा दिनांक 12.10.2024 तक प्रभावी रहेगा।

नोट 9 (vii): तूजीगत कार्य प्रगति हेतु मेगापोड के विस्तार के लिए ₹ 74.35 लाख आबंटित की गई जिसका उपयोग बाद में मेगापोड का पट्टे पर देने के लिए नियुक्त लेनदेन सलाहका द्वारा किया गया।

	दिनांक 31.03.2024	दिनांक 31.03.2023
नोट सं. 10: गैर चालू निवेश		
(1) इस कंपनी के पास अंडमान मत्स्य लिमिटेड (एक सहायक कंपनी) प्रति रु.10 का 9,67,000 शेयर है	69.65	
(रु.10 का 33,000 इक्विटी शेयर स्थानांतरण के लिए लंबित है)		
घटाए: अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड पर निवेश पर हानि का प्रावधान	69.65	-
(2) लक्षद्वीप शिल्पी अक्वाकल्चर लिमिटेड में रु. 10 का 4,00,000 इक्विटी शेयर है जिसे पूर्णतः लागत पर सम्मिलित किया गया ।		
400000 इक्विटी शेयर पूर्ण लागत पर भुगतान	40.00	
घटाए: लक्षद्वीप शिल्पी अक्वाकल्चर पर निवेश पर हानि का प्रावधान	40.00	-
वेबकॉन कन्सल्टिंग (इंडिया) लिमिटेड में रु. 10 की प्रति शेयर सहित		
प्रति रु.10 की प्रीमियम शेयर के 30000 इक्विटी शेयर	6.00	
घटाएँ: वेबकॉन कंसल्टिंग इंडिया लिमिटेड पर हानि के लिए प्रावधान	6.00	6.00
कुल	-	6.00

नोट 10 (i): इस कंपनी के पास अण्डमान मत्स्य लिमिटेड, श्री विजय पुरम में प्रति ₹10 दर का 10,00,000 प्रदत्त इक्विटी शेयर है। जिसमें से ₹10/- 33,000 इक्विटी शेयर एम.पी.इ.डी.ए से प्राप्त हुआ है जो स्थानांतरण के लिए विवादित एवं विचाराधीन है। एम.पी.इ.डी.ए ने विचाराधीन इक्विटी शेयर योजना के तहत 15 प्रतिशत का दावा किया है जो कंपनी द्वारा विवादित है तथापि कंपनी ने बोर्ड के 13वीं बैठक में लिए गए निर्णयानुसार आवधिक ऋण की दर से ब्याज का भुगतान करने पर सहमति जताई है जिस पर दिनांक 10.06.2001 तक ब्याज के रूप में कल राशि ₹5.39 लाख है। (सकल राशि ₹ 8.69 लाख) इस पर चालू वर्ष में एक प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त मेसर्स अंडमान मत्स्य लिमिटेड एक हानिप्रद कंपनी है अतः निवेश के लिए पूर्ण राशि रखने का प्रावधान रखा गया है।

नोट 10(ii): कंपनी ने वर्ष 1992 के दौरान लक्षद्वीप शिल्पी अक्वाकल्चर लिमिटेड के इक्विटी शेयर में प्रति ₹10 के दर से 4,00,000 पूर्ण भुगतान इक्विटी शेयर खरीद कर ₹ 40,00,000 निवेश किया है। परंतु वर्ष 1992 में कंपनी की स्थापना के पश्चात् अब तक उत्पादन शुरू नहीं कर पाया है तथा यह कंपनी वित्तीय संस्थानों का बहुत कर्जदार है तथा ऐसे निवेश से अब तक कोई आय अर्जित नहीं हुई है। अतः इस प्रकार के निवेश पर शत प्रतिशत राशि रखने का प्रावधान रखा गया है तथा नोट संख्या 5 में दर्शाया गया है।

नोट 10(iii): कंपनी ने 2012 के दौरान ₹10/- रुपये प्रति शेयर के 30,000 पूर्ण भुगतान वाले इक्विटी शेयरों की सदस्यता लेकर वेबकॉन कंसल्टिंग (इंडिया) लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में 6 लाख रुपये का निवेश किया है। कंपनी के शेयरों पर विस्तृत जानकारी की कमी, किसी भी लाभांश की प्राप्ति न होने, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वित्तीय विवरणों की अनुपस्थिति और इस तथ्य के कारण कि निवेश गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में है, जिनका कोई बाजार मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है, प्रबंधन ने निवेश पर संभावित नुकसान के लिए प्रावधान बनाने का निर्णय लिया है।

नोट 11: दीर्घकालिन ऋण एवं अग्रिम		
<u>सुरक्षित, विचार किया गया सामग्री</u>		
कर्मचारियों को कम्प्यूटर अग्रिम	1.37	3.66
कर्मचारियों को भवन निर्माण के लिए अग्रिम	0.58	0.54
<u>असुरक्षित, विचार किया गया सामग्री</u>		
प्रतिभूति जमा	24.24	24.22
सरकारी एजेंसियों को अन्य अग्रिम		
भारतीय तेल निगम	11 (a)	24.15
<u>असुरक्षित, संदेहास्पद विचार किया गया</u>		
कर्मचारियों के अग्रिम	1.31	
घटाए: प्रावधान	1.31	-
जमा प्राप्य (असुरक्षित, संदेहास्पद विचार किया गया)	5.88	
घटाए: प्रावधान	5.88	-
कुल	26.19	52.57
नोट: 12 आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)		
क. आस्थगित कर ऋण	-	-
मूल्यहास तथा ऋण परिशोधन	11.42	11.24
संदेहास्पद ऋण तथा अग्रिम के लिए प्रावधान	527.57	451.66
कुल	538.99	462.90
ख. आस्थगित कर परिसम्पत्तियां		
मूल्यहास तथा ऋण परिशोधन	163.17	146.10
संदेहास्पद ऋण तथा अग्रिम के लिए प्रावधान	26.32	51.44
कुल	189.49	197.54
शुद्ध आस्थगित कर ऋण (परिसम्पत्तियां)	349.50	265.36
आस्थगित कर की गणना भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लेखा मानक संख्या 22 के अनुसार किया गया है।		

(₹ लाख में)

नोट 13: ऋण एवं वित्त प्रभाग द्वारा आवधिक ऋण (सुरक्षित)	दिनांक 31.03.2024	थदनांक 31.03.2023
(क) आवधिक ऋण (विचार किया गया सामग्री)	6.56	
आवधिक ऋण (संदेहास्पद)	12.75	
घटाए: उप मानक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान	4.69	14.62
ख) संबंधित पार्टी को ऋण		25.24
अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड को ऋण (संदेहास्पद)	132.00	
घटाए: प्रावधान किया गया	132.00	-
कुल	14.62	25.24

नोट: (क): कंपनी का ऋण तथा वित्त प्रभाग द्वारा अपने सामान्य योजना के तहत उपलब्ध अधिशेष निधि से आवधिक ऋण प्रदान करता है। इसका अग्रणीत सकल प्रारंभिक शेष ₹163.39 लाख है। वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत कुल राशि शून्य है। (पिछले वर्ष ₹4.60 थी। तथापि, कंपनी ने ब्याज सहित ₹14.33 लाख की वसुली की। (पिछले वर्ष ₹20.03 लाख)। वर्ष के दौरान मानक परिसम्पत्तियों के लिए ₹0.03406 (पिछले वर्ष 0.03759 लाख) तथा उप मानक परिसम्पत्तियों के लिए 1.45 लाख राशि प्रावधान में रखा गया था। (पिछले वर्ष ₹ 0.96 लाख)। वर्ष 2022-23 के दौरान प्रभाग को बंद कर दिया गया।

नोट:13 (ख): कंपनी ने पिछले वर्षों में अंडमान मत्स्य लिमिटेड को रु. 132 लाख आवधिक ऋण की मंजूरी दी थी जिसे लेखा के संबंधित पार्टी को ऋण खाते में दर्शाया गया है। कंपनी वर्ष 2002-03 तक जारी आवधिक ऋण को अशोध्य ऋण के रूप में रिकॉर्ड किया है तथा पूर्ण राशि के लिए प्रावधान भी तैयार की है। तत्पश्चात् रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 02.07.12 को जारी परिपत्र ब्याज की गणना व प्रदान नहीं की गई है। परंतु सहायक कंपनी अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड पर ब्याज दर ₹ 7.25 करोड़ की गई (पिछले वर्ष 7.19 करोड़)।

नोट संख्या 14: सम्पत्ति सूची		
<u>कच्चा सामग्री</u>		
कच्चे दूध	45.42	
होटल में खाद्य सामग्रियों का स्टॉक	68.51	113.93
<u>अंतिम सामग्री</u>		
निर्मित दूध	23.28	
पनीर	0.07	
दही	0.26	
गाय दूध	3.50	27.11
<u>स्टॉक इन ट्रेड</u>		
पेट्रोलियम उत्पाद	421.45	
जोड़े: पारगमन भण्डार	124.53	
आई.एम.एफ.एल. उत्पाद	3,831.63	
जोड़े: पारगमन भण्डार	633.63	
स्मारिका,मानचित्र तथा बायोमेट्रिक यंत्र	0.03	5,011.26
<u>भण्डार तथा कलपुर्जे - दुग्ध संयंत्र</u>		
	49.71	59.00
कुल	5,202.01	8,623.65

नोट: संपत्ति सूची के मूल्यों का निर्धारण परम्परागत लागत तथा शुद्ध आंकलन मूल्य के तहत किया गया।

नोट: 15 व्यापार प्राप्य (असुरक्षित)		
विचारयुक्त सामग्री		
(1) भुगतान की तिथि से छ: माह अधिक	833.99	
(2) भुगतान की तिथि से छ: माह से कम	481.41	1,315.40
संदेहास्पद		959.01
(1) भुगतान की तिथि से छ: माह अधिक	244.27	
(2) भुगतान की तिथि से छ: माह से कम	-	
घटाए: अशोध्य तथा संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान	244.27	-
कुल	1,315.40	959.01

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची

(₹ लाख में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
क) अविवादित व्यापार प्राप्य— अच्छा माना जाता है	584.96	361.75	207.80	160.88	244.27	1,559.67
ख) अविवादित व्यापार प्राप्य— संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-
ग) विवादित व्यापार प्राप्य— अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-
घ) विवादित व्यापार प्राप्य— संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-
कुल	584.96	361.75	207.80	160.88	244.27	1,559.67
खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए कम प्रावधान						244.27
व्यापार प्राप्य						1,315.40

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची

(₹ लाख में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
क) अविवादित व्यापार प्राप्य— अच्छा माना जाता है	352.48	307.80	160.88	137.86	241.99	1,201.00
ख) अविवादित व्यापार प्राप्य— संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-
ग) विवादित व्यापार प्राप्य— अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-
घ) विवादित व्यापार प्राप्य— संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-
कुल	352.48	307.80	160.88	137.86	241.99	1,201.00
खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए कम प्रावधान						241.99
व्यापार प्राप्य						959.01

(₹ लाख में)

	दिनांक 31.03.2024	दिनांक 31.03.2023
नोट संख्या: 16 नकद तथा नकद समतुल्य		
<u>अनुसूचित बैंकों के खाता शेष</u>		
(क) चालू लेखा		
इंडियन बैंक, श्री विजय पुरम	85.74	189.06
इंडियन बैंक, चैन्नई	0.57	4.27
भारतीय स्टेट बैंक, श्री विजय पुरम	444.45	235.62
एच.डी.एफ.सी बैंक, श्री विजय पुरम	69.38	95.41
केनरा बैंक, सचिवालय	58.04	63.35
केनरा बैंक, शहीद द्वीप पी ओ एल	24.70	77.14
केनरा बैंक, कैम्पबेज बे	36.78	271.29
भारतीय स्टेट बैंक, हटबे	34.49	0.02
भारतीय स्टेट बैंक, रंगत	2.79	12.83
भारतीय स्टेट बैंक, मायाबंदर	4.20	0.11
भारतीय स्टेट बैंक, डिग्लीपुर	137.04	174.97
भारतीय स्टेट बैंक, स्वराज द्वीप	50.03	101.44
भारतीय स्टेट बैंक, आर के पुर, लिटिल अण्डमान	5.10	0.05
भारतीय स्टेट बैंक, कर्मोटा	19.78	18.19

भारतीय स्टेट बैंक, (आई.एम.एफ.एल/ जंगलीघाट)	1.98	1.28
भारतीय स्टेट बैंक, (आई.एम.एफ.एल/ मोहनपुरा)	2.10	0.99
भारतीय स्टेट बैंक, (हैडो)	3.14	2.64
भारतीय स्टेट बैंक, दिलानीपुर	1.95	2.18
भारतीय स्टेट बैंक, बाराटांग	14.29	27.48
भारतीय स्टेट बैंक, कदमतला	19.74	21.38
भारतीय स्टेट बैंक, (आई.एम.एफ.एल/ सेल्फ सर्विस यूनिट)	4.84	6.93
आई.सी.आई.सी.आई बैंक	34.35	32.82
एक्सेस बैंक	209.62	996.61
	1,265.10	2,336.06
<u>गैर-अनुसूचित बैंको पर खाता शेष</u>		
<u>चालू खाता</u>		
अण्डमान तथा निकोबार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड	16.44	136.46
	16.44	136.46
<u>हाथ में चेक</u>		
<u>हाथ में नकद</u>		
प्रधान कार्यालय में	0.48	0.29
हाथ में डाक टिकट	-	0.01
दुकान में नकद	80.05	55.72
	80.53	55.02
	1,362.07	2,528.54
ख. अन्य बैंको में शेष राशि		
12 माह तक के लिए		
पंजाब नेशनल बैंक	-	700.00
केनरा बैंक	6,900.00	1,500.00
इंडियन बैंक, श्री विजय पुरम	19.38	85.46
यूनियन बैंक आफ इंडिया	-	816.01
बैंक आफ बरोदा	5,000.00	900.00
सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	-	1,700.00
इंडियन ओवर सी बैंक	1,300.00	-
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, श्री विजय पुरम	2,937.65	4,081.26
यूको बैंक	-	800.00
बैंक आफ इंडिया	-	417.77
आई सी आई सी आई बैंक	89.24	1,832.30
एचडीएफसी बैंक	1,505.00	120.25
एक्सेस बैंक	742.00	1,000.00
जोड: उन पर ब्याज अर्जित	451.80	206.99
	18,945.07	14,160.04
कुल नकद तथा नकद समतुल्य	20,307.14	16,688.58

नोट 16 (क) : इंडियन बैंक, श्री विजय पुरम शाखा में क्रेडिट गारंटी फंड के तहत प्राप्त अल्पावधि जमा ₹ 28.63 लाख शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 27.31 लाख)

(₹ लाख में)

		दिनांक 31.03.2024	दिनांक 31.03.2023
नोट 17: अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम			
<i>सुरक्षित, विचारयुक्त सामग्री</i>			
कर्मचारियों को भवन निर्माण के लिए अग्रिम		0.30	1.67
कर्मचारियों का कम्प्यूटर अग्रिम		2.50	2.65
सिविल कार्य के लिए अग्रिम		136.78	110.78
भारतीय तेल निगम से प्राप्य दावा		37.59	37.18
कर्मचारियों को अन्य अग्रिम		4.38	1.96
नीति आयोग परियोजना		267.08	380.24
भारतीय तेल निगम (केपीटल फैक्ट्रिंग)		21.89	80.73
आइ जी एस टी		1.13	0.84
सी जी एस टी/ यू टी जी एस टी		14.44	46.26
आयकर को अग्रिम भुगतान (टी डी एस सहित)			
—निर्धारण वर्ष 2008–09	341.61		
—निर्धारण वर्ष 2009–10	385.73		
—निर्धारण वर्ष 2010–11	414.26		
—निर्धारण वर्ष 2011–12	470.82		
—निर्धारण वर्ष 2012–13	10.03		
—निर्धारण वर्ष 2013–14	591.39		
—निर्धारण वर्ष 2014–15	777.53		
—निर्धारण वर्ष 2015–16	727.38		
—निर्धारण वर्ष 2016–17	954.72		
—निर्धारण वर्ष 2017–18	1,506.86		
—निर्धारण वर्ष 2018–19	1,114.71		
—निर्धारण वर्ष 2019–20	1,506.58		
—निर्धारण वर्ष 2020–21	1,289.54		
—निर्धारण वर्ष 2021–22	747.89		
—निर्धारण वर्ष 2022–23	984.57		
—निर्धारण वर्ष 2023–24	1,294.50		
—निर्धारण वर्ष 2024–25	1,576.88	14,695.01	13,118.13
लाभांश कर का अग्रिम भुगतान	83.98		
जोड़: वर्ष के दौरान	0.00	83.98	83.98
सरकार एवं अन्य के साथ जमा/अग्रिम (नोट 17 क)		703.61	0.01
आपूर्तिदाता एवं ठेकेदारों को अग्रिम		469.04	723.30
अन्य अग्रिम (नोट 17 ख)		25.49	0.13
<i>असुरक्षित, विचारयुक्त संदेहास्पद</i>			
<i>(असुरक्षित, विचारयुक्त अन्यथा दर्शाया गया 1)</i>			
घटाए: प्रावधान	10.18		
	10.18	0.00	0.00
अन्य अग्रिम	4.34		
घटाए: अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान	4.34	0.00	0.00
सरकार तथा अन्य के साथ जमा/अग्रिम	4.19		
घटाए: प्रावधान	4.19	0.00	0.00
आपूर्तिदाता एवं ठेकेदारों को अग्रिम	5.19		
घटाए: अग्रिम के हानि के लिए प्रावधान	5.19	0.00	0.00
पट्टे पर प्राप्य योग्य किराया (नोट 17 ग)	107.99	0.00	0.00
घटाए: पट्टे के किराए के लिए प्रावधान	107.99	0.00	0.00
जमा भविष्य निधि (नोट 17 घ)	43.90		
घटाए: प्रावधान	43.90	0.00	0.00

संबंधित पार्टी का ऋण तथा अग्रिम ग			
अंडमान मत्स्य लिमिटेड को आसुरक्षित ऋण	33.00		
जोड़: वर्ष 2002-03 तक ब्याज देय	8.23		
घटाए: प्रावधान	41.23	0.00	0.00
अण्डमान मत्स्यकी लिमिटेड से प्राप्य	15.74		
घटाए: प्रावधान	15.74	0.00	0.00
अंडमान मत्स्य लिमिटेड को ब्याजमुक्त आसुरक्षित ऋण	165.00		
घटाए: वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	0.00		
घटाए: प्रावधान	165.00	0.00	0.00
कुल		16,463.22	14,587.86

नोट 17 (क): निगम ने ग्रेट निकोबार द्वीप के समग्र विकास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप समूह के विकास के लिए परियोजना प्रस्तावक के रूप में नियुक्त किया है। इस भूमिका के एक हिस्से के रूप में, निगम ने संबंधित विभागों के आधे हिस्से पर महत्वपूर्ण व्यय किया। हालाँकि इन विभागों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) अभी भी लंबित है। परिणामस्वरूप, वित्तीय विवरणों में व्यय को कम दिखाया गया है। एमओयू को अंतिम रूप दिए जाने के बाद संबंधित विभागों द्वारा व्यय की प्रतिपूर्ति की उम्मीद है। एमओयू की लंबित स्थिति के कारण, इन खर्चों को वित्तीय विवरणों में अग्रिम के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

नोट 17 (ख): वित्तीय वर्ष के दौरान आईएमएफएल शॉप रंगत के खिलाफ ₹ 56.88 लाख रुपये की कमी दर्ज की गई, जिसमें से वर्ष के दौरान ₹ 28.00 लाख रुपये की वसूली की गई।

नोट 17 (ग): कंपनी द्वारा अपने तीन वाणिज्यिक भूमि को पर्यटन परियोजनाएं चलाए जाने के लिए पट्टे पर दिया गया। हैवलॉक स्थित भूमि को इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड को 60 वर्षों के लिए दिनांक 07 दिसम्बर 2009 से ₹ 2.25 करोड़ प्रति वर्ष किराए के आधार पर पट्टे पर दी गई। लॉग आइलैण्ड तथा नील द्वीप स्थित अन्य दो भूमि मेसर्स लाग आइलैण्ड नेचर होटल एण्ड रिसॉर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड तथा मेसर्स सोमा अण्डमान रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर दिया गया। परंतु शर्तों के चूक करने पर अनुबंध को समाप्त कर दिया गया।

नोट 17 (घ): कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 7 ए के अंतर्गत सहायक निधि कोष आयुक्त, श्री विजय पुरम ने वर्ष 2001-2004 के कार्यकाल से ₹ 21.30 लाख संलग्न की तथा उपर्युक्त आयुक्त ने यह राशि ले ली थी। कंपनी ने माननीय उच्च न्यायालय, श्री विजय पुरम में उपर्युक्त राशि की वसूली के कलए याचिका दायर की थी तथा माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 4.2.2013 का जारी आदेश के तहत कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरण ने राशि की पुनःनिर्धारण के लिए निर्देश दी है। सहायक भविष्य निधि आयुक्त, श्री विजय पुरम द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि कोष तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत जारी एक अन्य आदेश के तहत वर्ष 2005-2009 की अवधि तक के लिए ₹ 22.60 संलग्न की तथा उपायुक्त ने यह राशि ले ले थी। कंपनी ने इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि अपील न्यायालय, नई दिल्ली में एक याचिका दायर की है।

नोट 17 (ङ): कंपनी के शत प्रतिशत सहायक कंपनी मेसर्स अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड के पक्ष में पिछले अवधि के दौरान ब्याजमुक्त असुरक्षित ऋण की मंजूरी दी गई थी, जिसका अग्रिम शेष ₹ 165 लाख थी एवं इसके लिए कंपनी ने शत प्रतिशत प्रावधान भी रखा है।

नोट 18: अन्य चालू परिसम्पत्तियां			
आपूर्तिदाताओं को अग्रिम (असुरक्षित, विचारयुक्त सामग्री)		110.92	6.04
<i>असुरक्षित, विचारयुक्त संदेहास्पद</i>			
(i) आयकर प्राधिकार से देय राशि 07-08	1.54		
घटाए: प्रावधान	1.54	0.00	0.00
कुल		110.92	6.04

नोट 19: संचालन से राजस्व

(₹ लाख में)

विवरण	सकल बिक्री			
	दिनांक 31.03.2024	%	दिनांक 31.03.2023	%
उत्पाद की बिक्री (क)				
i) निर्मित सामग्री				
दूध	1,134.22		1,094.33	
दही	69.04		104.36	
अन्य दुग्ध उत्पादों	230.03		53.06	
	1,433.29	3	1,251.75	3
ii) व्यापारिक सामग्री				
आई.एम.एफ.एल	28,034.54		26,732.23	
पी.ओ.एल	17,451.89		16,757.11	
लोहा एवं इस्पात	-		-	
	45,486.43	93	43,489.34	93
उप कुल (क)	46,919.72	96	44,741.09	96

(₹ लाख में)

सेवा (ख)				
पर्यटन	1,582.04		1,426.96	
अन्य				
एयर टिकट से कमीशन	-		-	
आवधिक ऋण पर ब्याज	2.24		3.51	
पट्टे पर दिए गए भूमि का किराया	388.06		334.81	
पट्टे के आधार पर जल क्रीड़ा का किराया	-		-	
बर्फ संयंत्र/शीत भण्डार	22.04		17.41	
किराया प्रभार/ कार किराया	56.55		19.45	
अन्य आय	37.58		10.76	
उप कुल (ख)	2,088.51	4	1,812.90	4
सकल कुल घ (क+ख)	49,008.23	100	46,553.99	100

नोट (क) व्यापारिक सामग्रियों और बिक्री/सेवा की खरीद के लिए दिए जाने वाले आवश्यक विवरण प्रत्येक व्यवसाय के प्रकृति एवं अन्य परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। सामान्यतः व्यापारिक सामग्रियों और बिक्री की खरीद के कुल मूल्य 10 प्रतिशत मुख्य शीर्ष के निर्धारण के लिए स्वीकार्य सीमा के रूप में माना जाता है। किसी भी अन्य मदों पर विचार वित्तीय विवरण पर प्रस्तुत निष्पक्ष दृष्टिकोण के आधार पर किया जा सकता है।

नोट (ख) बर्फ संयंत्र / शीत भण्डार की बिक्री में बर्फ ब्लॉक के विक्रय भी सम्मिलित है।

नोट (ग) : निगम ने वर्ष 2022-23 से लोहा एवं इस्पात प्रभाग बंद कर दिया है

(₹ लाख में)

	दिनांक 31.03.2024 (₹)	दिनांक 31.03.2023 (₹)
नोट 20: अन्य आय		
<i>i) पद्ध ब्याज से आयरू</i>		
सावधि जमा पर ब्याज	1,164.35	619.16
पूंजी निवेश पर ब्याज	4.56	17.22
कर्मचारियों को दिए गए ऋण पर ब्याज	0.33	0.61
<i>iii) अन्य</i>		
प्रशासनिक शुल्क [Note a]	-	42.15
परिसंपत्तियों के बिक्री पर लाभ	4.95	2.32
छूट की प्राप्ति	-	0.26
कमी/अन्य वसूली रु		
आई एम एफ एल, लोहा एवं इस्पात तथा पीओएल	176.41	
नकदी क्षति	0.70	
परिवहन प्रभार	14.69	
कर्मचारियों के खान-पान पर खर्च	9.06	200.86
रद्द किया गया प्रभार	1.42	1.38
कुल	1,376.47	1,035.98

नोट (क): निगम ने प्रमुख परियोजनाओं पर खर्च की गई वास्तविक लागत पर प्रशासनिक शुल्क के रूप में समान रूप से 20 प्रतिशत शुल्क लिया और निगम द्वारा खर्च की गई अतिरिक्त लागत की वास्तविक प्रतिपूर्ति की गई।

नोट 21: उपभोग किए गए सामग्रियों की लागत		
कच्चे दूध तथा संपूर्ण दूध पाउडर	1,044.07	938.84
खान-पान प्रभाग के लिए प्रावधान	186.14	57.67
कुल	1,230.21	996.51

(₹ लाख में)

	दिनांक 31.03.2024	दिनांक 31.03.2023
नोट 22: स्टॉक की खरीद		
आई एम एफ एल	4,449.56	4,482.95
जोड़े सामग्रियों की पारगमन लागत	633.63	1,225.45
पेट्रोलियम उत्पाद	16,550.76	16,139.26
जोड़े: सामग्रियों की पारगमन लागत	124.53	4.04
परिवहन भाड़ा	1,325.87	1,093.05
लाइसेंस शुल्क	329.02	312.41
आयात अनुमति शुल्क/उत्पाद शुल्क	12,807.46	13,858.81
कुल	36,220.83	37,115.97
नोट 23: निर्मित माल में परिवर्तन/कार्य प्रगति पर तथा विक्रय स्टॉक		
सम्पत्ति सूची (समाप्ति पर)		
निर्मित सामग्री	27.11	
स्टाक इन ट्रेड	5,011.26	5,038.37
सम्पत्ति सूची (प्रारंभ में)		
निर्मित सामग्री	22.35	
स्टाक इन ट्रेड	8,218.69	8,241.04
कुल	3,202.67	(227.74)
नोट 24: कर्मचारियों के लाभ पर व्यय		
वेतन	1,764.58	1,818.33
भविष्य निधि, पेंशन कोष तथा छुट्टी के वेतन	180.91	155.94
उपदान	152.68	72.16
बोनस	104.57	204.40
प्रशिक्षण पर व्यय	0.98	0.07
कर्मचारियों क कल्याण पर	0.68	0.89
कर्मचारियों क आवास पर किराया	3.45	3.00
छुट्टी यात्रा रियायत का प्रावधान	3.18	24.67
छुट्टी भुनाने का प्रावधान	357.75	-
कुल	2,568.78	2,279.46
नोट 24(क): उपदान		
बीमाकिक धारणा		
विवरण	2023-24	2022-23
मोर्टालिटी दर	LIC (2006-08) अंतिम	LIC (2006-08) अंतिम
निकासी दर	1% to 3% आयु पर निर्भर	1% to 3% आयु पर निर्भर
छूट की दर	7.25% प्रतिवर्ष	7.25% प्रतिवर्ष
वेतन वृद्धि	6.25%	5.75%
नोट 24(ख): छुट्टी यात्रा रियायत देयता (ए.एस.15 के अनुसार)		
छुट्टी यात्रा रियायत देयता		
विवरण	2023-24	2022-23
बीमाकिक धारणा	235	238
छूट की दर	7.00% P.A.	7.20% P.A.
मुद्रास्फीति की दर	6.00% P.A.	6.00% P.A.
मोर्टालिटी	IALM (2006-08) अंतिम	IALM (2006-08) अंतिम
बीमाकिक देयता	₹ 46.99 लाख	₹ 77.19 लाख

कंपनी द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत को बीमाकिक मूल्यांकन तैयार कर इसके आधार पर प्रावधान रखा गया है। वर्ष के प्रारंभ में संचित प्रावधान ₹ 77.19 लाख थी। इस प्रावधान के विरुद्ध वर्ष के दौरान ₹ 33.37 लाख राशि का प्रयोग किया गया तथा ₹ 3.17 लाख के लिए प्रावधान तैयार की गई। वर्ष के अंत में मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार अंतशेष ₹ 46.99 लाख है।

(₹ लाख में)

	दिनांक 31.03.2024	दिनांक 31.03.2023
नोट 24(ग): छुट्टी यात्रा रियात देयता		
छुट्टी यात्रा रियायत देयता		
विवरण	2023-24	2022-23
कर्मचारियों की संख्या	226	235
कुल मासिक वेतन	₹123.48 लाख	₹115.81 लाख
कुल नकदी योग्य छुट्टी	48854.5	39704
सामान्य सेवानिवृत्त आयु	60वर्ष	60 वर्ष
बीमाकिंक धारणा		
छूट की दर	7.0% P.A.	6.9% P.A.
वेतन में वृद्धि का दर	10.00% P.A.	10.00% P.A.
निकासी दर	2.00% P.A.	2.00% P.A.
मोरटालिटी	IALM 2006-08 अंतिम	IALM 2006-08 अंतिम
अवकाश का बीमाकिंक छूट मूल्य	₹ 1197.30लाख	₹ 866.27 लाख

कंपनी द्वारा बीमाकिंक मूल्यांकन किया गया है और ऐसे बीमाकिंक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया है। वर्ष की शुरुआत में संचित प्रावधान रु.866.27 लाख थी। उक्त प्रावधान के विरुद्ध वर्ष के दौरान 26.72 लाख की राशि का उपयोग किया गया है (पिछले वर्ष 18.03 लाख)। वर्ष के दौरान प्रावधान 357.75 लाख की है। मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष के अंत में यह आंकड़ा 1197.30 लाख आंका गया।

नोट 25: संचालन एवं अन्य व्यय		
नोट 25(क): संचालन, बिक्री तथा वितरण पर खर्च		
भण्डार एवं कलपूर्जों का उपभोग	355.82	303.61
ऊर्जा एवं ईंधन		
विद्युत	141.42	99.32
ईंधन प्रभार	160.37	144.32
किराया		
कार्यालय का किराया	1.07	1.60
किराया	283.91	198.15
मरम्मत एवं रख-रखाव		
— कम्प्यूटर की मरम्मत एवं रखरखाव	16.38	19.86
— वाहनों की मरम्मत एवं रखरखाव	9.68	13.14
— भवन की मरम्मत एवं रखरखाव	55.16	271.67
— फर्नीचर की मरम्मत एवं रखरखाव	2.94	0.30
— मशीनरी की मरम्मत एवं रखरखाव	57.09	51.67
सरकारी लेखा परीक्षा पर व्यय	1.99	0.75
बीमा	24.21	24.98
कीमत एवं कर	73.06	59.63
जल प्रभार	21.45	12.84
भण्डार ढुलाई पर व्यय	13.07	11.80
कक्ष के किराये पर व्यापारिक छूट	58.29	55.06
स्वच्छता	23.67	24.78
बागवानी पर व्यय	0.24	9.50
घाट पर व्यय	0.05	0.07
पर्यटन उद्योग में किराये के वाहन पर खर्च	39.68	20.60
क्रॉकरी प्रभार	0.13	1.63
वर्दी एवं पोशक	5.06	0.02
ओउट सोर्सिंग जनशक्ति	552.11	419.68
व्यवसाय को बढ़ावा / अतिथि सत्कार	40.55	1.51
बैंक प्रभार	36.27	27.48

पहरा व निगरानी	90.05	85.58
निगमित समाजिक दायित्व पर खर्च	70.17	77.74
हिन्दी सप्ताह पर खर्च	-	0.09
पंजीकरण व सदस्यता शुल्क	0.25	0.21
विविध	0.65	0.31
जीएसटी क्रेडिट	248.61	207.32
जलपान पर व्यय	15.77	3.69
कुल	2,399.17	2,148.91
नोट 25(ख): प्रशासनिक खर्च		
निदेशको के बैठक से संबंधित शुल्क	1.64	0.16
छपाई व लेखन सामग्रियां	31.11	17.59
डाक व टेलीग्राम	1.06	1.25
टेलीफोन/टैलेक्स/फैक्स	27.62	24.44
पुस्तक एवं पत्रिकाएं	2.71	0.48
निविदा प्रकाशित करने पर व्यय	25.27	9.21
व्यवसायिक प्रभार	29.58	6.50
यात्रा पर व्यय	22.62	24.61
	141.61	84.24
नोट 25(ग): अन्य व्यय		
प्रावधान		
अशोध्य एवं संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान	2.29	92.97
निवे के हानि के लिए प्रावधान	6.00	-
मानक संपत्ति पर आकस्मिक व्यय का प्रावधान	-	0.96
	8.29	93.93
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक(सेवा कर सहित)		
— वैधानिक लेखा परीक्षा के लिए	2.00	
— कर से संबंधित लेखा परीक्षा	0.50	
— अन्य सेवाएं	0.30	
— आंतरिक लेखा परीक्षा पर व्यय	2.80	2.80
	0.96	0.73
ग का कुल	12.05	97.46
नोट 25(घ): पूर्व अवधि समायोजन		
— परिवहन प्रभार	-	-
— सहायता अनुदान	-	(13.98)
— बिक्री	-	-
— फिरी होल्ड भूमि	-	2.00
— भवन का किराया	-	0.15
कुल	-	(11.83)
कुल संचालन तथा अन्य व्यय (क+ख+ग+घ)	2,552.84	2,318.78
नोट: 26 अर्जित प्रति शेयर		
इक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध राशि	3,332	3,487
इक्विटी शेयरों की औसतन संख्या	11	11
मूल तथा मिश्रित अर्जित प्रति इक्विटी शेयर	304	318
प्रति इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य	100	100

नोट: 27 निगमित सामाजिक जिम्मेदारी व्यय

(क) सीएसआर गतिविधियों के संबंध में प्रकटीकरण

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
वर्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली राशि	69.39	70.15
व्यय की गई राशि	70.17	77.74
वर्ष के अंत में अतिरिक्त राशि	0.78	7.59
सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि	0	0
पिछले वर्ष सहित वर्ष के अंत में खर्च की गई अतिरिक्त राशि	0.78	7.59
कमी का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
संबंधित पक्ष के लेन-देन का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
उपगत देयता के संबंध में किया गया प्रावधान	0	0

(ख) प्रावधान

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
प्रारंभिक शेष	0	0
वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान	0	0
वर्ष के दौरान उपयोग किया गया प्रावधान	0	0
समापन शेष	0	0

(ग) सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति

सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
स्वास्थ्य संवर्धन	52.00	72.74
शिक्षा का संवर्धन	15.00	5.00
पर्यावरण स्थिरता	3.17	-
कुल	70.17	77.47

नोट: 28 पूंजीगत कार्य प्रगति

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजीगत कार्य प्रगति पर है आयु निर्धारण अनुसूची इस प्रकार है
(₹ लाख में)

पूंजीगत कार्य प्रगति	अवधि के लिए प्रगति पर पूंजीगत कार्य में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
गिति पर परियोजनाएँ		14.68		59.66	74.34

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजीगत कार्य प्रगति पर है आयु निर्धारण अनुसूची इस प्रकार है
(₹ लाख में)

पूंजीगत कार्य प्रगति	अवधि के लिए प्रगति पर पूंजीगत कार्य में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
गिति पर परियोजनाएँ	16.78		38.27	21.39	76.44

नोट 29 (क) आकस्मिक देयता

(क) निम्नलिखित मामला आयकर विभाग के साथ विचाराधीन है जिस पर कंपनी अपील दायर की है।

निर्धारण वर्ष	आदेश तिथि	दावा की गई राशि (₹)	अपील संख्या/तिथि	सहमत राशि (₹)	आकस्मिक देयता (₹)	फोरम जहां विवाद लंबित है
2009-10 तथा 2019-20	टी डी एस/टी सी एस रिटर्न	₹ 46,80,620/-	टी डी एस/टी सी एस तिमाही रिटर्न परिशोधन	---	₹ 46,80,620/-	डी सी (आई टी) फसलेस
2020-21	19/09/2022	₹ 12,29,29,510/-	12851824028 0423	₹ 12,10,94,196/-	₹ 18,35,318/-	केन्द्र आयकर (₹) कोलकाता
कुल					₹ 63,15,938/-	

ख) दिनांक 31.03.2024 तक न्यायालय में लंबित मामलों का विवरण

केस संख्या	न्यायालय, जहां पर मामला लंबित है।	वादी तथा प्रतिवादी	वित्तीय निहितार्थ संपत्ति / (देय)
धन वाद संख्या 66 / 2010	सिविल न्यायालय (वरिष्ठ प्रभाग) का न्यायालय	अनिडको बनाम श्री संजय आनंद, पूर्व कनिष्ठ सहायक	₹ 9,24,406/-
अपील संख्या 15(15)	कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बनाम अनिडको	₹ 22,60,043/-
2284 / 2019	सर्वोच्च न्यायालय	अनिडको बनाम एलआईएनएचआरपीएल उच्चतम न्यायालय ने एलआईएनएचआरपीएल की याचिका को खारिज की	₹ 5,47,46,091/-
डब्ल्यू पी संख्या 267	उच्चतम न्यायालय	महाप्रबंधक, अनिडको बनाम वार्ड जॉन	आकलन नहीं किया गया
ओ एस 09, 2018	जिला न्यायालय, पोर्टब्लेयर	महाप्रबंधक, अनिडको (परियोजना) बनाम मेर्स ओसियन ब्लू बोटिंग प्राइवेट लिमिटेड .	₹ 51,33,379/-

(ग) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम.पी.ई.डी.ए.) ने मैसर्स अण्डमान मत्स्य उद्योग लिमिटेड को गहरे पानी में मछली पकड़ने, निर्यात योग्य उत्पादों तथा बहुमूल्य समुद्री उत्पादों में अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए उक्त कम्पनी को सहायता के रूप में ₹3,30,000/- की राशि प्रति 'शेयर ₹10 की दर से 33,000 इक्विटी शेयर इन 'शर्तों पर निवेश किया गया था कि यदि कंपनी उक्त प्रयोजन में असफल होने पर कंपनी प्राधिकरण द्वारा निवेश किए गए सभी शेयरों को वापस ले लेगा। इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई और प्राधिकरण ने शेयर वापस करने की मांग की जैसा उक्त प्राधिकरण से कंपनी ने वादा किया गया था। उक्त प्राधिकरण ने 15 मई, 1992 से 18 प्रतिषत (प्रति वर्ष) की दर से ब्याज सहित ₹3,30,000 को पुनः अदा करने की मांग करते हुए कंपनी के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। अरनाकुलम के माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले की छानबीन करने और दो पक्षों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए एक विवाचक नियुक्त किया है। मैसर्स अण्डमान मत्स्यकी लिमिटेड के प्रमोटर के रूप में यह कंपनी हस्तान्तरण औपचारिकता को बकाया रखते हुए दिनांक 19.8.2004 को ₹ 3,30,000 का उक्त शेयर वापस किया और अण्डमान फिजरीष लिमिटेड में आगे निवेश के रूप में इस कंपनी द्वारा इस राशि को दर्शया गया है। कंपनी ने उक्त राशि के लिए चालू देय में ₹ 5.38 लाख ब्याज का प्रावधान रखा है।

नोट 29 (ii) पूंजी प्रतिबद्धता:

पूंजी लेखा में निष्पादित किए जाने वाले शेष ठेके की अनुमानित राशि : ₹ लाख (पिछले वर्ष ₹ 110.78 लाख) तथा पूंजीगत कार्यों के लिए भुगतान की गई राशि ₹ 74.35 लाख थी। (पिछले वर्ष: ₹ 76.45 लाख) थी।

नोट 29 (iii) कंपनी द्वारा जारी गारंटी:

कंपनी ने हमारे क्रेडिट और वित्त प्रभाग द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में ₹ 11.47 लाख की क्रेडिट गारंटी दी है जो क्रेडिट गारंटी फंड द्वारा सुरक्षित है।

नोट 29 (iv) लाभांश:

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. सं. 3(3)-बी(एस)/2015 दिनांक 05.01.2016 के अनुसार, निगम पीएटी का 30% या इक्विटी का 30% जो भी अधिक हो, न्यूनतम लाभांश घोषित करता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित लाभांश 10 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 10.46 करोड़ रुपये) है, जो वार्षिक आम बैठक के अनुमोदन के अधीन है।

नोट 29 (v) अग्रिम कर

₹13648.98 लाख की असमायोजित राशि को "अल्पकालिक ऋण और अग्रिम" के तहत रु. 14695.00 लाख के "आयकर के अग्रिम भुगतान" के मुकाबले "अल्पकालिक प्रावधान" के तहत "आयकर के लिए प्रावधान" के रूप में दिखाया गया है। निर्धारण वर्ष 2020-21 तक का मूल्यांकन धारा 143 के तहत समाप्त हो गया है, हालांकि निगम इसे "अग्रिम आयकर" के विरुद्ध समायोजित करने में असमर्थ है क्योंकि निगम ने राशि पर विवाद किया और अपील/परिपोषण के लिए गया है।

नोट 29 (vi) सहायक कंपनी:

दिनांक 19.08.2004 से अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड का सब्सिडरी कंपनी है तथा धारा 129 (3) के तहत संबंधित विवरण एवं दिनांक 31.3.2024 को समाप्त लेखा परीक्षा संलग्न किया गया है।

पिछले वर्षों में अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड को मंजुरी दी गई आवधिक ऋण ₹ 1.32 लाख को ऋण एवं वित्त प्रभाग के 'संबंधित पार्टी' के ऋण शीर्ष पर दर्शाया गया है। उक्त राशि सहित वर्ष 2002-03 तक के ब्याज को पूर्ण रूप से अपोष्य ऋण के रूप रखने का प्रावधान रखा गया है। तब से ब्याज की गणना व प्रदान नहीं किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड को ब्याज मुक्त ऋण की मंजुरी 'शून्य' थी तथा दिनांक 31 मार्च 2023 तक बकाया शेष ₹1.65 लाख थी (पिछले वर्ष ₹ 1.65 लाख)। कंपनी ने पिछले वर्षों में असुरक्षित ऋण ₹ 33.00 लाख पर ब्याज प्रदान किया गया जिसमें वित्तीय वर्ष 2002-03 तक संचित ब्याज ₹ 8.23 लाख थी। असुरक्षित ऋण पर ब्याज का प्रावधान शत प्रतिशत रखा गया।

नोट 29 (vii) वित्तीय संस्थानों के उपर्युक्त आवश्यक प्रकटीकरण (वित्त एवं ऋण प्रभाग):

क. षुद्ध गैर निष्पादित परिसंपत्तियां	: ₹ 1,47,82,251/-	(पिछले वर्ष ₹ 1,51,30,379/-)
अ. ख. षुद्ध ऋण एवं अग्रिम: ₹1,51,39,485/-	(पिछले वर्ष ₹ 1,63,39,232/-)	
ग. षुद्ध ऋण एवं अग्रिम का षुद्ध एनपीए प्रतिशत	: 97.64%	(पिछले वर्ष 92.60%)
घ. निर्धारित वर्गीकृत वर्ग के परिसंपत्ति के अंतर्गत षुद्ध राशि		
i. उपमानक	: ₹.4,58,525/-	(पिछले वर्ष ₹ 61,1706/-)
ii. संदेहपूर्ण	: ₹ 11,23,726 /-	(पिछले वर्ष ₹ 13,18,673/-)
iii. परिसंपत्तियों की हानि	: ₹1,32,00,000/-	(पिछले वर्ष ₹ 1,32,00,000)
ड. वर्ष के दौरान एनपीए पर रखे गए राशि का प्रावधान:	₹1,69,69,387/-	(पिछले वर्ष ₹1,71,14,733/-)

नोट 29 (viii): लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक: लेखा परीक्षकों की पारिश्रमिक में निम्नलिखित शामिल है:

(क) लेखा परीक्षक के रूप में: लेखा परीक्षा शुल्क:	₹. 2,30,000/- (पिछले वर्ष ₹ 2,36,000/-)
(ख) कर से संबंधित मामलों: लेखा परीक्षा कर शुल्क:	₹. 50,000/- (पिछले वर्ष ₹.59,000/-)
(ग) कंपनी संबंधित विधि मामले:	₹. शून्य (पिछले वर्ष: ₹ शून्य)
(घ) प्रबंधन सेवाएं	₹. शून्य (पिछले वर्ष: ₹ शून्य)
(ड) लेखा परीक्षक शुल्क	₹. शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)
(च) अन्य सेवाएं	₹. शून्य (पिछले वर्ष: ₹. 35400/-)
(झ) व्यय की प्रतिपूर्ति	₹. शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)
कुल	₹.2,80,000/- (पिछले वर्ष ₹. 3,30,400/-)

नोट 29 (ix): प्रबंधकीय पारिश्रमिक:

क. प्रबंध निदेशक, पूर्ण-कालिक निदेशकों तथा / अथवा प्रबंधक को पारिश्रमिक (बैठक शुल्क)	: ₹ 40,500
ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक (बैठक शुल्क)	: ₹ 1,19,500
ग. वर्ष के दौरान प्रबंध निदेशक के परिवहन पर किए गए व्यय ₹ शून्य/- (पिछले वर्ष ₹ 30,338) निगम के प्रबंध निदेशक को पारिश्रमिक का भुगतान शून्य/- थी। (पिछले वर्ष: शून्य/-)	

नोट 29 (x): ए.एस. -18 के अनुसार संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

क). संबंधित पार्टी तथा उनके संबंध:

i) सहायक (प्रत्यक्ष रूप): अण्डमान मत्स्यकी लिमिटेड

ii) साथी सहायक: 'शून्य

iii) सहयोगी: 'शून्य

i) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक: कंपनी अधिनियम, 2014 की नियम 8 (नियुक्ति तथा प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक) में प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक के संबंध में किसी प्रकार का निर्दिष्ट नहीं दिया गया है। इसलिए निगम के लिए उपर्युक्त नहीं है।

ख. दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए संबंधित पार्टी के साथ लेन-देन

	सहायक	मुख्य प्रबंधन कार्मिक तथा उनके संबंध
ब्रांड इक्विटी अंशदान	शून्य	शून्य
अचल परिसम्पत्ति की खरीद	शून्य	शून्य
ऋण तथा अग्रिम का पुनः भुगतान	शून्य	शून्य
राजस्व आय	शून्य	शून्य
राजस्व व्यय	शून्य	शून्य
संदेहात्मक प्राप्त अग्रिम (निपटायें जाने) का प्रावधान	शून्य	शून्य
प्रदान की गई गारंटी	शून्य	शून्य
पारिश्रमिक	शून्य	शून्य

ग. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

	अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड (सहायक कंपनी)	
	2023-24	2022-23
व्यापार प्राप्ति, बिना बिल के राजस्व, ऋण तथा अग्रिम, अन्य परिसम्पत्ति (पुद्ध)	शून्य	शून्य
व्यापार देय, अग्रिम के रूप में प्राप्त आय, उपभोक्ताओं से अग्रिम, अन्य देयता	शून्य	शून्य
गारंटी	शून्य	शून्य
डिबेंचर में निवेश/म्यूचल फंड/ बांड	शून्य	शून्य

घ. संबंधित पार्टी के साथ सामग्रियों की लेन देन का प्रकटीकरण

किराये पर आय	शून्य	शून्य
अन्य आय	शून्य	शून्य
सामग्रियों, सेवाएं तथा सुविधाओं की खरीद (प्रतिपूर्ति सहित)	शून्य	शून्य
किराए पर व्यय	शून्य	शून्य
संदेहात्मक प्राप्त अग्रिम (निपटायें जाने) का प्रावधान	शून्य	शून्य
निपटायें गए संदेहात्मक ऋण	शून्य	शून्य
निपटायें गए अग्रिम	शून्य	शून्य
इक्विटी 'षेयर पर भुगतान की गई लाभांश	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान प्रदान की गई गारंटी	शून्य	शून्य
मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक	शून्य	शून्य

कंपनी अधिनियम, 2013 के खण्ड 129(3) के अनुसार मेसर्स अण्डमान मत्स्यकी लिमिटेड का तुलनपत्र संलग्न है (अनुलग्नक 'क')

नोट 29 (xi): सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के साथ व्यवसाय

सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के अंतर्गत किसी प्रकार का लेन-देन होने पर उसे सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के परिपेक्ष्य में लाया गया तथा 45 दिनों के भीतर इसका भुगतान कर दिया गया है।

नोट 29 (xii): खण्डीय रिपोर्टिंग

प्रभागवार खण्डीय रिपोर्ट अनुलग्नक - ख में दर्शाया गया है।

नोट 30: अतिरिक्त विनियामक जानकारी

31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए निम्नलिखित अनुपात हैं।

विशेष	विशेष	हर	31 मार्च 2024		31 मार्च 2023	भिन्नता
चालू अनुपात	चालू परिसंपत्तियाँ	वर्तमान देनदारियाँ	2.4	43399 18078	2.16	11.11%
ऋण-इक्विटी अनुपात	दीर्घकालिक ऋणअल्पकालिक ऋण	शेयरधारक इक्विटी	17.79	19519 1097	18.29	-2.72%
इक्विटी अनुपात पर रिटर्न (%)	ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन के बाद आय	शेयरधारक की औसत इक्विटी	3.04%	3332 1097	3.18%	-4.45%
इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात	शुद्ध बिक्री	औसत इन्वेंट्री	3.54	49008 13826	2.67	32.94%
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	शुद्ध बिक्री	औसत व्यापार प्राप्य	43.1	49008 1137	49.26	-12.52%
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	शुद्ध खरीद	औसत व्यापार देय	8.32	22779.01 2736	6.79	22.59%
शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	कारोबार	औसत कार्यशील पूंजी	2.07	49008 23636	2.23	-7.06%
शुद्ध लाभ अनुपात (%)	शुद्ध लाभ	शुद्ध बिक्री	9.06%	4441 49008	9.66%	-6.19%
नियोजित पूंजी पर रिटर्न (%)	ब्याज और कर से पहले की आय	नियोजित पूंजी	16.64%	4441 26686.11	19.25%	-13.57%
निवेश पर रिटर्न (%)	ब्याज और कर से पहले की आय	कुल संपत्ति	9.61%	4441 46205	10.36%	-7.20%

बिक्री में वृद्धि के कारण इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात में वृद्धि हुई

अनुलग्नक 'क'

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड (अनिडको)
(सरकारी उपक्रम)

कंपनी अधिनियम, 2013 की खण्ड 129 के उप खण्ड (3) में दर्शाए गए प्रावधान (कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 में सहायक कंपनियों के संबंध में दिए गए निर्धारित फार्म ए ओ सी-1) का अनुसरण करते हुए विवरण

भाग "क": सहयोगी कंपनियां

1. क्रम सं. : 1
2. सहायक कंपनी का नाम : अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड
3. सहायक कंपनी के प्रतिवेदन अवधि यदि नियंत्रक कंपनी के प्रतिवेदन तिथि से अलग होने पर : प्रतिवेदन अवधि समान है ।
4. वित्तीय वर्ष के अंतिम तिथि में उपर्युक्त नहीं समीक्षाधीन मुद्रा तथा विनिमय दर (यदि विदेशी सहायक होने पर)

शेयर पूंजी : अनुलग्नक 'क'

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड (अनिडको)
(सरकारी उपक्रम)

कंपनी अधिनियम, 2013 की खण्ड 129 के उप खण्ड (3) में दर्शाए गए प्रावधान (कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 में सहायक कंपनियों के संबंध में दिए गए निर्धारित फार्म ए ओ सी-1) का अनुसरण करते हुए विवरण

भाग "क": सहयोगी कंपनियां

5. शेयर पूंजी : ₹ 1,00,00,000
6. आरक्षित एवं अधिषेध : (₹64,52,56,129.62)
7. कुल परिसम्पत्तियां : ₹ 23,38,355.82
8. कुल देयता : ₹ 63,75,94,485.44
9. निवेश : ₹ शून्य
10. कुल बिक्री : ₹ शून्य
11. कर से पहले लाभ : (₹ 8,47,20,901.00)
12. कर के लिए प्रावधान : ₹ शून्य
13. कर के बाद लाभ : (₹ 8,47,20,901.00)
14. प्रस्तावित लाभांश : ₹ शून्य
15. शेयरधारकों का प्रतिषत : 100%

(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

(कंपनी सचिव)

(निदेशक)

(प्रबंध निदेशक)

अनुलग्नक	ख	कुल	त	कार्यालय	प्रबंध निदेशक
		47.67	49,008.23		
		1,169.73	1,376.47		
		1,217.40	50,384.70		
		0.68	40,632.44		
		1,216.72	9,752.26		
		290.95	1,284.01		
		124.22	1,281.81		
		1,293.49	2,568.78		
		37.06	168.38		
		1,746.40	45,935.43		
		-	4,978.03		
		-	5,478.03		
		-	1,746.40		
		-	3,231.90		
		-	3,937.15		
			1,217.40		
			8.29		
			4,440.99		

सनदी लेखाकार लेखा परीक्षक का निष्पक्ष रिपोर्ट

सेवा में,
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
समन्वित विकास निगम लिमिटेड, श्री विजय पुरम के सदस्यगण

1. योग्य राय

हमने दिनांक 31 मार्च 2024 तक के अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड का लेखा परीक्षा किया है जिसमें समेकित तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ तथा हानि तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण, जो इसके साथ संलग्न है, का लेखा परीक्षा कर लिया है, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है।

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार, हमें दी गई व्याख्या के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय के आधार में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, उक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 में आपेक्षित सूचना के अनुरूप है अधिनियम की धारा 133 में लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार है। भारत में आम तौर पर स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार, 31 मार्च, 2024 तक होल्डिंग कंपनी की स्थिति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए व्यापक आय, इक्विटी में समेकित परिवर्तन और उसके नकदी प्रवाह सहित उसके समेकित लाभ।

योग्य राय का आधार

1. कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य उसके परिचालन के आकार और प्रकृति के अनुरूप नहीं है। विशेष रूप से, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया में वैधानिक नियमों और विनियमों के अनुपालन, इन्वेंट्री प्रबंधन, राजस्व मान्यता सहित प्रमुख परिचालन और वित्तीय क्षेत्रों की पर्याप्त कवरेज का अभाव है। इसके परिणाम स्वरूप वित्तीय विवरणों में संभावित भौतिक गलत बयानी हो सकती है, जिसका समय पर पता नहीं लगाया जा सकता या उसे रोका नहीं जा सकता।
2. कंपनी ने शेयरों का मूल्यांकन किए बिना वेबकॉन कंसल्टिंग (इंडिया) लिमिटेड में निवेश पर ₹ 6,00,000 रुपये की हानि के लिए प्रावधान किया है। परिणामस्वरूप, हम निवेश पर हानि के प्रावधान की उपयुक्तता के बारे में पर्याप्त उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ थे। परिणामस्वरूप, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ थे कि निवेश पर हानि के प्रावधान, निवेश की वहन राशि और 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर संगत प्रभाव के लिए कोई समायोजन आवश्यक हो सकता है या नहीं।
3. कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम, 2017 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है। विशेष रूप से, कंपनी ने:
(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194I के प्रावधानों के अनुसार आई ओ सी को भुगतान की गई लाइसेंस फीस पर ₹56.05 लाख रुपये का टीडीएस नहीं काटा है।
(ख) आई पी एंड टी और अन्य सरकारी विभागों से लीज पर ली गई परिसंपत्तियों के संबंध में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी का भुगतान नहीं किया है।

इन मामलों के परिणामस्वरूप, हम कर देनदारियों और खर्चों की पूर्णता और सटीकता के बारे में पर्याप्त उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ थे। नतीजतन, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ थे कि क्या कर देनदारियों, दंड और ब्याज के संबंध में कोई समायोजन आवश्यक हो सकता है और 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर संबंधित प्रभाव।

4. कंपनी द्वारा विभिन्न इकाइयों/स्थानों पर अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया तथा उस इकाई/स्थान में पाई गई संपत्तियों के अनुसार रिकॉर्ड किया गया। हालांकि, इसका मिलान

संपत्ति रजिस्टर से नहीं किया गया। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में पाए गए अंतर/विचलन को संपत्ति रजिस्टर में समायोजित नहीं किया गया तथा खातों में इसका कोई प्रभाव नहीं दिया गया।

5. 'महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और वित्तीय विवरणों के नोट्स' के नोट-4 पर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें पाया गया कि कंपनी की खाता पुस्तकों में बहुत सी संपत्तियां अलग-अलग संपत्ति शीर्षकों के अंतर्गत उनके अवशिष्ट/बचाव मूल्य पर दिखाई गई हैं। इसके अलावा, उन संपत्तियों का शेष उपयोगी जीवन शून्य है तथा कंपनी द्वारा कोई मूल्यह्रास नहीं लगाया जाता है क्योंकि वे पिछले कई वर्षों से उनके अवशिष्ट मूल्य में दिखाई गई हैं। हालांकि, भारतीय लेखा मानक-16 के अनुसार, मूल्यह्रास केवल तभी जब्त किया जा सकता है जब संपत्ति को विमुद्रीकृत/बिक्री किया गया हो या बिक्री के लिए रखा गया हो। इसके अलावा, आई एंड डी ए एस-16 के अनुसार, कंपनी को इन परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए और पुनर्मूल्यांकित राशि पर मूल्यह्रास लगाना चाहिए। परिणामस्वरूप, अचल संपत्तियों को ₹ 63,84,250/- रुपये से अधिक बताया गया है और संचित मूल्यह्रास उसी राशि से कम करके दिखाया गया है।
6. जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 29 में वर्णित है, प्रगति में पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में ₹59.66 लाख रुपये की राशि की परियोजनाएं शामिल हैं जो बिना पूरा होने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति के लंबे समय से चल रही हैं। प्रबंधन ने इन परियोजनाओं के मूल्यांकन और संभावित हानि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त उचित सबूत नहीं दिए हैं। परिणामस्वरूप, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ थे कि इन राशियों में कोई समायोजन आवश्यक था या नहीं।
7. इन्वेंटरी के मूल्यांकन के लिए 'महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और वित्तीय विवरणों के नोट्स' के नोट 10 पर ध्यान आकर्षित किया जाता है 05.09.2019 के आदेश संख्या 186 ने 2 लीटर से कम अल्कोहल सहित पीईटी बोतलों-पानी और पेय पदार्थों के निर्माण, भंडारण, उपयोग, आयात, परिवहन, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके परिणामस्वरूप कंपनी की इन्वेंट्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिक्री योग्य नहीं रह गया है और इसका शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य शून्य हो गया है। 31.03.2024 तक स्टॉक का मूल्य 46.26 लाख रुपये है। कंपनी ने वित्तीय विवरणों में किसी भी इन्वेंट्री राइट-डाउन को मान्यता नहीं दी है। नतीजतन, क्लोजिंग स्टॉक को 46.26 लाख रुपये और शुद्ध लाभ को उसी राशि से अधिक बताया गया है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों के अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी योग्य लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

2. मुख्य लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से कोई राय नहीं देते हैं।

3. अन्य मामलें

हमने कंपनी के सहायक कंपनी, अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा नहीं किया गया। हमने समेकित वित्तीय विवरण में दिनांक 31.03.2024 तक अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड की कुल परिसम्पत्ति ₹ 23,38,355.82 आंका है तथा कंपनी का कुल हानि ₹8,47,20,901 दर्शाया है। समेकित वित्तीय विवरण पर तथा अन्य विधि एवं विनियामक हमारे द्वारा इस संबंध में दिए गए विचार में कोई अपोहन नहीं किया गया।

दिनांक 31.03.2024 के समाप्त कंपनी के वित्तीय विवरण का लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षक द्वारा किया गया जिन्होंने दिनांक 29.05.2024 को जारी किए गए रिपोर्ट में अपनी ओर से अनुरूप विचार व्यक्त की है।

4. समेकित वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन का दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 (5) में निहित लेखा मानदंड के प्रावधान तथा आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी का प्रबंधन वित्तीय वक्तव्यों के तैयारी के लिए जिम्मेदार है। कंपनी अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्टनुसार भारत में लेखा सिद्धांतों के स्वीकृत लेखापरीक्षा पर जारी मानदंड कंपनी की समेकित वित्तीय विवरणों की स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, कंपनी के नकदी प्रवाह पर विचार व्यक्त करना हमारे उत्तरदायित्व में शामिल है। इन दायित्वों में यह अपेक्षित है कि हम उचित आष्वासन को प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाते हैं और उसका क्रियावयन करते हैं जिसमें अधिनियम में दर्शाए गए प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड की रख-रखाव, कंपनी के परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी से संरक्षण तथा अथवा अन्य विषमताओं को पता करना, उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन तथा प्रयोग, उचित निर्णय तथा आकलन जो निष्पक्ष एवं गलत बयान एवं धोखाधड़ी से मुक्त हो तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रख-रखाव एवं कार्यान्वयन करते हैं जिससे कि वित्तीय विवरण में गलत विवरण शामिल न हो तथा लेखा परीक्षा में इस्तेमाल किए गए लेखांकन नीतियों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा उपयुक्त लेखांकन नीतियों की युक्तिपूर्णता के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति एवं वित्तीय विवरणों में ऋटि अथवा धोखा के जरिए हुए विसंगति का मूल्यांकन भी शामिल है।

5. समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अपना विचार व्यक्त करना है। हमने यह लेखा परीक्षा भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षा पर जारी मानदंड के अनुसार की है। हमने अधिनियम में निर्दिष्ट लेखा मानदंड के अनुसार लेखा परीक्षा की है तथा लेखा मानदंड नियमों में यह अपेक्षित है कि हम उचित तर्कसंगत आशवासन को प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाते हैं और उसका क्रियावयन करते हैं जिससे कि वित्तीय विवरण में ऋटि न हो।

- लेखा परीक्षा के कार्यप्रणाली में वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए राशि एवं प्रकटन से संबंधित साक्ष्य शामिल है। चयन किए गए कार्यप्रणाली लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर रहता है। जिसमें वित्तीय विवरणों में ऋटि अथवा धोखा के जरिए हुए विसंगति का मूल्यांकन भी शामिल है।
- इन जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए, लेखा परीक्षक कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए उचित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं, जिससे कि लेखा परीक्षा की प्रक्रिया इन परिस्थितियों में उपयुक्त हो लेकिन कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करना नहीं है। लेखा परीक्षा में इस्तेमाल किए गए लेखांकन नीतियों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन तथा कंपनी के निदेशकों द्वारा उपयुक्त लेखांकन नीतियों की युक्तिपूर्णता के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति भी शामिल है जिसे अनुलग्नक 'ग' में दर्शाया गया है।
- लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, लेखा अनुमान तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन किया गया।

- वित्तीय विवरणों की तैयारी प्रबंधन द्वारा लेखा परीक्षक को दिए गए साक्ष्यों के आधार किया गया। प्राप्त लेखा प्रमाण के आधार पर इससे संबंधित अनिष्टिताओं तथा इनकी उपयुक्तता का निर्धारण की जाती है। यदि लेखा में किसी प्रकार अनिष्टिता प्रकाश में आने पर इनका खुलासा वित्तीय विवरण किया जाता है।
- लेखा परीक्षा में इस्तेमाल किए गए लेखांकन नीतियों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा उपयुक्त लेखांकन नीतियों की युक्तिपूर्णता के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति शामिल है।
- अन्य मामलों के साथ-साथ, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संवाद करना, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमी शामिल है जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।
- शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह कथन प्रदान करना कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करना जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की उचित रूप से ऐसी संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद की जा सकती है।

6. अन्य मामले

1. जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 9 में वर्णित है, कंपनी ने 31.03.2024 तक संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में हटबे और डिगलीपुर में आरओएल आउटलेट के सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण की लागत ₹130.79 लाख की पूंजीकरण की है। यह पूंजीकरण पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना किया गया था, जो यह प्रमाणित करने के लिए आवश्यक था कि परिसंपत्ति भारतीय लेखा मानक (इंड एस) 16 – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थिति में थी। पूर्णता प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति में, हम यह सत्यापित करने में असमर्थ थे कि परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार थी या नहीं। नतीजतन, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ थे कि परिसंपत्ति की वहन राशि, मूल्यह्रास व्यय और संबंधित प्रकटीकरण में कोई समायोजन आवश्यक था या नहीं।
2. जमा, अग्रिम, व्यापार प्राप्त और व्यापार देय के संबंध में शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने की मौजूदा प्रणाली पर्याप्त नहीं है। अधिकांश मामलों में, ऐसी पुष्टि उपलब्ध नहीं है। हमें एस ए-505 मानकों पर लेखापरीक्षा के अनुसार बाह्य पुष्टि प्राप्त नहीं कर सके और यदि कोई समायोजन या प्रकटीकरण होता है, तो उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
3. ₹ 405.15 लाख रुपये के व्यापार प्राप्तियों के बारे में नोट संख्या 15 का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जो चालान तिथि से 1 वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं। कंपनी ने ऐसे व्यापार प्राप्तियों से कोई पुष्टि प्राप्त नहीं की है। उपरोक्त के मद्देनजर हम ऋणों की वसूली और इन शेष राशियों की वहन राशि में अप्राप्ति के लिए किए जाने वाले किसी भी प्रावधान और वित्तीय विवरणों पर परिणामी प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
4. हम वित्तीय विवरणों के नोट 17(बी) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कर्मचारियों द्वारा आईएमएफएल शॉप में आईएमएफएल स्टॉक की कमी और इस मुद्दे को हल करने के

लिए कंपनी द्वारा चल रही जांच का वर्णन है। इन स्टॉक की कमी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमजोरियों द्वारा सुगम बनाया गया था। इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

5. जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 13(ए) में वर्णित है, क्रेडिट और वित्त विभाग लेखांकन प्रणाली में उधारकर्ता-वार आधार पर आय मान्यता और परिसंपत्ति वर्गीकरण को बनाए नहीं रखता है। इसके बजाय, बनाए गए रजिस्टर के आधार पर वर्ष के अंत में समेकित जर्नल प्रविष्टियां दर्ज की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, आरबीआई मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधानों का पता लगाने के लिए सुरक्षा के अस्तित्व और मूल्य की समय-समय पर समीक्षा करने की मानक प्रथा का पालन नहीं किया जाता है। प्रबंधन ने आरबीआई मानदंडों के अनुसार आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और आवश्यक सुरक्षा मूल्यांकन के प्रावधानों की सटीकता और पूर्णता का समर्थन करने के लिए पर्याप्त उचित सबूत नहीं दिए हैं। परिणामस्वरूप, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ थे कि इन राशियों में कोई समायोजन आवश्यक था या नहीं।
6. कंपनी ने रुपये का प्रावधान किया है। चालू वर्ष में अवकाश नकदीकरण के लिए ₹ 357.75 लाख रुपये, जिसका उद्देश्य पिछले वर्षों में अर्ध-वेतन अवकाश के लिए किए गए कम प्रावधानों की भरपाई करना है।
7. जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 4(बी) में वर्णित है, ₹ 150.39 लाख रुपये की अनुदान सहायता शेष राशि को चालू वर्ष और कई पिछले वर्षों के लिए बैलेंस शीट में समायोजित नहीं किया गया है। प्रबंधन ने इस शेष राशि के मूल्यांकन और अस्तित्व का समर्थन करने के लिए पर्याप्त उचित सबूत नहीं दिए हैं। नतीजतन, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ थे कि इन राशियों में कोई समायोजन आवश्यक था या नहीं।
8. अपनी सहायक कंपनी मेसर्स अंडमान फिशरीज लिमिटेड में निवेश तथा अपनी सहायक कंपनी को दिए गए ऋण और अग्रिमों के संबंध में कंपनी के प्रबंधन का मानना है कि ऐसे निवेशों के नुकसान के लिए 100% प्रावधान किया गया है। हालांकि, सहायक कंपनी में उन निवेशों के उचित मूल्यांकन के अभाव में, हम इस संबंध में कंपनी द्वारा किए गए कुल प्रावधान पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
9. मेसर्स अंडमान फिशरीज लिमिटेड के वित्तीय विवरण से संकेत मिलता है कि कंपनी ने घाटे को संचित किया है और निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है। ये स्थितियाँ, अन्य मामलों के साथ, एक भौतिक अनिश्चितता के अस्तित्व को इंगित करती हैं जो कंपनी की चालू चिंता के रूप में जारी रहने की क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती हैं। हालांकि, कंपनी के वित्तीय विवरण चालू चिंता के आधार पर तैयार किए गए हैं जो इसकी होल्डिंग कंपनी के निरंतर समर्थन पर निर्भर है।
10. हम वित्तीय विवरणों के नोट 17 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो भारत सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए परामर्श सेवाओं पर कंपनी के व्यय का वर्णन करता है। हमारी ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक संबंधित सरकारी विभागों के साथ अंतिम समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

7. अन्य विधि एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) के तहत आपेक्षित, हम रिपोर्ट करते ह:

- (i) हमने वह सारी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगा और प्राप्त किया है जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

- (ii) हमारी राय में, कंपनी ने वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए कानून द्वारा अपेक्षित लेखा के उचित पुस्तकों का प्रयोग किया है, जहाँ तक उन पुस्तकों को देखने से प्रतीत होता है ।
- (iii) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र, लाभ तथा हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण व्याप्त पुस्तकों के करार में हैं ।
- (iv) हमारे राय के अनुसार वित्तीय विवरणों में, अधिनियम के खण्ड 133 में निर्दिष्ट (कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (संशोधित)) किए गए लेखांकन मानदण्डों का अनुपालन किया गया है ।
- (v) उपर्युक्त दर्शाए गए योग्य राय के पैराग्राफ में वर्णित मामलों के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है ।
- (vi) भारत सरकार के निगमित मामलों से संबंधित मंत्रालय द्वारा दिनांक 5.06.2015 जारी अधिसूचना जीएसआर 463(ई) के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 के खण्ड 164 की उप धारा (2) में दर्शाए गए प्रावधान कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारणवश उपर्युक्त नहीं है ।
- (vii) कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्ता एवं प्रभावपूर्णता के संबंध में कंपनी द्वारा अनुलग्नक "ग" में अलग से दर्शाया गया है ।
- (viii) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की अनुसूची V के साथ धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।
- (ix) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
- क) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है – वित्तीय विवरणों के नोट 29(i)(क),(ख) और (ग) का संदर्भ लें ।
- ख) कंपनी ने लागू कानून या लेखांकन मानकों के तहत आवश्यक रूप से दीर्घकालिक अनुबंधों पर, यदि कोई हो, तो भौतिक पूर्वानुमानित घाटे के लिए प्रावधान किया है।
- ग) कंपनी के पास ऐसी कोई राशि नहीं है जिसे अधिनियम के प्रावधान के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक हो ।
- घ) प्रबंधन ने खुलासा किया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों पर नोटों के अलावा, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं को या उनमें कोई भी निधि अग्रिम या ऋण या निवेश (चाहे उधार ली गई निधियों या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधियों के प्रकार से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ:
- किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगा ("अंतिम लाभार्थी") कंपनी द्वारा या उसकी ओर से या
 - अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करेगा ।
 - लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह

विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत किए गए अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (ए) और (बी) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत बयान शामिल है।

(v). समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 31 में कहा गया है:

क) पिछले वर्ष के लिए घोषित लाभांश के संबंध में वर्ष के दौरान होल्डिंग कंपनी द्वारा भुगतान किया गया अंतिम लाभांश कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार है, जहाँ तक यह लाभांश के भुगतान पर लागू होता है।

ख) होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। घोषित लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जहाँ तक यह लाभांश की घोषणा पर लागू होता है।

(vi) हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच शामिल थी, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड करने की सुविधा है (लॉग संपादित करने की सुविधा और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए यह पूरे वर्ष संचालित होता है। इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला। कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, इसलिए रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

2. कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के अनुच्छेद 3(XXi) और 4 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी "आदेश"/"सीएआरओ", जिसे ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किया जाना है, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी और कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल इसकी सहायक कंपनियों के लिए हमारे द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्टों के आधार पर, जिन पर सीएआरओ के तहत रिपोर्टिंग लागू होती है, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस सीएआरओ रिपोर्ट में कोई अन्य योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

बाबू और बादात
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट
एफ आर एन: 321009E

स्थान: श्री विजय पुरम
दिनांक: 23/09/2024

(सी ए इमरान हाशिम बादात)
पार्टनर
सदस्यता सं. 065814
यूडीआईएन सं. 24065814BKBTLTX7786

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड, के दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत भारत के समेकित नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षण की टिप्पणी |

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2024, को समाप्त वर्ष के लिए अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी करना कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कंपनी प्रबंधन का दायित्व है | कंपनी अधिनियम की धारा 129(4) के साथ धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है | इस बात का उल्लेख उनके दिनांक 23 सितंबर 2024 के लेखा परीक्षा रिपोर्ट में की गई है |

मैं भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षा की ओर से अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ धारा 143 (6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम के समेकित वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षा किया है | अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षण किया, लेकिन उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अंडमान फिशरीज लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षण नहीं किया | यह अनुपूरक लेखा परीक्षण स्वतंत्र रूप से किया गया है, जिसमें वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों के कार्य-पत्रों तक पहुंच नहीं है और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच नहीं की गई है | मेरे लेखा परीक्षा के आधार पर, मेरे जानकारी के अनुसार अनुपूरक लेखा परीक्षक के रिपोर्ट में ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा प्रकाश में नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत किसी भी प्रकार की टिप्पणी की आवश्यकता है |

मेरे अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मेरे ज्ञान में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है, जो अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर किसी भी टिप्पणी या अनुपूरक को उत्पन्न हो |

भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक
की ओर से

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 16/12/2024

(उदय शंकर प्रसाद)
महानिदेशक, लेखा परीक्षा
सेन्ट्रल: कोलकाता

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
समन्वित विकास निगम लिमिटेड

(एक सरकारी उपक्रम)
31 मार्च 2024 का समेकित तुलन पत्र

(₹ लाख में)

	नोट संख्या	दिनांक 31.03.2024	दिनांक 31.03.2023
इक्विटी तथा देय			
शेयरधारकों की निधि			
शेयर पूंजी	2	1,097.01	1,097.01
आरक्षित एवं अधिशेष	3	25,745.64	22,416.10
गैर-मौजुदा देय			
अन्य दीर्घ अवधि प्रावधान	4	179.03	177.70
दीर्घ अवधि प्रावधान	5	1261.34	972.34
चालू देय			
व्यापार देय	6		
सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम		236.23	
अन्य		2193.46	3,098.23
अन्य चालू देय	7	1,817.76	2,055.95
अल्पावधि प्रावधान	8	13,867.15	13,796.50
कुल		46,397.62	43,613.83
परिसम्पत्तियाँ			
गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ			
स्थायी परिसम्पत्ति			
— संपत्ति संयंत्र उपकरण	9	2,354.54	2,143.00
— अवास्तविक		3.66	3.48
पूंजीगत कार्य प्रगति पर		74.35	76.45
गैर-चालू निवेश	10	-	6.00
दीर्घकालिन ऋण एवं अग्रिम	11	26.19	50.32
अस्थगित कर सम्पत्ति (शुद्ध)	12	349.50	265.36
अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ			
ऋण एवं वित्त प्रभाग से आवधिक ऋण	13	14.62	25.24
गुडविल (समेकित आधार पर)		169.45	169.45
चालू परिसम्पत्ति			
सम्पत्ति सूची	14	5,202.02	8,623.65
व्यापार प्राप्त्य	15	1,315.40	959.01
नकद तथा बैंक शेष	16	20,313.81	16,695.68
अल्पकालिन ऋण एवं अग्रिम	17	16,463.17	14,590.15
अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	18	110.91	6.04
कुल		46,397.62	43,613.83
<i>महत्वपूर्ण लेखांकन नीति एवं टिप्पणियाँ</i>	1 से 30		

ऊपर उल्लेख किया गया नोट वित्तीय विवरण का पूरा भाग है।

कृते मेसर्स बाबू और बादात
(चार्टर्ड अकाउंटेंट)
एफ आर एन 321009E
(सी ए इमरान हाशिम बादात)
पार्टनर

सदस्यता सं.: 065814
स्थान: श्री विजय पुरम
दिनांक: 23/09/2024
यूडीआईएन सं. 24065814BKBLTX7786

Sd/-
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

Sd/-
(निदेशक)
DIN : 03463195

Sd/-
(कंपनी सचिव)

Sd/-
(प्रबंध निदेशक)
DIN : 09779872

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
समन्वित विकास निगम लिमिटेड

(एक सरकारी उपक्रम)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि वित्तीय विवरण पर नोट

(₹ लाख में)

	नोट संख्या	दिनांक 31.03.2024	दिनांक 31.03.2023
आय			
परिचालन से राजस्व	19	49,008.23	46,553.99
अन्य राजस्व	20	1,376.58	1,035.99
कुल राजस्व		50,384.81	47,589.98
व्यय			
उपभोक्त सामग्रियों की खपत	21	1,230.21	996.51
व्यापार के लिए स्टॉक की खरीद	22	36,220.83	37,115.96
तैयार माल की सूची परिवर्तन, कार्य प्रगति, व्यापार स्टॉक	23	3,202.66	227.74
कर्मचारियों के लाभ के लिए व्यय	24	2,568.78	2,279.46
मूल्यहास तथा ऋणमुक्ति पर व्यय	9	169.98	156.24
संचालन एवं अन्य व्यय	25	2,553.41	2,319.34
कुल व्यय		45,945.87	43,095.25
विशेष तथा असाधारण सामग्रियों से पहल लाभ तथा कर		4,438.94	4494.72
असाधारण सामग्रियां – वापस लेने का प्रावधान		1.49	154.38
विशेष तथा असाधारण सामग्रियों से पहल लाभ तथा कर		4,440.43	4649.10
घटाएँ: चालू कर का प्रावधान		1,195.03	1117.95
घटाएँ: किए गए आस्थगित कर का प्रावधान		-	46.50
जोड़े: स्थगित कर निपटाए जाने का प्रावधान		84.14	-
विनियोजन के लिए उपलब्ध प्रावधान		3,329.54	3,484.65
प्रति शेयर का लाभ: मूल तथा मिश्रित	26	303.51	317.65

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति एवं टिप्पणियाँ¹ से 30

ऊपर उल्लेख किया गया नोट वित्तीय विवरण का पूरा भाग है।

कृते मेसर्स बाबू और बादात
(चार्टर्ड अकाउंटेंट)
एफ आर एन 321009E
(सी ए इमरान हाशिम बादात)
पार्टनर

सदस्यता सं.. 065814
स्थान: श्री विजय पुरम
दिनांक: 23 / 09 / 2024
यूडीआईएन सं. 24065814BKBLTX7786

Sd/-
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

Sd/-
(निदेशक)
DIN : 03463195

Sd/-
(कंपनी सचिव)

Sd/-
(प्रबंध निदेशक)
DIN : 09779872

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

समन्वित विकास निगम लिमिटेड

(सरकारी उपक्रम)

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	वर्ष क अंत में 31.03.2024	वर्ष क अंत में 31.03.2023
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
कर से पहल शुद्ध लाभ तथा आसाधारण वस्तुएं <i>समायोजन के लिए:</i>	4,438.94	4,494.72
मूल्यहास	169.98	156.24
सावधि जमा पर ब्याज	(1,164.35)	(619.16)
अशोध्य तथा संदहपूर्ण ऋण के लिए प्रावधान	8.29	93.93
बट्टे खाते पर डालने का प्रावधान	1.49	154.38
लीज किराये पर आय	(388.06)	(334.81)
प्रचालन लाभ तथा कार्यपूंजी में परिवर्तन	3,066.29	3,945.30
<i>समायोजन के लिए:</i>		
इन्वेंटरी में कमी/(वृद्धि)	3,421.63	212.61
व्यापार प्राप्य में कमी/(वृद्धि)	(364.68)	(121.97)
संभूति ब्याज में कमी/(वृद्धि)	(244.81)	14.86
चालू ऋण एवं अग्रिम कमी/(वृद्धि)	(1,873.02)	(1,101.66)
अन्य चालू देय में वृद्धि/(कमी)	(236.86)	315.98
व्यापार देय में वृद्धि/(कमी)	(668.54)	(593.97)
अन्य चालू परिसंपत्ति में कमी/(वृद्धि)	(139.95)	(16.42)
अल्पावधि प्रावधान में वृद्धि/(कमी)	(1,124.39)	302.61
ऋण एवं वित्त प्रभाग से अल्पावधि ऋण में कमी/(वृद्धि)	10.62	12.84
संचालन क्रियाकलापों से शुद्ध नकदी (क)	2,126.19	2,970.17
निवेश क्रियाकलापों से शुद्ध नकद प्रवाह (ख)		
पट्टे के किराया का आय	388.06	334.81
दीर्घकालीन अवधि प्रावधान में वृद्धि/(कमी)	295.00	(182.32)
दीर्घ-अवधि ऋण तथा अग्रिम में कमी/(वृद्धि)	24.13	89.98
अचल परिसम्पत्ति में जोड़ना (शुद्ध)	(384.07)	(354.89)
पूंजीगत कार्यों की प्रगति में परिवर्तन	2.10	(16.81)
सावधिक जमा पर ब्याज	1,164.35	619.16
लाभ और हानि के समायोजन के पश्चात अचल संपत्ति की बिक्री	2.35	2.68
निवेश क्रियाकलापों से शुद्ध नकद प्रवाह (ख)	1,491.92	492.61
ग. वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
प्रस्तावित लाभांश	-	(1,046.00)
वित्तीय क्रियाकलापों से शुद्ध नकद (ग)	-	(1,046.00)
नकदी तथा नकदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	3,618.13	2,415.74
वर्ष के प्रारंभ में नकदी तथा नकदी समतुल्य	16,695.68	14,279.92
वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी समतुल्य	20,313.81	16,695.68
	3,618.13	2,415.74

31-03-2024 को समाप्त अवधि के लिए नकद प्रवाह विवरण से संबंधित नोट

- उपरोक्त नकद प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत जैसा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी नकद प्रवाह विवरण पर लेखा मानक 3 में निर्धारित किया गया है, के अनुसार तैयार किया गया है।
- कोष्ट के अंदर दर्शाया गया अंक नकद लागत को दर्शाता है।
- नकद तथा नकद तुल्य में शामिल है:

	राशि (₹)	राशि (₹)
नकदी तथा नकदी समतुल्य	1,271.76	2,343.16
अन्य बैंक शेष	18,945.08	14,160.04
गैर अनुसूची बैंकों में शेष	16.44	136.46
हाथ में चेक	80.53	56.02
कुल	<u>20,313.81</u>	<u>16,695.68</u>

- अल्पावधि जमा के अंतर्गत इंडियन बैंक, श्री विजय पुरम शाखा में क्रेडिट गारंटी निधि में ₹ 28.63 लाख शामिल है।
(पिछले वर्ष 27.31 लाख)

कृते मेसर्स बाबू और बादत
(चार्टर्ड अकाउंटेंट)
एफ आर एन 321009E

Sd/-
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

Sd/-
(कंपनी सचिव)

(सी ए इमरान हाशिम बादत)
पार्टनर
सदस्यता सं. 065814
स्थान: श्री विजय पुरम
दिनांक: 23/09/2024
यूडीआईएन सं. 24065814BKBLTX7786

Sd/-
(निदेशक)
DIN : 03463195

Sd/-
(प्रबंध निदेशक)
DIN : 09779872

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स।

नोट 1: सामग्री लेखांकन नीतियों और व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश

क) तैयारी का आधार

निगम मेसर्स अंडमान फिशरीज लिमिटेड के शेयरों को इसके निगमन की तिथि (1992) से धारण कर रहा है और 19 अगस्त 2004 से बहुसंख्यक शेयर धारक बन गया। इसके बाद मेसर्स अंडमान फिशरीज लिमिटेड 26 जून 2007 से 100% सहायक कंपनी बन गई और वित्त वर्ष 2013-14 से समेकित वित्तीय विवरण तैयार किया गया है। कंपनी के पास मेसर्स अंडमान फिशरीज लिमिटेड के 10,00,000 इक्विटी शेयर हैं, जो 10 रुपये प्रति शेयर की दर से पूरी तरह से चुकता हैं, जो चुकता पूंजी का 100% है। ऐसे शेयरों में से एमपीईडीए से प्राप्त 10 रुपये प्रति शेयर के 33,000 इक्विटी शेयरों पर विवाद है और हस्तांतरण लंबित है।

ख) समेकन के सिद्धांत

सीएफएस को नीचे उल्लिखित विभिन्न मान्यताओं के आधार पर तैयार किया गया है:-

- i) सहायक कंपनी (एएफएल) के वित्तीय विवरणों को मूल कंपनी (अनिडको) कंपनी के वित्तीय विवरणों से अलग करने के लिए पुनः प्रस्तुत किया गया है।
- ii) नियंत्रण की लागत की गणना 1 अप्रैल 2013 को सहायक कंपनी में अपने निवेश की मूल कंपनी की लागत के आधार पर की गई है, जबकि वास्तविक तिथि 19 अगस्त 2004 (अर्थात्, बहुसंख्यक शेयर होल्डिंग) है, जिस पर सहायक कंपनी में निवेश किया गया था। अधिग्रहण की तिथि (मान लिया गया है कि 01.04.2013) को सहायक कंपनी की निवल संपत्ति ऋणात्मक थी तथा सहायक कंपनी में निवेश की अग्रणीत राशि मूल कंपनी में इसकी लागत (शून्य) से भिन्न है, इसलिए अग्रणीत राशि को अंतर के रूप में माना गया है तथा ऐसी राशि को वित्तीय वर्ष 2014-15 में सीएफएस में सद्भावना के रूप में माना गया है।
- iii) जहाँ तक संभव हो, समेकित वित्तीय विवरण समान परिस्थितियों में मूल्यहास और अन्य घटनाओं को छोड़कर समान लेनदेन के लिए समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं और कंपनी के अलग-अलग वित्तीय विवरणों के समान तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं।
- iv) ऋण और वित्त प्रभाग से सहायक कंपनी को दिए गए ऋण को राज्य वित्त निगम अधिनियम के तहत "घाटे वाली संपत्ति" माना गया है और उस पर कोई ब्याज नहीं लगाया गया है और मूल कंपनी की पुस्तक में इसके लिए 100% प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मूल कंपनी की पुस्तक में ब्याज के साथ सहायक कंपनी को दिए गए किसी भी ऋण के लिए पूरा प्रावधान किया गया है। ऐसे ऋणों और उन पर ब्याज से संबंधित डेटा को केवल समेकन के उद्देश्य से सामान्य रिजर्व के साथ अलग किया जाता है और समायोजित किया जाता है।
- v) कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण को लेखांकन मानक 21- "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार अंतर-कंपनी लेनदेन को पूरी तरह से समाप्त करने के बाद, परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की समान वस्तुओं के बुक वैल्यू को एक साथ जोड़कर लाइन-बाय-लाइन आधार पर जोड़ा जाता है।
- vi) वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान पहली बार लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

ग). अन्य महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

इन्हें कंपनी के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में दी गई "महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों" के अंतर्गत निर्धारित किया गया है।

समन्वित विकास निगम लिमिटेड

(सरकारी उपक्रम)

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	वर्ष क अंत में 31.03.2024	वर्ष क अंत में 31.03.2023
नोट संख्या: 2		
शेयर पूंजी		
प्राधिकृत		
100 के 50,00,000 इक्विटी शेयर	5,000.00	5,000.00
कुल जारी, सदस्यता तथा भुगतान की गई राशि		
100 का 10,97,006 शेयर (पिछले वर्ष 10,97,006)		
जिसमें से 17,546 शेयर नकद राशि बिना जारी किया गया	1,097.01	1,097.01
कुल	1,097.01	1,097.01

नोट सं. 2(क) इक्विटी शेयरों का समाधान की संख्या तथा वर्ष के शुरुआत एवं

समीक्षाधीन वर्ष के अंत में बकाया

वर्ष के प्रारंभ में शेष

वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर

वर्ष के दौरान वापस लिए गए शेयर

वर्ष के अंत में शेष

1,097.01	1,097.01
-	-
-	-
1,097.01	1,097.01

नोट सं. 2 (ख) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारकों का विवरण

क्र.सं	शेयरधारक का नाम	शेयर का प्रतिशत	शेयर की संख्या
1	भारत के राष्ट्रपति	85	933,348
2	उपराज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	15	163,656

पिछले वर्ष के लिए शेयर धारकों का विवरण समान है।

नोट सं. (ग) प्रशासन के पशुचिकित्सा विभाग से दूध पावडर की राशि ₹17,546 के बदले में बोर्ड ने अपने कार्यसूची संख्या 23.09 के तहत दिनांक 22.01.1993 को द्वीपसमूह के उपराज्यपाल के पक्ष में ₹100 की दर से 17,54,664 इक्विटी शेयर जारी किया गया।

नोट संख्या:3 **आरक्षण तथा अधिशेष**

सामान्य आरक्षण

वर्ष के प्रारंभ में

जोड़े: अधिशेष से स्थानांतरण

वर्ष / अवधि के अंत में

22,416.10	19,977.49
3,329.54	2,438.61
25,745.64	22,416.10

ख) लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष

वर्ष के प्रारंभ में

जोड़े: वर्ष / अवधि के लिए लाभ

घटाए: विनियोग

प्रस्तावित लाभांश (वितरण योग्य लाभ का 30 प्रतिशत की दर

से) नोट 28 (iv) के संदर्भ में।

सामान्य आरक्षण में स्थानांतरण

वर्ष / अवधि के अंत में

0.00	0.02
3,329.54	3,484.65
-	-
3,329.54	3,484.65
0.00	0.02
25,745.64	22,416.10

(₹ लाख में)

विवरण	वर्ष क अंत में 31.03.2024	वर्ष क अंत में 31.03.2023
नोट संख्या – 4 अन्य दीर्घअवधि देय		
क्रेडिट गारंटी कोष		
प्रारंभिक शेष	27.32	
जोड़े: वर्ष के दौरान सृजित आय	-	
वर्ष के दौरान जोड़े	1.32	
कुल निधि	28.64	
घटाए: वर्ष के दौरान उपयोग	-	28.64
अंशमान तथा निकोबार प्रशासन से सहायता अनुदान 4(ख)	150.39	27.32
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्ति	-	
घटाए: वर्ष के दौरान उपयोग	-	
कुल	150.39	150.39
	179.03	177.70

नोट 4 (क): क्रेडिट गारंटी निधि: पिछले वर्षों में कंपनी को उद्योग निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन से कंपनी को औद्योगिक ऋण के खिलाफ संपादिक सुरक्षा के बदले में गारंटी प्रदान करने के लिए दिया गया जिसकी अग्रिम शेष ₹ 27.31 लाख थी । उपर्युक्त निवेश से सृजित आय पर ब्याज को कर की कटौती करने के पश्चात् निधि में जमा किया गया तथा योजना के शर्तों तहत उपयोग किए गए किसी भी राशि को कोष से कटौती की गई। इस तरह कोष के खिलाफ दायित्व की गारंटी दिनांक 31.03.2024 तक ₹ 28.64 लाख है।

नोट 4 (ख): सक्षम प्राधिकारी के कार्योत्तर अनुमोदन के लंबित होने के कारण असमायोजित षेष (₹ 135.63 लाख), वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 190 लाख प्राप्त हुआ जिसमें से दिनांक 31.03.2024 तक ₹175.24 लाख खर्च किए जा चुके हैं ।

वर्ष	विवरण	प्रयोजन	राशि लाख में
1994-95	सूचना, प्रचार एवं पर्यटन विभाग के लेखा अधिकारी से दिनांक 21.03.1995 को जारी आदेश संख्या 467 से प्राप्त राशि	द्वीप समूह में पर्यटन विकास के लिए	₹ 65.63
1995-96	सूचना, प्रचार एवं पर्यटन विभाग के लेखा अधिकारी से दिनांक 29.03.1996 को जारी आदेश संख्या 837 से प्राप्त राशि	द्वीप समूह में पर्यटन विकास के लिए	₹ 70.00
2016-17	आदेश संख्या शून्य दिनांक शून्य द्वारा पशुचिकित्सा निदेशालय से प्राप्त	दूध एकत्रीकरण के विस्तार के लिए	₹14.76
प्रशासन से प्राप्त कुल सहायता अनुदान			₹150.39

नोट संख्या: 5 दीर्घअवधि प्रावधान

छुट्टी भुनाने का प्रावधान	1,154.89	832.04
उपदान का प्रावधान	75.26	83.15
छुट्टी यात्रा रियायत/ए.एफ.एस.पी के लिए प्रावधान	31.18	57.10
मानक परिसम्पत्ति के विरुद्ध प्रावधान	0.01	0.05
कुल	1,261.34	972.34
नोट संख्या 6 व्यापार देय	31.03.2024	31.03.2023
व्यापार देय योग्य		
1)सक्षम, लघु तथा मध्यम उद्यमों से बकाया देय (6क)	236.23	-
2) अन्य व्यापार देय	2,193.46	3,098.23
	2,429.69	3,098.23

नोट संख्या 6 (क): सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत कंपनी द्वारा सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम की पहचान किया गया । कंपनी के पास उपलब्ध सूचना तथा प्राप्त पुष्टिकरण के आधार पर तथा वर्ष के अंत में देय ₹ 236 लाख थी । (पिछले वर्ष –शून्य)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार देय आयु सीमा अनुसूची

(₹लाख में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	236.23				236.23
(ii) अन्य	2,041.60	92.74	25.01	34.10	2,193.46
(iii) विवादित बकाया —एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया — अन्य	-	-	-	-	-
कुल योग	2277.84	92.74	25.01	34.10	2,429.69

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार देय आयु सीमा अनुसूची

(₹लाख में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	-				-
(ii) अन्य	3038.21	25.01	3.25	31.75	3,098.23
(iii) विवादित बकाया —एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया — अन्य	-	-	-	-	-
कुल योग	3038.21	25.01	3.25	31.75	3,098.23

(₹लाख में)

विवरण	दिनांक 31.03.2024	दिनांक 31.03.2023
नोट संख्या 7 अन्य चालू देयता		
<i>अग्रिम के रूप में प्राप्त आय</i>		
<i>अन्य देय</i>		
<i>जमा देय</i>		
अन्य	21.35	121.35
उपभोक्ताओं से अग्रिम		16.74
उपायुक्त को दी जाने वाले मदिरा लाइसेंस शुल्क	20.11	
व्यय के लिए बकाया देय	126.60	
आपूर्तिदाताओं से प्राप्त बकाया राशि/प्रतिभूति जमा	35.51	
अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड के शेयरों पर प्रतिक्रय ब्याज	5.39	
कर देय	83.48	
सुक्ष्म ऋण योजना	0.04	
अन्य	34.76	
मत्स्य निदेशक को जमा देय	7 (क)	305.89
फुटकर ऋणदाताओं से अग्रिम		10.00
		1,463.78
कुल	1,817.76	2,055.95

नोट 7(क): कंपनी ने वर्ष 1989-90 से 1996-97 के दौरान मत्स्य निदेशक से निधि प्राप्त की। जिसमें से ₹ 10 लाख उपयोग नहीं किया गया है। उपयुक्त राशि अब स्टेट बैंक, श्री विजय पुरम के चालू खाते में रखा गया है।

नोट - 8 अल्पावधि प्रावधान

कार्य निष्पादन से संबंधित योजनाओं के लिए	141.58	223.82
सीएसआर व्यय के लिए प्रावधान	-	-
छुट्टी भुनाने के लिए प्रावधान	42.41	34.23
एल टी सी/ ए एफ सी पी का प्रावधान	8 (क)	15.81
		20.09

(₹लाख में)

<u>अन्य</u>			
कर के लिए प्रावधान			
— निर्धारण वर्ष 2008—09	341.61		
— निर्धारण वर्ष 2009—10	359.40		
— निर्धारण वर्ष 2010—11	315.95		
— निर्धारण वर्ष 2011—12	376.38		
— निर्धारण वर्ष 2013—14	563.59		
— निर्धारण वर्ष 2014—15	726.28		
— निर्धारण वर्ष 2015—16	705.60		
— निर्धारण वर्ष 2016—17	1140.51		
— निर्धारण वर्ष 2017—18	1477.61		
— निर्धारण वर्ष 2018—19	921.21		
— निर्धारण वर्ष 2019—20	1584.30		
— निर्धारण वर्ष 2020—21	1210.10		
— निर्धारण वर्ष 2021—22	741.75		
— निर्धारण वर्ष 2022—23	884.06		
— निर्धारण वर्ष 2023—24	1117.95		
— निर्धारण वर्ष 2024—25	1195.03	13,661.33	12,466.30
प्रस्तावित लाभांश (वितरण योग्य लाभ का 30 प्रतिशत	28(iv)	-	1,046.04
सहायक कंपनी के लिए प्रावधान		6.02	6.02
कुल		13,867.15	13,796.50

नोट 8(क): भारतीय चार्टर्ड अकाउन्टेंट संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक संख्या 15 में विनिर्दिष्ट के अनुसार छुट्टी यात्रा रियायत/ वार्षिक निःशुल्क शी पैसेज का बीमाकिक मूल्यांकन किया गया ।

नोट 8(ख): लेखा खाते के आधार पर आयकर पर टी डी एस का प्रावधान : ₹122.62 लाख

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
समन्वित विकास निगम लिमिटेड
(सरकारी उपक्रम)

नोट : 9
(' लाख में)

क्र.स	परिसंपत्तियों का विवरण	ग्रॉस ब्लॉक				मूल्यहास			शुद्ध लाभ		
		दिनांक 01.04.2023 तक मूल लागत	वर्ष के वर्ष के सम्मिलित	वर्ष के वर्ष के समायोजन	दिनांक 31.03.2024 तक	दिनांक 01.04.23 संचित मूल हास	प्रदान किया गया	समायोजित व स्थानांतरित	दिनांक तक 31.03.2024	दिनांक तक 31.03.2024	दिनांक तक 31.03.2023
क.	वास्तविक परिसम्पत्ति	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	भूमि	67.48		-	67.48	-			-	67.48	67.48
2	भवन	2,358.74	146.50		2,505.24	721.03	74.14		795.17	1,710.07	1,637.71
3	कछाल, कर्मोंटा तथा तरसा में पी.ओ.एल टैंक	0.00			0.00	-			-	0.00	0.00
4	संयंत्र और मशीनरी	677.39	25.91	1.49	701.81	446.50	33.67		480.17	221.64	230.89
5	जहाज और पोत	-			-	-			-	-	-
6	फर्नीचर तथा फिक्चर	235.13	4.69		239.82	187.23	10.34		197.57	42.25	47.90
7	वाहन	833.48	191.42	0.74	1,024.16	740.89	35.14		776.03	248.13	92.60
8	कार्यालय सामग्री	20.13	3.15	0.12	23.16	16.54	0.51		17.05	6.11	3.59
9	विद्युतीकरण संस्थापन तथा उपकरण	134.03	6.55	-	140.58	100.96	5.22		106.18	34.40	33.08
10	कम्प्यूटर	196.61	4.77		201.38	166.86	10.06		176.92	24.46	29.75
11	क्रोकेरी	19.92			19.92	19.92			19.92	-	-
12	लेनिन	21.25			21.25	21.25			21.25	0.00	-
	कुल वास्तविक परिसम्पत्तियाँ	4,564.16	382.99	2.35	4,944.80	2,421.18	169.08	-	2,590.26	2,354.54	2,143.00
ख	अस्पष्ट परिसम्पत्तियाँ										
	सापटवेयर	42.07	1.08	-	43.15	38.59	0.90		39.49	3.66	3.48
					-					-	
ग	पूजीगत कार्य प्रगति पर	76.45	-	2.10	74.35		-			74.35	76.45
	कुल परिसम्पत्ति (क+ख+ग)	4,682.68	384.07	4.45	5,062.30	2,459.77	169.98	-	2,629.75	2,432.55	2,222.93
	पिछले वर्ष	4,315.31	371.67	2.68	4,684.29	2,305.11	156.24	-	2,461.37	2,222.93	1,902.40

नोट 9(i): वर्ष 1991-92 के दौरान कंपनी ने अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के पशुचिकित्सा विभाग से दुग्ध संयंत्र, भवन, संयंत्र, मशीन एवं अन्य परिसम्पत्तियों को साष्ट निशुल्क रूप में प्राप्त किया था। इन परिसम्पत्तियों को लेखा पर दर्शाए गए अवल परिसम्पत्तियों पर शामिल नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त पशुपालन विभाग द्वारा दिनांक 29.10.2012 को जारी आदेश सं. 2135 के तहत वर्ष के दौरान डिग्रीपुर से श्री विजय पुरम के बीच सहायता अनुदान द्वारा दूध श्रृंखला स्थापित किए जाने हेतु परिसम्पत्तियों की खरीद की गई। परिसम्पत्तियों को भारतीय लेखांकन संस्थान द्वारा जारी निर्देश के अनुसार ए.एस. 12 में दर्शाया गया है।

नोट 9(ii): निगम ने कछाल, कर्मोंटा तथा तरसा में ₹ 552.10 लाख की लागत से पेट्रोल पम्प का निर्माण किया है। यह परिसम्पत्तियों की लागत भारतीय तेल निगम से 10 वर्षों तक वसूला जाएगा, जो दिनांक 01.04.2014 प्रारंभ हुआ है। अतः पुरे परिसम्पत्तियों को सामान्य मूल्य ₹.1 में तथा शेष राशि को प्राप्ति योग्य राशि के अंतर्गत " अल्पकालिक ऋण एवं अगमि" शीर्ष पर ₹. 21.88 लाख (संदर्भ नोट सं.17) शीर्षक के तहत प्राय के रूप में दिखाया गया है। उक्त संपत्तियों पर कोई मूल्यहास नहीं लगाया गया है।

नोट 9(iii): पर्यटन परियोजना के विकास के लिए पट्टे पर 60 वर्ष की अवधि तक तीन स्थानों की भूमि की राशि ₹. 9.16 लाख पर लिया गया। पट्टे पर लिए गए इन स्थानों की भूमि का विवरण नोट 17 (क) पर दर्शाया गया है।

नोट 9(iv): कंपनी के अधिकारियों द्वारा कंपनी के परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष में 2 बार किया जाता है।

नोट 9(v): निगम के पास 54.03 हेक्टेयर भूमि है जिसमें से 5.93 हेक्टेयर भूमि का मूल्य शून्य दर्शाया गया है।

नोट 9(vi): अंडमान तथा निकोबार प्रशासन से पट्टे के आधार पर कुछ परिसम्पत्तियों निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्राप्त की गई।

(क) हॉर्नबिल नेस्ट : मासिक पट्टे का किराया ₹. 0.20 लाख सहित कर पश्चात 20 प्रतिशत लाभार्श। पट्टा दिनांक 07.09.2029 तक प्रभावी रहेगा।

(ख) जल क्रीडा उपकरण : कर के बाद लाभ का आबंटन 20 प्रतिशत। यह पट्टा दिनांक 31.05.2031 तक प्रभावी रहेगा। ग) डॉल्फिन रिसॉर्ट: पट्टे का मासिक किराया ₹. 2.25 लाख सहित कर के पश्चात् लाभार्श का 30 का आबंटन 30 प्रतिशत। यह पट्टा दिनांक 12.10.2024 तक प्रभावी रहेगा।

नोट 9 (vii): पूजीगत कार्य प्रगति हेतु मेगापोड के विस्तार के लिए ₹. 74.35 लाख आबंटित की गई जिसका उपयोग बाद में मेगापोड का पट्टे पद देने के लिए नियुक्त लेनदेन सलाहका द्वारा किया गया।

(₹ लाख में)

	दिनांक 31.03.2024	दिनांक 31.03.2023
नोट सं. 10: गैर चालू निवेश		
(1) इस कंपनी के पास अंडमान मत्स्य लिमिटेड (एक सहायक कंपनी) प्रति रु.10 का 9,67,000 शेयर हैं 69.65		
(रु.10 का 33,000 इक्विटी शेयर स्थानांतरण के लिए लंबित हैं)		
घटाए: अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड पर निवेश पर हानि का प्रावधान 69.65	-	-
(2) लक्षद्वीप शिल्पी अक्वाकल्चर लिमिटेड में रु. 10 का 4,00,000 इक्विटी शेयर हैं जिसे पूर्णतः लागत पर सम्मिलित किया गया ।		
400000 इक्विटी शेयर पूर्ण लागत पर भुगतान 40.00		
घटाए: लक्षद्वीप शिल्पी अक्वाकल्चर पर निवेश पर हानि का प्रावधान 40.00	-	-
वेबकॉन कंसल्टिंग (इंडिया) लिमिटेड में रु. 10 की प्रति शेयर सहित प्रति 6.00		
रु.10 की प्रीमियम शेयर के 30000 इक्विटी शेयर		
घटाए: वेबकॉन कंसल्टिंग इंडिया लिमिटेड पर हानि के लिए प्रावधान 6.00		6.00
कुल	-	6.00

नोट 10 (i): इस कंपनी के पास अण्डमान मत्स्य लिमिटेड, श्री विजय पुरम में प्रति ₹ 10 दर का 10,00,000 प्रदत्त इक्विटी शेयर है। जिसमें से ₹ 10, 33,000 इक्विटी शेयर एम.पी.इ.डी.ए से प्राप्त हुआ है जो स्थानांतरण के लिए विवादित एवं विचाराधीन है। एम.पी.इ.डी.ए ने विचाराधीन इक्विटी शेयर योजना के तहत 15 प्रतिशत का दावा किया है जो कंपनी द्वारा विवादित है तथापि कंपनी ने बोर्ड के 13 वीं बैठक में लिए गए निर्णयानुसार आवधिक ऋण की दर से ब्याज का भुगतान करने पर सहमति जताई है जिस पर दिनांक 10.06.2001 तक ब्याज के रूप में कुल राशि ₹ 5.39 लाख है। (सकल राशि ₹ 8.69 लाख) इस पर चालू वर्ष में एक प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त मेसर्स अंडमान मत्स्य लिमिटेड एक हानिप्रद कंपनी है अतः निवेश के लिए पूर्ण राशि रखने का प्रावधान रखा गया है।

नोट 10(ii): कंपनी ने वर्ष 1992 के दौरान लक्षद्वीप शिल्पी अक्वाकल्चर लिमिटेड के इक्विटी शेयर में प्रति ₹ 10 के दर से 4,00,000 पूर्ण भुगतान इक्विटी शेयर खरीद कर ₹ 40,00,000 निवेश किया है। परंतु वर्ष 1992 में कंपनी की स्थापना के पश्चात् अब तक उत्पादन शुरू नहीं कर पाया है तथा यह कंपनी वित्तीय संस्थानों का बहुत कर्जदार है तथा ऐसे निवेश से अब तक कोई आय अर्जित नहीं हुई है। अतः इस प्रकार के निवेश पर शत प्रतिशत राशि रखने का प्रावधान रखा गया है तथा नोट संख्या 5 में दर्शाया गया है।

नोट 10 (iii): कंपनी ने 2012 के दौरान ₹10/- रुपये प्रति शेयर के 30,000 पूर्ण भुगतान वाले इक्विटी शेयरों की सदस्यता लेकर वेबकॉन कंसल्टिंग (इंडिया) लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में 6 लाख रुपये का निवेश किया है। कंपनी के शेयरों पर विस्तृत जानकारी की कमी, किसी भी लाभांश की प्राप्ति न होने, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वित्तीय विवरणों की अनुपस्थिति और इस तथ्य के कारण कि निवेश गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में हैं, जिनका कोई बाजार मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है, प्रबंधन ने निवेश पर संभावित नुकसान के लिए प्रावधान बनाने का निर्णय लिया है।

नोट 11: दीर्घकालिन ऋण एवं अग्रिम

सुरक्षित, विचार किया गया सामग्री

कर्मचारियों को कम्प्यूटर अग्रिम	1.37	3.66
कर्मचारियों को भवन निर्माण के लिए अग्रिम	0.58	0.54
<u>असुरक्षित, विचार किया गया सामग्री</u>		
प्रतिभूति जमा	24.24	24.22
सरकारी एजेंसियों को अन्य अग्रिम		
भारतीय तेल निगम 11 (a)	-	21.90
<u>असुरक्षित, संदेहास्पद विचार किया गया</u>		
कर्मचारियों के अग्रिम 1.31		
घटाए: प्रावधान 1.31	-	-
जमा प्राप्य (असुरक्षित, संदेहास्पद विचार किया गया) 5.88		
घटाए: प्रावधान 5.88	-	-
कुल	26.19	50.32

नोट 11 (क): नोट संख्या 9 (पप) तथा 17(1) देखें।

नोट: 12 आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)

क. आस्थगित कर ऋण	-	-
मूल्यहास तथा ऋण परिशोधन	11.42	11.24
संदेहास्पद ऋण तथा अग्रिम के लिए प्रावधान	527.57	451.66
कुल	538.99	462.90
ख. आस्थगित कर परिसम्पत्तियां		
मूल्यहास तथा ऋण परिशोधन	163.17	146.10
संदेहास्पद ऋण तथा अग्रिम के लिए प्रावधान	26.32	51.44
कुल	189.49	197.54
शुद्ध अस्थगित कर देयता (परिसम्पत्ति)	349.50	265.36

आस्थगित कर की गणना भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लेखा मानक संख्या 22 के अनुसार किया गया है।

(₹ लाख में)

नोट 13: ऋण एवं वित्त प्रभाग द्वारा आवधिक ऋण (सुरक्षित)	दिनांक 31.03.2024	थदनांक 31.03.2023
(क) आवधिक ऋण (विचार किया गया सामग्री)	6.56	
आवधिक ऋण (संदेहास्पद)	12.75	
घटाए: उप मानक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान	4.69	
ख) संबंधित पार्टी को ऋण		
अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड को ऋण (संदेहास्पद)	132.00	
घटाए: प्रावधान किया गया	132.00	
कुल	14.62	25.24

नोट: (क): कंपनी का ऋण तथा वित्त प्रभाग द्वारा अपने सामान्य योजना के तहत उपलब्ध अधिशेष निधि से आवधिक ऋण प्रदान करता है। इसका अग्रणीत सकल प्रारंभिक शेष ₹163.39 लाख है। वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत कुल राशि शून्य है। (पिछले वर्ष ₹ 4.60 थी। तथापि, कंपनी ने ब्याज सहित ₹14.33 लाख की वसुली की। (पिछले वर्ष ₹20.03 लाख)। वर्ष के दौरान मानक परिसम्पत्तियों के लिए ₹0.03406 (पिछले वर्ष 0.03759 लाख) तथा उप मानक परिसम्पत्तियों के लिए ₹ 1.45 लाख राशि प्रावधान में रखा गया था। (पिछले वर्ष ₹ 0.96 लाख)। वर्ष 2022-23 के दौरान प्रभाग को बंद कर दिया गया।

नोट:13 (ख): कंपनी ने पिछले वर्षों में अंडमान मत्स्य लिमिटेड को ₹ 132 लाख आवधिक ऋण की मंजूरी दी थी जिसे लेखा के संबंधित पार्टी को ऋण खाते में दर्शाया गया है। कंपनी वर्ष 2002-03 तक जारी आवधिक ऋण को अशोध्य ऋण के रूप में रिकॉर्ड किया है तथा पूर्ण राशि के लिए प्रावधान भी तैयार की है। तत्पश्चात् रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 02.07.12 को जारी परिपत्र ब्याज की गणना व प्रदान नहीं की गई है। परंतु सहायक कंपनी अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड पर ब्याज दर ₹ 7.25 करोड की गई (पिछले वर्ष 7.19 करोड)।

नोट संख्या 14: सम्पत्ति सूची

कच्चा सामग्री

कच्चे दूध	45.42		
होटल में खाद्य सामग्रियों का स्टॉक	68.51	113.93	323.61
<u>अंतिम सामग्री</u>			
निर्मित दूध	23.28		
पनीर	0.07		
दही	0.26		
गाय दूध	3.50	27.11	22.35
<u>स्टॉक इन ट्रेड</u>			
पेट्रोलियम उत्पाद	421.45		
जोड़े: पारगमन भण्डार	124.53		
आई.एम.एफ.एल. उत्पाद	3,831.63		
जोड़े: पारगमन भण्डार	633.63		
स्मारिका,मानचित्र तथा बायोमेट्रिक यंत्र	0.03	5,011.27	8,218.69
<u>भण्डार तथा कलपुर्ज - दुग्ध संयंत्र</u>		49.71	59.00
कुल		5,202.02	8,623.65

नोट: संपत्ति सूची के मूल्यों का निर्धारण परम्परागत लागत तथा शुद्ध आंकलन मूल्य के तहत किया गया।

नोट: 15 व्यापार प्राप्य (असुरक्षित)

विचारयुक्त सामग्री

(1) भुगतान की तिथि से छ: माह अधिक	833.99		
(2) भुगतान की तिथि से छ: माह के कम	481.41	1,315.40	959.01
संदेहास्पद			
(1) भुगतान की तिथि से छ: माह अधिक	244.27		
(2) भुगतान की तिथि से छ: माह के कम	-		
घटाए: अशोध्य तथा संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान	244.27	-	-
कुल		1,315.40	959.01

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची

(₹ लाख में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
क) अविवादित व्यापार प्राप्य— अच्छा माना जाता है	584.96	361.75	207.80	160.88	244.27	1,559.67
ख) अविवादित व्यापार प्राप्य— संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-
ग) विवादित व्यापार प्राप्य— अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-
घ) विवादित व्यापार प्राप्य— संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-
कुल	584.96	361.75	207.80	160.88	244.27	1,559.67
खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए कम प्रावधान						244.27
व्यापार प्राप्य						1,315.40

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची

(₹ लाख में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
क) अविवादित व्यापार प्राप्य— अच्छा माना जाता है	352.48	307.80	160.88	137.86	241.99	1,201.00
ख) अविवादित व्यापार प्राप्य— संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-
ग) विवादित व्यापार प्राप्य— अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-
घ) विवादित व्यापार प्राप्य— संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-
कुल	352.48	307.80	160.88	137.86	241.99	1,201.00
खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए कम प्रावधान						241.99
व्यापार प्राप्य						959.01

(₹ लाख में)

	दिनांक 31.03.2024	दिनांक 31.03.2023
नोट संख्या: 16 नकद तथा नकद समतुल्य		
<u>अनुसूचित बैंको के खाता शेष</u>		
<u>(क) चालू लेखा</u>		
इंडियन बैंक, पोर्टब्लेयर	85.74	189.06
इंडियन बैंक, चैन्नई	0.57	4.27
भारतीय स्टेट बैंक, पोर्टब्लेयर	444.45	235.62
एच.डी.एफ.सी बैंक, पोर्टब्लेयर	69.38	95.41
केनरा बैंक, सचिवालय	58.04	63.35
केनरा बैंक, शहीद द्वीप पी ओ एल	24.70	77.14
केनरा बैंक, कैम्पबेज बे	36.78	271.29
भारतीय स्टेट बैंक, हटबे	34.49	0.02
भारतीय स्टेट बैंक, रंगत	2.79	12.83
भारतीय स्टेट बैंक, मायाबंदर	4.20	0.11
भारतीय स्टेट बैंक, डिग्लीपुर	137.04	174.97
भारतीय स्टेट बैंक, स्वराज द्वीप	50.03	101.44
भारतीय स्टेट बैंक, आर के पुर, लिटिल अण्डमान	5.10	0.05
भारतीय स्टेट बैंक, कमोटा	19.78	18.19
भारतीय स्टेट बैंक, (आई.एम.एफ.एल/ जंगलीघाट)	1.98	1.28
भारतीय स्टेट बैंक, (आई.एम.एफ.एल/ मोहनपुरा)	2.10	0.99
भारतीय स्टेट बैंक, (हैडो)	3.14	2.64
भारतीय स्टेट बैंक, दिलानीपुर	1.95	2.18
भारतीय स्टेट बैंक, बाराटांग	14.29	27.48
भारतीय स्टेट बैंक, कदमतला	19.75	21.38
भारतीय स्टेट बैंक, (आई.एम.एफ.एल/ सेल्फ सर्विस यूनिट)	4.85	6.93
आई.सी.आई.सी.आई बैंक	34.36	32.82
एक्सेस बैंक	209.62	996.61
भारतीय स्टेट बैंक, पोर्टब्लेयर, अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड	6.63	7.10
	1,271.76	2,343.16
<u>गैर-अनुसूचित बैंको पर खाता शेष</u>		
<u>चालू खाता</u>		
अण्डमान तथा निकोबार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड	16.44	136.46
	16.44	136.46
<u>हाथ में चेक</u>		
<u>हाथ में नकद</u>		
प्रधान कार्यालय में	0.48	0.29
हाथ में डाक टिकट	-	0.01
दुकान में नकद	80.05	55.72
	80.53	56.02
	1,368.73	2,535.64
ख. अन्य बैंको में शेष राशि		
12 माह तक के लिए		
पंजाब नेशनल बैंक	-	700.00
केनरा बैंक	6,900.00	1,500.00
इंडियन बैंक, पोर्टब्लेयर	19.38	85.46
यूनियन बैंक आफ इंडिया	-	816.01
बैंक आफ बरोदा	5,000.00	900.00
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	-	1,700.00
इंडियन ओवर सी बैंक	1,300.00	-
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पोर्टब्लेयर	2,937.65	4,081.26
यूको बैंक	-	800.00

बैंक आफ इंडिया	-	417.77
आई सी आई सी आई बैंक	89.25	1,832.30
एचडीएफसी बैंक	1,505.00	120.25
एक्सेस बैंक	742.00	1,000.00
जोड: उन पर ब्याज अर्जित	451.80	206.99
	18,945.08	14,160.04
कुल नकद तथा नकद समतुल्य	20,313.81	16,695.68

नोट 16 (ख) : इंडियन बैंक, श्री विजय पुरम शाखा में क्रेडिट गारंटी फंड के तहत प्राप्त अल्पावधि जमा रु 28.63 लाख शामिल है (पिछले वर्ष 27.31 लाख)

(₹ लाख में)

		दिनांक 31.03.2024	दिनांक 31.03.2023
नोट 17: अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम			
कर्मचारियों को भवन निर्माण के लिए अग्रिम		0.30	1.67
कर्मचारियों का कम्प्यूटर अग्रिम		2.50	2.65
सिविल कार्य के लिए अग्रिम		136.78	110.78
भारतीय तेल निगम से प्राप्य दावा		37.59	37.18
कर्मचारियों को अन्य अग्रिम		4.38	1.96
नीति आयोग परियोजना		267.08	380.24
भारतीय तेल निगम (केपीटल फैक्ट्रिंग)	17 (i)	21.89	82.98
आइ जी एस टी		1.13	0.84
सी जी एस टी/ यू टी जी एस टी		14.44	46.30
आयकर को अग्रिम भुगतान (टी डी एस सहित)			
—निर्धारण वर्ष 2008–09	341.61		
—निर्धारण वर्ष 2009–10	385.73		
—निर्धारण वर्ष 2010–11	414.26		
—निर्धारण वर्ष 2011–12	470.82		
—निर्धारण वर्ष 2012–13	10.03		
—निर्धारण वर्ष 2013–14	591.39		
—निर्धारण वर्ष 2014–15	777.53		
—निर्धारण वर्ष 2015–16	727.38		
—निर्धारण वर्ष 2016–17	954.72		
—निर्धारण वर्ष 2017–18	1,506.86		
—निर्धारण वर्ष 2018–19	1,114.71		
—निर्धारण वर्ष 2019–20	1,506.58		
—निर्धारण वर्ष 2020–21	1,289.54		
—निर्धारण वर्ष 2021–22	747.89		
—निर्धारण वर्ष 2022–23	984.57		
—निर्धारण वर्ष 2023–24	1,294.50		
—निर्धारण वर्ष 2024–25	1,576.83	14,694.96	13,118.13
लाभांश कर का अग्रिम भुगतान	83.98		
जोड़: वर्ष के दौरान	0.00	83.98	83.98
सरकार एवं अन्य के साथ जमा/अग्रिम	17 (क)	703.61	0.01
आपूर्तिदाता एवं ठेकेदारों को अग्रिम		469.04	723.30
अन्य अग्रिम	17 (ख)	25.49	0.13
<u>असुरक्षित, विचारयुक्त संदेहास्पद</u>			
<u>असुरक्षित, विचारयुक्त अन्यथा दर्शाया गया 1)</u>			
वसूली की जानी वाली नकदी घाटा	10.18		
घटाए: प्रावधान	10.18	0.00	0.00
अन्य अग्रिम	4.34		
घटाए: अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान	4.34	0.00	0.00
सरकार तथा अन्य के साथ जमा/अग्रिम	4.19		
घटाए: प्रावधान	4.19	0.00	0.00

आपूर्तिदाता एवं ठेकेदारों को अग्रिम	5.19		
घटाए: अग्रिम के हानि के लिए प्रावधान	5.19	0.00	0.00
पट्टे पर प्राप्य योग्य किराया	107.99	0.00	0.00
घटाए: पट्टे के किराए के लिए प्रावधान	107.99	0.00	0.00
जमा भविष्य निधि (नोट 17 ग)	43.90		
घटाए: प्रावधान	43.90	0.00	0.00
संबंधित पार्टी का ऋण तथा अग्रिम (नोट 17 ध)			
अंडमान मत्स्य लिमिटेड को आसुरक्षित ऋण	33.00		
जोड़: वर्ष 2002-03 तक ब्याज देय	8.23		
घटाए: प्रावधान	41.23	0.00	0.00
अण्डमान मत्स्यकी लिमिटेड से प्राप्य	15.74		
घटाए: प्रावधान	15.74	0.00	0.00
अंडमान मत्स्य लिमिटेड को ब्याजमुक्त आसुरक्षित ऋण	165.00		
घटाए: वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	0.00		
घटाए: प्रावधान	165.00	0.00	0.00
		16,463.17	14,590.15

नोट 17 (क): निगम ने ग्रेट निकोबार द्वीप के समग्र विकास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप समूह के विकास के लिए परियोजना प्रस्तावक के रूप में नियुक्त किया है। इस भूमिका के एक हिस्से के रूप में, निगम ने संबंधित विभागों के आधे हिस्से पर महत्वपूर्ण व्यय किया। हालांकि इन विभागों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) अभी भी लंबित है। परिणामस्वरूप, वित्तीय विवरणों में व्यय को कम दिखाया गया है। एमओयू को अंतिम रूप दिए जाने के बाद संबंधित विभागों द्वारा व्यय की प्रतिपूर्ति की उम्मीद है। एमओयू की लंबित स्थिति के कारण, इन खर्चों को वित्तीय विवरणों में अग्रिम के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

नोट 17 (ख): वित्तीय वर्ष के दौरान आईएमएफएल शॉप रंगत के खिलाफ 56.88 लाख रुपये की कमी दर्ज की गई, जिसमें से वर्ष के दौरान 28.00 लाख रुपये की वसूली की गई।

नोट 17 (ग): कंपनी द्वारा अपने तीन वाणिज्यिक भूमि को पर्यटन परियोजनाएं चलाए जाने के लिए पट्टे पर दिया गया। हैवलॉक स्थित भूमि को इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड को 60 वर्षों के लिए दिनांक 07 दिसम्बर 2009 से ₹ 2.25 करोड़ प्रति वर्ष किराए के आधार पर पट्टे पर दी गई। लॉग आइलैण्ड तथा नील द्वीप स्थित अन्य दो भूमि मेसर्स लाग आइलैण्ड नेचर होटल एण्ड रिसॉर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड तथा मेसर्स सोमा अण्डमान रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर दिया गया। परंतु शर्तों के चूक करने पर अनुबंध को समाप्त कर दिया गया।

नोट 17 (घ): कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 7 ए के अंतर्गत सहायक निधि कोष आयुक्त, श्री विजय पुरम ने वर्ष 2001-2004 के कार्यकाल से ₹ 21.30 लाख संलग्न की तथा उपर्युक्त आयुक्त ने यह राशि ले ली थी। कंपनी ने माननीय उच्च न्यायालय, विजय पुरम में उपर्युक्त राशि की वसूली के कलए याचिका दायर की थी तथा माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 4.2.2013 का जारी आदेश के तहत कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरण ने राशि की पुन:निर्धारण के लिए निर्देश दी है। सहायक भविष्य निधि आयुक्त, श्री विजय पुरम द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि कोष तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत जारी एक अन्य आदेश के तहत वर्ष 2005-2009 की अवधि तक के लिए रु. 22.60 संलग्न की तथा उपायुक्त ने यह राशि ले ले थी। कंपनी ने इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि अपील न्यायालय, नई दिल्ली में एक याचिका दायर की है।

नोट 17 (ड): कंपनी के शत प्रतिशत सहायक कंपनी मेसर्स अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड के पक्ष में पिछले अवधि के दौरान ब्याजमुक्त असुरक्षित ऋण की मंजूरी दी गई थी, जिसका अग्रानित शेष रु. 165 लाख थी एवं इसके लिए कंपनी ने शत प्रतिशत प्रावधान भी रखा है।

नोट 18: अन्य चालू परिसम्पत्तियां			
आपूर्तिदाताओं को अग्रिम (असुरक्षित, विचारयुक्त सामग्री)		110.91	6.04
<u>असुरक्षित, विचारयुक्त संदेहास्पद</u>			
(i) आयकर प्राधिकार से देय राशि 07-08	1.54		
घटाए: प्रावधान	1.54	0.00	0.00
कुल		110.91	6.04

नोट 19: संचालन से राजस्व नोट

विवरण	सकल बिक्री (₹ लाख में)			
	दिनांक 31.03.2024	%	दिनांक 31.03.2023	%
उत्पाद की बिक्री (क)				
i) निर्मित सामग्री				
दूध	1,134.22		1,094.33	
दही	69.04		104.36	
अन्य दुग्ध उत्पादों	230.03		53.06	
	1,433.29	3	1,251.75	3
ii) व्यापारिक सामग्री				
आई.एम.एफ.एल	28,034.54		26,732.23	
पी.ओ.एल	17,451.89		16,757.11	
लोहा एवं इस्पात	-		-	
	45,486.43	93	43,489.34	93
उप कुल (क)	46,919.72	96	44,741.09	96

सेवा (ख)				
पर्यटन	1,582.04		1,426.96	
अन्य				
एयर टिकट से कमीशन	-		-	
आवधिक ऋण पर ब्याज	2.24		3.51	
पट्टे पर दिए भूमि पर ब्याज	388.06		334.81	
पट्टे के आधार पर जल क्रीड़ा का किराया	-		-	
बर्फ संयंत्र/शीत भण्डार	22.04		17.41	
किराया प्रभार/ कार किराया	56.55		19.45	
अन्य आय	37.58		10.76	
उप कुल (ख)	2,088.51	4	1,812.90	4
सकल कुल घ (क+ख)	49,008.23	100	46,553.99	100

नोट (क) व्यापारिक सामग्रियों और बिक्री/सेवा की खरीद के लिए दिए जाने वाले आवश्यक विवरण प्रत्येक व्यवसाय के प्रकृति एवं अन्य परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। सामान्यतः व्यापारिक सामग्रियों और बिक्री की खरीद के कुल मूल्य 10 प्रतिशत मुख्य शीर्ष के निर्धारण के लिए स्वीकार्य सीमा के रूप में माना जाता है। किसी भी अन्य मदों पर विचार वित्तीय विवरण पर प्रस्तुत निष्पक्ष दृष्टिकोण के आधार पर किया जा सकता है।

नोट (ख) बर्फ संयंत्र / शीत भण्डार की बिक्री में बर्फ ब्लॉक के विक्रय भी सम्मिलित है।

नोट (ग) निगम ने वर्ष 2022-23 से लोहा एवं इस्पात प्रभाग बंद कर दिया है।

(₹ लाख में)

	दिनांक 31.03.2024	दिनांक 31.03.2023
नोट 20: अन्य आय		
<i>i) ब्याज से आय</i>		
सावधिक जमा पर ब्याज	1,164.35	619.16
पूंजी निवेश पर ब्याज	4.56	17.22
कर्मचारियों के ऋण पर ब्याज	0.33	0.61
<i>iii) अन्य :</i>		
प्रशासनिक शुल्क	[Note a]	-
परिसम्पत्तियों के बिक्री पर लाभ	5.06	2.32
छूट की प्राप्ति	-	0.26
कमी/अन्य वसूली		
आई एम एफ एल, लोहा एवं इस्पात तथा पोल	176.41	
नकदी क्षति	0.70	
परिवहन प्रभार	14.69	
कर्मचारियों के खान पान पर खर्च	9.06	200.86
रद्द किया गया प्रभार		1.42
कुल	1,376.58	1,035.99

नोट (क): निगम ने प्रमुख परियोजनाओं पर खर्च की गई वास्तविक लागत पर प्रशासनिक शुल्क के रूप में समान रूप से 20 प्रतिशत शुल्क लिया और निगम द्वारा खर्च की गई अतिरिक्त लागत की वास्तविक प्रतिपूर्ति की गई।

नोट 21: उपभोग किए गए सामग्रियों की लागत		
कच्चे दूध तथा संपूर्ण दूध पाउडर	1,044.07	938.84
खान-पान प्रभाग के लिए प्रावधान	186.14	57.67
कुल	1,230.21	996.51

(₹ लाख में)

	दिनांक 31.03.2024	दिनांक 31.03.2023
नोट 22: स्टॉक की खरीद		
आई एम एफ एल	4,449.56	4,482.95
जोड़: सामग्रियों की पारगमन लागत	633.63	1,225.45
पेट्रोलियम उत्पाद	16,550.76	16,139.26
जोड़े: सामग्रियों की पारगमन लागत	124.53	4.04
परिवहन भाड़ा	1,325.87	1,093.04
लाइसेंस शुल्क	329.02	312.41
आयात अनुमति शुल्क/उत्पाद शुल्क	12,807.46	13,858.81
कुल	36,220.83	37,115.96

नोट 23: निर्मित माल में परिवर्तन/कार्य प्रगति पर तथा विक्रय स्टॉक

सम्पत्ति सूची (समाप्ति पर)			
निर्मित सामग्री	27.11		
स्टाक इन ट्रेड	5,011.27	5,038.38	8,241.04
सम्पत्ति सूची (प्रारंभ में)			
निर्मित सामग्री	22.35		
स्टाक इन ट्रेड	8,218.69	8,241.04	8,468.78
कुल		3,202.66	(227.74)

नोट 24: कर्मचारियों के लाभ पर व्यय

वेतन		1,764.58	1,818.33
भविष्य निधि, पेंशन कोष तथा छुट्टी के वेतन		180.91	155.94
उपदान	24(क)	152.68	72.16
बोनस		104.57	204.40
प्रशिक्षण पर व्यय		0.98	0.07
कर्मचारियों के कल्याण पर		0.68	0.89
कर्मचारियों के आवास पर किराया		3.45	3.00
छुट्टी यात्रा रियायत का प्रावधान	24(ख)	3.18	24.67
छुट्टी भुनाने का प्रावधान	24(ग)	357.75	-
कुल		2,568.78	2,279.46

नोट 24(क): उपदान**बीमाकिक धारणा**

विवरण	2023-24	2022-23
मोर्टालिटी दर	LIC (2006-08) अंतिम	LIC (2006-08) अंतिम
निकासी दर	1% to 3% आयु पर निर्भर	1% to 3% आयु पर निर्भर
छूट की दर	7.25% प्रतिवर्ष	7.25% प्रतिवर्ष
वेतन वृद्धि	6.25%	5.75%

नोट 24(ख): छुट्टी यात्रा रियायत देयता (ए.एस.15 के अनुसार)**छुट्टी यात्रा रियायत देयता**

विवरण	2023-24	2022-23
कर्मचारियों की संख्या	235	238
बीमाकिक धारणा		
छूट की दर	7.00% प्रतिवर्ष	7.20% प्रतिवर्ष
मुद्रास्फीति की दर	6.00% प्रतिवर्ष	6.00% प्रतिवर्ष
मोर्टालिटी	IALM (2006-08) अंतिम	IALM (2006-08) अंतिम
बीमाकिक देयता	₹ 46.99 लाख	₹ 77.19 लाख

कंपनी द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत को बिमाकिक मूल्यांकन तैयार कर इसके आधार पर प्रावधान रखा गया है। वर्ष के प्रारंभ में संचित प्रावधान रु. 77.19 लाख थी। इस प्रावधान के विरुद्ध वर्ष के दौरान रु.33.37 लाख राशि का प्रयोग किया गया तथा रु. 3.17 लाख के लिए प्रावधान तैयार की गई। वर्ष के अंत में मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार अंतशेष रु. 46.99 लाख है।

नोट 24(ग): छुट्टी नकदीकरण
छुट्टी नकदीकरण दायित्व

(रु. लाख में)

विवरण	2023-24	2022-23
कर्मचारियों की संख्या	226	235
कुल मासिक वेतन	₹ 123.48 लाख	₹ 115.81 लाख
कुल नकदी योग्य छुट्टी	48854.5	39704
सामान्य सेवानिवृत्त आयु	60 वर्ष	60 वर्ष
बीमाकिक धारणा		
छूट की दर	7.0% प्रतिवर्ष	6.9% प्रतिवर्ष
वेतन में वृद्धि का दर	10.00% प्रतिवर्ष.	10.00% प्रतिवर्ष.
निकासी दर	2.00% प्रतिवर्ष	2.00% प्रतिवर्ष
मोरटालिटी	IALM 2006-08 अंतिम	IALM 2006-08 अंतिम
अवकाश का बिमाकिक छूट मूल्य	₹ 1197.30 लाख	₹ 866.27 लाख

कंपनी द्वारा बीमाकिक मूल्यांकन किया गया है और ऐसे बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया है। वर्ष की शुरुआत में संचित प्रावधान रु.866.27 लाख थी। उक्त प्रावधान के विरुद्ध वर्ष के दौरान 26.72 लाख की राशि का उपयोग किया गया है (पिछले वर्ष 18.03 लाख)। वर्ष के दौरान प्रावधान 357.75 लाख की है। मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष के अंत में यह आंकड़ा 1197.30 लाख आका गया।

	दिनांक 31.03.2024	दिनांक 31.03.2023
नोट 25: संचालन एवं अन्य व्यय		
नोट 25(क): संचालन, बिक्री तथा वितरण पर खर्च		
भण्डार एवं कलपूर्जों का उपभोग	355.82	303.61
ऊर्जा एवं ईंधन		
विद्युत	141.42	99.32
ईंधन प्रभार	160.37	144.32
किराया		
कार्यालय का किराया	1.07	1.60
किराया	283.91	198.15
मरम्मत एवं रख-रखाव		
— कम्प्यूटर की मरम्मत एवं रखरखाव	16.38	19.86
— वाहनों की मरम्मत एवं रखरखाव	9.68	13.14
— भवन की मरम्मत एवं रखरखाव	55.16	271.67
— फनीचर की मरम्मत एवं रखरखाव	2.94	0.30
— मशीनरी की मरम्मत एवं रखरखाव	57.09	51.67
सरकारी लेखा परीक्षा पर व्यय	1.99	0.75
बीमा	24.21	24.98
दर एवं कर	73.06	59.63
जल प्रभार	21.45	12.84
भण्डार दुलाई पर व्यय	13.07	11.80
कक्ष के किराये पर व्यापारिक छूट	58.29	55.06
स्वच्छता	23.67	24.78
बागवानी पर व्यय	0.24	9.50
घाट पर व्यय	0.05	0.07
पर्यटन उद्योग में किराये के वाहन पर खर्च	39.68	20.60
क्रॉकरी प्रभार	0.13	1.63
वर्दी एवं पोशक	5.06	0.02
ओउट सोर्सिंग जनशक्ति	552.11	419.68

(₹ लाख में)

व्यवसाय को बढ़ावा / अतिथि सत्कार	40.55	1.51
बैंक प्रभार	36.27	27.48
पहरा व निगरानी	90.05	85.58
निगमित समाजिक दायित्व पर खर्च	70.17	77.74
हिन्दी सप्ताह पर खर्च	-	0.09
पंजीकरण व सदस्यता शुल्क	0.25	0.21
विविध	0.65	0.31
जीएसटी क्रेडिट	248.61	207.32
जलपान पर व्यय	15.77	3.69
कुल	2,399.17	2,148.91
नोट 25(ख): प्रशासनिक खर्च		
निदेशको के बैठक से संबंधित शुल्क	1.64	0.16
छपाई व लेखन सामग्रियां	31.12	17.62
डाक व टेलीग्राम	1.06	1.25
टेलीफोन / टैलेक्स / फेक्स	27.88	24.67
पुस्तक एवं पत्रिकाएं	2.71	0.48
निविदा प्रकाशित करने पर व्यय	25.27	9.21
व्यवसायिक प्रभार	29.58	6.50
यात्रा पर व्यय	22.62	24.61
	141.88	84.50
नोट 25(ग): अन्य व्यय		
प्रावधान		
अशोध्य एवं संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान	2.29	92.97
सी एस आर के लिए प्रावधान	6.00	-
मानक संपत्ति पर आकस्मिक व्यय का प्रावधान	-	0.96
	8.29	93.93
<u>लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक(सेवा कर सहित)</u>		
- वैधानिक लेखा परीक्षा के लिए	2.30	
- कर से संबंधित लेखा परीक्षा	0.50	
- अन्य सेवाएं	0.30	
- आंतरिक लेखा परीक्षा पर व्यय	3.10	3.10
	0.96	0.73
ग का कुल	12.35	97.76
नोट 25(घ): पूर्व अवधि समायोजन		
- परिवहन प्रभार	-	-
- सहायता अनुदान	-	(13.98)
- बिक्री	-	-
- फिरी होल्ड भूमि	-	2.00
- भवन पर किराया	-	0.15
कुल	-	(11.84)
कुल संचालन तथा अन्य व्यय (क+ख+ग+घ)	2,553.41	2,319.34
नोट: 26 अर्जित प्रति शेयर		
इक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध राशि	3,330	3,485
इक्विटी शेयरों की औसतन संख्या	11	11
मूल तथा मिश्रित अर्जित प्रति इक्विटी शेयर	304	318
प्रति इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य	100	100

नोट: 27 निगमित सामाजिक जिम्मेदारी व्यय
(क) सीएसआर गतिविधियों के संबंध में प्रकटीकरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
वर्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली राशि	69.39	70.15
व्यय की गई राशि	70.17	77.74
वर्ष के अंत में अतिरिक्त राशि	0.78	7.59
सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि	0	0
पिछले वर्ष सहित वर्ष के अंत में खर्च की गई अतिरिक्त राशि	0.78	7.59
कमी का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
संबंधित पक्ष के लेन-देन का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
उपगत देयता के संबंध में किया गया प्रावधान	0	0

(ख) प्रावधान

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
प्रारंभिक शेष	0	0
वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान	0	0
वर्ष के दौरान उपयोग किया गया प्रावधान	0	0
जमा शेष	0	0

(ग) सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति

सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
स्वास्थ्य संवर्धन	52.00	72.74
शिक्षा का संवर्धन	15.00	5.00
पर्यावरण स्थिरता	3.17	-
कुल	70.17	77.74

नोट: 28 पूंजीगत कार्य प्रगति

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजीगत कार्य प्रगति पर है आयु निर्धारण अनुसूची इस प्रकार है

(लाख में)

पूंजीगत कार्य प्रगति	अवधि के लिए प्रगति पर पूंजीगत कार्य में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएँ		14.68		59.66	74.34

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजीगत कार्य प्रगति पर है आयु निर्धारण अनुसूची इस प्रकार है

(लाख में)

पूंजीगत कार्य प्रगति	अवधि के लिए प्रगति पर पूंजीगत कार्य में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएँ	16.78		38.27	21.39	76.44

नोट 29 (क) आकस्मिक देयता

(क) निम्नलिखित मामला आयकर विभाग के साथ विचाराधीन है जिस पर कंपनी अपील दायर की है।

निर्धारण वर्ष	आदेश तिथि	दावा की गई राशि (₹)	अपील संख्या/तिथि	सहमत राशि (₹)	आकस्मिक देयता (₹)	फोरम जहां विवाद लंबित है
2009-10 तथा 2019-24	टी डी एस/ टी सी एस रिटर्न	46,80,620/-	टी डी एस/टी सी एस तिमाही रिटर्न परिशोधन	शून्य	₹46,80,620/-	डी सी (आई टी) फेसलेस
2020-21	19/09/2022	12,29,29,510/-	12851824028 0423	₹12,10,94,196/-	₹18,35,318/-	केन्द्र आयकर (₹) कोलकाता
				कुल	₹65,15,938/-	

ख) दिनांक 31.03.2024 तक न्यायालय में लंबित मामलों का विवरण

केस संख्या	न्यायालय, जहां पर मामला लंबित है ।	वादी तथा प्रतिवादी	वित्तीय निहितार्थ संपत्ति / (देय)
धन वाद संख्या 66 / 2010	सिविल न्यायालय (वरिष्ठ प्रभाग) का न्यायालय	अनिडको बनाम श्री संजय आनंद, पूर्व कनिष्ठ सहायक	9,24,406/-
अपील संख्या 15(15)	कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बनाम अनिडको	22,60,043/-
2284 / 2019	सर्वोच्च न्यायालय	अनिडको बनाम एलआईएनएचआरपीएल माननीय उच्चतम न्यायालय ने एलआईएनएचआरपीएल की याचिका को खारिज की	5,47,46,091/-
डब्ल्यू पी संख्या 267/2019	उच्चतम न्यायालय	महाप्रबंधक, अनिडको बनाम वाई जॉन	आकलन नहीं किया गया
ओ एस 09, 2018	जिला न्यायालय , पोर्टब्लेयर	महाप्रबंधक, अनिडको (परियोजना) बनाम मेर्स ओसियन ब्लू बोटिंग प्राइवेट लिमिटेड .	51,33,379/-

(ग) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम.पी.ई.डी.ए.) ने मैसर्स अण्डमान मत्स्य उद्योग लिमिटेड को गहरे पानी में मछली पकड़ने, निर्यात योग्य उत्पादनों तथा बहुमूल्य समुद्री उत्पादों में अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए उक्त कम्पनी को सहायता के रूप में ₹3,30,000/- की राशि प्रति 'षेयर ₹10 की दर से 33,000 इक्विटी शेयर इन 'षर्तों पर निवेश किया गया था कि यदि कंपनी उक्त प्रयोजन में असफल होने पर कंपनी प्राधिकरण द्वारा निवेश किए गए सभी शेयरों को वापस ले लेगा । इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई और प्राधिकरण ने शेयर वापस करने की मांग की जैसा उक्त प्राधिकरण से कंपनी ने वादा किया गया था । उक्त प्राधिकरण ने 15 मई, 1992 से 18 प्रतिषत (प्रति वर्ष) की दर से ब्याज सहित ₹3,30,000 को पुनः अदा करने की मांग करते हुए कंपनी के विरुद्ध मामला दर्ज किया है । अरनाकुलम के माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले की छानबीन करने और दो पक्षों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए एक विवाचक नियुक्त किया है । मैसर्स अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड के प्रमोटर के रूप में यह कंपनी हस्तान्तरण औपचारिकता को बकाया रखते हुए दिनांक 19.8.2004 को ₹ 3,30,000 का उक्त शेयर वापस किया और अंडमान फिजरीष लिमिटेड में आगे निवेश के रूप में इस कंपनी द्वारा इस राशि को रखा गया है । कंपनी ने उक्त राशि के लिए चालू देय में ₹ 5.38 लाख ब्याज का प्रावधान रखा है ।

नोट 29 (ii) पूंजी प्रतिबद्धता:

पूंजी लेखा में निष्पादित किए जाने वाले षेय ठेके की अनुमानित राशि : ₹ शून्य लाख (पिछले वर्ष ₹ 110.78 लाख) तथा पूंजीगत कार्यों के लिए भुगतान की गई राशि ₹ 74.35 लाख थी । (पिछले वर्ष: ₹ 76.45 लाख) थी ।

नोट 29 (iii) कंपनी द्वारा जारी गारंटी:

कंपनी ने हमारे क्रेडिट और वित्त प्रभाग द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में रु. 11.47 लाख की क्रेडिट गारंटी दी है जो क्रेडिट गारंटी फंड द्वारा सुरक्षित है ।

नोट 29 (iv) लाभांश:

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. सं. 3(3)-बी(एस)/2015 दिनांक 05.01.2016 के अनुसार, निगम पीएटी का 30% या इक्विटी का 30% जो भी अधिक हो, न्यूनतम लाभांश घोषित करता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित लाभांश 10 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 10.46 करोड़ रुपये) है, जो वार्षिक आम बैठक के अनुमोदन के अधीन है ।

नोट 29 (v) अग्रिम कर

रु. 13648.98 लाख की असमायोजित राशि को “अल्पकालिक ऋण और अग्रिम” के तहत रु. 14695.00 लाख के “आयकर के अग्रिम भुगतान” के मुकाबले “अल्पकालिक प्रावधान” के तहत “आयकर के लिए प्रावधान” के रूप में दिखाया गया है। निर्धारण वर्ष 2020-21 तक का मूल्यांकन धारा 143 के तहत समाप्त हो गया है, हालांकि निगम इसे “अग्रिम आयकर” के विरुद्ध समायोजित करने में असमर्थ है क्योंकि निगम ने राशि पर विवाद किया और अपील/परिषोधन के लिए गया है।

नोट 29 (vi) सहायक कंपनी:

दिनांक 19.08.2004 से अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड का सब्सिडरी कंपनी है तथा धारा 129 (3) के तहत संबंधित विवरण एवं दिनांक 31.3.2024 को समाप्त लेखा परीक्षा संलग्न किया गया है।

पिछले वर्षों में अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड को मंजुरी दी गई आवधिक ऋण ₹1.32 लाख को ऋण एवं वित्त पिछले वर्षों में अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड को मंजुरी दी गई आवधिक ऋण ₹1.32 लाख को ऋण एवं वित्त प्रभाग के ‘संबंधित पार्टी’ के ऋण शीर्ष पर दर्शाया गया है। उक्त राशि सहित वर्ष 2002-03 तक के ब्याज को पूर्ण रूप से अपोध्य ऋण के रूप रखने का प्रावधान रखा गया है। तब से ब्याज की गणना व प्रदान नहीं किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड को ब्याज मुक्त ऋण की मंजुरी ‘शून्य थी तथा दिनांक 31 मार्च 2023 तक बकाया शेष ₹1.65 लाख थी (पिछले वर्ष ₹1.65 लाख)। कंपनी ने पिछले वर्षों में असुरक्षित ऋण ₹33.00 लाख पर ब्याज प्रदान किया गया जिसमें वित्तीय वर्ष 2002-03 तक संचित ब्याज ₹8.23 लाख थी। असुरक्षित ऋण पर ब्याज का प्रावधान षट् प्रतिशत रखा गया।

नोट 29 (vii) वित्तीय संस्थानों के उपर्युक्त आवश्यक प्रकटीकरण (वित्त एवं ऋण प्रभाग):

क. ‘षुद्ध गैर निष्पादित परिसंपत्तियां	: ₹1,47,82,251/- पिछले वर्ष ₹1,51,30,379/-
b. ख. षुद्ध ऋण एवं अग्रिम	: ₹1,51,39,485/- (पिछले वर्ष ₹1,63,39,232/-)
ग. ‘षुद्ध ऋण एवं अग्रिम का षुद्ध एनपीए प्रतिशत	: 97.64% (पिछले वर्ष 92.60%)
घ. निर्धारित वर्गीकृत वर्ग के परिसंपत्ति के अंतर्गत षुद्ध राशि	
i. उपमानक	: ₹4,58,525/- (पिछले वर्ष ₹61,1706/-)
ii. संदेहपूर्ण:	: ₹11,23,726/- (पिछले वर्ष ₹13,18,673/-)
iii. परिसंपत्तियों की हानि	: ₹1,32,00,000/- पिछले वर्ष ₹1,32,00,000)
ड. वर्ष के दौरान एनपीए पर रखे गए राशि का प्रावधान:	₹1,69,69,387/- (पिछले वर्ष ₹1,71,14,733/-)

नोट 29 (viii) : लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक: लेखा परीक्षकों की पारिश्रमिक में निम्नलिखित षमिल है:

(क) लेखा परीक्षक के रूप में: लेखा परीक्षा षुल्क:	₹. 2,30,000/- (पिछले वर्ष ₹2,36,000/-)
(ख) कर से संबंधित मामलें: लेखा परीक्षा कर षुल्क:	₹. 50,000/- (पिछले वर्ष ₹59,000/-)
(ग) कंपनी संबंधित विधि मामले:	₹. ‘षून्य (पिछले वर्ष: षून्य)
(घ) प्रबंधन सेवाएं	₹. ‘षून्य (पिछले वर्ष: षून्य)
(ड) लेखा परीक्षक षुल्क	₹. ‘षून्य (पिछले वर्ष षून्य)
(च) अन्य सेवाएं	₹. ‘षून्य (पिछले वर्ष: ₹. 35400/-)
(झ) व्यय की प्रतिपूर्ति	₹. ‘षून्य (पिछले वर्ष षून्य)
कुल	₹. 2,80,000/- (पिछले वर्ष ₹. 3,30,400/-)

नोट 29 (ix): प्रबंधकीय पारिश्रमिक:

क. प्रबंध निदेशक, पूर्ण-कालिक निदेशकों तथा / अथवा प्रबंधक को पारिश्रमिक (बैठक षुल्क) :	₹ 40,500
ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक (बैठक षुल्क) :	₹ 1,19,500

ग. वर्ष के दौरान प्रबंध निदेशक के परिवहन पर किए गए व्यय ₹. शून्य/- (पिछले वर्ष ₹30,338) निगम के प्रबंध निदेशक को पारिश्रमिक का भुगतान शून्य/- थी। (पिछले वर्ष: शून्य/-)

नोट 29 (x): ए.एस. -18 के अनुसार संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

क). संबंधित पार्टी तथा उनके संबंध:

- सहायक (प्रत्यक्ष रूप): अण्डमान मत्स्यकी लिमिटेड
- साथी सहायक: “षून्य
- सहयोगी: “षून्य
- मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक: कंपनी अधिनियम, 2014 की नियम 8 (नियुक्ति तथा प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक) में प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक के संबंध में किसी प्रकार का निर्दिष्ट नहीं दिया गया है। इसलिए निगम के लिए उपर्युक्त नहीं है।

ख. दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए संबंधित पार्टी के साथ लेन-देन

	सहायक	मुख्य प्रबंधन कार्मिक तथा उनके संबंध
ब्रांड इक्विटी अंशदान	शून्य	शून्य
अचल परिसम्पत्ति की खरीद	शून्य	शून्य
ऋण तथा अग्रिम का पुनः भुगतान	शून्य	शून्य
राजस्व आय	शून्य	शून्य
राजस्व व्यय	शून्य	शून्य
संदेहात्मक प्राप्त अग्रिम (निपटाये जाने) का प्रावधान	शून्य	शून्य
प्रदान की गई गारंटी	शून्य	शून्य
पारिश्रमिक	शून्य	शून्य

ग. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

	अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड (सहायक कंपनी)	
	2023-24	2022-23
व्यापार प्राप्ति, बिना बिल के राजस्व, ऋण तथा अग्रिम, अन्य परिसम्पत्ति (षुद्ध)	शून्य	शून्य
व्यापार देय, अग्रिम के रूप में प्राप्त आय, उपभोक्ताओं से अग्रिम, अन्य देयता	शून्य	शून्य
गारंटी	शून्य	शून्य
डिबेंचर में निवेश / म्यूचल फंड / बांड	शून्य	शून्य

घ. संबंधित पार्टी के साथ सामग्रियों की लेन देन का प्रकटीकरण

किराये पर आय	शून्य	शून्य
अन्य आय	शून्य	शून्य
सामग्रियों, सेवाएं तथा सुविधाओं की खरीद (प्रतिपूर्ति सहित)	शून्य	शून्य
किराए पर व्यय	शून्य	शून्य
संदेहात्मक प्राप्त अग्रिम (निपटाये जाने) का प्रावधान	शून्य	शून्य
निपटाये गए संदेहात्मक ऋण	शून्य	शून्य
निपटाये गए अग्रिम	शून्य	शून्य
इक्विटी 'षेयर पर भुगतान की गई लाभांश	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान प्रदान की गई गारंटी	शून्य	शून्य
मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक	शून्य	शून्य

कंपनी अधिनियम, 2013 के खण्ड 129(3) के अनुसार मेसर्स अण्मान मत्स्यकी लिमिटेड का तुलनपत्र संलग्न है (अनुलग्नक "क")

नोट 29 (xi): सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के साथ व्यवसाय

सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के अंतर्गत किसी प्रकार का लेन-देन होने पर उसे सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के परिपेक्ष्य में लाया गया तथा 45 दिनों के भीतर इसका भुगतान कर दिया गया है।

नोट 30: अतिरिक्त विनियामक जानकारी

31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए निम्नलिखित अनुपात हैं।

विशेष	विशेष	हर	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	भिन्नता
चालू अनुपात	चालू परिसंपत्तियाँ	वर्तमान देनदारियाँ	2.40	2.16	11.09%
			43405	40865	
			18115	18951	
ऋण-इक्विटी अनुपात	दीर्घकालिक ऋणअल्पकालिक ऋण	शेयरधारक इक्विटी	17.83	18.32	-2.72%
			19555	20101	
			1097	1097	
इक्विटी अनुपात पर रिटर्न (%)	ब्याज, कर, मूल्यहास और परिशोधन के बाद आय	शेयरधारक की औसत इक्विटी	3.04%	3.18%	-4.45%
			3330	3485	
			1097	1097	
इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात	शुद्ध बिक्री	औसत इन्वेंट्री	3.54	2.67	32.94%
			49008	46553.99	
			13826	17460	
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	शुद्ध बिक्री	औसत व्यापार प्राप्य	43.10	49.26	-12.52%
			49008	46553.99	
			1137	945	
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	शुद्ध खरीद	औसत व्यापार देय	8.24	6.74	22.36%
			22779.01	22869	
			2764	3395	
शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	कारोबार	औसत कार्यशील पूंजी	2.08	2.23	-7.01%
			49008	46553.99	
			23607	20853	
शुद्ध लाभ अनुपात (%)	शुद्ध लाभ	शुद्ध बिक्री	9.06%	9.65%	-6.19%
			4439	4495	
			49008	46553.99	
नियोजित पूंजी पर रिटर्न (%)	ब्याज और कर से पहले की आय	नियोजित पूंजी	16.54%	19.12%	-13.49%
			4441	4495	
			26842.65	23513	
निवेश पर रिटर्न (%)	ब्याज और कर से पहले की आय	कुल संपत्ति	9.57%	10.31%	-7.17%
			4439	4495	
			46398	43613.83	

बिक्री में वृद्धि के कारण इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात में वृद्धि हुई

**अनुसूची III अनुदेश संख्या 2 के अनुपालन करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 के समेकित वित्तीय
विवरण अतिरिक्त सूचना-**

अस्तित्व का नाम	षुद्ध परिसम्पत्ति-कुल परिसम्पत्ति से घटाकर कुल देयता		लाभ अथवा हानि में षेयर	
	प्रतिशत के रूप में समेकित षुद्ध परिसम्पत्ति की राशि	राशि (करोड़ में)	प्रतिशत के रूप में समेकित षुद्ध परिसम्पत्ति की राशि	राशि (करोड़ में)
1	2	3	4	5
मूल	130.99	268.54	134.11	33.30
सहायक				
भारतीय				
अंडमान मत्स्यकी लिमिटेड	-30.99	-63.53	-34.11	-8.47
विदेशी				
सभी सहायकों को कम ब्याज				
सहायक (इक्विटी सूत्र के अनुसार निवेश)				
भारतीय				
विदेशी				
संयुक्त कार्य (पूर्व यथानुपात समेकन / इक्विटी सूत्र के अनुसार निवेश)				
भारतीय				
विदेशी				
कुल	100.00 %	205.01	100.00 %	24.83

**ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
(ANIIDCO)**

BOARD OF DIRECTORS

Shri Keshav Chandra, IAS	Chairman
Ms. Nandini Paliwal, IAS	Managing Director
Dr. Satyendra Singh Dursawat, IAS	Executive Director
Dr. Aman Gupta, IAS	Executive Director
Shri Arjun Sharma, IAS	Executive Director
Ms. Pallavi Sarkar, IAS	Executive Director
Smti. Nandini Maharaj, IAS	Executive Director
Shri C. Arvind, DANICS	Executive Director
Shri Vishwendra, DANICS	Executive Director

Company Secretary : **Shri Basuki Nath Sah**

Chief Financial Officer : **CMA P. Raghu Ram**

BANKERS :

Indian Bank, Sri Vijaya Puram.
State Bank of India, Sri Vijaya Puram.
Canara Bank, Secretariat, Sri Vijaya Puram.
Axis Bank, Sri Vijaya Puram.

REGISTERED OFFICE :

Vikas Bhawan
Post Box No. 180
Sri Vijaya Puram - 744 101
Telephone: 03192 -232098, 236242, 246028.
Fax : 03192 - 232076, 232501
E-mail : aniidco@gmail.com
Website : <http://aniidco.and.nic.in>

ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS TO THE MEMBERS

The Board of Directors has pleasure in presenting the Thirty Sixth Annual Report and the Audited Statement of accounts for the year ended 31st March, 2024. The turnover of the Corporation during the year is ` 490.08 crores against ` 465.53 crores previous year, Profit before tax of the Corporation has decreased to ` 44.41 crores from ` 44.96 crores.

FINANCIAL RESULTS

The highlights of the performance and the financial results for the financial year 2023-24 are given below:

	(` in lakhs)	
KEY RESULT	2023-24	2022-23
Total Turnover	49,008.23	46,553.99
Profit before Tax	4,440.99	4,496.87
Profit after Tax	3,331.60	3,486.80

The License fee, Excise duty, VAT paid by the Corporation are as under:

	(` in lakhs)	
Year	2023-24	2022-23
License Fees	329.02	312.40
Excise Duty	12807.46	13858.81
VAT	2809.54	2683.80
Grand Total	15946.02	16855.01

OPERATIONS:

(i) IMFL Division

Performance of IMFL Division for last two years (` in lakhs)

Particulars	2023-24	2022-23
Revenue from operation (Turnover)	28034.37	26732.64
Other Income	184.36	338.40
Total Revenue	28218.73	27071.04
Cost of Material Consumed	22642.32	21237.28
Remuneration to Employees	413.87	347.94
Administrative, Operation, Selling & Distribution Overheads	504.37	426.76
Depreciation	0.82	0.62

Total Expenditure	23561.38	22012.60
Operating Profit / (Loss)	4657.35	5058.44

Sales of the division is increased from ` 267.33 crore to ` 280.34 crore and Operating Profit has been decreased from ` 50.58 crore to ` 46.57 crore due to Increase in Transportation cost from Chennai to Sri Vijaya Puram.

(ii) POL Division

The Corporation is operating nine IOC retail outlets and four consumer outlets in various parts of the Islands. The Corporation is in the process to open three new POL Outlets at Billiground, Ferrargunj and Car Nicobar.

Performance of POL Division for last two years (` in lakhs)

Particulars	2023-24	2022-23
Revenue from operation (Turnover)	17449.27	16757.13
Other Income	11.66	23.50
Total Revenue	17460.93	16780.63
Cost of Material Consumed	16699.28	16031.36
Remuneration to Employees	322.05	310.36
Administrative, Operation, Selling & Distribution Overheads	274.33	186.74
Depreciation	39.59	39.48
Total Expenditure	17335.25	16567.94
Operating Profit / (Loss)	125.68	212.69

The division sold 210.99 lakh liters of POL products during the year as against the sale of 199.55 lakh liters., during the previous year. Although sales quantity has been increased marginally, but not in the quantum to meet the Increased Operating Expenses.

(iii) Tourism Division

The Corporation is engaged in operation of Megapode Resort, Dolphin Resort and Hornbill Nest.

Details of occupancy during last two years (in %)

Unit	2023-24	2022-23
Megapode resort	52.75	49.24
Dolphin resort	54.65	46.71
Horn Bill Nest	40.67	32.36

Performance of Tourism Division for last two years (` in lakhs)

Particulars	2023-24	2022-23
Revenue from operation (Turnover)	1596.79	1432.29
Other Income	10.73	12.15
Total Revenue	1607.52	1444.44
Cost of Material Consumed	191.01	61.11
Remuneration to Employees	431.87	361.14
Administrative, Operation, Selling & Distribution Overheads	1053.48	1077.05

Depreciation	40.27	38.79
Total Expenditure	1716.63	1538.09
Operating Profit / (Loss)	(109.11)	(93.65)

The Occupancy and Turnover of the division has been increased marginally, but not in the quantum to meet the Increased Operating Expenses.

(iv) Milk Division

The Corporation is engaged in production and marketing of milk and milk products. Performance of Milk division for last two years is as follows:

Performance of Milk Division for last two years (` in lakhs)

Particulars	2023-24	2022-23
Revenue from operation (Turnover)	1433.27	1251.33
Other Income	-	0.47
Total Revenue	1433.27	1251.80
Cost of Material Consumed	1099.14	988.40
Remuneration to Employees	74.99	85.30
Administrative, Operation, Selling & Distribution Overheads	233.42	115.25
Depreciation	23.16	20.03
Total Expenditure	1430.71	1208.98
Operating Profit / (Loss)	2.56	42.82

Operating Profit has been decreased from ` 42.82 lakhs to ` 2.56 lakhs due to increase in Operating Expenses.

(v) Credit & Finance

The Corporation is providing vehicles on hire to A&N Administration.

Performance of the Division for last two years (` in lakhs)

Particulars	2023-24	2022-23
Revenue from operation (Turnover)	58.81	22.98
Other Income	-	0.31
Total Revenue	58.81	23.29
Cost of Material Consumed	0.01	0.69
Remuneration to Employees	19.43	15.22
Administrative, Operation, Selling & Distribution Overheads	0.08	9.35
Depreciation	27.48	6.02
Total Expenditure	47.00	31.28
Operating Profit / (Loss)	11.81	(7.99)

Turnover has been Increased due to increase in number of new vehicles hire in current year.

(vi) Projects Division

The income of division includes lease rent received from leasing of land for tourism projects.

Performance of the Division for last two years (` in lakhs)

Particulars	2023-24	2022-23
Revenue from operation (Turnover)	388.06	334.81
Other Income	-	42.15
Total Revenue	388.06	376.96
Cost of Material Consumed	-	-
Remuneration to Employees	13.08	91.43
Administrative, Operation, Selling & Distribution Overheads	84.96	19.38
Depreciation	-	0.45
Total Expenditure	98.04	111.26
Operating Profit / (Loss)	290.02	265.70

(VII) Corporate Office

The Corporate office act as regulatory body and monitor all the Divisions of the Corporation. Interest earned on fixed deposit is shown as income of corporate office. Corporate expenditure is being distributed among the operational division based on its turnover.

Performance of Corporate Office for last two years (` in lakhs)

Particulars	2023-24	2022-23
Sales (Turnover)*	47.67	22.81
Other Income	1169.73	619.01
Total Revenue	1217.40	641.82
Cost of Material Consumed	0.68	26.85
Remuneration to Employees	1293.49	1067.84
Administrative, Operation, Selling & Distribution Overheads	415.17	396.94
Depreciation	37.06	49.26
Total Expenditure	1746.40	1540.89
Profit/(Loss)	(529.00)	(899.07)

(*income from cold storage)

Other Income has been Increased due to Increase in Fixed Deposits Investments.

FUTURE OUTLOOK

Development of Tourism & Infrastructural Projects

As per the decisions of Island Development Agency (IDA), the Corporation has been appointed as Project Management Agency for implementation of eco-tourism projects on PPP in A&N Islands. A&N Administration has appointed the Corporation as Project Proponent for implementation of Great Nicobar Projects and Development of NSCB Projects. Status of various projects being undertaken by the Corporation is as follows:

- **Four Island Eco Tourism Resort in Long Island, Aves Island, Smith Island and Shaheed Dweep**

For development of eco tourism resorts on PPP in Long Island, Aves Island, Smith Island and Shaheed Dweep, master plan have been finalized by consultant appointed by NITI Aayog. M/s KPMG Advisory Services has been appointed as transaction advisor and feasibility report and bid documents prepared have been submitted to MHA on

15.02.2024 for PPPAC/SFC approval, Govt. of India. After obtaining the approval of PPPAC/SFC, RFP will be floated for appointment of concessionaire for development of the project.

- **Development of Megapode Resort**

Megapode Resort is proposed to be developed as a 5-star luxury resort by engaging a leading hotel chain on PPP. Accordingly, M/s Deloitte Touche Tohmatsu India LLP has been appointed as transaction advisor and the feasibility report and bid documents have been submitted to MHA on 15.02.2024 for SFC approval, Govt. of India. RFP will be floated after SFC approval for appointment of concessionaire for development of the project.

- **Holistic Development of Great Nicobar Island project**

Considering the strategic importance of Great Nicobar Island, Govt. of India has conceived the project of holistic development of Great Nicobar Island. The interlinked project of holistic development of Great Nicobar Island apart from setting up of International Container Transshipment Terminal (ICTT) also includes setting up of Greenfield International Airport, Power Plant and Township.

M/s AECOM India Pvt. Ltd. appointed by NITI Aayog prepared the draft Master Plan for the project and carried out the EIA study for Environmental Clearances. EC, CRZ and FC clearance for the project has been granted by MoEF & CC during October/November, 2022.

Corporation has appointed M/s Egis India Consulting Engineers Pvt. Ltd. for preparation of detailed Master Plan and DPR for trunk infrastructure, for Township Project which is expected to be finalized by December 2024. MoPSW, AAI and NTPC have been entrusted the responsibility by Govt. of India for undertaking implementation of project for Port, Airport and Power Plant respectively.

- **Netaji Subhash Chandra Bose Memorial**

Hon'ble Prime Minister renamed Ross Island as "Netaji Subhash Chandra Bose Dweep" to mark 75th anniversary of tricolour hoisting on Indian soil by Netaji Subhash Chandra Bose in the year 1943 and proposed to be developed as National Memorial by Govt. of India. ANIIDCO has appointed M/s Meinhardt Singapore Pte Ltd. as a consultant for preparation of the Development Plan for this National Memorial. The development plan for the project includes components such as DPR, feasibility, project structuring, RFP and finalisation of bidders for the various projects on the island.

The consultant is in the process of preparation of detailed development plan and Detailed Project Report (DPR) and thereafter RFP shall be invited for appointment of specialized agencies for implementation of projects on PPP/EPC.

- **Holistic development of Package IV Islands/11 sites**

UT Administration in consultation with the NITI Aayog and the concerned central Ministries/Departments, has decided to undertake the holistic development of 11 additional islands/sites as phase II of development of eco tourism projects in A & N Islands. The sites have been identified in Diglipur in North Andaman, Mayabunder, Rangat and North Passage Island in Middle Andaman and in South Andaman. Considering the overall intent for facilitating holistic and sustainable development of these shortlisted islands/sites in the islands.

M/s AECOM, appointed by NITI Aayog has carried out land suitability assessment, eco sensitivity analysis, infrastructure assessment, etc. and prepared the draft Master Plan for the identification of projects. After finalization of the master plan, DPR & financial feasibility report, transaction advisor shall be appointed for undertaking the projects.

- **Development of Radhanagar Beach, Swaraj Dweep**

Tourism Department, A & N Administration has identified a land parcel measuring 18 hectares along the sea beach of Radhanagar in Swaraj Dweep for development of eco tourism on PPP. The Corporation is in the process of issue of RFP for appointment of consultant for preparation of development plan for Radhanagar beach.

- **Heritage Tourism Circuit – Chatham, Viper & NSCB Island**

A & N Administration plans to develop a heritage tourism circuit connecting Chatham, Viper and Netaji Subhash Chandra Bose Island. The primary objective of the proposed heritage tourism circuit is to showcase the rich historical significance of Chatham, Viper Island and NSCB Island. ANIIDCO has invited tender for appointment of consultant for preparation of development plan which is under finalization.

BOARD MEETING:

The Board of Directors duly met three times respectively on 8th June 2023, 30th August, 2023 and 19th December, 2023, in respect of these meetings, proper notices were given and the proceeding were properly recorded.

EXTRACTS OF ANNUAL RETURN

The extracts of the Annual Return as provided under sub-section 3 of Section 92 of the Companies Act, 2013 is enclosed as **Annexure I** of this report. Copy of Annual Return to be placed at <http://aniidco.and.nic.in>

CSR INITIATIVE

The Corporation is committed to contribute for social causes out of the profits generated. During the Financial Year 2023-24, the Corporation has undertaken various CSR activities for amount of ` 70.17 lakhs towards Desktop Computer and printer of 5 sets each for Balika Niketan, Attam Pahad and Children's Home Ferrargunj, Empty milk pouch collection scheme, Prevention of Malnutrition by transporting Milk Powder to remote located Anganwadi Centres, fund for Har Ghar Tiranga Campaign.

The brief outline of the Corporate Social Responsibility (CSR) Policy of the Company and the initiatives undertaken by the Company on CSR activities during the year are set out in **Annexure II** of this report in the format prescribed in the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014. The CSR policy and details of CSR Committee are available on the website of the Company.

RELATED PARTY TRANSACTION

The Corporation has not entered into contracts or arrangements with related parties falling within the provisions of Section 188 of the Act.

LOAN AND INVESTMENT BY COMPANY

The Corporation has not made any investment, loans or advances or given guarantees or provided securities to other bodies corporate.

SUBSIDIARY COMPANY

The Corporation has one subsidiary company as on March 31, 2024. There are no associate companies within the meaning of Section 2(6) of the Companies Act, 2013 ("Act"). There has been no material change in the nature of the business of the subsidiaries. Pursuant to provisions of Section 129(3) of the Act, a statement containing salient features of the financial statements of the Company's subsidiaries in Form AOC-1 is attached to the financial statements of the Company. Pursuant to the provisions of section 136 of the Act, the financial statements of the Company, consolidated financial statements along with relevant documents will be sent to all members and to be laid in its Annual General Meeting.

DIRECTORS RESPONSIBILITY STATEMENT

In terms of provisions of section 134(3)(C) of the Companies Act, 2013 your Directors confirm as under:

Your Board of Directors confirms:

- That in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed, along with proper explanation relating to material departures (if any);
- That they have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit or loss of the Company for that period;
- That they have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records, in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and irregularities ; and
- That they have prepared the annual accounts on a going concern basis.
- That they have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating efficiency.

Details of Fraud Reported by the Auditor

No any frauds reported during this financial year by the Auditor.

Explanation to the qualified opinion mentioned in the Auditors Report :

Explanation to the qualified opinion mentioned in the Auditor's Report is enclosed at **Annexure III**.

Quality Up-gradation

The management of your Corporation shall leave no stone unturned to upgrade the quality of service and products that are being offered by your Corporation. All workers and

senior level management personnel are encouraged to strive for excellence and take measures for quality up gradation.

Auditors

The Auditors M/s Babu & Badat, Chartered Accountants, the statutory Auditor of your company, retire at the ensuing Annual General Meeting and Statutory Auditor for the financial year 2024-25 shall be appointed by the Comptroller and Auditor General of India.

Internal control system and their adequacy

ANIIDCO has ventured into multifaceted business from trading activities to tourism, development of tourism projects through private sector participation. A system has been put in place to ensure adequate Internal Audit System. Accordingly, your Corporation has engaged M/s D. Garodia & Co, Chartered Accountants, Sri Vijaya Puram for conduction of Internal Audit of our Corporation during the year 2023-24.

Human Resources

The Corporation owes its success to its people and strongly believes that competent employees alone can help in creating a cutting edge organization and in this behalf a lot of efforts are put in hiring professionals from mainland and nurturing talent within.

We are placing a strong emphasis on building a culture that focuses on performance, building trust, and openness in the organization. We are confident that all these initiatives put together will help ANIIDCO family of around 300 employees in building a new era in the development of this place. To motivate our employees, Corporation has implemented a performance linked incentive scheme based on the report of XLRI, Jamshedpur.

Acceptance of Public Deposit

During the year under review, the Corporation has not accepted or renewed any fixed deposits from the public.

Changes in Directors

The following Directors are changed during the period from the last report:

1. Shri Arjun Sharma, IAS, Shri Vishwendra, IAS, Shri Aman Gupta, IAS and Smti. Nandini Maharaj, IAS have been appointed as Executive Director and Shri B.S. Jaglan, Smti. Veditha Reddy, IAS ceased as Executive Directors.
2. Shri Binay Bhushan, IAS and Shri Surendra Prahladka ceased as Director.
3. The Board places on record its deep appreciation and thanks for the services rendered by Shri B.S. Jaglan, Smti. Veditha Reddy, IAS, Shri Binay Bhushan, and Shri Surendra Prahladka, during their tenure.

Conservation of Energy

The company is engaged in diverse activities and except for processing and packing of milk; it is not involved in any activity that would consume bulk energy. Hence, the energy consumption for the products of the company is negligible. However, your company has made suitable arrangements and it is conscious of the need for conservation of energy wherever possible.

Technological Absorption

Your Corporation has no collaboration arrangement with any foreign organization. All technological inputs are developed in house with the efforts to upgrade the quality of the products.

Foreign Exchange

Foreign Exchange Earning and outgo during the year 2023-24

Earning : Foreign exchange received during the year - Nil

Outgo : During the year - Nil

Risk Management

All material risks faced by your Company are identified and assessed by the Internal Auditor and same is being placed before the Audit Committee on a continuous basis. The Committee oversees your Company's processes and policies for determining risk tolerance and reviews management's measurement and comparison of overall risk tolerance to established levels. Major risks identified by the businesses and functions are systematically addressed through mitigating actions on a continuous basis.

Material changes and commitment affecting financial position of the Company

There has been no material changes and commitments affecting the financial position of the Company which have occurred between the end of the financial year till the date of this report.

Acknowledgments

Your directors would like to place on record their appreciation of the whole hearted support extended by the business associates, customers, bankers, shareholders, auditors and all those associated with the company during the year under review.

Your Directors also wish to extend sincere thanks to the Ministry of Home Affairs, Ministry of Corporate Affairs and the Ministry of Micro Small and Medium Enterprises. Your Directors sincerely wish to thank the Hon'ble Lt. Governor in particular and the A&N Administration in general for the continued guidance and support extended throughout the year.

For and on behalf of the Board of Directors

Sri Vijaya Puram
Dated: 23/09/2024

(Director)

(Managing Director)

Annexure -I

Form No.MGT-9

**EXTRACT OF ANNUAL RETURN
As on the financial year ended on 31.03.2024**

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

- i) CIN:- **U74999AN1998SGC000028**
- ii) Registration Date :- **28.06.1988**
- iii) Name of the Company:- **Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation Limited**
- iv) Category / Sub-Category of the Company:- **Government Company**
- v) Address of the Registered office and contact details :- **Vikas Bhawan,
Sri Vijaya Puram
Post Box No. 180
A&N Islands-744101
Ph: 03192 246028
Web: <http://aniidco.and.nic.in>**
- vi) Whether listed company : **No**
- vii) Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any – **N. A.**

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

Sl. No.	Name and Description of main products/ services	NIC Code of the Product/service	% to total turnover of the company
1.	Trading of goods & Manufacturing	46308, 47300, 10501 etc.	100

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES –

S. No.	NAME AND ADDRESS OF THE COMPANY	CIN/GLN	HOLDING/ SUBSIDIARY/ ASSOCIATE	% of share held	Applicable Section
1.	Andaman Fisheries Limited(AFL)	U05001AN1991SG C000035	Subsidiary	100	2(87)

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

The President of India : 85%

The Lt. Governor, A&N Islands : 15%

V. Shareholding of Directors and Key managerial Personnel:

Sl.No.		Shareholding at the beginning of the year (1.4.22)	Cumulative shareholding during the year		
	Name of Director	No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total share of the company
1.	Ms. Nandini Paliwal	1	0	1	0
	At the end of the year (31/03/2024)	1	0	0	0
2.	Shri Hari Kallikkat	1	0	0	0
	At the end of the year (31/03/2024)	0	0	1	0
3.	Shri Vishwendra	0	0	1	0
	At the end of the year (31/03/2024)	1	0	1	0

VI. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment - Nil

VII. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, whole-time Directors and /or Manager: ₹ 40,500/-

B. Remuneration (sitting fee) to other directors : ₹ 1,19,500/-

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/ WTD : NIL

VIII. PENALTIES /PUNISHMENT/COMPOUNDING OF OFFENCES : NIL

Annexure - II

1. Brief outline on CSR Policy of the Company:

The Corporate Social Responsibility (CSR) policy of ANIIDCO is hosted in the website of the Company. The CSR activities undertaken will be within the broad frame work of Schedule VII of the Companies Act, 2013. The CSR projects/ programmes or activities will be undertaken only in A&N Islands. The Corporation will spend minimum 2% and maximum 3% of its average net profit made during the three preceding financial years. Further, CSR activities will be undertaken through a registered trust or a registered society or a Company established by the company or its holding or subsidiary or associate company under section 8 of the Act or through such Company/ Society/ Autonomous Body/ Government Departments.

During the financial year 2023-24, the Corporation has undertaken CSR activities for promotion of health, education, prevention of malnutrition, environmental sustainability etc.

2. The composition of the CSR Committee:

S. No.	Name of Director	Designation/ Nature of Directorship	Number of meetings or CSR Committee held during the year	Number of meetings of CSR Committee attended during the year
1.	Ms. Nandini Paliwal	Managing Director	4	4
2.	Smti. Veditha Reddy	Executive Director	3	2
3.	Shri C Aravind	Executive Director	4	3

3. Provide the web-link(s) where Composition of CSR Committee, CSR Policy and CSR Projects approved by the board are disclosed on the website of the company.

<http://aniidco.and.nic.in>

4. Provide the executive summary along with web-link(s) of Impact Assessment of CSR Projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8, if applicable.

Not applicable

5.a) Average net profit of the company as per sub-section (5) of Section 135.

` 3469.65 lakhs

b) Two percent of average net profit of the company as per sub-section (5) of Section 135.

` 69.39 lakhs

c) Surplus arising out of the CSR Projects or programmes or activities of the previous financial year: Nil

d) Amount required to be set-off for the financial year, if any.

Nil

e) **Total CSR obligation for the financial year [(b)+(c)-(d)]**

` 69.39 lakhs

6.a) **Amount spent on CSR Projects (both Ongoing Project and other than Ongoing Project):**

` 70.17 lakhs

b) **Amount spent in Administrative Overheads :** Nil

c) **Amount spent on Impact Assessment, if applicable:** NA

d) **Total amount spent for the Financial Year [(a)+(b)+(c)]:** ` 70.17 lakhs

e) **CSR amount spent or unspent for the Financial Year :**

Total amount Spent for the Financial Year (in `)	Amount Unspent (in `)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per sub-section (6) of Section 135		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135		
	Amount	Date of transfer	Name of the Fund	Amount	Date of transfer
18,16,776.00	51,99,839.00	26.4.2024	-	-	-

f) **Excess amount for set-off, if any:** Not Applicable

7. **Details of Unspent Corporate Social Responsibility amount for the preceding three Financial Years:**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
Sl. No.	Preceding Financial Years(s)	Amount transferred to Unspent CSR Account under sub-section(6) of section 135 (in `)	Balance Amount in Unspent CSR Account under sub-section (6) of section 135(in `)	Amount Spent in the Financial Year (in `)	Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135, if any		Amount remaining to be spent in succeeding Financial Years (in `)	Deficiency, if any
					Amount (in `)	Date of Transfer		
1	FY-1	-	-	-	-	-	-	-
2	FY-2	30,35,000/-	-	30,35,000/-	-	-	-	-
3	FY-3	-	-	-	32,00,000/-	29.7.2022		

8. **Whether any capital assets have been created or acquired through Corporate Social**

Responsibility amount spent in the Financial Year: No

9. **Specify the reason(s) if the company has failed to spend two percent of the average net profit as per sub-section (5) of section 135**

Company made all efforts for spending the required amount. CSR Committee meetings were held on 8th February, 2024 and 20th March, 2024 and examined the proposal(s) received from the Office of Deputy Commissioner, North and Middle Andaman and Social Welfare Department, however, could not be finalized/approved considering the enforcement of Model Code of Conduct. Unspent Amount of ₹ 51,99,839/- is transferred to a separate Bank Account with SBI, Sri Vijaya Puram, during April, 2024.

(Nandini Paliwal, IAS)

Chairperson

Corporate Social Responsibility Committee

Annexure III

Explanation to the qualified opinion mention in the Auditor's Report

1. The Internal Auditor scope has adequate coverage of key operational and financial areas, however in order to improve the compliance with Statutory Rules & Regulations, further additional scope of work has been added in the new tender for appointment of Internal auditor for the year 2024-25 for adequate coverage of Internal Audit.
2. WEBCON has paid dividend up to financial year 2018-19. Latest financial statements of the company are being obtained, thereafter valuation to be done.
3. The company has complied with all provisions of the Income Tax Act, 1961, and the Goods and Services Tax (GST) Act, 2017. IOCL is getting deducted the Licensee fee automatically from its SAP account and ANIIDCO is not processing the payment directly to IOCL. ANIIDCO has processed all the payments by Complying all the Tax Provisions. The Observation raised by auditor has been taken up with IOCL Kolkata office and compliance will be made from Financial year 2024-25 onwards. And with reference to GST in respect of Assets taken on lease from IP&T, IP&T is going to charge GST On forward charge Mechanism from Financial year 2024-25 onwards.
4. The Corporation is conducting Physical Verification on half yearly basis. The Physical Verification of Fixed Assets at various units/ location was conducted by the Company and recorded as per the assets found. During the verification, if any variances/ deviation found same will be written off from the Asset Register at the time of condemnation of assets as per historical cost method.
5. As per Historical Cost Concept method, the assets are shown in the books of accounts of the company under different assets head at its residual/salvage value after charging full depreciation as per companies act. Company is in process of Condemnation of Unserviceable old Assets whose Useful life is already expired.
6. The Capital Work in Progress (CWIP) to be adjusted as and when work is completed.

7. The PET Bottles testing has been done from Govt. Lab, Chennai and they confirmed that Ethyl alcohol contents of the samples are within the tolerance limit of the declared strength as per Indian Standards of Alcoholic Drinks. Further, Management had also approached Pollution Control Board, Sri Vijaya Puram, to permit one time permission for sale of these Pet bottles stocks. Therefore the corporation did not recognise any inventory write off during the Financial Year 2023-24. If Pollution Control Board, Port Blair, A&N Administration will not allow one time permission for sale during the Financial Year 2024-25, necessary provision will made related to writing off.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the members of Andaman & Nicobar Islands Integrated Development Corporation Limited

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the accompanying Standalone financial statements of M/s. **Andaman & Nicobar Islands Integrated Development Corporation Limited** ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2024, the Statement of Profit and Loss, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the basis of Qualified Opinion Section of our report, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Accounting Standards) Rules, 2014 and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2024 and Profit, changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Qualification Opinion

1. The company's internal audit function is not commensurate with the size and nature of its operations. Specifically, the internal audit process lacks adequate coverage of key operational and financial areas, including compliance with Statutory Rules & Regulations, inventory management, revenue recognition. This could result in potential material misstatements in the financial statements that may not be detected or prevented on a timely basis.
2. The company has made a provision for the loss on investment in Webcon Consulting (India) Ltd amounting to ` 6,00,000/- without conducting a valuation of the shares. As a result, we were unable to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the appropriateness of the provision for loss on investment. Consequently, we were unable to determine whether any adjustments might have been necessary to the provision for loss on investment, the carrying

amount of the investments, and the corresponding impact on the financial statements as at and for the year ended 31.03.2024.

3. The company has not complied with certain provisions of the Income Tax Act, 1961, and the Goods and Services Tax (GST) Act, 2017. Specifically, the company has:
 - a) Not deducted TDS on License Fees paid to IOC amounting to ₹.56.05 Lakhs as per the provisions of section 194I of the Income Tax Act, 1961.
 - b) Not paid GST under Reverse Charge Mechanism in respect of the assets taken on lease from IP& T and other Government departments.
As a result of these matters, we were unable to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the completeness and accuracy of the tax liabilities and expenses. Consequently, we were unable to determine whether any adjustments might have been necessary in respect of tax liabilities, penalties, and interest, and the corresponding impact on the financial statements as at and for the year ended 31.03.2024.
4. Physical Verification of Fixed Assets at various units/ location was conducted by the Company and recorded as per the assets found in that unit/location. However, the same was not reconciled with the Assets Register. The variances/ deviation found in the Physical Verification Report were not adjusted in the Asset Register and no impact has been given in the Accounts.
5. Attention is invited to Note 9 of 'Significant Accounting Policies & Notes to the Financial Statements' it was observed that lots of assets are shown in the books of accounts of the company under different assets head at its residual/salvage value. Further, the remaining useful life of those assets are NIL and further no depreciation are charged by the company as they are shown in their residual value since past many years. However, as per Ind AS-16, depreciation can be seized only if the asset is demortized/sale or is held for sale. Moreover, as per IND AS-16, the company should have to revalue these assets and charge depreciation on the revalued amount. Consequently, fixed assets are overstated by ₹. 63.84 Lakhs and accumulated depreciation is understated by the same amount.
6. As described in Note 29 to the financial statements, the Capital Work in Progress (CWIP) includes projects amounting to ₹. 59.66 Lakhs that have been ongoing for an extended period without significant progress towards completion. Management has not provided sufficient appropriate evidence to support the valuation and potential impairment of these projects. Consequently, we were unable to determine whether any adjustments to these amounts were necessary.
7. Attention is invited to Note 10 of 'Significant Accounting Policies & Notes to the Financial Statements' for valuation of inventories. The Company values stock at lower of historical cost or estimated net realizable value. The Andaman & Nicobar Administration vide its notification no. No.186 dated 05.09.2019 has banned manufacture, storage, use, import, transportation, distribution and sale of PET Bottles- Water & Beverages, including alcohol Less than 2L. This has resulted in a significant portion of the Company's inventory being un-saleable and written down to NIL net realizable value. The value of the stock as on 31.03.2024 is ₹. 46.26 Lakhs. The

Company has not recognized any inventory write-down in the financial statements. Consequently, Closing Stock is overstated by ₹. 46.26 Lakhs and net profit is overstated by the same amount.

We conducted our audit of the financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified audit opinion on the financial statements.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Management's Responsibility for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position and financial performance of the Company in accordance with the AS and other accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The Board of Directors are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibility for the Audit of the standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain Professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
- Provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse

consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Emphasis of Matter

1. As described in note no. 9 to the financial statements, the Company has capitalized cost of beautification and modernization of ROL outlet at Hutbay and Diglipur amounting to ₹130.79 Lakhs as property, plant, and equipment as of 31.03.2024. This capitalization was done without obtaining the completion certificate as required to substantiate that the asset was in the condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management, as per Indian Accounting Standard (Ind AS) 16 - Property, Plant, and Equipment. In the absence of the completion certificate, we were unable to verify whether the asset was ready for its intended use. Consequently, we were unable to determine whether any adjustments to the carrying amount of the asset, depreciation expense, and related disclosures were necessary.
2. The existing system of getting balance confirmation in respect of deposits, advances, trade receivables and trade payables is not adequate. In most of the cases, such confirmations are not available. Since, we could not obtain external confirmations as required in SA-505 Standards on Auditing and are unable to comment on adjustments or disclosures if any that may arise.
3. Reference is invited to note no. 15 regarding trade receivables of ₹405.15 Lakhs which are outstanding for more than 1 year from invoice date. The company has not obtained any confirmation from such trade receivables. In view of the above we are unable to comment on the reliability of the debts and any provision to be made for unreliability in the carrying amounts of these balances and the consequential impact, on the financial statements.
4. We draw attention to Note 17(b) of the financial statements, which describes the shortage of IMFL stocks at IMFL shop by the employees and the ongoing investigation by the Company to address this issue. These stock shortages were facilitated by weaknesses in the internal control system. Our opinion is not modified in respect of this matter.
5. As described in Note 13(a) to the financial statements, the Credit and Finance department does not maintain income recognition and asset classification on a borrower-wise basis in the accounting system. Instead, consolidated journal entries are recorded at the year-end based on the maintained register. Additionally, the standard practice of periodically reviewing the existence and value of security to ascertain the required provisions as per RBI norms is not followed. The Management has not provided sufficient appropriate evidence to support the accuracy and completeness of income recognition, asset classification, and the provisions for required security valuation in accordance with RBI norms. Consequently, we were unable to determine whether any adjustments to these amounts were necessary.
6. The company has made a provision of ₹357.75 lakhs for leave encashment in the current year, which is intended to compensate for short provisions made in earlier years for half-pay leave.
7. As described in Note 4(b) to the financial statements, the grant-in-aid balance of ₹150.39 Lakhs has not been adjusted in the balance sheet for the current year and for several prior years. Management has not provided sufficient appropriate evidence to support the valuation and existence of this balance. Consequently, we were unable to determine whether any adjustments to these amounts were necessary.
8. In respect of investment in its subsidiary company M/s Andaman Fisheries Limited and the loan and advances given to its subsidiary the Management of the company is of the view that 100%

provision is made for loss of such investments. However, in the absence of fair valuation of those investments in the subsidiary, we are unable to comment on the total provision made by the company in this regard.

9. The financial statement of M/s Andaman Fisheries Limited indicates that the company have accumulated losses and the net worth has been fully eroded. These conditions, along with other matters indicate the existence of a material uncertainty that may cast significant doubt about the company ability to continue as a going concern. However, the financial statements of the company have been prepared on a going concern basis which is dependent upon continuous support of its Holding Company.
10. We draw attention to Note 17 of the financial statements, which describes the company's expenditures incurred towards consultancy services for various infrastructure projects being undertaken by the Government of India. As of the date of our audit report, the final Memorandum of Understanding (MOU) with the respective government departments has not been signed. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements:

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub- section (11) of Section 143 of the Act, we give in the "Annexure A" a statement on the matters specified in the paragraphs 3 and 4 of the said Order, to the extent applicable.
2. We are enclosing our report in terms of Section 143(5) of the Act, on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, in the "Annexure B" on the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.
3. As required by section 143 (3) of the Act, we report that:
 - a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
 - b. Except for the possible effects of the matter described in the paragraph above, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books:
 - c. Except for the possible effects of the matter described in the basis of qualified opinion paragraph above, the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account:
 - d. Except for the possible effects of the matter described in the basis of qualified opinion paragraph above, In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under section 133 of the Act and rules made there under, as applicable;
 - e. The matter described in the basis for Qualified Opinion and Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, may have an adverse effect on the functioning of the Company.
 - f. We have been informed that the provisions of Section 164(2) of the Act in respect of disqualification of directors are not applicable to the Company, being a Government Company in terms of notification no. G.S.R.463 (E) dated 5th June, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India
 - g. With respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to standalone financial statements of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "Annexure C".
 - h. We are informed that the provisions of Section 197 read with Schedule V of the Act, relating to managerial remuneration are not applicable to the Company, being a Government Company, in terms of Ministry of Corporate Affairs Notification no. G.S.R. 463 (E) dated 5th June 2015.

- i. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer to Note 29(i)(a),(b) and (c) to the financial statements.
 - ii. The company has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long term contracts;
 - iii. The Company has no amounts which are required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund as per the provision of the Act.
 - iv. The management has disclosed that, to the best of its knowledge and belief, other than on the notes on accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other persons or entities, including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall:
 - a. Directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified In
 - b. any manner whatsoever ("Ultimate Beneficiaries") by or on behalf of the Company.
 - c. Provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
 - d. Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.
- v. As stated in Note 31 to the standalone financial statements:
- a. The final dividend paid by the Company during the year in respect of the same declared for the previous year is in accordance with section 123 of the Companies Act 2013 to the extent it applies to payment of dividend.
 - b. The Board of Directors of the Company has proposed final dividend for the year which is subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting. The dividend declared is in accordance with section 123 of the Act to the extent it applies to declaration of dividend.
- vi. Based on our examination, which included test checks, the Company has used accounting software for maintaining its books of account for the financial year ended March 31, 2024 which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software. Further, during the course of our audit we did not come across any instance of the audit trail feature being tampered with.

As proviso to Rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is applicable from April 1, 2023, reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 on preservation of audit trail as per the statutory requirements for record retention is not applicable for the financial year ended March 31, 2024.

**For BABU AND BADAT
(Chartered Accountants)
FRN: 321009E**

CA IMRAN HASHIM BADAT

Annexure - 'A'

**The Annexure referred to in paragraph 1 of Our Report on
“Other Legal and Regulatory Requirements”**

We report that:

- (i) (a) The company has generally maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment;
- (b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Property, Plant and Equipment have been physically verified by the management at reasonable intervals; However, reconciliation of the records of physical verification and book records are not done.
- (c) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the title deeds of all the immovable properties (other than properties where the company is the lessee and the lease agreements are duly executed in favour of the lessee) disclosed in the financial statements are held in the name of the company.
- (d) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the company has not revalued its Property, Plant and Equipment (including Right of Use assets) or intangible assets during the year. Accordingly, the reporting under Clause 3(i)(d) of the Order is not applicable to the Company.
- (e) According to the information and explanations given to us and on the basis of our

examination of the records of the Company, there are no proceedings have been initiated or are pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder.

- (ii) (a) As explained to us & on the basis of the records examined by us, in our opinion, physical verification of inventory has been conducted at reasonable intervals by the management. In our opinion, the coverage and procedure of such verification by the management is appropriate. No discrepancy of 10% or more in the aggregate for each class of inventory were noticed on physical verification of stocks by the management as compared to book records. Minor discrepancies noticed during physical verification were properly dealt within the books of account.
- As per the information and explanations given to us, discrepancies noticed on physical verification of inventory as compared to book records were not material and have been properly dealt with in the books of account except for certain instances of shortages amounting to `56.88 Lakhs at IMFL Shop Rangat. These shortages were identified as being caused by the staff of the company and appropriate actions have been taken by the management, including disciplinary actions and recovery proceedings.
- (b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the company has not been sanctioned during any point of time of the year, working capital limits in excess of five crore rupees, in aggregate, from banks or financial institutions on the basis of security of current assets and hence reporting under clause 3(ii)(b) of the Order is not applicable.
- (iii) The company has not granted loan secured/unsecured to any person covered in the Register maintained U/s 189 of the Companies Act, 2013, hence sub-clause 3(iii)(a), 3(iii)b & 3(iii) (c) of the order are not applicable.
- (iv) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records, the company has not granted any loan or given any guarantee and security covered under provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013.
- (v) The company has not accepted any deposits or amounts which are deemed to be deposits covered under sections 73 to 76 of the Companies Act, 2013. Accordingly, clause 3(v) of the Order is not applicable.
- (vi) As per information & explanation given by the management, maintenance of cost records has not been specified by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act.
- (vii) (a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, the company is regular in depositing undisputed statutory dues including Goods and Services Tax, provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues to the appropriate authorities.
- (b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, the following dues of Provident Fund, Income Tax have not been deposited by the Company on account of any dispute:

Name of the statute	Nature of Dues	Amount(Rs)	Period	Forum where dispute is pending
Provident Fund	Provident Fund	22,60,043	2005-09	PF Tribunal, Kolkata
IncomeTax Act,1961	Income Tax	1,30,72,327	2007-08	CIT(Appeal)-I passed in favour of Company. But pending before DCIT for giving appeal effect.
IncomeTax Act,1961	Income Tax	1,51,12,300	2008-09	CIT(Appeal)-I passed in favour of Company. But pending before DCIT for giving appeal effect.
IncomeTax Act,1961	Income Tax	89,58,073	2009-10	CIT(Appeal)-I passed in favour of Company. But pending before DCIT for giving appeal effect.
Income Tax	Income Tax	2,08,92,808	2010-11	CIT(Appeal)-I passed in favour of Company. But pending before DCIT for giving appeal effect.
Income Tax Act,1961	Income Tax	9,56,860	2011-12	CIT(Appeal)-I passed in favour of Company. But pending before DCIT for giving appeal effect
Income Tax Act,1961	Income Tax	20,77,920	2013-14	CIT(Appeal)-I passed in favour of Company. But pending before DCIT for giving appeal effect
Income Tax Act,1961	Income Tax	1,02,14,860	2014-15	CIT(Appeal)-I passed in favour of Company. But pending before DCIT for giving appeal effect
Income Tax Act,1961	Income Tax	3,25,704	2015-16	Rectification petition filed.
Income Tax Act,1961	Income Tax	9,89,632	2016-17	Rectification petition filed.
Income Tax Act,1961	Income Tax	2,25,80,280	2017-18	CIT(Appeal)-NFAC
Income Tax Act,1961	Income Tax	5,23,460	2018-19	Rectification petition filed.
Income Tax Act,1961	Income Tax	4,98,96,300	2019-20	Rectification petition filed.
Income Tax Act,1961	Income Tax	18,35,318	2020-21	CIT(Appeal)-NFAC passed in favour of Company. But pending before DCIT for giving appeal effect.
TDS/TCS return	Income Tax	75,540	2019-20	-

- (viii) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, the Company has not surrendered or disclosed any transactions, previously unrecorded as income in the books of account, in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 as income during the year.
- (ix) The company has not raised any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year. Accordingly, clause 3(x)(a) of the Order is not applicable.
- (x) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the company has not made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully, partially or optionally convertible) during the year. Accordingly, clause 3(x)(b) of the Order is not applicable.

- (xi) (a) Based on examination of the books and records of the Company and according to the information and explanations given to us, considering the principles of materiality outlined in Standards on Auditing, we report that no fraud by the company or any fraud on the company has been noticed or reported during the course of audit. Based on our audit procedures and the information and explanations given to us, we report that the company has identified instances of shortages of stocks amounting to `56.88 Lakhs which were found to be caused by the staff of the company. The management has taken appropriate actions in this regard and suspended the concerned employee.
- (b) According to the information and explanations given to us, no report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed by the auditors in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government;
- (c) According to the information and explanations given to us by the management, no whistle-blower complaints had been received by the company.
- (xii) The company is not a Nidhi Company. Accordingly, clause 3(xii)(a), 3(xii)(b) and 3(xii)(c) of the Order is not applicable.
- (xiii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, all transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of Companies Act, where applicable and the details have been disclosed in the financial statements, as required by the applicable accounting standards;
- (xiv) The company appointed Internal Auditor in accordance with its size and business activities for conducting internal audit of all units. But the report of internal auditor is not covering all activities of the company and the reports are not submitted timely.
- (xv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him and hence, provisions of Section 192 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company.
- (xvi) According to the information and explanation given to us, the company has no registration under Non-Banking Financial Corporation U/s 45IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Accordingly, clause 3(xvi)(a) of the Order is not applicable.
- (xvii) Based on our examination, the company has not incurred cash losses in the \financial year and in the immediately preceding financial year.
- (xviii) There has been no resignation of the statutory auditors during the year. \Accordingly, clause 3(xviii) of the Order is not applicable.
- (xix) According to the information and explanations given to us and on the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realisation of financial assets and payment of financial liabilities, our knowledge of the Board of Directors and management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report that company is 14 not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any

assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the company as and when they fall due.

- (xx) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the books and records of the company there are no unspent amount towards Corporate Social Responsibility on either ongoing projects or other than ongoing projects as stated in section 135 of the Act and accordingly, reporting under clause (xx)(a) and (xx)(b) of paragraph 3 of the Order is not applicable to the Company.
- (xxi) The reporting under clause (xxi) of paragraph 3 of the order is not applicable in respect of audit of this company.

For BABU & BADAT
(Chartered Accountants)
FRN: 321009E

CA IMRAN HASHIM BADAT
Partner
M. No. 065814
UDIN: 24065814BKBLTW9835

Place: Sri Vijaya Puram
Date: 23/09/2024

ANDAMAN & NICOBAR ISLAND INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

ANNEXURE “B” TO THE INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

(Referred to in paragraph 3 under ‘Report on Other Legal and Regulatory Requirements’
section of our report of even date)

Sl. No.	Directions	Action Taken	Impact on standalone financial statement.
I	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT System? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	All the accounting transactions are done through IT software package developed by Tally Solution Private Limited. No accounting transactions are done outside the IT System. So the implication of processing transactions cannot be determined.	Nil
II	Whether there is any restricting of an existing loan or cases of	No loan has been restructured during the year.	Nil

	waiver / write off of debts / loans / interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.		
III	Whether funds received /receivable for specific schemes from central/state agencies were properly accounted for / utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	The Company has properly accounted for/ utilized funds (grants / subsidy etc.) received / receivable for specific schemes from central/ state Government or its agencies, as the case may be, as per its term and conditions.	Nil

For BABU & BADAT
(Chartered Accountants)
FRN: 321009E

CA IMRAN HASHIM BADAT
Partner
M. No. 065814
UDIN: 24065814BKBLTW9835

Place: Sri Vijaya Puram
Date: 23/09/2024

Independent Auditor's Report of even date on the Internal Financial Control of Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation Limited (Annexure "C")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation Limited as at March 31, 2024, in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial control based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct in its business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We have conducted our audit in accordance with the Guidance Note on

Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the “Guidance Note”) and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note required that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial control over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company’s internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of internal financial controls over financial reporting

A company’s internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company’s internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (i) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (ii) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (iii) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company’s assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent limitations of internal financial controls over financial reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management of override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Qualified opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, the following material weakness has been identified in the operating effectiveness of the

Company's internal financial controls with reference to standalone financial statements as at March 31,2024

- 1) The company's internal audit function is not commensurate with the size and nature of its operations. Specifically, the internal audit process lacks adequate coverage of key operational and financial areas, including compliance with Statutory Rules & Regulations, inventory management, revenue recognition. This could result in potential material misstatements in the financial statements that may not be detected or prevented on a timely basis.
- 2) We draw attention to Note 17(a) of the financial statements, which describes the shortage of IMFL stock in few shops by the employees and the ongoing investigation by the Company to address this issue. These stock shortages were facilitated by weaknesses in the internal control system. Our opinion is not modified in respect of this matter.
- 3) During our audit, we identified instances where the Company did not comply with certain provisions of the Income Tax Act, 1961, and the Goods and Services Tax (GST) Act, 2017. Specifically:
 - a) The Company failed to deduct Tax Deducted at Source (TDS) on license fees paid to the Indian Oil Corporation (IOC) as required under Section 194I of the Income Tax Act, 1961.
 - b) The Company did not remit GST under the Reverse Charge Mechanism for assets leased from the Department of Information, Publicity, and Tourism (IP&T) and other Government departments.

As a result of these matters, we were unable to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the completeness and accuracy of the tax liabilities and expenses. Consequently, we were unable to determine whether any adjustments might have been necessary in respect of tax liabilities, penalties, and interest, and the corresponding impact on the financial statements as at and for the year ended 31.03.2024.

A "material weakness" is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the Company's annual or interim financial statements may not be prevented or detected on a timely basis.

In our opinion, except for the possible effects of the material weakness described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above on the achievement of the objectives of the control criteria, the company has maintained, in all material respects, adequate financial controls with reference to standalone financial statements and such internal financial controls with reference to standalone financial statements were operating effectively as of March 31, 2024, based on the internal control over financial reporting criteria established by the company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the ICAI.

We have considered the material weakness identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the standalone financial statements of the company for the year ended March 31, 2024 and the material weakness has effected our opinion on the standalone financial statements of the company and we have accordingly issued a modified report on the standalone financial statements.

For BABU & BADAT

(Chartered Accountants)
FRN: 321009E

CA IMRAN HASHIM BADAT
Partner

M. No. 065814

UDIN: 24065814BKBLTW9835

Place: Sri Vijaya Puram
Date: 23/09/2024

**INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT OFFICE OF THE DIRECTOR
GENERAL OF AUDIT, CENTRAL, KOLKATA.**

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA, UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013, ON THE FINANCIAL STATEMENT OF ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024.

The preparation of financial statements of Andaman & Nicobar Islands Integrated Development Corporation Ltd., for the year ended 31 March 2024, in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013, is the responsibility of the Management of the Company. The statutory auditor, appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act, is responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act, based on independent audit, in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 23 September 2024.

1, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Andaman & Nicobar Islands Integrated Development Corporation Ltd. for the year ended 31 March 2024 under Section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers

of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

G.I. Press Building, 8 Kiran Shankar Ray Road (1st Floor), Kolkata-700001 Govt. of India Press Buliding. 8. Kiran Bankar Ray Road, Kolkata 700001 Phone: 2254-0231, (Gram: ACCOUNTCENT) POST BOX 2006, Fax No: 033 22136377

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to the statutory auditors' report under section 143(6) (b) of the Act.

**For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India**

Place: Kolkata

Date: 16/12/2024

**(Uday Shankar Prasad)
Director General of Audit
Central (Kolkata)**

**ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(A Government Undertaking)
STANDALONE BALANCE SHEET AS AT 31st March 2024**

(In Lakhs)

	Note No.	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
<u>EQUITY AND LIABILITIES</u>			
<u>Shareholders' fund</u>			
Share capital	2	1,097.01	1,097.01
Reserves & surplus	3	25,589.10	22,257.50
<u>Non-current liabilities</u>			
Other long term liabilities	4	179.03	177.70
Long term provisions	5	1,261.34	972.34
<u>Current Liabilities</u>			
Trade payables			
a. Micro enterprises and small enterprises	6	236.23	-
b. Others		2,165.91	3,070.68
Other current liabilities	7	1,815.04	2,053.22
Short term provisions	8	13,861.12	13,790.48
TOTAL		46,204.78	43,418.93
<u>ASSETS</u>			

Non-current Assets			
Fixed assets			
a. Property, Plant and Equipment	9	2,337.77	2,124.69
b. Intangible		3.66	3.48
c. Capital work-in-progress		74.35	76.45
Non current investments	10	-	6.00
Long term loans & advances	11	26.19	52.57
Deferred tax assets (Net)	12	349.50	265.36
Other Non-current Assets			
Term loan by C&F division	13	14.62	25.24
Current Assets			
Inventories	14	5,202.01	8,623.65
Trade receivables	15	1,315.40	959.01
Cash & cash equivalents	16	20,307.14	16,688.58
Short term loans & advances	17	16,463.22	14,587.86
Other current assets	18	110.92	6.04
TOTAL		46,204.78	43,418.93

Significant Accounting Policies & Notes on Accounts 1 to 30

The Accounting Policies and Notes referred to above form an integral part of the financial statements.

The figures shown in the notes are ` in lakhs.

For M/s Babu & Badat

Chartered Accountants

FRN - 321009E

(Imran Hashim Badat)

Partner

Membership No. 065814

UDIN : 24065814BKBLTW9835

Place: Sri Vijaya Puram

Date: 23rd Sept., 2024

Sd/-
(Chief Financial Officer)

Sd/-
(Company Secretary)

Sd/-
(Director)
DIN : 03463195

Sd/-
(Managing Director)
DIN : 09779872

ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(A Government Undertaking)

STANDALONE STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st March 2024
(` In Lakhs)

	Note No.	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Revenue:			
Revenue from operations	19	49,008.23	46,553.99
Other income	20	1,376.47	1,035.98
Total Revenue		50,384.70	47,589.97
Expenses:			
Cost of materials consumed	21	1,230.21	996.51
Purchases of Stock-in-Trade	22	36,220.83	37,115.97
Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and Stock-in-Trade	23	3,202.67	227.74
Employee benefit expenses	24	2,568.78	2,279.46
Depreciation and amortization Exp.	9	168.38	154.64
Operation and other expenses	25	2,552.84	2,318.78

Total Expenses	45,943.71	43,093.11
Profit Before exceptional and extraordinary items and tax	4,440.99	4,496.86
Exceptional items - Provision written back	1.49	154.38
Profit Before extraordinary items and tax	4,442.49	4,651.24
Less: Provision for Current Tax	1,195.03	1,117.95
Less: Provision for Deferred Tax made	-	46.50
Add: Provision for Deferred Tax written back / Made	84.14	-
Balance available for appropriation	3,331.60	3,486.79
Earning per equity share:- Basic & diluted	26	303.70
		317.85

Significant Accounting Policies & Notes on Accounts 1 to 30

The Accounting Policies and Notes referred to above form an integral part of the financial statements.

The figures shown in the notes are ` in lakhs.

For M/s Babu & Badat
Chartered Accountants
FRN - 321009E
(Imran Hashim Badat)
Partner
Membership No. 065814
UDIN : 24065814BKBLTW9835
Place: Sri Vijaya Puram
Date: 23rd Sept., 2024

Sd/-
(Chief Financial Officer)

Sd/-
(Company Secretary)

Sd/-
(Director)
DIN : 03463195

Sd/-
(Managing Director)
DIN : 09779872

ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(A Government Undertaking)

STANDALONE CASH FLOW FOR THE PERIOD ENDED 31st March 2024

(^ In Lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2024	For the year ended 31.03.2023
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES :		
<u>Net profit before tax and extraordinary items</u>	4,440.99	4,496.86
Adjustments for :		
Depreciation	168.38	154.64
Interest on Fixed Deposit	(1,164.35)	(619.16)
Provision for Bad & Doubtful Debt etc.	8.29	93.93
Provision written back	1.49	154.38
Lease Rent Income	(388.06)	(334.81)
Operating profit before working capital changes	3,066.74	3,945.81
Adjustment for :		
Decrease /(Increase) in Inventories	3,421.64	212.61

Decrease /(Increase) in Trade Receivables	(364.68)	(121.97)
Decrease /(Increase) in Accrued Interest	(244.81)	14.86
Decrease /(Increase) in Current Loans & Advances	(1,875.27)	(1,101.60)
Increase/(Decrease) in Other Current Liabilities	(236.85)	315.96
Increase/(Decrease) in Trade Payables	(668.54)	(593.97)
Decrease/(Increase) in other Current Assets	139.94	(16.42)
Increase/(Decrease) in Short Term Provisions	(1,124.40)	302.33
Decrease/(Increase) in Term Loan from C&F Division	10.62	12.84
NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES - (A)	2,124.39	2,970.47
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Lease Rent Income	388.06	334.81
Increase/(Decrease) in Long Term Provision	295.00	(182.32)
Decrease/(Increase) in Long Term Loans & Advances	26.38	89.98
Addition to Fixed Assets (net)	(384.07)	(354.89)
Change in Capital Work-in-Progress	2.10	(16.79)
Interest on Fixed Deposit	1,164.35	619.16
Sale of Fixed Assets after adjustment of Profit / Loss	2.35	2.68
NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES - (B)	1,494.17	492.63
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:		
Proposed Dividend	-	(1,046.04)
Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)	3,618.56	2,417.06
Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year	16,688.58	14,271.58
Cash and Cash Equivalents at the end of the year	20,307.14	16,688.58
	3,618.56	2,417.06

Notes to the Cash Flow Statements for the period ended 31.03.2024

- The above Cash Flow statement has been prepared under the indirect method set out in AS-3 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
- Figures in brackets indicate cash outgo.
- Previous period figures have been regrouped and recast wherever necessary to conform to the current period classification.
- Cash and Cash Equivalents comprises of :-

	(In Lakhs)	
	Amount	Amount
Cash and cash equivalents	1,265.10	2,336.06
Other Bank balances	18,945.07	14,160.04
Balances with Non-Scheduled Banks	16.44	136.46
Cash in hand	80.53	56.02
TOTAL	20,307.13	16,688.58

- Short Term deposit with State Bank India , Sri Vijaya Puram Branch include an amount of `28.63 Lakh toward "Credit Guarantee Fund" (PY `27.31 Lakhs)
This is the cash flow statement referred in our report of even date.

For M/s Babu & Badat
Chartered Accountants
FRN - 321009E

Sd/-
(Chief Financial Officer) Sd/-
(Company Secretary)

(Imran Hashim Badat)
Partner
Membership No. 065814
UDIN : 24065814BKBLTW9835
Place: Sri Vijaya Puram
Date: 23rd Sept., 2024

Sd/-
(Director)
DIN : 03463195

Sd/-
(Managing Director)
DIN : 09779872

Notes to Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2024.

NOTE 1: -Summary of Material Accounting Policies and explanatory information

1. Corporate Information:

Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation Limited (ANIIDCO) was incorporated on 28th June 1988 under the Companies Act 1956 for rapid economic growth of the Islands. The main objective of the Corporation is for holistic and sustainable development of the territory. ANIIDCO is engaged in the business of:

- Trading Petroleum Products, Indian Made Foreign Liquor (IMFL), Milk & Milk products.
- Operating Megapode Resort & Hornbill Resort at Sri Vijaya Puram and Dolphin Resort at Swaraj Dweep Island.
- Implementation of Infrastructure Development Projects in A&N Islands through PPP mode.

2. Material Accounting Policies:

Basis of preparation and statement of compliance:

The financial statements have been prepared under historical cost convention in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India ('Indian GAAP') to comply in all material respects with the mandatory Accounting Standards ("AS") specified under Sec 133 of the Companies Act 2013 ("the Act"), read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 (as amended) and the relevant provisions of the Act and pronouncements of the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). The financial statements have been prepared on accrual basis. The

accounting policies have been consistently applied by the Company and are consistent with those used in the previous year.

All assets and liabilities have been classified as current or non-current as per Company's normal operating cycle and other criteria set out in the Schedule III of the Act. Based on the nature of work, the Company has ascertained its operating cycle as up to twelve months for the purpose of current and non-current classification of assets and liabilities.

3. Use of Estimates:

The preparation of accounts requires estimates and assumptions to be made that affect the reported amount of assets and liabilities on the date of the financial statements and disclosure of contingent liabilities at the date of financial statement, the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Although these estimates are based upon management's best knowledge of current event and actions, actual results could differ from those estimates. Difference between the actual results and estimates are recognized prospectively in the period in which the results are known/ materialized.

4. Property, Plant and Equipment:

All property, plant and equipment are stated in the Balance Sheet at cost less accumulated depreciation and impairment loss if any. The cost of an asset comprises its purchase price plus any directly attributable cost of bringing the asset to the present location and working condition for its intended use. Subsequent expenditures, if any, related to an item of fixed assets are added to its book value only if they increase the future benefits from existing asset beyond its previously assessed standard of performance.

5. Intangible Assets:

Intangible Assets comprises Computer Software which are stated at cost and are amortized over a period of 3 years.

6. Depreciation / Amortization:

In respect of fixed assets (other than freehold land and capital work-in-progress) acquired during the year, depreciation / amortization is charged on straight line basis so as to write off the cost of the assets over the useful life as per schedule II of the Companies Act, 2013. Written down value of the assets acquired prior to April 1, 2014 are being depreciated over their remaining useful life as prescribed in Schedule II of the Companies Act, 2013.

In respect of addition to fixed assets, depreciation is provided from the date of addition on pro-rata basis. In respect of fixed assets sold or discarded, depreciation is provided up to the date prior to the date of sale/discard on pro-rata basis. Depreciation on assets whose actual cost doesn't exceeds ₹5000/- has been provided 100%.

7. Impairment of Assets:

In accordance with Accounting Standard 28 the carrying amount of assets is reviewed at each Balance Sheet date. If there is any indication of impairment based on internal and external factor, an impairment loss is recognized wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the asset's net selling price or value in use. In assessing value the estimated future cash flows are discounted to its present value at reasonable discounted rate. For the purpose of assessing impairment, assets are grouped at the levels, for identification of cash generating units. If at the balance sheet date there is an indication that a previously assessed impairment loss no longer exists then the recoverable amount is reassessed and the asset is reflected at the recoverable amount subject to a maximum of depreciated historical cost.

8. Expenditure during Construction:

In the case of new industrial units and substantial expansion of existing units, all pre-operating expenditure incurred up to the date of installation is capitalized and added pro-rata to the cost of fixed assets.

9. Investments :

Long term Investments are stated at cost. Provision for diminution in the value of each long term investment is made to recognize a decline, other than that of temporary nature and shown separately.

10. Inventories :

Inventories are valued at lower of historical cost and estimated net realizable value. Historical cost is arrived at by adding purchase cost and any other cost incurred to bring the inventory to its respective location and condition. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and estimated costs necessary to make the sale. Cost of inventories is computed on a FIFO basis.

11. Revenue Recognition:

Sale of Goods

Sales are recognized when significant risk and rewards of ownership of the goods have passed to the buyer which coincides with the delivery. Sales are generally recorded net of trade discounts excepting the sales in Megapode Resort and Milk & Milk products, which are booked in gross value.

Revenue from Services

Revenue from services rendered is recognized as and when the service is performed and it is reasonable to expect ultimate collection.

Interest & Commission income is recognized on accrual basis. Dividend from investments is recognized when the right to receive the payment is established.

Selling prices are determined as per formula approved by A&N Administration in respect of Steel & IMFL products. The petroleum products are sold at the selling price fixed by IOC Ltd. In case of Milk, other goods and services the selling prices are determined by the company.

12. Foreign Currency Transactions:

i. Initial Recognition

Foreign currency transactions are recorded in the reporting currency, by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency prevailing at the date of the transaction or that approximates the actual rate at the date of the transaction.

ii. Conversion

Exchange Differences

Foreign currency assets and liabilities as on the Balance Sheet date are revalued in the accounts on the basis of exchange rates prevailing at the close of the period and exchange loss/gain arising there from, is adjusted to the cost of fixed assets or charged to the Profit & Loss Account, as the case may be.

13. Employee Benefits:

- a) Provident Fund is a defined contribution scheme and contributions during the year are charged to Statement of Profit & Loss.
- b) Deposit Linked Insurance is recognized as contributed to Regional PF Office.
- c) Provision for Leave Encashment is made for value of unutilized leave due to employees at the end of the year on actuarial basis.
- d) Gratuity liability is defined benefit obligations and provided on the basis of actuarial valuation made till Financial year 2015-16 by way of contribution to the Gratuity Fund to a Group Gratuity policy with Life Insurance Corporation of India. From 2016-17, the same has been made on the basis of actual payment made to LIC.
- e) Provision for performance related incentives are made as per the "Performance Related Incentive Scheme" of the Company.
- f) Provision for LTC/AFSP has been provided for all the employees based on their dependent family members, entitlement for their particular grade pay, unutilized LTC benefit due to employees at the end of the year, on actuarial basis.

14. Government Grants and Subsidies:

Grants and subsidies from the government are recognized when there is reasonable assurance that the grant/subsidy will be received and all attaching conditions will be complied with.

When the grant or subsidy relates to an expense item, these are deducted from related expense, which is intended to compensate. Where the grants or subsidy relates to an asset, its value is deducted in arriving at the carrying amount of the related asset.

15. Taxation:

The tax expense comprises of current taxes and deferred taxes. Current tax is the amount of income tax determined to be payable in respect of taxable income for a period as per the provisions of the Income Tax Act, 1961 ("IT Act"). The Company accounts for tax credit in respect of Minimum Alternate Tax ("MAT") in situations where the MAT payable is higher than tax payable under normal provisions of the IT Act. The credit so availed is adjusted in future years when the tax under provisions is higher than MAT payable to the extent of the difference.

Deferred tax is recognized, subject to consideration of prudence, in respect of deferred tax asset(s) on timing differences being the difference between taxable income and accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent period and is measured using tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted by the Balance Sheet date. Deferred tax asset(s) are reviewed at each Balance Sheet date to re-assess realization, considering the reasonable virtual certainty of each such realization.

16. Sales Tax:

Sales Tax paid is charged to Statement of Profit and Loss.

17. Prior-period Adjustments:

Any error or omission in disclosing income & expenditure pertaining to prior period are ratified/adjusted in the current year and the net effect has been disclosed separately in the Statement of Profit & Loss.

18. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

A provision is recognized when there is a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and in respect of which reliable estimate can be made. Provisions are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources would be required to settle the obligation, the provision is reversed. A disclosure for a contingent liability is made when there is a possible obligation or a present obligation but probably will not require an outflow of resources. When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood on outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made. Contingent assets are not recognized in the financial statements. However, contingent assets are assessed continually and if it is virtually certain that an inflow of economic benefits will arise, the asset and related income are recognized in the period in which the change occurs. Provision for Bad and doubtful debts have been made in accounts for receivable laying more than three years.

19. Dividend and Tax Thereon:

Annual dividend proposed by directors is provided in accounts, subject to the approval of members at the Annual General Meeting. Provision for Dividend Distribution Tax is made separately.

20. Earnings per Share:

Basic earning per share is calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. For the purpose of calculating diluted earnings per share, the net profit or loss for the year attributable to equity shareholders and the weighted average number of shares outstanding during the year are adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares.

21. Cash Flow Statement:

Cash flows are reported using indirect method, whereby profit before tax is adjusted for the effects of transactions of a non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or

payments. The cash flows from regular revenue generating, financing and investing activities of the company are segregated. Cash and cash equivalents in the balance sheet comprise cash at bank, cash / cheque(s) in hand and short-term deposit to be matured in less than 12 months period.

22. Segment Reporting Policies as per AS - 17

(i) Identification of Segments:

Primary Segment

Business Segment:

The company's operating businesses are organized and managed separately according to the nature of products, with each segment representing a strategic business unit that offers different products and services in different markets.

Secondary segment

Geographical segment:

The company does not have Geographical segment.

(ii) Allocation of common Costs: Common allocable costs are allocated to each segment according to the relative contribution of each segment to the total sales of the Company.

(iii) Unallocated Items: The corporate and other segment include general corporate income and expense items, which are not allocated to any business segment.

23. Previous Year Figures:

Figures of the previous year has been re-grouped and re-arranged wherever necessary to make them comparable with current year figures.

24. Rounding Off:

Figures in Rupees given in the financial statements are rounded off to nearest rupees thousand. Quantitative figures are rounded to the nearest unit wherever required.

ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

(A Government Undertaking)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st March 2024

(^ In Lakhs)

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
NOTE : 2		
<u>Share Capital</u>		
<u>Authorised</u>		
50,00,000 Equity shares of `100/- each	5,000.00	5,000.00
<u>Issued, Subscribed and Paid up</u>		
10,97,006 (Previous year 10,97,006)		
Equity Shares of ` 100 each, (of which		
17,546 shares issued other than cash)	1,097.01	1,097.01
TOTAL	1,097.01	1,097.01
Note 2(a) Reconciliation of the number of equity shares and amount outstanding at the beginning and at the end of the reporting period:		

Balance at the commencement of the year	1,097.01	1,097.01
Shares issued during the year	-	-
Shares brought back during the year	-	-
Balance at the end of the year	1,097.01	1,097.01

Note 2(b) Details of Shareholders holding shares more than 5% share in the company.

Sl No.	Name of the Shareholder	% of holding	No of equity shares	
1	The President of India	85	933,348	
2	The Lt. Governor, A&N Islands	15	163,656	
Details of Shareholders for previous year remain same.				

Note 2(c) Board vide it's agenda No.23.09 held on 22.01.1993 issued 17,546 equity shares of `100/- each, in favour of Lt. Governor A&N Islands, in lieu of milk powder amounting to `17,54,664 received in kind from Animal Husbandry Department of A&N Administration.

NOTE : 3 Reserves & Surplus

a) General reserves :

At the commencement of the year	22,257.50	19,816.75
Add: Transfer from surplus	3,331.60	2,440.76
At the end of the year	25,589.10	22,257.51

b) Surplus in statement of profit and loss:

At the commencement of the year	0.01	0.02
Add: Profit for the year	3,331.60	3,486.79
<u>Less: Appropriations:</u>		
Proposed Dividend (@ 30% of Distributable profit) ref. to Note 29(iv)	-	-
Transfer to general reserve	3,331.60	3,486.80
At the end of the year	0.00	0.01
	25,589.10	22,257.50

(` In Lakhs)

			As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
NOTE : 4	Other long term liabilities			
<u>Credit guarantee fund:</u>	4(a)			
Opening balance		27.31		
Add: Income generated as per last account		-		
Addition during the year		1.32		
Total fund		28.63		
Less: Utilised during the year		-	28.63	27.31
<u>Grant-in-Aid from A & N Admn.</u>	4(b)	150.39		
Add: Received during the year		-		
Less: Utilised during the year		-	150.39	150.39
TOTAL			179.03	177.70

Note 4(a): Credit Guarantee Fund: The Company received an amount in earlier years from the Directorate of Industries, A&N Administration, for providing guarantee against industrial loans in lieu of collateral security, opening balance of which is `27.31 lakh. Interest income generated from the said fund after deduction of TDS has been credited to the fund and any amount utilised as per the terms of the scheme has been deducted from such fund. The liability guaranteed against such fund as on 31/03/2024 is 28.64 lakh.

Note 4(b): The unadjusted balance due to pending of post facto approval of competent authority (135.63 Lakhs), the Grant in aid received (190 Lakhs) in FY 2016-17 out of which ` 175.24 lakh has been expended till 31.03.2024:-

Year	Particulars	Purpose	Amount (in lakh)
1994-95	Order no 467 dt 21.03.1995 received from Accounts Officer IP&T	Towards tourism development of A&N Islands	` 65.63
1995-96	Order no 837 dt 29.03.1996 received from Accounts Officer IP&T	Towards tourism development of A&N Islands	` 70.00
2016-17	Order No. Nil dated Nil received from Directorate of AH	For expansion of milk collection	` 14.76
Total Grant-in-Aid from A & N Admn.			` 150.39
NOTE : 5 Long term provisions			
Provision for leave encashment		1,154.89	832.04
Provision for Gratuity		75.26	83.15
Provision for LTC/AFSP		31.18	57.10
Provision against standard assets		0.01	0.05
TOTAL		1,261.34	972.34
NOTE : 6 Trade payable			
Trade payable			
i) Outstanding dues to Micro, Small and Medium enterprises (6a)		236.23	-
ii) Other trade payables		2,165.91	3,070.68
TOTAL		2,402.14	3,070.68

Note 6(a): The Company identify the Micro, Small and Medium enterprises under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. On the basis of information available with the company and confirmation received, as at the year end an amount of `236 lakhs. (previous year : ` Nil/-) is due with such enterprises

Trade payables ageing schedule for the year ended as on March 31, 2024 :

(` In Lakhs)

Particulars	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) MSME	236.23				236.23
(ii) Others	2,041.60	92.74	25.01	6.55	2,165.91
(iii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues - Others	-	-	-	-	-
Grand Total	2,277.83	92.74	25.01	6.55	2,402.14

Trade payables ageing schedule for the year ended as on March 31, 2023 :

(` In Lakhs)

Particulars	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) MSME					
(ii) Others	3,038.21	25.01	3.25	4.21	3,070.68
(iii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues - Others	-	-	-	-	-

Grand Total	3,038.21	25.01	3.25	4.21	3,070.68
--------------------	-----------------	--------------	-------------	-------------	-----------------

(` In Lakhs)

			As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
NOTE : 7	<u>Other current liabilities</u>			
Received in advance				
<u>Other payables</u>				
Deposit payable to :				
<u>Others</u>		21.35	21.35	121.35
<u>Advance from customers</u>			14.01	9.11
Liquor license fees payable to DC		20.11		
Outstanding liabilities for expenses		126.60		
EMD/Security deposits from suppliers		35.51		
Interest on buy back of AFL shares		5.39		
Taxes payable		83.48		
Tiny Loan Scheme		0.04		
Others		34.76	305.90	560.42
Deposit payable to Director of Fisheries	7 (a)		10.00	10.00
Advance from sundry debtors			1,463.78	1,352.34
TOTAL			1,815.04	2,053.22

Note 7(a) The Company has received fund from Director of Fisheries during the period 1989-90 to 1996-97 of which `10 lakh remain un utilized. The above amount is presently lying in the current account maintained with SBI- Sri Vijaya Puram.

NOTES : 8	<u>Short term provisions</u>		
Provision for performance related scheme		141.58	223.82
Provision for leave encashment		42.41	34.23
Provision for LTC/AFSP	8(a)	15.81	20.09
<u>Others</u>			
Provision for Income tax :			
- for AY 2008-09	341.61		
- for AY 2009-10	359.40		
- for AY 2010-11	315.95		
- for AY 2011-12	376.38		
- for AY 2013-14	563.59		
- for AY 2014-15	726.28		
- for AY 2015-16	705.60		
- for AY 2016-17	1140.51		
- for AY 2017-18	1477.61		
- for AY 2018-19	921.21		
- for AY 2019-20	1584.30		
- for AY 2020-21	1210.10		
- for AY 2021-22	741.75		

- for AY 2022-23	884.06		
- for AY 2023-24	1,117.95		
- for AY 2024-25	1195.03		
Proposed dividend (30% of distributable profit)		29(iv)	
TOTAL			
			13,661.32
			12,466.30
			1,046.04
			13,861.12
			13,790.48

Note 8 (a) : LTC/AFSP provision has been made as per actuarial valuation as specified in AS-15 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Note 8 (b) : TDS as per books of accounts is considered for calculation of Income Tax Provision i.e. 122.62 lakh.

J & NICOBAR ISLANDS DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED		Net Block		Depreciation		Total as at		As at		As at	
as at		Accumulated Depreciation as on		Provided		Adjusted/ Transfer		31.03.2024		31.03.2023	
31.03.2024	4	31.03.2024	5	31.03.2024	6	31.03.2024	7	31.03.2024	9	31.03.2023	10
59.48		-		72.54		-		59.48		59.48	
2,494.90		721.03				793.57		1,701.32		1,627.41	
0.00		-				-		0.00		0.00	
701.81		446.50		33.67		480.17		221.64		230.89	
239.82		187.23		10.34		197.57		42.23		47.90	
1,024.16		740.89		35.14		776.03		248.13		92.60	
23.16		16.54		0.51		17.05		6.11		3.59	
140.58		100.96		5.22		106.18		34.40		33.08	
201.38		166.86		10.06		176.92		24.46		29.75	
19.92		19.92				19.92		-		-	
21.25		21.25				21.25		0.00		-	
4,926.46		2,421.18		167.48		2,588.66		2,337.77		2,124.69	
43.15		38.59		0.90		39.49		3.66		3.48	
-						-		-		-	
74.35				-		-		74.35		76.45	
5,043.96		2,459.77		168.38		2,628.15		2,415.78		2,204.62	
4,664.36		2,305.11		154.64		2,459.74		2,204.62		1,990.20	

(in Lakhs)

along with buildings, plant & machinery and other assets of milk production unit, at free of cost in the year 1991-92. These are being used for the purpose of setting up of milk supply chain from Diglipur to Sri Vijaya Puram" via order no. 2135 dt. 14.04.2023 issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

per AS-12 issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

The cost of such asset is recoverable from IOC Ltd under the head "Short term loans & advances", ` 21.88 lakh/- and remaining amount is shown as receivable from IOC Ltd under the head "Short term loans & advances", ` 21.88 lakh/-.

of such lease is given in note 17(a).

develop tourism projects. Details of such lease is given in note 17(a).

with following terms:

2024.

subsequently used by transaction advisor appointed for leasing of Megapode.

(^ In Lakhs)

		As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
NOTE 10 : Non current investment (valued at cost unless stated otherwise)			
Investments in equity instrument (unquoted) fully paid-up			
(i) In Andaman Fisheries Ltd. (a subsidiary company) 9,67,000 Equity Shares @ `10 each, valued at cost.	69.65		
(33000 equity shares@ `10/ each pending arbitration)	69.65	0	0
Less : Provision for loss on investment in AFL			
(ii) In Lakshadweep Shilpi Aquaculture Ltd.	40.00		
4,00,000 equity shares of `10 each fully paid at cost	40.00	0	0
Less : Provision for loss on Lakshadweep Shilpi Aquaculture Ltd.			
(iii) WEBCON Consulting (India) Ltd.	6.00	-	6.00
30,000 Equity Share @ 10 each along with premium of `10 per share, carried at cost.	6.00		
Less : Provision for loss on WEBCON Consulting (India) Ltd.			
TOTAL		-	6.00

Note 10 (i) : The Company holds 10,00,000 equity shares of M/s Andaman Fisheries Ltd @ `10/- each fully paid-up, out of which 33,000 equity shares of `10/- each acquired from MPEDA has been disputed and pending transfer. MPEDA has claimed interest @ `15% on pending transfer under Equity Participation Scheme, which is disputed by the company. However the company, in it's 13th Board meeting agreed to pay simple interest applicable for term loan of any financial institution, after deducting any dividend received by MPEDA from such investment. The amount of such interest is `5.39 lakh (Gross amount `8.69 lakh) as on 10th June'01 for which a provision has been made in the earlier period. Further the M/s Andaman Fisheries Ltd. is a loss making company and has negative Net Worth, hence 100% provision has been made and disclosed in Note 5.

Note 10(ii) : The Company has invested `40 lakh in the Equity Shares (unquoted) of Lakshadweep Shilpi Aquaculture Ltd. by subscribing to 4,00,000 numbers of fully paid Equity Shares of 10/- each during 1992. The said company has not been able to commence its production since it's formation in 1992 and is highly indebted to Financial Institutions, no income has been received so far on such investments.

Note 10(iii) : The Company has invested 6 lakh in the Equity Shares of WEBCON Consulting (India) Ltd. by subscribing to 30,000 numbers of fully paid Equity Shares of `10/- each during 2012. Due to lack of detailed information on the company shares, the non-receipt of any dividends, the absence of publicly available financial statements, and the fact that the investments are in unlisted companies with no market valuation available the management has decided to create a provision for potential loss on investment.

NOTE 11: Long term loans & advances

<u>Secured, considered good</u>			
Computer advance to employees		1.37	3.66
House building advance to employees		0.58	0.54
<u>Unsecured, considered good</u>			
Security deposit		24.24	24.22
Indian Oil Corporation (capital factoring)	11 (a)	-	24.15
<u>Unsecured, considered doubtful</u>			
Staff Advance	1.31		
Less: Provision	1.31	-	-
Deposit receivable (Unsecured, considered doubtful)	5.88		
Less: Provision	5.88	-	-
TOTAL		26.19	52.57

Note 11(a) : Refer Note 9(ii) & 17 (i)

NOTE 12: Deferred tax assets (Net)

a. Deferred tax liabilities			
Depreciation and amortisation		11.42	11.24
Provision for doubtful debts and advances		527.57	451.66
	Total	538.99	462.90
b. Deferred tax assets			
Depreciation and amortisation		163.17	146.10
Provision for doubtful debts and advances		26.32	51.44
	Total	189.49	197.54
Net deferred tax liabilities/(Assets)		349.50	265.36

Deferred tax has been calculated as per the Accounting Standard 22 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

(` In Lakhs)

		As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
NOTE 13: Term loan by C&F division (secured)			
(a) Term loan (considered good)	6.56		
Term loan (considered doubtful)	12.75		
Less: Provision for sub standard assets	4.69	14.62	25.24
(b) Loan to related party			
Loan to AFL (considered doubtful)	132.00		
Less: Provision made	132.00	-	-
TOTAL		14.62	25.24

Note 13(a) The Companies "Credit & Finance" division has provided Term Loan from Corporations' available surplus fund called "General Scheme" and it has carried forward gross opening balance of `163.39 lakh. Total sum of Nil (Previous year `4.60) was sanctioned towards loan under above scheme during the year. However the company recovered `14.33 lakh, (Previous year `20.03 lakh) including interest. A provision was written back on standard assets during the year amounting to `0.03406 Lakh (Rupees Three thousand four hundred six only) (Previous year Provision written back `0.03759 Lakh) and

provision made on sub-standard assets during the year is 1.45 Lakh, (previous year provision written back was 0.96 Lakh). From the year 2022-23 division stop disbursement of loan.

Note 13(b) : Term loan sanctioned to Andaman Fisheries Ltd, a subsidiary of the Corporation, in the earlier years, amounting to `132 Lakh /-, has been shown as loan to "Related Party" in books of account. The company treated the said term loan up to 2002-03, as bad debt and made provision for entire amount. Since then, no interest is being calculated and provided as per RBI circular dated 2 July 2012 since AFL become NPA. However subsidiary ccompany M/s AFL has charges interest of `7.25 crore (Previous year `7.19 crore) in their books of accounts

NOTE 14 : Inventories			
<u>Raw material</u>			
Raw milk	45.42		
Stock of provisions at hotel	68.51	113.93	323.61
<u>Finished goods</u>			
Constituted milk	23.28		
Paneer	0.07		
Curd	0.26		
Cow Milk	3.50	27.11	22.35
Stock in trade			
Petroleum products	421.45		
Add: Goods-in-transit	124.53		
IMFL products	3,831.63		
Add: Goods-in-transit	633.63		
Souvenir, maps & biometric device	0.03	5,011.26	8,218.69
Stores & spares - Milk plant		49.71	59.00
TOTAL		5,202.01	8,623.65

Note: Inventories valued at lower of historical cost or estimated net realizable value.

NOTE 15 : Trade receivables (unsecured)			
Considered good			
(i) Over six months from due date of payment	833.99		
(ii) Below six months from due date of payment	481.41	1,315.40	959.01
Doubtful			
(i) Over six months from due date of payment	244.27		
(ii) Below six months from due date of payment	-		
Less: Provision for Bad and Doubtful debts	244.27	-	-
TOTAL		1,315.40	959.01

Trade receivable ageing schedule for the year ended as on 31 March 2024 :

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
	Less than 6 months	6 months -1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	584.96	361.75	207.80	160.88	244.27	1,559.67
(ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	-
(iii) Disputed Trade Receivables – considered good	-	-	-	-	-	-
Total	584.96	361.75	207.80	160.88	244.27	1,559.67
Less: Provision for Bad and Doubtful debts						244.27
Trade Receivable						1315.40

Trade receivable ageing schedule for the year ended as on 31 March 2023 :

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
	Less than 6 months	6 months -1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables	352.48	307.80	160.8	137.86	241.99	241.99

– considered good						
(ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	-
(iii) Disputed Trade Receivables – considered good	-	-	-	-	-	-
Total	352.48	352.48	160.88	137.86	241.99	1,201.00
Less: Provision for Bad and Doubtful debts						241.99
Trade Receivable						959.01

(` In Lakhs)

NOTE 16 : Cash and cash equivalents	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
<u>Balances with scheduled banks</u>		
(a) Current accounts		
Indian Bank, Sri Vijaya Puram	85.74	189.06
Indian Bank, Chennai	0.57	4.27
State Bank of India, Sri Vijaya Puram	444.45	235.62
HDFC Bank, Sri Vijaya Puram	69.38	95.41
Canara Bank, Secretariat	58.04	63.35
Canara Bank, Shaheed Dweep POL	24.70	77.14
Canara Bank, Campbell Bay	36.78	271.29
State Bank of India, Hut bay	34.49	0.02
State Bank of India, Rangat	2.79	12.83
State Bank of India, Mayabunder	4.20	0.11
State Bank of India, Diglipur	137.04	174.97
State Bank of India, Swaraj Dweep	50.03	101.44
State Bank of India, RK Pur, L/Andaman	5.10	0.05
State Bank of India, Kamorta	19.78	18.19
State Bank of India (IMFL J/Ghat)	1.98	1.28
State Bank of India, IMFL MOHANPURA	2.10	0.99
State Bank of India, (Haddo)	3.14	2.64
State Bank of India, (Delanipur)	1.95	2.18
State Bank of India, (Baratang)	14.29	27.48
State Bank of India, (Kadamtala)	19.74	21.38
State Bank of India, (IMFL SELF SERVICE)	4.84	6.93
ICICI Bank	34.35	32.82
Axis Bank	209.62	996.61
	1,265.10	2,336.06

(` In Lakhs)

	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
<u>Balances with non-scheduled banks</u>		
Current accounts		
A&N State Co-Operative Bank Ltd. Andaman	16.44	136.46
	16.44	136.46
<u>Cheque in hand</u>		
<u>Cash in hand</u>		
At Head office	0.48	0.29
Postal stamps in hand	-	0.01
Cash at shops	80.05	55.72
	80.53	56.02
	1,362.07	2,528.54

(b) Other Bank balances		
with upto 12 months maturity		
Punjab National Bank	-	700.00
Canara Bank	6,900.00	1,500.00
Indian Bank, Port Blair	19.38	85.46
Union Bank of India	-	816.01
Bank of Baroda	5,000.00	900.00
Central Bank of India	-	1,700.00
Bank of Maharashtra	1,300.00	-
State Bank of India, Port Blair	2,937.65	4,081.26
UCO Bank	-	800.00
Bank of India	-	417.77
ICICI Bank	89.24	1,832.30
HDFC Bank	1,505.00	120.25
Axis Bank	742.00	1,000.00
Add: Interest accrue thereon	451.80	206.99
	18,945.07	14,160.04
Total cash and cash equivalents	20,307.14	16,688.58

Note 16(a) Short Term deposit with State Bank India , Sri Vijaya Puram Branch include an amount of `28.63 Lakh toward "Credit Guarantee Fund" (PY ` 27.31 Lakhs)

NOTE 17: Short term loans & advances			
House building advance to employees		0.30	1.67
Computer advance to employees		2.50	2.65
Advance for civil work		136.78	110.78
Claim receivable from IOC		37.59	37.18
Other advances to employees		4.38	1.96
Niti Aayog Project		267.08	380.24
Indian Oil Corporation (capital factoring)		21.89	80.73
Input IGST		1.13	0.84
Input CGST/UTGST		14.44	46.26
Advance payment of Income Tax (including TDS)			
- for AY 2008-09	341.61		
- for AY 2009-10	385.73		
- for AY 2010-11	414.26		
- for AY 2011-12	470.82		
- for AY 2012-13	10.03		
- for AY 2013-14	591.39		

(In Lakhs)

		As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
- for AY 2014-15	777.53		
- for AY 2015-16	727.38		
- for AY 2016-17	954.72		
- for AY 2017-18	1,506.86		
- for AY 2018-19	1,114.71		
- for AY 2019-20	1,506.58		
- for AY 2020-21	1,289.54		
- for AY 2021-22	747.89		
- for AY 2022-23	984.57		
- for AY 2023-24	1,294.50		
- for AY 2024-25	1,576.88	14,695.01	13,118.13
Advance payment of dividend tax	83.98		
Add: During the year	0.00	83.98	83.98
Deposit /advances with Govt. and others [note 17a]		703.61	0.01

Advance to suppliers and contractors		469.04	723.30
Other Advances [note 17b]		25.49	0.13
Unsecured, considered doubtful (Unsecured, considered good unless otherwise stated.)			
Cash shortage to be recovered	10.18		
Less: Provision	10.18	0.00	0.00
Other Advances	4.34		
Less: Provision for bad debt	4.34	0.00	0.00
Deposit /advances with Govt. and others	4.19		
Less: Provision	4.19	0.00	0.00
Advance to suppliers and contractors	5.19		
Less: Provision for loss of advances	5.19	0.00	0.00
Lease Rent receivable [note 17c]	107.99	0.00	0.00
Less: Provision for lease rent	107.99	0.00	0.00
Provident fund deposit [note 17d]	43.90		
Less: Provision	43.90	0.00	0.00
Loans and advances of related parties [note 17e]			
Unsecured loan to AFL	33.00		
Add: Interest accrued up to 2002-03	8.23		
Less: Provision	41.23	0.00	0.00
Receivable from AFL	15.74		
Less: Provision	15.74	0.00	0.00
Interest free unsecured loan to AFL	165.00		
Less Recovered during the year	0.00		
Less: Provision	165.00	0.00	0.00
TOTAL		16,463.22	14,587.86

Note 17 (a) : The corporation has appointed as project proponent for holistic development of Great Nicobar Island, development of Netaji Subash Chandra Bose Islands. As a part of this role, the Corporation incurred significant expenditure on be half of the respective departments. However, the Memorandum of Understanding (MoU) with these departments is still pending. As a result, the expenditure have been shown under advances in the financial statements. The expenditures are expected to be reimbursed by the respective departments once the MoU is finalised. Due to the pending status of the MoU, these expenditures have been reported as advances in the financial statements.

Note 17 (b) : During the financial year an amount of Rs. 56.88 lakhs booked as shortage against IMFL Shop Rangat out of this Rs. 28.00 Lakhs has been recovered during the year.

Note 17 (c) : The Company had leased out 03 (three) commercial land for tourism projects. The land at Swaraj Dweep has been leased out to The Indian Hotels Comp Ltd, for 60yrs from 7th Dec'09 at an annual lease rent of `2.25 Cr p.a. The other two lands at Long Island and Shaheed Dweep were leased out to M/s. Long Island Nature Hotel & Resort (P) Ltd and M/s. Soma Andaman Resort P Ltd., but were terminated due to default.

Note 17 (d) Under an order passed by the Assistant Provident Fund Commissioner, Sri Vijaya Puram, under section 7A of the Employees Provident Fund and Misc. Provision Act, 1952, a sum of `21.30 lakh for the period from 2001- 2004 was attached and taken away by the said Commissioner. The Company has moved to the Hon'ble High Court, Sri Vijaya Puram for recovery of such amount and Hon'ble High Court in it's order dated 4th Feb 2013, has directed EPF authority to re-assess the amount. In another order passed by the Assistant Provident Fund Commissioner, Sri Vijaya Puram, under section 7Q & 14B of the Employees Provident Fund and Misc. Provision Act, 1952, a sum of `22.60 lakh for the period from 2005-2009 was attached and taken away by the said Commissioner. The company has filed a petition with EPF Appellate tribunal, New Delhi.

Note 17(e): Interest free unsecured loan sanctioned in earlier period to Andaman Fisheries Ltd, which is a 100% subsidiary of the Corporation, opening balance of such loan was `165 lakh. 100% provision has been made on such amount.

(` In Lakhs)

NOTE 18: Other Current Assets		As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
(i) Advance to supplier (unsecured, considered good) <u>Unsecured, considered doubtful</u>		110.92	6.04
(i) Due from Income Tax authority AY 07-08	1.54		
Less: Provision	1.54	0.00	0.00

TOTAL		110.92	6.04
Note 19 : Revenue from operations			
Particulars	Gross Sale		
	As at 31.03.2024	%	As at 31.03.2023
Sale of Products (A)			
<u>i) Manufactured goods</u>			
Dairy milk	1,134.22		1,094.33
Curd	69.04		104.36
Other milk products	230.03		53.06
	1,433.29	3	1,251.75
<u>ii) Traded goods</u>			
IMFL	28,034.54		26,732.23
POL	17,451.89		16,757.11
Iron and Steel	-		-
	45,486.43	93	43,489.34
Sub-total (A)	46,919.72	96	44,741.09
Sale of Services (B)			
Tourism	1,582.04		1,426.96
<u>Others</u>			
Commission of air ticketing	-		-
Interest on term loan	2.24		3.51
Lease rent of Land	388.06		334.81
Lease rent for Water Sports	-		-
Ice Plant/ Cold storage	22.04		17.41
Hire charges/car rental	56.55		19.45
Other Income	37.58		10.76
Sub-total (B)	2,088.51	4	1,812.90
Grand Total D = (A+B)	49,008.23	100	46,553.99

Note (a) : Details required to be given under broad heads for purchase of traded goods and sales/services should be determined based on the nature of each business and other facts and circumstances. Normally 10% of total value of purchase of traded goods and sales/service are respectively, considered as an acceptable threshold for determination of broad heads. Any other threshold can also be considered taking into account the concept of materiality and presentation of true and fair view of the financial statements.

Note (b) : The sale of Ice Plant/ Cold storage include sale of Ice block only.

Note (c) : The corporation discontinue the operation of Iron and steel division during the year 2022-23

(In Lakhs)

		As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Note 20 : Other income			
<u>i) Interest income:</u>			
Interest on fixed deposits		1,164.35	619.16
Interest on capital investment (IOC)		4.56	17.22
Interest on loan to employees		0.33	0.61
<u>ii) Others:</u>			
Administrative Fees	(Note a)	-	42.15
Profit on sales of Assets		4.95	2.32
Discount received		-	0.26
Shortage/other recovery :			
IMFL, Iron Steel & POL			
Liquidity Damage	176.41		

Transportation charges	0.70		
Staff meal	14.69	200.86	352.88
Cancellation charges	9.06	1.42	1.38
TOTAL		1,376.47	1,035.98
Note (a) : The corporation charged 20% on the actual cost incurred on major projects as administrative fee uniformly and addition cost incurred by the corporation to be reimbursed at actual.			
Note 21 : Cost of materials consumed			
Raw milk & Whole Milk Powder		1,044.07	938.84
Groceries for Catering Division		186.14	57.67
TOTAL		1,230.21	996.51
Note 22 : Purchases of Stock-in-Trade			
IMFL		4,449.56	4,482.95
Add: Goods-in-transit		633.63	1,225.45
Petroleum products		16,550.76	16,139.26
Add: Goods-in-transit		124.53	4.04
Carriage inwards		1,325.87	1,093.05
License fees		329.02	312.41
Duty on import permit fees / excise duty		12,807.46	13,858.81
TOTAL		36,220.83	37,115.97
Note 23: Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and Stock-in-Trade			
<u>Inventories (at close)</u>			
Finished goods	27.11		
Stock in trade	5,011.26	5,038.37	8,241.04
<u>Inventories (at commencement)</u>			
Finished goods	22.35		
Stock in trade	8,218.69	8,241.04	8,468.78
TOTAL		3,202.67	227.74

(` In Lakhs)

Note 24: Employee benefit expenses		As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Salary		1,764.58	1,818.33
Contribution to P.F., Pension Fund & Leave Salary		180.91	155.94
Gratuity	24(a)	152.68	72.16
Performance related incentive		104.57	204.40
Training expenditure		0.98	0.07
Staff Welfare		0.68	0.89
Rent of employees accommodation		3.45	3.00
LTC provision	24(b)	3.18	24.67
Provision for leave encashment	24(c)	357.75	-
TOTAL		2,568.78	2,279.46
		31.03.2024	31.03.2023

Note 24(a) : Gratuity Actuarial Assumptions

Particulars	2023-24	2022-23
Mortality Rate	LIC (2006-08) ultimate	LIC (2006-08) ultimate
Withdrawal Rate	1% to 3% depending on age	1% to 3% depending on age
Discount Rate	7.25% p.a.	7.25% p.a.
Salary Escalation	6.25%	5.75%
Note 24(b) : Leave Travel Concession Liability as per AS-15		
Leave Travel Concession liability		

Particulars	2023-24	2022-23
Number of employees	235	238
Actuarial Assumptions		
Rate of discount	7.00% P.A.	7.20% P.A.
Inflation Rate	6.00% P.A.	6.00% P.A.
Mortality	IALM (2006-08) Ultimate	IALM (2006-08) Ultimate
Actuarial Liability	` 46.99 lakh	` 77.19 lakh
Actuarial valuation of LTC has been done by the company and provision has been made based on such actuarial valuation. The accumulated provision at the beginning of the year was `77.19 lakh Against the said provision amount of `33.37 lakh has been utilised during the year and provision made during the year is an amount of `3.17 Lakh and closing figure at the end of the year is `46.99 lakh as per valuation report.		

Note 24(c) : Leave encashment benefit

Leave encashment liability			
Particulars		2023-24	2022-23
Number of employees		226	235
Total monthly salary		` 123.48 Lakh	` 115.81 Lakh
Total encashable leave		48854.5	39704
Normal retirement age		60 years	60 years
Actuarial Assumptions			
Discounting rate		7.0% P.A	6.9% P.A.
Rate of increase in Salary		10.00% P.A.	10.00% P.A.
Withdrawal rate		2.00% P.A.	2.00% P.A.
Mortality		IALM 2006-08 ultimate	IALM 2006-08 ultimate
Actuarial discounted value of leave		` 1197.30 lakhs	` 866.27 lakhs

Actuarial valuation has been done by the company and provision has been made based on such actuarial valuation. The accumulated provision at the beginning of the year was `866.27/- lakhs . Against the said provision amount of `26.72 (PY 18.03) has been utilised during the year and provision created during the year is an amount of `357.75/- lakhs and closing figure at the end of the year is `1197.30/- lakhs as per valuation report.

(` In Lakhs)

	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Note 25 Operation and other expenses		
Note: 25(A) Operation, selling & distribution expenses		
<u>Consumption of Stores & Spares</u>	355.82	303.61
<u>Power & Fuel</u>		
Electricity	141.42	99.32
Fuel charges	160.37	144.32
<u>Rent</u>		
Office rent	1.07	1.60
Rent	283.91	198.15

<u>Repair & Maintenance</u>		
Repair & maintenance of computer	16.38	19.86
Repairs & maintenance of vehicles	9.68	13.14
Repairs & maintenance of buildings	55.16	271.67
Repairs & maintenance of furniture	2.94	0.30
Repairs & maintenance of machinery	57.09	51.67
Govt. audit expenses	1.99	0.75
Insurance	24.21	24.98
Rates & Taxes	73.06	59.63
Water charges	21.45	12.84
Stores handling expenses	13.07	11.80
Trade discount on room tariff	58.29	55.06
Sanitation	23.67	24.78
Horticulture expenses	0.24	9.50
Wharfage expenses	0.05	0.07
Vehicle hire charges tourism	39.68	20.60
Crockery's hire charges	0.13	1.63
Uniform & liveries	5.06	0.02
Outsourcing manpower	552.11	419.68
Business promotion / hospitality	40.55	1.51
Bank charges	36.27	27.48
Watch and ward	90.05	85.58
CSR expenses	70.17	77.74
Hindi week expenses	-	0.09
Registration / Membership fee	0.25	0.21
Miscellaneous	0.65	0.31
GST block credit	248.61	207.32
Refreshment expenditure	15.77	3.69
TOTAL	2,399.17	2,148.91

([^] In Lakhs)

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Note: 25(B) Administrative expenses		
Board meeting expenses	1.64	0.16
Printing & stationary	31.11	17.59
Postage & telegram	1.06	1.25
Telephone/telex/fax	27.62	24.44
Books & periodicals	2.71	0.48
Tenders publishing expenditure	25.27	9.21
Professional charges	29.58	6.50
Travelling expenses	22.62	24.61
	141.61	84.24

Note: 25(C) Other expenses				
Provision				
Provision for bad and doubtful debts		2.29		92.97
Provision for loss of investment		6.00		-
Contingent provision against standard assets		-		0.96
		8.29		93.93
Auditor's Remuneration (including Service Tax)				
- for Statutory audit	2.00			
- Tax audit	0.50			
- others service	0.30	2.80		2.80
Internal audit expenses		0.96		0.73
Total of C		12.05		97.46
Note: 25(D) Prior period Adjustment				
Vehicle Hire Charges		-		-
Grant in Aid		-		(13.98)
Sales		-		-
Freehold Land		-		2.00
Rent of Building		-		0.15
Total		-		(11.83)
Total Operation and other expenses (A+B+C+D)		2,552.84		2,318.78
Note: 26 Earning per share				
Amount available for equity shareholders (₹)		3,332		3,487
Weighted average number of equity shares		11		11
Earning per share basic and diluted (₹)		304		318
Face value per equity share (₹)		100		100

Note – 27 : Corporate social responsibility expenses

a. Disclosure with regard to CSR activities

(₹ In Lakhs)

Particulars	31-Mar-2024	31-Mar-2023
Amount required to be spent by the company during financial year	69.39	70.15
Amount of Expenditure incurred	70.17	77.74
Excess at the end of the year	0.78	7.59
Amount available for Set Off	0	0
Excess amount spent at the end of year including previous year	0.78	7.59
Reason for shortfall	Not Applicable	Not Applicable
Details of related party transactions	Not Applicable	Not Applicable
Provision made with respect to a liability incurred	0	0

b. Provision

Particulars	31-Mar-2024	31-Mar-2023
Opening balance	0	0
Additional provision during the year	0	0
Provision used during the year	0	0
Closing balance	0	0

c. Nature of CSR activities

Particulars	31-Mar-2024	31-Mar-2023
Health Promotion	52.00	72.74
Promotion of Education	15.00	5.00
Environment sustainability	3.17	
Total	70.17	77.74

Note - 28 : Capital-Work-in Progress (CWIP)

Capital work-in-progress ageing schedule for the year ended March 31, 2024 is as follows:

CWIP	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	-	14.68	-	59.66	74.34

Capital work-in-progress ageing schedule for the year ended March 31, 2023 is as follows:

CWIP	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	16.78	-	38.27	21.39	76.44

Note 29(i) Contingent Liabilities:

a) The following cases pending with the Income Tax Department for which the company has gone for appeal/rectification.

A.Y.	Order date	IT Dept. Amount Claimed	Appeal No / Date	Amount agreed and provided	Contingent Liability provided.	Forum where dispute is pending
2009-10 and 2019-24	TDS/TCS return	` 46,80,620/-	TDS/TCS quarterly return correction	nil	` 4680620/-	DC (IT), Faceless
2020-21	19/09/2022	` 12,29,29,510/-	128518240280423	` 12,10,94,196/-	` 1835314/-	CIT(A), Kolkata

	Total	` 65,15,934/-	
--	--------------	----------------------	--

b) Details of Court Cases pending as on 31.03.2024

Case No.	Forum where dispute is pending	Plaintiff & Defendant	Financial Implication Assets /(Liability)
Money Suit No 66/2010	Court of Civil Judge(Senior Division)	ANIIDCO Ltd. –vs- Sanjay Anand, Ex.J.A.	`9,24,406/-
EPF- 07/2020 (Old Appeal No.15/2015)	Central Govt. Industrial Tribunal, Kolkata from EPF tribunal, New Delhi	Regional Provident Fund Commissioner Vs ANIIDCO	`22,60,043/-
2284 of 2019	Supreme Court	LINHRPL V/s ANIIDCO Hon'ble Division Bench dismissed the petition of M/s LINRPL. Now M/s LINRPL filed appeal before the Supreme Court.	`5,47,46,091/-
WP No.267 of 2019	High Court, Sri Vijaya Puram	GM, ANIIDCO - Vs- Y John	Not ascertainable
OS 09 of 2018	District Court, Sri Vijaya Puram	General Manager (Project) V/s M/s Ocean Blue Boating Pvt. Ltd.	` 51,33,379/-

c) The Marine Products Export Development Authority (MPEDA) originally invested in M/s Andaman Fisheries Limited, 33,000 nos of equity shares of `10/- each amounting to `3,30,000/-, as assistance to the said company in promoting its business in deep sea fishing, export oriented production of value added marine products and aquaculture products, and in case of failure, the company must take back all the share invested by MPEDA. The company was asked to take back the shares, as promised to MPEDA. The above Authority (MPEDA) also filed a suit against this company demanding total repayment of `3.30 lakh with interest therein @ 18% per annum since 15th of May, 1992. The Hon'ble High Court at Earnakulam appointed an Arbitrator to go into details and to make final decision on both the parties. As promoter of M/s Andaman Fisheries Ltd, this Company purchased back the above shares of `3.30 lakh on 19/08/2004 pending transfer formalities to be completed and this amount has been shown by this company as further investment in Andaman Fisheries Ltd. The company has made a provision for interest for an amount of `5.38 lakh included in current liability

Note 29(ii) Capital Commitment:

Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account `. Nil lakh (Previous Year `110.78 lakh) and amount paid for Capital Expenses shown in CWIP is `74.35 lakh /- (Previous Year `76.45 lakh)

Note 29(iii) Guarantee issued by Company:

The Company has given credit guarantee amounting to ` 11.47 lakh in respect of loans granted by our Credit & Finance Division which is secured by Credit Guarantee Fund.

Note 29(iv) Dividend:

As per guidelines circulated vide office Memorandum No. F.No 3(3)-B(S)/2015 dated 05.01.2016 from Government of India, Ministry of Finance, The Corporation declare a minimum divided of @ 30% of the PAT or 30% of Equity whichever is higher. For the Financial

Year 2023-24 proposed dividend is `10 Crore (Previous Year `10.46 Crore), subject to approval of Annual General meeting

Note 29(v) Advance Tax

An unadjusted amount of `13661.32 lakh has been shown as "Provision for Income tax" under "Short term provisions" as against "Advance payment of Income Tax" of `14695.00 lakh under "Short term loans and advances". The assessment up to AY 2020-21 is over u/s 143, however the Corporation is unable to adjust the same against "Advance Income Tax" as because the corporation has disputed the amount and gone for appeal / rectification.

Note 29(vi) Subsidiary Company:

The Andaman Fisheries Ltd. became a subsidiary company with effect from 19.8.2004 and a statement u/s 129(3) and audited accounts for the year ended 31.3.2024 are enclosed.

A Term Loan sanctioned to Andaman Fisheries Ltd in the earlier years, amounting to `132 lakh- has been shown as "Loan to Related Party" under "Term Loan from C&F Division". The Company treated the said Term Loan including interest upto 2002-03 as bad debt and made provision in full for same. Since then, no interest is being calculated and provided.

Interest Free Loan was sanctioned to Andaman Fisheries Ltd during the year was ` Nil and the outstanding balance as on 31st March'23 amounting to `1,65.00 lakh, (previous year `165.00 lakh). In earlier years the company provided an interest bearing unsecured loan of `33.00 lakh on which accrued interest accumulated was `8.23 lakh- upto financial year 2002-03. 100% provision had been made on such loan interest bearing unsecured loan.

Note 29(vii) Applicable Disclosure Requirements for Financial Institutions (Credit & Finance Division):

- a. Net Non-Performing Assets : ` 1,47,82,251 /-(PY ` 1,51,30,379/-
- b. Net Loans & Advances : ` 1,51,39,485/-(PY ` 1,63,39,232/-)
- c. Percentage of net NPA to net Loans & Advances: 97.64% (PY 92.60%)
- d. Amount of net NPA under the prescribed asset classification categories:
 - i. Sub-standard: ` 4,58,525. /-(PY ` .61,1706/-)
 - ii. Doubtful: ` 11,23,726 /- (PY ` 13,18,673-)
 - iii. Loss Assets : ` 1,32,00,000/- (PY ` 1,32,00,000)
- e. Amount of Provision made during the year towards NPA : ` 1,69,69,387. /- (PY ` 1,71,14,733/-)

Note 29(viii) Remuneration to Auditors:

Remuneration to Auditors consists of:

- (a) as auditor : audit fees ` 2,30,000/- (PY ` 2,36,000/-)
- (b) taxation matters: tax audit fees ` 50,000/- (PY ` 59,000/-)
- (c) company law matters ` Nil (PY ` Nil)
- (d) management services ` Nil (PY ` Nil)
- (e) cost audit fees ` Nil (PY ` Nil/-)
- (f) Other Services ` Nil (PY ` 35400/-)
- (g) reimbursement of Expenses ` Nil/- (PY ` Nil/-)
- (h) Total ` 2,80,000/- (PY ` 3,30,400/-)

Note 29(ix) Managerial Remuneration:

- a. Remuneration (sitting fee) to Managing Director, whole- time Directors and /or Manager: 40,500.
- b. Remuneration (sitting fee) to other directors : ` 1,19,500.
- c. Travelling expenditure incurred for Managing Director during the year Nil /- (previous year `30,338,). Remuneration has been paid to Managing Director for ` Nil (previous year ` Nil).

Note 29(x) Related party disclosure as per AS - 18:**A) Related Parties and their relationship:**

- i) Subsidiaries (direct holding): Andaman Fisheries Limited
- ii) Fellow Subsidiaries: NIL
- iii) Associates: NIL
- iv) Key Managerial Personnel: Appointment of KMP has not been formalized as Rule 8 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules 2014 is not applicable to the Corporation.

B) Transaction with related parties for the year ended March 31, 2024

	Subsidiaries	Key Management Personnel and their relatives
Brand equity contribution	Nil	Nil
Purchase of fixed assets	Nil	Nil
Loans and advances repaid	Nil	Nil
Revenue Income	Nil	Nil
Revenue expenses	Nil	Nil
Provision/(write back of provision) for doubtful receivables, advances	Nil	Nil
Guarantees given	Nil	Nil
Remuneration	Nil	Nil

C) Related Party Disclosure:

	AFL (Subsidiary Company)	
	2023-24	2022-23
Trade receivables, Unbilled revenue, Loans and advances, Other assets (net)	Nil	Nil
Trade payables, Income received in advance, Advances from customers, Other liabilities	Nil	Nil
Guarantees	Nil	Nil
Investment in debentures/mutual funds/bonds	Nil	Nil

D) Disclosure of material transactions with related parties

Rent income	Nil	Nil
Other income	Nil	Nil
Purchase of goods, services and facilities (including reimbursement)	Nil	Nil
Rent expense	Nil	Nil
Provision / (Write back of provision) for doubtful receivables, advances	Nil	Nil
Bad debts written off	Nil	Nil
Advances written off	Nil	Nil
Dividend paid on equity shares	Nil	Nil
Guarantees given during the year	Nil	Nil
Remuneration to Key Managerial Personnel	Nil	Nil

Statement U/s 129(3) of Company Act, 2013 of M/s Andaman Fisheries Ltd is attached in **Annexure – A**.

Note 29(xi) Business with Micro, Small and Medium Enterprises

Transaction made with Micro and Small Enterprise, be defined as Micro and Small Enterprise under Micro, Small and Medium Enterprise Development Act, 2006, has been paid within 45 days.

Note 29(xii) Segmental Reporting:

Division-wise Segmental report is given in **Annexure – B**.

	31 st March 2024	31 st March 2023	Variance
	40865	2.16	11.11%
	18914		
	20064	18.29	-2.72%
	1097		
	3487	3.18%	-4.45%
	1097		
	46553.99	2.67	32.94%*
	17460		
	46553.99	49.26	-12.52%
	945		
	22869	6.79	22.59%
	3368		
	46553.99	2.23	-7.06%
	20866		
	4497	9.66%	-6.19%
	46553.99		
	4497	19.25%	-13.57%
	23355		
	4497	10.36%	-7.20%
	43418.96		

Annexure –“A”

**ANDAMAN NICOBAR ISLANDS INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LTD
(ANIIDCO)**

(A Government Undertaking)

Statement pursuant to first proviso to sub-section (3) of section 129 of the Companies Act 2013, read with rule 5 of Companies (Accounts) Rule, 2014 in the prescribed Form AOC-1 relating to subsidiary company

Part “A”: Subsidiaries

1. SL No. : 1

2. Name of the Subsidiary Company : Andaman Fisheries Limited
3. Reporting period for the subsidiary concern, if different from the holding company's reporting period : Reporting Period is same
4. Reporting currency and Exchange rate as On the last date of the relevant Financial Year in the case of foreign subsidiary : Not Applicable
5. Share Capital : ` 1,00,00,000
6. Reserves & Surplus : (`64,52,56,129.62)
7. Total Assets : ` 23,38,355.82
8. Total Liabilities : ` 63,75,94,485.44
9. Investments : ` Nil
10. Turnover : ` Nil
11. Profit before taxation : (`8,47,20,901.00)
12. Provision for taxation : ` Nil
13. Profit after taxation : (`8,47,20,901.00)
14. Proposed Dividend : ` Nil
15. % of Shareholding : 100%

Sd/-
(Chief Financial Officer)
Director)

Sd/-
(Company Secretary)

Sd/-
(Director)

Sd/-
(Managing

ANNEXURE - B CORPORATION LIMITED (ANIIDCO) FROM APRIL 2023 TO MARCH 2024 (` in Lakhs)					Managing Director				
K	C&F	Projects	Corporate Office	Total	Director				
3.27	58.81	388.06	47.67	49,008.23					
-	-	-	1,169.73	1,376.47					
3.27	58.81	388.06	1,217.40	50,384.70					
9.14	0.01	-	0.68	40,632.44					
4.13	58.79	388.06	1,216.72	9,752.26					
1.37	-	76.92	290.95	1,284.01					
2.05	0.08	8.04	124.22	1,281.81					
4.99	19.43	13.08	1,293.49	2,568.78					
3.16	27.48	-	37.06	168.38					
0.71	47.00	98.04	1,746.40	45,935.43					
2.56	11.80	290.02	-	4,978.30					
2.83	(7.99)	265.70	-	5,478.03					
1.12	2.10	13.84	-	1,746.40					
3.56)	9.70	276.18	-	3,231.90					
1.40	(8.75)	254.62	-	3,937.15					
				1,217.40					
				8.29					
				4,440.99					

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the members of

Andaman & Nicobar Islands Integrated Development Corporation Limited

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the accompanying Consolidated financial statements of M/S. **Andaman & Nicobar Islands Integrated Development Corporation Limited** ("the Holding Company") which comprises the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2024, the Consolidated Statement of Profit and Loss, the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as 'the Consolidated Financial Statement'.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, except for the effects of the matter described in the basis of Qualified Opinion Section of our report, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Accounting Standards) Rules, 2014 and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the holding Company as at March 31, 2024 and its consolidated Profit including comprehensive income, consolidated changes in equity and its cash flows for the

Basis for Qualified Opinion

1. The company's internal audit function is not commensurate with the size and nature of its operations. Specifically, the internal audit process lacks adequate coverage of key operational and financial areas, including compliance with Statutory Rules & Regulations, inventory management, revenue recognition. This could result in potential material misstatements in the financial statements that may not be detected or prevented on a timely basis.
2. The company has made a provision for the loss on investment in Webcon Consulting (India) Ltd amounting to INR 6,00,000/- without conducting a valuation of the shares. As a result, we were unable to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the appropriateness of the provision for loss on investment. Consequently, we were unable to determine whether any adjustments might have been necessary to the provision for loss on investment, the carrying amount of the investments, and the corresponding impact on the financial statements as at and for the year ended 31.03.2024.
3. The company has not complied with certain provisions of the Income Tax Act, 1961, and the Goods and Services Tax (GST) Act, 2017. Specifically, the company has:
 - a) Not deducted TDS on License Fees paid to IOC amounting to ` 56.05 Lakhs as per the provisions of section 194I of the Income Tax Act, 1961.
 - b) Not paid GST under Reverse Charge Mechanism in respect of the assets taken on lease from IP&T and other Government departments.

As a result of these matters, we were unable to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the completeness and accuracy of the tax liabilities and expenses. Consequently, we were unable to determine whether any adjustments might have been necessary in respect of tax liabilities, penalties, and interest, and the corresponding impact on the financial statements as at and for the year ended 31.03.2024

4. Physical Verification of Fixed Assets at various units/ location was conducted by the Company and recorded as per the assets found in that unit/location. However, the same was not reconciled with the Assets Register. The variances/ deviation found in the Physical verification Report were not adjusted in the Asset Register and no impact has been given in the Accounts.
5. Attention is invited to Note-4 of 'Significant Accounting Policies & Notes to the Financial Statements' it was observed that lots of assets are shown in the books of accounts of the company under different assets head at its residual/salvage value. Further, the remaining useful life of those assets are NIL and further no depreciation are charged by the company as they are shown in their residual value since past many years. However, as per Ind AS-16, depreciation can be seized only if the asset is demortized/sale or is held for sale. Moreover, as per IND AS-16, the company should have to revalue these assets and charge depreciation on the revalued amount. Consequently, fixed assets are overstated by ` 63, 84,250/- and accumulated depreciation is understated by the same amount.

6. As described in Note 29 to the financial statements, the Capital Work in Progress (CWIP) includes projects amounting to ` 59.66 Lakhs that have been ongoing for an extended period without significant progress towards completion. Management has not provided sufficient appropriate evidence to support the valuation and potential impairment of these projects. Consequently, we were unable to determine whether any adjustments to these amounts were necessary
7. Attention is invited to Note 10 of 'Significant Accounting Policies & Notes to the Financial Statements' for valuation of inventories. The Company values stock at lower of historical cost or estimated net realizable value. The Andaman & Nicobar Administration vide its notification no. No.186 dated 05.09.2019 has banned manufacture, storage, use, import, transportation, distribution and sale of PET Bottles- Water & Beverages, including alcohol Less than 2L. This has resulted in a significant portion of the Company's inventory being unsaleable and written down to NIL net realizable value. The value of the stock as on 31.03.2024 is ` 46.26 Lakhs. The Company has not recognized any inventory write-down in the financial statements. Consequently, Closing Stock is overstated by ` 46.26 Lakhs and net profit is overstated by the same amount.

We conducted our audit of the financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules made there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified audit opinion on the financial statements.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Other Matters

We did not audit the financial statements of the subsidiary company via M/s Andaman Fisheries Limited. Total Assets of ` 23,38,355.82 And total loss of ` 8,47,20,901.00 of M/s Andaman Fisheries Limited as on 31.03.2024 have been considered in Consolidated Financial Statements. Our opinion on the Consolidated Financial Statements, and our report on other Legal and Regulatory requirement below is not modified in this respect.

The financial statement of the subsidiary company for the year ended 31st March 2024 were audited by another auditor who expressed an unmodified opinion on those statement on 29.05.2024.

Management's Responsibility for the consolidate Financial Statements

The Holding Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position and consolidated financial performance of the Company in accordance with the AS and other accounting principles generally accepted in India.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The respective Board of Directors of the companies are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibility for the Audit of the standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material mis-statement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks , and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the over ride of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under Section-143(3) (i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the entity has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting in preparation of financial statements and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to event so conditions that may cast significant doubt on the appropriateness of this assumption. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained upto the date of our auditors' report. However, future event so conditions may cause to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

- Communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
- Provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Emphasis of Matter

1. As described in note no. 9 to the financial statements, the Company has capitalized cost of beautification and modernization of ROL outlet at Hutbay and Diglipur amounting to ₹ 130.79 Lakhs as property, plant, and equipment as of 31.03.2024. This capitalization was done without obtaining the completion certificate as required to substantiate that the asset was in the condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management, as per Indian Accounting Standard (Ind AS) 16 - Property, Plant, and Equipment. In the absence of the completion certificate, we were unable to verify whether the asset was ready for its intended use. Consequently, we were unable to determine whether any adjustments to the carrying amount of the asset, depreciation expense, and related disclosures were necessary
2. The existing system of getting balance confirmation in respect of deposits, advances, trade receivables and trade payables is not adequate. In most of the cases, such confirmations are not available. Since, we could not obtain external confirmations as required in SA-505 Standards on Auditing and are unable to comment on adjustments or disclosures if any that may arise.
3. Reference is invited to note no. 15 regarding trade receivables of ₹. 405.15 Lakhs which are outstanding for more than 1 year from invoice date. The company has not obtained any confirmation from such trade receivables. In view of the above we are unable to comment on the reliability of the debts and any provision to be made for unreliability in the carrying amounts of these balances and the consequential impact, on the financial statements.
4. We draw attention to Note 17(b) of the financial statements, which describes the shortage of IMFL stocks at IMFL shop by the employees and the ongoing investigation by the Company to address this issue. These stock shortages were facilitated by weaknesses in the internal control system. Our opinion is not modified in respect of this matter.
5. As described in Note 13(a) to the financial statements, the Credit and Finance department does not maintain income recognition and asset classification on a borrower-wise basis in the accounting system. Instead, consolidated journal entries are recorded at the year-end based on the maintained register. Additionally, the standard practice of periodically reviewing the existence and value of security to ascertain the required provisions as per RBI norms is not followed. The Management has not provided sufficient appropriate evidence to support the accuracy and completeness of income recognition, asset classification, and the provisions for required security valuation in accordance with RBI norms. Consequently, we were unable to determine whether any adjustments to these amounts were necessary.

6. The company has made a provision of ` 357.75 lakhs for leave encashment in the current year, which is intended to compensate for short provisions made in earlier X years for half-pay leave.
7. As described in Note 4(b) to the financial statements, the grant-in-aid balance of ` 150.39 Lakhs has not been adjusted in the balance sheet for the current year and for several prior years. Management has not provided sufficient appropriate evidence to support the valuation and existence of this balance. Consequently, we were unable to determine whether any adjustments to these amounts were necessary.
8. In respect of investment in its subsidiary company M/s Andaman Fisheries Limited and the loan and advances given to its subsidiary the Management of the company is of the view that 100% provision is made for loss of such investments. However, in the absence of fair valuation of those investments in the subsidiary, we are unable to comment on the total provision made by the company in this regard.
9. The financial statement of M/s Andaman Fisheries Limited indicates that the company have accumulated losses and the net worth has been fully eroded. These conditions, along with other matters indicate the existence of a material uncertainty that may cast significant doubt about the company ability to continue as a going concern. However, the financial statements of the company have been prepared on a going concern basis which is dependent upon continuous support of its Holding Company.
10. We draw attention to Note 17 of the financial statements, which describes the company's expenditures incurred towards consultancy services for various infrastructure projects being undertaken by the Government of India. As of the date of our audit report, the final Memorandum of Understanding (MOU) with the respective government departments has not been signed. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements:

1. As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:
 - a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
 - b. Except for the possible effects of the matter described in the paragraph above, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;
 - c. Except for the possible effects of the matter described in the basis of qualified opinion paragraph above, the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;
 - d. Except for the possible effects of the matter described in the basis of qualified opinion paragraph above, In our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with the Accounting Standards specified under section 133 of the Act and rules made there under, as applicable;
 - e. The matter described in the basis for Qualified Opinion and Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, may have an adverse effect on the functioning of the Company.
 - f. Being a Government Company, pursuant to the Notification No. GSR 463(E) dated 05th June 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, provisions of sub-section(2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the company.
 - g. The adverse remarks relating to the internal financial control over financial reporting of the company and the operating effectiveness of such control refer to our separate report in Annexure-'C'.

- h. In terms of Notification No. G.S.R 463 (E) dated 05th June 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, the provisions of Section 197 read with Schedule V of the Act regarding managerial remuneration are not applicable to the Company.
- i. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- I. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer to Note 29(i)(a),(b) and (c) to the financial statements.
 - II. The company has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long term contracts;
 - III. The Company has no amounts which are required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund as per the provision of the Act.
 - IV. The management has disclosed that, to the best of its knowledge and belief, other than on the notes on accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other persons or entities, including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall:
 - directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever ("Ultimate Beneficiaries") by or on behalf of the Company or
 - Provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
 - Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.

V. As stated in Note 31 to the consolidated financial statements:

- a. The final dividend paid by the Holding Company during the year in respect of the same declared for the previous year is in accordance with section 123 of the Companies Act 2013 to the extent it applies to payment of dividend.
- b. The Board of Directors of the Holding Company has proposed final dividend for the year which is subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting. The dividend declared is in accordance with section 123 of the Act to the extent it applies to declaration of dividend.

- VI. 1.** Based on our examination, which included test checks, the Company has used accounting software for maintaining its books of account for the financial year ended March 31, 2024 which has a feature of recording audit trail (edit log facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software. Further, during the course of our audit we did not come across any instance of the audit trail feature being tampered with. As proviso to Rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is applicable from April 1, 2023, reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 on preservation of audit trail as per the statutory requirements for record retention is not applicable for the financial year ended March 31, 2024.
- 2.** With respect to the matters specified in paragraphs 3(xxi) and 4 of the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 (the "Order"/"CARO") issued by the Central Government in terms of Section 143(11) of the Act, to be included in the Auditor's report, according to the information and explanations given to us, and based on the CARO reports issued by us for the

Company and its subsidiaries included in the Consolidated financial statements of the Company, to which reporting under CARO is applicable, we report that there are no other qualifications or adverse remarks in this CARO reports.

For BABU AND BADAT
(Chartered Accountants)
FRN: 321009E

Place: Sri Vijaya Puram

Date: 23/09/2024

CA IMRAN HASHIM BADAT
Partner
M.No.065814
UDIN: 24065814BKBLTX7786

**INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT OFFICE OF THE DIRECTOR
GENERAL OF AUDIT, CENTRAL, KOLKATA.**

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA, UNDER SECTION 143(6)(b) READ WITH SECTION 129(4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024.

The preparation of consolidated financial statements of Andaman & Nicobar Islands Integrated Development Corporation Ltd. for the year ended 31 March 2024 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the Management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) read with section 129 (4) of the Act, is

responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 read with section 129 (4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 23 September 2024.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the consolidated financial statements of Andaman & Nicobar Islands Integrated Development Corporation Ltd. for the year ended 31 March 2024 under Section 143(6)(a) read with section 129 (4) of the Act. We conducted a supplementary audit of the financial statements of Andaman & Nicobar Islands Integrated Development Corporation Ltd., but did not conduct supplementary audit of the financial statements of Andaman Fisheries Ltd. for the year ended on that date. This supplementary audit has been carried out independently, without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and Company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to the statutory auditors' report under section 143(6) (b) of the Act.

**For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India**

Place: Kolkata

Date: 16/12/2024

**(Uday Shankar Prasad)
Director General of Audit
Central (Kolkata)**

**ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED**

(A Government Undertaking)

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31st March 2024

(` In Lakhs)

	Note No.	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
<u>EQUITY AND LIABILITIES</u>			
<u>Shareholders' fund</u>			
Share capital	2	1,097.01	1,097.01
Reserves & surplus	3	25,745.64	22,416.10
<u>Non-current liabilities</u>			
Other long term liabilities	4	179.03	177.70

Long term provisions		5	1,261.34	972.34
<u>Current Liabilities</u>				
Trade payables				
a. Micro enterprises and small enterprises		6	236.23	-
b. Others			2,193.46	3,098.23
Other current liabilities		7	1,817.76	2,055.95
Short term provisions		8	13,867.15	13,796.50
	TOTAL		46,397.62	43,613.83
<u>ASSETS</u>				
<u>Non-current Assets</u>				
Fixed assets				
a. Property, Plant and Equipment		9	2,354.54	2,143.00
b. Intangible			3.66	3.48
c. Capital work-in-progress			74.35	76.45
Non current investments		10	-	6.00
Long term loans & advances		11	26.19	50.32
Deferred tax assets (Net)		12	349.50	265.36
<u>Other Non-current Assets</u>				
Term loan by C&F division		13	14.62	25.24
Goodwill (on consolidation)			169.45	169.45
<u>Current Assets</u>				
Inventories		14	5,202.02	8,623.65
Trade receivables		15	1,315.40	959.01
Cash & cash equivalents		16	20,313.81	16,695.68
Short term loans & advances		17	16,463.17	14,590.15
Other current assets		18	110.91	6.04
	TOTAL		46,397.62	43,613.83

Significant Accounting Policies & Notes on Accounts 1 to 30

The Accounting Policies and Notes referred to above form an integral part of the financial statements.

The figures shown in the notes are ` in lakhs.

For M/s Babu & Badat
Chartered Accountants
FRN - 321009E

Sd/-
(Chief Financial Officer)

Sd/-
(Company Secretary)

(Imran Hashim Badat)
Partner
Membership No. 065814

Sd/-
(Director)
DIN : 03463195

Sd/-
(Managing Director)
DIN : 09779872

UDIN : 24065814BKBLTX7786
Place: Sri Vijaya Puram
Date: 23rd Sept., 2024

ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(A Government Undertaking)

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st March 2024
(` in Lakhs)

	Note	As at	As at
Revenue:	No.	31.03.2024	31.03.2023
Revenue from operations	19	49,008.23	46,553.99
Other income	20	1,376.58	1,035.99
Total Revenue		50,384.81	47,589.98

Expenses:			
Cost of materials consumed	21	1,230.21	996.51
Purchases of Stock-in-Trade	22	36,220.83	37,115.96
Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and Stock-in-Trade	23	3,202.67	227.74
Employee benefit expenses	24	2,568.78	2,279.46
Depreciation and amortization Exp.	9	169.98	156.24
Operation and other expenses	25	2,553.41	2,319.34
Total Expenses		45,945.87	43,095.25
Profit Before exceptional and extraordinary items and tax		4,438.94	4,494.72
Exceptional items - Provision written back		1.49	154.38
Profit Before extraordinary items and tax		4,440.43	4,649.10
Less: Provision for Current Tax		1,195.03	1,117.95
Less: Provision for Deferred Tax made		-	46.50
Add: Provision for Deferred Tax written back / Made		84.14	-
Balance available for appropriation		3329.54	3,484.65
Earning per equity share:- Basic & diluted	26	303.51	317.65

Significant Accounting Policies & Notes on Accounts 1 to 30

The Accounting Policies and Notes referred to above form an integral part of the financial statements. The figures shown in the notes are ` in lakhs.

For M/s Babu & Badat
Chartered Accountants
FRN - 321009E

Sd/-
(Chief Financial
Officer)

Sd/-
(Company Secretary)

(Imran Hashim Badat)
Partner
Membership No. 065814

Sd/-
(Director)
DIN : 03463195

Sd/-
(Managing Director)
DIN : 09779872

UDIN : 24065814BKBLTX7786
Place: Sri Vijaya Puram
Date: 23rd Sept., 2024

ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(A Government Undertaking)
CONSOLIDATED CASH FLOW FOR THE PERIOD ENDED 31st March 2024

Particulars	For the year ended 31.03.2024	(in Lakhs) For the year ended 31.03.2023
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES :		
<u>Net profit before tax and extraordinary items</u>	4,438.94	4,494.72
Adjustments for :		
Depreciation	169.98	156.24
Interest on Fixed Deposit	(1,164.35)	(619.16)

Provision for Bad & Doubtful Debt etc.	8.29	93.93
Provision written back	1.49	154.38
Lease Rent Income	(388.06)	(334.81)
Operating profit before working capital changes	3,066.29	3,945.30
Adjustment for :		
Decrease /(Increase) in Inventories	3,421.64	212.61
Decrease /(Increase) in Trade Receivables	(364.68)	(121.97)
Decrease /(Increase) in Accrued Interest	(244.81)	14.86
Decrease /(Increase) in Current Loans & Advances	(1,873.02)	(1,102.66)
Increase/(Decrease) in Other Current Liabilities	(236.86)	315.98
Increase/(Decrease) in Trade Payables	(668.54)	(593.97)
Decrease/(Increase) in other Current Assets	139.94	(16.42)
Increase/(Decrease) in Short Term Provisions	(1,124.39)	302.61
Decrease/(Increase) in Term Loan from C&F Division	10.62	12.84
NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES - (A)	2,126.19	2,969.17
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Lease Rent Income	388.06	334.81
Increase/(Decrease) in Long Term Provision	295.00	(182.32)
Decrease/(Increase) in Long Term Loans & Advances	24.13	89.98
Addition to Fixed Assets (net)	(384.07)	(354.89)
Change in Capital Work-in-Progress	2.10	(16.81)
Interest on Fixed Deposit	1,164.35	619.16
Sale of Fixed Assets after adjustment of Profit / Loss	2.35	2.68
NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES - (B)	1,491.92	492.61
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:		
Proposed Dividend	-	(1,046)
NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES - (C)	-	(1,046)
Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)	3,618.13	2,415.74
Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year	16,695.68	14,279.94
Cash and Cash Equivalents at the end of the year	20,313.81	16,695.68
	3,618.13	2,415.74

Notes to the Cash Flow Statements for the period ended 31.03.2024

1. The above Cash Flow statement has been prepared under the indirect method set out in AS-3 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
2. Figures in brackets indicate cash outgo.
3. Previous period figures have been regrouped and recast wherever necessary to conform to the current period classification.
4. Cash and Cash Equivalents comprises of :-

	(In Lakhs)	
	Amount	Amount
Cash and cash equivalents	1,271.76	2,343.16
Other Bank balances	18,945.08	14,160.04

Balances with Non-Scheduled Banks	16.44	136.46
Cash in hand	80.53	56.02
TOTAL	<u>20,313.81</u>	<u>16,695.68</u>

5. Short Term deposit with State Bank India , Sri Vijaya Puram Branch include an amount of 28.63 Lakh toward "Credit Guarantee Fund" (PY 27.31 Lakhs)

This is the cash flow statement referred in our report of even date.

For M/s Babu & Badat
Chartered Accountants
FRN - 321009E

Sd/-
(Chief Financial Officer)

Sd/-
(Company Secretary)

(Imran Hashim Badat)
Partner
Membership No. 065814

Sd/-
(Director)
DIN : 03463195

Sd/-
(Managing Director)
DIN : 09779872

UDIN : 24065814BKBLTX7786
Place: Sri Vijaya Puram
Date: 23rd Sept., 2024

Notes to Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2024.

NOTE 1: Summary of Material Accounting Policies and explanatory information

1. Basis of Preparation:

The Corporation is holding the Shares of M/s Andaman Fisheries Ltd. from the date of its incorporation (1992) and became a majority share holder from 19th August 2004. Subsequently M/s Andaman Fisheries Ltd. became a 100% subsidiary company w.e.f 26th June 2007 and Consolidated Financial Statement has been prepared from the FY 2013-14. The Company holds 10,00,000 equity shares, of M/s Andaman Fisheries Ltd @ 10 each fully paid-up, which is 100% of paid-up capital. Out of such shares 33,000 equity shares of 10 each acquired from MPEDA has been disputed and pending transfer.

2. Principles of Consolidation:

CFS has been prepared based on various assumptions noted below:-

- I. The financial statements of the subsidiary company (AFL) have been restated for aliening the same with the financial statement of the Parent (ANIIDCO) Company
- II. Cost of control has been calculated based on cost to the parent of its investment in a subsidiary as on 1st April 2013 inspite of the actual date of 19th August 2004 (i.e., majority share holding), on which investment in subsidiary was made. Since Subsidiary Company was having negative net worth as on the date of acquisition (assumed to be 01.04.2013 and the carrying amount of investment in subsidiary is different from its cost (Nil) in parent company, the carrying amount is treated as difference and such amount is treated as Goodwill in CFS in the Financial Year 2014- 15.
- III. As far as possible, the consolidated financial statements are prepared using uniform accounting policies for like transactions except depreciation and other events in similar circumstances and presented in the same manner as the company's separate financial statements.
- IV. Loan from Credit and Finance division of ANIIDCO to the subsidiary has been treated as "Loss Assets" under State Finance Corporation Act and no interest charged thereon and 100% provision has been made for the same in Parent company's book. Further full provision has been made for any loan to subsidiary along with Interest in the book of parent company. The data related to such loans and interest there on are aliened and adjusted with General Reserve only for the purpose of consolidation.
- V. The financial statement of the company and its subsidiary company are combined on a line-by-line basis by adding together the book value of like items of assets, liabilities, income and expenses, after fully eliminating intercompany transactions in accordance with the accounting standard 21- "Consolidated Financial Statements".
- VI. The audited consolidated financial statements have been prepared for the first time during the Financial Year 2014-15.

3. Other Significant Accounting Policies:

These are set out under "Significant Accounting Policies" as given in the Company's separate financial statements.

ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
INTEGRATED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(A Government Undertaking)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENT FOR THE PERIOD ENDED 31st March 2024
(In Lakhs)

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
NOTE : 2		
<u>Share Capital</u>		
<u>Authorised</u>		
50,00,000 Equity shares of `100/- each	5,000.00	5,000.00
<u>Issued, Subscribed and Paid up</u>		

10,97,006 (Previous year 10,97,006)		
Equity Shares of ` 100 each, (of which		
17,546 shares issued other than cash)	1,097.01	1,097.01
TOTAL	1,097.01	1,097.01

Note 2 (a) Reconciliation of the number of equity shares and amount outstanding at the beginning and at the end of the reporting period:

Balance at the commencement of the year	1,097.01	1,097.01
Shares issued during the year	-	-
Shares brought back during the year	-	-
Balance at the end of the year	1,097.01	1,097.01

Note 2 (b) Details of Shareholders holding shares more than 5% share in the company.

Sl	% of	
No.	Name of the Shareholder	holding No of equity shares
1	The President of India	85 933,348
2	The Lt. Governor, A&N Islands	15 163,656

Details of Shareholders for previous year remain same.

Note 2(c) Board vide it's agenda No.23.09 held on 22.01.1993 issued 17,546 equity shares of `100/- each, in favour of Lt. Governor A&N Islands, in lieu of milk powder amounting to ` 17,54,664 received in kind from Animal Husbandry Department of A&N Administration.

NOTE : 3 Reserves & Surplus

a) General reserves :

At the commencement of the year	22,416.10	19,977.49
Add: Transfer from surplus	3,329.54	2,438.61
At the end of the year	25,745.64	22,416.10

b) Surplus in statement of profit and loss:

At the commencement of the year	0.00	0.02
Add: Profit for the year	3,329.54	3,484.65
<u>Less: Appropriations:</u>		
Proposed Dividend (@ 30% of Distributable profit) ref. to Note 29(iv)	-	-
Transfer to general reserve	3,329.54	3,484.65
At the end of the year	0.00	0.02
	25,745.64	22,416.10

(` In Lakhs)

		As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
NOTE : 4 Other long term liabilities			
<u>Credit guarantee fund:</u>			
Opening balance	4(a) 27.31		
Add: Income generated as per last account	-		
Addition during the year	1.32		
Total fund	28.63		
Less: Utilised during the year	-	28.63	27.32
<u>Grant-in-Aid from A & N Admn.</u>	4(b) 150.39		
Add: Received during the year	-		

Less: Utilised during the year		-	150.39	150.39
TOTAL			179.03	177.70

Note 4(a): Credit Guarantee Fund: The Company received an amount in earlier years from the Directorate of Industries, A&N Administration, for providing guarantee against industrial loans in lieu of collateral security, opening balance of which is `27.31 lakh. Interest income generated from the said fund after deduction of TDS has been credited to the fund and any amount utilised as per the terms of the scheme has been deducted from such fund. The liability guaranteed against such fund as on 31/03/2024 is `28.64 lakh.

Note 4(b): The unadjusted balance due to pending of post facto approval of competent authority (`135.63 Lakhs), the Grant in aid received (`190 Lakhs) in FY 2016-17 out of which Rs.175.24 lakh has been expended till 31.03.2024:-

Year	Particulars	Purpose	Amount (in lakh)
1994-95	Order no 467 dt 21.03.1995 received from Accounts Officer IP&T	Towards tourism development of A&N Islands	` 65.63
1995-96	Order no 837 dt 29.03.1996 received from Accounts Officer IP&T	Towards tourism development of A&N Islands	`70.00
2016-17	Order No. Nil dated Nil received from Directorate of AH	For expansion of milk collection	` 14.76
Total Grant-in-Aid from A & N Admn.			` 150.39

NOTE : 5 Long term provisions

Provision for leave encashment	1,154.89	832.04
Provision for Gratuity	75.26	83.15
Provision for LTC/AFSP	31.18	57.10
Provision against standard assets	0.01	0.05
TOTAL	1,261.34	972.34

NOTE : 6 Trade payable

Trade payable		
i) Outstanding dues to Micro, Small and Medium enterprises (6a)	236.23	-
ii) Other trade payables	2,193.46	3,098.23
TOTAL	2,429.69	3,098.23

Note 6(a): The Company identify the Micro, Small and Medium enterprises under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. On the basis of information available with the company and confirmation received, as at the year end an amount of `236 lakhs. (previous year : `Nil/-) is due with such enterprises.

Trade payables ageing schedule for the year ended as on March 31, 2024 :

(` In Lakhs)

Particulars	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) MSME	236.23				236.23
(ii) Others	2,041.61	25.01	25.01	34.10	2,193.46
(iii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues - Others	-	-	-	-	-
Grand Total	2,277.84	92.74	25.01	34.10	2,429.69

Trade payables ageing schedule for the year ended as on March 31, 2023 :

(In Lakhs)					
Particulars	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) MSME	-				-
(ii) Others	3,038.21	25.01	3.25	31.75	3,098.23
(iii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues - Others	-	-	-	-	-
Grand Total	3,038.21	25.01	3.25	31.75	3,098.23

(In Lakhs)

		As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
NOTE : 7	<u>Other current liabilities</u>		
Received in advance			
<u>Other payables</u>			
Deposit payable to :			
<u>Others</u>	21.35	21.35	121.35
<u>Advance from customers</u>		16.74	11.84
Liquor license fees payable to DC	20.11		
Outstanding liabilities for expenses	126.60		
EMD/Security deposits from suppliers	35.51		
Interest on buy back of AFL shares	5.39		
Taxes payable	83.48		
Tiny Loan Scheme	0.04		
Others	34.76	305.89	560.42
Deposit payable to Director of Fisheries	7 (a)	10.00	10.00
Advance from sundry debtors		1,463.78	1,352.34
TOTAL		1,817.76	2,055.95

Note 7(a) The Company has received fund from Director of Fisheries during the period 1989-90 to 1996-97 of which `10 lakh remain un-utilized. The above amount is presently lying in the current account maintained with SBI- Sri Vijaya Puram.

(In Lakhs)

		As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
NOTES : 8	<u>Short term provisions</u>		
Provision for performance related scheme		141.58	223.82
Provision for CSR Expenses		-	-
Provision for leave encashment		42.41	34.23
Provision for LTC/AFSP	8(a)	15.81	20.09
<u>Others</u>			
Provision for Income tax :			
- for AY 2008-09	341.61		
- for AY 2009-10	359.40		
- for AY 2010-11	315.95		
- for AY 2011-12	376.38		

- for AY 2013-14	563.59		
- for AY 2014-15	726.28		
- for AY 2015-16	705.60		
- for AY 2016-17	1140.51		
- for AY 2017-18	1477.61		
- for AY 2018-19	921.21		
- for AY 2019-20	1584.30		
- for AY 2020-21	1210.10		
- for AY 2021-22	741.75		
- for AY 2022-23	884.06		
- for AY 2023-24	1117.95		
- for AY 2024-25	1195.03		
Proposed dividend (30% of distributable profit)	28(iv)	13,661.32	12,466.30
Provisions in Subsidiary Company		-	1,046.04
		6.02	6.02
TOTAL		13,867.15	13,796.50

Note 8 (a) : LTC/AFSP provision has been made as per actuarial valuation as specified in AS-15 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Note 8 (b) : TDS as per books of accounts is considered for calculation of Income Tax Provision i.e. `122.62 lakh.

Particulars	Depreciation				Net Block	
	Provided	Adjusted Transfer	Total as at		As at	
			31.03.2024	8	31.03.2024	31.03.2023
	6	7			9	10
				-	67.48	67.48
	74.14		795.17		1,710.07	1,637.71
				-	0.00	0.00
	33.67		480.17		221.64	230.89
				-	-	-
	10.34		197.57		42.25	47.90
	35.14		776.03		248.13	92.60
	0.51		17.05		6.11	3.59
	5.22		106.18		34.40	33.08
	10.06		176.92		24.46	29.75
				19.92	-	-
				21.25	0.00	-
	169.08		2,590.26		2,354.54	2,143.00
		81			-	
	0.90		39.49		3.66	3.48
					-	
	-				74.35	76.45
	169.98		2,629.75		2,432.55	2,222.93
	156.24		2,461.37		2,222.93	1,902.40

(in Lakhs)

ant & machineries and other assets of milk production unit, at free of cost in the
 grant in aid during the year for "setting up of milk supply chain from Diglipur to Sri
 of ` 1 each as per AS-12 issued by The Institute of Chartered Accountants of India.
 such asset is recoverable from Indian Oil Corporation Ltd. under factoring of
 and remaining amount is shown as receivable from IOC Ltd under the head " Short
 ss. Detail of such lease is given in note 17(a).

terms:

by transaction advisor appointed for leasing of Megapode.

(^ In Lakhs)

		As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
NOTE 10 : Non current investment			
(valued at cost unless stated otherwise)			
Investments in equity instrument (unquoted) fully paid-up			
(i) In Andaman Fisheries Ltd. (a subsidiary company) 9,67,000 Equity Shares @ `10 each, valued at cost.	69.65		
(33000 equity shares@ `10/ each pending transfer)			
Less : Provision for loss on investment in AFL	69.65	-	-
(ii) In Lakshadweep Shilpi Aquaculture Ltd.			
4,00,000 equity shares of `10 each fully paid at cost	40.00		
Less : Provision for loss on Lakshadweep Shilpi Aquaculture Ltd.	40.00	-	-

(iii) WEBCON Consulting (India) Ltd. 30,000 Equity Share @ 10 each along with premium of `10 per share, carried at cost.	6.00		6.00
Less : Provision for loss on WEBCON Consulting (India) Ltd.	6.00	-	
TOTAL		-	6.00

Note 10 (i) : The Company holds 10,00,000 equity shares of M/s Andaman Fisheries Ltd @ `10/- each fully paid-up, out of which 33,000 equity shares of `10/- each acquired from MPEDA has been disputed and pending transfer. MPEDA has claimed interest @ 15% on pending transfer under Equity Participation Scheme, which is disputed by the company. However the company, in it's 13th Board meeting agreed to pay simple interest applicable for term loan of any financial institution, after deducting any dividend received by MPEDA from such investment. The amount of such interest is `5.39 lakh (Gross amount `8.69 lakh) as on 10th June'01 for which a provision has been made in the earlier period. Further the M/s Andaman Fisheries Ltd. is a loss making company and has negative Net Worth, hence 100% provision has been made and disclosed in Note 5.

Note 10(ii) : The Company has invested `40 lakh in the Equity Shares (unquoted) of Lakshadweep Shilpi Aquaculture Ltd. by subscribing to 4,00,000 numbers of fully paid Equity Shares of `10/- each during 1992. The said company has not been able to commence its production since it's formation in 1992 and is highly indebted to Financial Institutions, no income has been received so far on such investments.

Note 10(iii) : The Company has invested `6 lakh in the Equity Shares of WEBCON Consulting (India) Ltd. by subscribing to 30,000 numbers of fully paid Equity Shares of `10/- each during 2012. Due to lack of detailed information on the company shares, the non-receipt of any dividends, the absense of publically available financial statements, and the fact that the investments are in unlisted companies with no market valuation available the management has decided to create a provision for potential loss on investment.

NOTE 11: Long term loans & advances

<u>Secured, considered good</u>			
Computer advance to employees		1.37	3.66
House building advance to employees		0.58	0.54
<u>Unsecured, considered good</u>			
Security deposit		24.24	24.22
Other advance to Govt agency			
Indian Oil Corporation (capital factoring)	11 (a)	-	21.90
<u>Unsecured, considered doubtful</u>			
Staff Advance	1.31		
Less: Provision	1.31	-	-
Deposit receivable (Unsecured, considered doubtful)	5.88	-	-
Less: Provision	5.88	-	-
TOTAL		26.19	50.32

Note 11(a) : Refer Note 9(ii) & 17 (i)

NOTE 12: Deferred tax assets (Net)

a. Deferred tax liabilities		-	-
Depreciation and amortisation		11.42	11.24
Provision for doubtful debts and advances		527.57	451.66
Total		538.99	462.90
b. Deferred tax assets			
Depreciation and amortisation		163.17	146.10
Provision for doubtful debts and advances		26.32	51.44
Total		189.49	197.54
Net deferred tax liabilities/(Assets)		349.5	265.36

Deferred tax has been calculated as per the Accounting Standard 22 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

(` In Lakhs)

		As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
NOTE 13: Term loan by C&F division (secured)			
(a) Term loan (considered good)	6.56		
Term loan (considered doubtful)	12.75		
Less: Provision for sub standard assets	4.69	14.62	25.24
<u>(b) Loan to related party</u>			
Loan to AFL (considered doubtful)	132.00		
Less: Provision made	132.00	-	-
TOTAL		14.62	25.24

Note 13(a) The Companies "Credit & Finance" division has provided Term Loan from Corporations' available surplus fund called "General Scheme" and it has carried forward gross opening balance of `163.39 lakh. Total sum of Nil (Previous year `4.60) was sanctioned towards loan under above scheme during the year. However the company recovered `14.33 lakh, (Previous year `20.03 lakh) including interest. A provision was written back on standard assets during the year amounting to `0.03406 Lakh (Rupees Three thousand four hundred six only) (Previous year Provision written back `0.03759 Lakh) and provision made on sub-standard assets during the year is `1.45 Lakh, (previous year provision written back was `.96 Lakh). From the year 2022-23 division stop

Note 13(b) : Term loan sanctioned to Andaman Fisheries Ltd, a subsidiary of the Corporation, in the earlier years, amounting to 132 Lakh /-, has been shown as loan to "Related Party" in books of account. The company treated the said term loan up to 2002-03, as bad debt and made provision for entire amount. Since then, no interest is being calculated and provided as per RBI circular dated 2 July 2012 since AFL become NPA. However subsidiary company M/s AFL has charges interest of `7.25 crore (Previous year `7.19 crore) in their books of accounts.

NOTE 14 : Inventories			
<u>Raw material</u>			
Raw milk	45.42		
Stock of provisions at hotel	68.51	113.93	323.61
<u>Finished goods</u>			
Constituted milk	23.28		
Paneer	0.07		
Curd	0.26		
Cow milk	3.50	27.11	22.35
Stock in trade			
Petroleum products	421.45		
Add: Goods-in-transit	124.53		
IMFL products	3,831.63		
Add: Goods-in-transit	633.63		
Souvenir, maps & biometric device	0.03	5,011.26	8,218.69
Stores & spares - Milk plant		49.71	59.00
TOTAL		5,202.02	8,623.65

Note: Inventories valued at lower of historical cost or estimated net realizable value.

NOTE 15 : Trade receivables (unsecured)			
Considered good			
(i) Over six months from due date of payment	833.99		
(ii) Below six months from due date of payment	481.41	1,315.40	959.01
Doubtful			
(i) Over six months from due date of payment	244.27		
(ii) Below six months from due date of payment	-		
Less: Provision for Bad and Doubtful debts	244.27	-	-
TOTAL		1,315.40	959.01

Trade receivable ageing schedule for the year ended as on 31 March 2024 :

(In Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					
	Less than 6 months	6 months -1 yea	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	584.96	361.75	207.80	160.88	244.27	1,559.67
(ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	-
(iii) Disputed Trade Receivables considered good	-	-	-	-	-	-

(iv) Disputed Trade Receivables considered doubtful	-	-	-	-	-	-
Total	584.96	361.75	207.80	160.88	244.27	1,559.67
Less: Provision for Bad and Doubtful debts						244.27
Trade Receivable						1,315.40

Trade receivable ageing schedule for the year ended as on 31 March 2023 :

(*^ In Lakhs*)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					
	Less than 6 months	Less than 6 months	Less than 6 months	Less than 6 months	Less than 6 months	Less than 6 months
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	352.48	307.80	160.88	137.86	241.99	1,201.00
(ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	-
(iii) Disputed Trade Receivables considered good	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivables considered doubtful	-	-	-	-	-	-
Total	352.48	307.80	160.88	137.86	241.99	1,201.00
Less: Provision for Bad and Doubtful debts						241.99
Trade Receivable						959.01

(*^ In Lakhs*)

	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
NOTE 16 : Cash and cash equivalents		
<u>Balances with scheduled banks</u>		
(a) Current accounts		
Indian Bank, Sri Vijaya Puram	85.74	189.06
Indian Bank, Chennai	0.57	4.27
State Bank of India, Sri Vijaya Puram	444.45	235.62
HDFC Bank, Sri Vijaya Puram	69.38	95.41
Canara Bank, Secretariat	58.04	63.35
Canara Bank, Shaheed Dweep POL	24.70	77.14
Canara Bank, Campbell Bay	36.78	271.29
State Bank of India, Hut bay	34.49	0.02
State Bank of India, Rangat	2.79	12.83
State Bank of India, Mayabunder	4.20	0.11
State Bank of India, Diglipur	137.04	174.97
State Bank of India, Swaraj Dweep	50.03	101.44
State Bank of India, RK Pur, L/Andaman	5.10	0.05
State Bank of India, Kamorta	19.78	18.19
State Bank of India (IMFL J/Ghat)	1.98	1.28
State Bank of India, IMFL MOHANPURA	2.10	0.99
State Bank of India, (Sri Vijaya Puram)	3.14	2.64
State Bank of India, (Delanipur)	1.95	2.18

State Bank of India, (Baratang)	14.29	27.48
State Bank of India, (Kadamtala)	19.75	21.38
State Bank of India, (IMFL SELF SERVICE)	4.85	6.93
ICICI Bank	34.36	32.82
Axis Bank	209.62	996.61
Indian Bank, Sri Vijaya Puram, AFL	6.63	7.10
	1,271.76	2,343.16
<u>Balances with non-scheduled banks</u>		
Current accounts	16.44	136.46
A&N State Co-Operative Bank Ltd. Andaman	16.44	136.46
<u>Cheque in hand</u>		
<u>Cash in hand</u>		
At Head office	0.48	0.29
Postal stamps in hand	-	0.01
Cash at shops	80.05	55.72
	80.53	56.02
	1,368.73	2,535.64
(b) Other Bank balances		
with upto 12 months maturity		
Punjab National Bank	-	700.00
Canara Bank	6,900.00	1,500.00
Indian Bank, Sri Vijaya Puram	19.38	85.46
Union Bank of India	-	816.01
Bank of Baroda	5,000.00	900.00
Central Bank of India	-	1,700.00
Indian Overseas Bank	1,300.00	-
State Bank of India, , Sri Vijaya Puram	2,937.65	4,081.26
UCO Bank	-	800.00
Bank of India	-	417.77
ICICI Bank	89.25	1,832.30
HDFC Bank	1,505.00	120.25
Axis Bank	742.00	1,000.00
Add: Interest accrue thereon	451.80	206.99
	18,945.08	14,160.04
Total cash and cash equivalents	20,313.81	16,695.68
Note 16(a): Short Term deposit with State Bank India , Sri Vijaya Puram Branch include an amount of `28.63 Lakh toward "Credit Guarantee Fund" (PY `27.31 Lakhs)		

(` In Lakhs)

	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
NOTE 17: Short term loans & advances		
House building advance to employees	0.30	1.67
Computer advance to employees	2.50	2.65
Advance for civil work	136.78	110.78
Claim receivable from IOC	37.59	37.18
Other advances to employees	4.38	1.96
Niti Aayog Project	267.08	380.24

Indian Oil Corporation (capital factoring)	17 (i)	21.89	82.98
Input IGST		1.13	0.84
Input CGST/UTGST		14.44	46.30
Advance payment of Income Tax (including TDS)			
- for AY 2008-09	341.61		
- for AY 2009-10	385.73		
- for AY 2010-11	414.26		
- for AY 2011-12	470.82		
- for AY 2012-13	10.03		
- for AY 2013-14	591.39		
- for AY 2014-15	777.53		
- for AY 2015-16	727.38		
- for AY 2016-17	954.72		
- for AY 2017-18	1,506.86		
- for AY 2018-19	1,114.71		
- for AY 2019-20	1,506.58		
- for AY 2020-21	1,289.54		
- for AY 2021-22	747.89		
- for AY 2022-23	984.57		
- for AY 2023-24	1,294.50		
- for AY 2024-25	1,576.83	14,695.01	13,118.13
Advance payment of dividend tax	83.98		
Add: During the year	0.00	83.98	83.98
Deposit /advances with Govt. and others [note 17a]		703.61	0.01
Advance to suppliers and contractors		469.04	723.30
Other Advances [note 17b]		25.49	0.13
Unsecured, considered doubtful (Unsecured, considered good unless otherwise stated.)			
Cash shortage to be recovered	10.18		
Less: Provision	10.18	0.00	0.00
Other Advances	4.34		
Less: Provision for dad debt	4.34	0.00	0.00
Deposit /advances with Govt. and others	4.19		
Less: Provision	4.19	0.00	0.00
Advance to suppliers and contractors	5.19		
Less: Provision for loss of advances	5.19	0.00	0.00
Lease Rent receivable [note 17c]	107.99	0.00	0.00
Less: Provision for lease rent	107.99	0.00	0.00
Provident fund deposit [note 17d]	43.90		
Less: Provision	43.90	0.00	0.00
Loans and advances of related parties [note 17c]			
Unsecured loan to AFL	33.00		
Add: Interest accrued up to 2002-03	8.23		
Less: Provision	41.23	0.00	0.00
Receivable from AFL	15.74		

Less: Provision	15.74	0.00	0.00
Interest free unsecured loan to AFL	165.00		
Less Recovered during the year	0.00		
Less: Provision	165.00	0.00	0.00
TOTAL		16,463.17	14,590.15

Note 17 (a) : The corporation has appointed as project proponent for holistic development of Great Nicobar Island, development of Netaji Subash Chandra Bose Islands. As a part of this role, the Corporation incurred significant expenditure on be half of the respective departments. However, the Memorandum of Understanding (MoU) with these departments is still pending. As a result, the expenditure have been shown under advances in the financial statements. The expenditures are expected to be reimbursed by the respective departments once the MoU is finalised. Due to the pending status of the MoU, these expenditures have been reported as advances in the financial statements.

Note 17 (b) : During the financial year an amount of Rs. 56.88 lakhs booked as shortage agnaist IMFL Shop Rangat out of this Rs. 28.00 Lakhs has been recovered during the year.

Note 17 (c) : The Company had leased out 03 (three) commercial land for tourism projects. The land at Swaraj Dweep has been leased out to The Indian Hotels Comp Ltd, for 60yrs from 7th Dec'09 at an annual lease rent of `2.25 Cr p.a.The other two lands at Long Island and Shaheed Dweep were leased out to M/s. Long Island Nature Hotel & Resort (P) Ltd and M/s. Soma Andaman Resort P Ltd., but were terminated due to default.

Note 17 (d) Under an order passed by the Assistant Provident Fund Commissioner, Sri Vijaya Puram, under section 7A of the Employees Provident Fund and Misc. Provision Act,1952, a sum of `21.30 lakh for the period from 2001-2004 was attached and taken away by the said Commissioner. The Company has moved to the Hon'ble High Court, Sri Vijaya Puram for recovery of such amount and Hon'ble High Court in it's order dated 4th Feb 2013, has directed EPF authority to re-assess the amount. In anther order passed by he Assistant Provident Fund Commissioner, Sri Vijaya Puram, under section 7Q & 14B of the Employees Provident Fund and Misc. Provision Act,1952, a sum of `22.60 lakh for the period from 2005-2009 was attached and taken away by the said Commissioner. The company has filed a petition with EPF Appellate tribunal, New Delhi.

Note 17(e): Interest free unsecured loan sanctioned in earlier period to Andaman Fisheries Ltd, which is a 100% subsidiary of the Corporation, opening balance of such loan was `165 lakh. 100% provision has been made on such amount

(^ In Lakhs)

	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
NOTE 18: Other Current Assets		
(i) Advance to supplier (unsecured, considered good)	110.91	6.04
<u>Unsecured, considered doubtful</u>		
(i) Due from Income Tax authority AY 07-08	1.54	
Less: Provision	1.54	-
TOTAL	110.91	6.04

Note 19 : Revenue from operations

Particulars	Gross Sale			
	As at 31.03.2024	%	As at 31.03.2023	%
Sale of Products (A)				
<u>i) Manufactured goods</u>				
Dairy milk	1,134.22		1,094.33	
Curd	69.04		104.36	
Other milk products	230.03		53.06	
	1,433.29	3	1,251.75	3
<u>ii) Traded goods</u>				
IMFL	28,034.54		26,732.23	
POL	17,451.89		16,757.11	
Iron and Steel	-		-	
	45,486.43	93	43,489.34	93
Sub-total (A)	46,919.72	96	44,741.09	96
Sale of Services (B)				
Tourism	1,582.04		1,426.96	
Others				
Commission of air ticketing	-		-	
Interest on term loan	2.24		3.51	
Lease rent of Land	388.06		334.81	
Lease rent for Water Sports	-		-	
Ice Plant/ Cold storage	22.04		17.41	
Hire charges/car rental	56.55		19.45	
Other Income	37.58		10.76	
Sub-total (B)	2,088.51	4	1,812.90	4
Grand Total = (A+B)	49,008.23	100	46,553.99	100

Note (a) : Details required to be given under broad heads for purchase of traded goods and sales /services should be determined based on the nature of each business and other facts and circumstances. Normally 10% of total value of purchase of traded goods and sales/service are respectively, considered as an acceptable threshold for determination of broad heads. Any other threshold can also be considered taking into account the concept of materiality and presentation of true and fair view of the financial statements.

Note (b) : The sale of Ice Plant/ Cold storage include sale of Ice block only.

Note (c) : The corporation discontinue the operation of Iron and steel division during the year 2022-23.

(In Lakhs)

		As at 31.03.2024	As at 31.03.2024
Note 20 : Other income			
<u>i) Interest income:</u>			
Interest on fixed deposits		1,164.35	619.16
Interest on capital investment (IOC)		4.56	17.22
Interest on loan to employees		0.33	0.61
<u>ii) Others:</u>			
Administrative Fees	[Note b]	-	42.15

Profit on sales of Assets		5.06	2.32
Discount received		-	0.26
Shortage/other recovery :			
IMFL, Iron Steel & POL	176.41		
Liquidity Damage	0.70		
Transportation charges	14.69		
Staff meal	9.06	200.86	352.88
Cancellation charges		1.42	1.38
TOTAL		1,376.58	1,035.99

Note (a) : The corporation charged 20% on the actual cost incurred on major projects as administrative fee uniformly and addition cost incurred by the corporation to be reimbursed at actual.

Note 21 : Cost of materials consumed		
Raw milk & Whole Milk Powder	1,044.07	938.84
Groceries for Catering Division	186.14	57.67
TOTAL	1,230.21	996.51
Note 22 : Purchases of Stock-in-Trade		
IMFL	4,449.56	4,482.95
Add: Goods-in-transit	633.63	1,225.45
Petroleum products	16,550.76	16,139.26
Add: Goods-in-transit	124.53	4.04
Carriage inwards	1,325.87	1,093.04
License fees	329.02	312.41
Duty on import permit fees / excise duty	12,807.46	13,858.81
TOTAL	36,220.83	37,115.96

Note 23: Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and Stock-in-Trade

<u>Inventories (at close)</u>			
Finished goods	27.11		
Stock in trade	5,011.27	5,038.38	8,241.04
<u>Inventories (at commencement)</u>			
Finished goods	22.35		
Stock in trade	8,218.69	8,241.04	8,468.78
TOTAL		3,202.66	227.74

([^] In Lakhs)

	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Note 24: Employee benefit expenses		
Salary	1,764.58	1,818.33
Contribution to P.F., Pension Fund & Leave Salary	180.91	155.94
Gratuity	152.68	72.16
Performance related incentive	104.57	204.40
Training expenditure	0.98	0.07
Staff Welfare	0.68	0.89
Rent of employees accommodation	3.45	3.00
LTC provision	3.18	24.67

Provision for leave encashment	24(c)	357.75	-
TOTAL		2,568.78	2,279.46

Note 24(a) : Gratuity

Actuarial Assumptions

Particulars	2023-24	2022-23
Mortality Rate	LIC (2006-08) ultimate	LIC (2006-08) ultimate
Withdrawal Rate	1% to 3% depending on age	1% to 3% depending on age
Discount Rate	7.25% p.a.	7.00% p.a.
Salary Escalation	6.25%	5.75%

Note 24(b) : Leave Travel Concession Liability as per AS-15

Leave Travel Concession liability

Particulars	2023-24	2022-23
Number of employees	235	238
Actuarial Assumptions		
Rate of discount	7.00% P.A.	7.20% P.A.
Inflation Rate	6.00% P.A.	6.00% P.A.
Mortality	IALM (2006-08) Ultimate	IALM (2006-08) Ultimate
Actuarial Liability	` 46.99 lakh	` 77.19 lakh

Actuarial valuation of LTC has been done by the company and provision has been made based on such actuarial valuation. The accumulated provision at the beginning of the year was `77.19 lakh Against the said provision amount of `33.37 lakh has been utilised during the year and provision made during the year is an amount of `3.17 Lakh and closing figure at the end of the year is `46.99 lakh as per valuation report.

Note 24(c) : Leave encashment benefit

Leave encashment liability

Particulars

	2023-24	2022-23
Number of employees	226	235
Total monthly salary	` 123.48 Lakh	` 115.81 Lakh
Total encashable leave	48854.5	39704
Normal retirement age	60 years	60 years
Actuarial Assumptions		
Discounting rate	7.0% P.A.	6.9% P.A.
Rate of increase in Salary	10.00% P.A.	10.00% P.A.
Withdrawal rate	2.00% P.A.	2.00% P.A.
Mortality	IALM 2006-08 ultimate	IALM 2006-08 ultimate
Actuarial discounted value of leave encashment	` 1197.30 lakhs	` 866.27 lakhs

Actuarial valuation has been done by the company and provision has been made based on such actuarial valuation. The accumulated provision at the beginning of the year was `866.27/- lakhs . Against the said provision amount of `26.72 (PY 18.03) has been utilised during the year and provision created during the year is an amount of `357.75/- lakhs and closing figure at the end of the year is `1197.30/- lakhs as per valuation report.

(In Lakhs)

	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Note 25 Operation and other expenses		
Note: 25(A) Operation, selling & distribution expenses		
<u>Consumption of Stores & Spares</u>	355.82	303.61
<u>Power & Fuel</u>		
Electricity	141.42	99.32
Fuel charges	160.37	144.32
<u>Rent</u>		
Office rent	1.07	1.60
Rent	283.91	198.15

Repair & Maintenance		
Repair & maintenance of computer	16.38	19.86
Repairs & maintenance of vehicles	9.68	13.14
Repairs & maintenance of buildings	55.16	271.67
Repairs & maintenance of furniture	2.94	0.30
Repairs & maintenance of machinery	57.09	51.67
Govt. audit expenses	1.99	0.75
Insurance	24.21	24.98
Rates & Taxes	73.06	59.63
Water charges	21.45	12.84
Stores handling expenses	13.07	11.80
Trade discount on room tariff	58.29	55.06
Sanitation	23.67	24.78
Horticulture expenses	0.24	9.50
Wharfage expenses	0.05	0.07
Vehicle hire charges tourism	39.68	20.60
Crockery's hire charges	0.13	1.63
Uniform & liveries	5.06	0.02
Outsourcing manpower	552.1	419.68
Business promotion / hospitality	40.55	1.51
Bank charges	36.27	27.48
Watch and ward	90.05	85.58
CSR expenses	70.17	77.74
Hindi week expenses	-	0.09
Registration / Membership fee	0.25	0.21
Miscellaneous	0.65	0.31
GST block credit	248.61	207.32
Refreshment expenditure	15.77	3.69
TOTAL	2,399.17	2,148.92
Note: 25(B) Administrative expenses		
Board meeting expenses	1.64	0.16
Printing & stationary	31.12	17.62
Postage & telegram	1.06	1.25
Telephone/telex/fax	27.88	24.67
Books & periodicals	2.71	0.48
Tenders publishing expenditure	25.27	9.21
Professional charges	29.58	6.50
Travelling expenses	22.62	24.61
	141.88	84.50

([^] In Lakhs)

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Note: 25(C) Other expenses		
Provision		
Provision for bad and doubtful debts	2.29	92.97
Provision for CSR Expenses	6.00	-
Contingent provision against standard assets	-	0.96
	8.29	93.93
Auditor's Remuneration (including Service Tax) - for Statutory audit	2.30	

- Tax audit	0.50		
- others service	0.30	3.10	3.10
Internal audit expenses		0.96	0.73
Total of C		12.35	97.76
Note: 25(D) Prior period Adjustment			
Vehicle Hire Charges		-	-
Grant in Aid		-	(13.98)
Sales		-	-
Freehold Land		-	2.00
Rent of Building		-	0.15
Total		-	(11.83)
Total Operation and other expenses (A+B+C+D)		2,553.41	2,319.34
Note: 26 Earning per share			
Amount available for equity shareholders (₹)		3,330	3,485
Weighted average number of equity shares		11	11
Earning per share basic and diluted (₹)		318	218
Face value per equity share (₹)		100	100

Note – 27 : Corporate social responsibility expenses

a. Disclosure with regard to CSR activities

(₹ In Lakhs)

Particulars	31-Mar-24	31-Mar-23
Amount required to be spent by the company during financial year	69.39	70.15
Amount of Expenditure incurred	70.17	77.74
Excess at the end of the year	0.78	7.59
Amount available for Set Off	0	0
Excess amount spent at the end of year including previous year	0.78	7.59
Reason for shortfall	Not Applicable	Not Applicable
Details of related party transactions	Not Applicable	Not Applicable
Provision made with respect to a liability incurred	0	0

b. Provision

(₹ In Lakhs)

Particulars	31-Mar-24	31-Mar-23
Opening balance	0	0
Additional provision during the year	0	0
Provision used during the year	0	0
Closing balance	0	0

c. Nature of CSR activities

(₹ In Lakhs)

Nature of CSR activities	31-Mar-24	31-Mar-23
Health Promotion	52.00	72.74
Health Promotion	15.00	5.00
Environment sustainability	3.17	-
Total	70.17	77.74

Note - 28 : Capital-Work-in Progress (CWIP)

Capital work-in-progress ageing schedule for the year ended March 31, 2024 is as follows:

(₹ In Lakhs)

CWIP	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress		14.68		59.66	74.34

Capital work-in-progress ageing schedule for the year ended March 31, 2023 is as follows:

(₹ In Lakhs)

CWIP	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	

Projects in progress	16.78		38.27	21.39	76.44
----------------------	-------	--	-------	-------	-------

Note 29(i) Contingent Liabilities:

a) The following cases pending with the Income Tax Department for which the company has gone for appeal/rectification.

A.Y.	Order date	IT Dept. Amount Claimed	Appeal No / date	Amount agreed and provided	Contingent Liability provided	Forum where dispute is pending
2009-10 and 2019-24	TDS/TCS return	` 46,80,620/-	TDS/TCS quarterly return correction	nil	` 4680620/-	DC (IT), Faceless
2020-21	19/09/2022	` 12,29,29,510/-	128518240280423	` 12,10,94,196/-	` 18,35318/-	CIT(A), Kolkata
Total					` 65,15,938/-	

b) Details of Court Cases pending as on 31.03.2024

Case No.	Forum where dispute is pending	Plaintiff& Defendant	Financial Implication Assets / (Liability)
Money Suit No. 66/2010	Court of Civil Judge (Senior Division)	ANIIDCO Ltd. –vs- Sanjay Anand, Ex.J.A.	` 9,24,406/-
EPF- 07/2020 (Old Appeal No.15/2015)	Central Govt. Industrial Tribunal, Kolkata from EPF tribunal, New Delhi	Regional Provident Fund Commissioner Vs ANIIDCO	` 22,60,043/-
WP No.059 of 2020 2284 of 2019	High Court, Port Blair Supreme Court	Shri G.P. Mani & Ors. Vs GM, ANIIDCO LINHRPL V/s ANIIDCO Hon'ble Division Bench dismissed the petition of M/s LINRPL. Now M/s LINRPL filed appeal before the Supreme Court.	Not ascertainable ` 5,47,46,091/-
WP No.267 of 2019	High Court, Sri Vijaya Puram	GM, ANIIDCO - Vs- Y John	Not ascertainable
OS 09 of 2018	District Court, Sri Vijaya Puram	General Manager (Project) V/s M/s Ocean Blue Boating Pvt. Ltd.	` 51,33,379/-

c) The Marine Products Export Development Authority (MPEDA) originally invested in M/s Andaman Fisheries Limited, 33,000 nos of equity shares of `10/- each amounting to `3,30,000/-, as assistance to the said company in promoting its business in deep sea fishing, export oriented production of value added marine products and aquaculture products, and in case of failure, the company must take back all the share invested by MPEDA. The company was asked to take back the shares, as promised to MPEDA. The above Authority (MPEDA) also filed a suit against this company demanding total repayment of 3.30 lakh with interest therein @ 18% per annum since 15th of May, 1992. The Hon'ble High Court at Ernakulam appointed an Arbitrator to go into details and to make final decision on both the parties. As promoter of M/s Andaman Fisheries Ltd, this Company purchased back the above shares of `3.30 lakh on 19/08/2004 pending transfer formalities to be completed and this amount has been shown by this company as further investment in Andaman Fisheries Ltd. The company has made a provision for interest for an amount of `5.38 lakh included in current liability.

Note 29(ii) Capital Commitment:

Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account `Nil lakh (Previous Year `110.78 lakh) and amount paid for Capital Expenses shown in CWIP is ` 74.35 lakh /- (Previous Year ` 76.45 lakh)

Note 29(iii) Guarantee issued by Company:

The Company has given credit guarantee amounting to ` 11.47 lakh in respect of loans granted by our Credit & Finance Division which is secured by Credit Guarantee Fund.

Note 29(iv) Dividend:

As per guidelines circulated vide office Memorandum No. F.No 3(3)-B(S)/2015 dated 05.01.2016 from Government of India, Ministry of Finance, The Corporation declare a minimum dividend of @ 30% of the PAT

or 30% of Equity whichever is higher. For the Financial Year 2023-24 proposed dividend is `10 Crore (Previous Year ` 10.46 Crore), subject to approval of Annual General meeting.

Note 29(v) Advance Tax

An unadjusted amount of `13661.32 lakh has been shown as "Provision for Income tax" under "Short term provisions" as against "Advance payment of Income Tax" of 14695.00 under "Short term loans and advances". The assessment up to AY 2020-21 is over u/s 143, however the Corporation is unable to adjust the same against "Advance Income Tax" as because the corporation has disputed the amount and gone for appeal / rectification.

Note 29(vi) Subsidiary Company:

The Andaman Fisheries Ltd. became a subsidiary company with effect from 19.8.2004 and a statement u/s 129(3) and audited accounts for the year ended 31.3.2024 are enclosed.

A Term Loan sanctioned to Andaman Fisheries Ltd in the earlier years, amounting to `132 lakh- has been shown as "Loan to Related Party" under "Term Loan from C&F Division". The Company treated the said Term Loan including interest upto 2002-03 as bad debt and made provision in full for same. Since then, no interest is being calculated and provided.

Interest Free Loan was sanctioned to Andaman Fisheries Ltd during the year was Nil and the outstanding balance as on 31st March'23 amounting to `1,65.00 lakh, (previous year `165.00 lakh). In earlier years the company provided an interest bearing unsecured loan of `33.00 lakh on which accrued interest accumulated was `8.23 lakh- upto financial year 2002-03. 100% provision had been made on such loan interest bearing unsecured loan.

Note 29(vii) Applicable Disclosure Requirements for Financial Institutions (Credit & Finance Division):

- a. Net Non-Performing Assets : ` 1,47,82,251/- (PY ` 1,51,30,379/-)
- b. Net Loans & Advances : ` 1,51,39,485/- (PY ` 1,63,39,232/-)
- c. Percentage of net NPA to net Loans & Advances : 97.64% (PY 92.60%)
- d. Amount of net NPA under the prescribed asset classification categories:
 - i. Sub-standard : ` 4,58,525/- (PY `61,1706/-)
 - ii. Doubtful : ` 11,23,726/- (PY ` 13,18,673/-)
 - iii. Loss Assets : ` 1,32,00,000/- (PY ` 1,32,00,000)
- e. Amount of Provision made during the year towards NPA : ` 1,71,14,733. /- (PY ` 1,71,14,733/-)

Note 29(viii) Remuneration to Auditors:

Remuneration to Auditors consists of:

- (a) as auditor : audit fees ` 2,30,000/- (PY ` 2,36,000/-)
- (b) taxation matters: tax audit fees ` 50,000/- (PY ` 59,000/-)
- (c) company law matters ` Nil (PY ` Nil)
- (d) management services ` Nil (PY ` Nil)
- (e) cost audit fees ` Nil (PY ` Nil/-)
- (f) other Services ` Nil/- (PY ` 35400/-)
- (g) reimbursement of Expenses ` Nil/- (PY ` Nil/-)
- (h) Total ` 2,80,000/- (PY ` 3,30,400/-)

Note 29(ix) Managerial Remuneration:

- a. Remuneration(sitting fee) to Managing Director, whole-time Directors and /or Manager: ` 40,500
- b. Remuneration (sitting fee) to other directors : ` 1,19,500
- c. Travelling expenditure incurred for Managing Director during the year ` Nil (previous year ` 30,338,). Remuneration has been paid to Managing Director for ` Nil (previous year ` Nil).

Note 29(x) Related party disclosure as per AS - 18:

A) Related Parties and their relationship:

- i) Subsidiaries (direct holding): Andaman Fisheries Limited
- ii) Fellow Subsidiaries: NIL
- iii) Associates: NIL

- iv) Key Managerial Personnel: Appointment of KMP has not been formalized as Rule 8 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules 2014 is not applicable to the Corporation.

B) Transaction with related parties for the year ended March 31, 2024

	Subsidiaries	Key Management Personnel and their relatives
Brand equity contribution	Nil	Nil
Purchase of fixed assets	Nil	Nil
Loans and advances repaid	Nil	Nil
Revenue Income	Nil	Nil
Revenue expenses	Nil	Nil
Provision/(write back of provision) for doubtful receivables, advances	Nil	Nil
Guarantees given	Nil	Nil
Remuneration	Nil	Nil

C) Related Party Disclosure:

	AFL (Subsidiary Company)	
	2023-24	2022-23
Trade receivables, Unbilled revenue, Loans and advances, Other assets (net)	Nil	Nil
Trade payables, Income received in advance, Advances from customers, Other liabilities	Nil	Nil
Guarantees	Nil	Nil
Investment in debentures/mutual funds/bonds	Nil	Nil

D) Disclosure of material transactions with related parties

Rent income	Nil	Nil
Other income	Nil	Nil
Purchase of goods, services and facilities (including reimbursement)	Nil	Nil
Rent expense	Nil	Nil
Provision / (Write back of provision) for doubtful receivables, advances	Nil	Nil
Bad debts written off	Nil	Nil
Advances written off	Nil	Nil
Dividend paid on equity shares	Nil	Nil
Guarantees given during the year	Nil	Nil
Remuneration to Key Managerial Personnel	Nil	Nil

Note 29(xi) Business with Micro, Small and Medium Enterprises

Transaction made with Micro and Small Enterprise, be defined as Micro and Small Enterprise under Micro, Small and Medium Enterprise Development Act, 2006, has been paid within 45 days.

	March 2024	31 st March 2023	Variance
	4087.4	2.16	11.09%
	1895.1		
	2010.1	18.32	-2.72%
	1097.1		
	3485.1	3.18%	-4.45%
	1097.1		
	46553.99	2.67	32.94%*
	17460.1		
	46553.99	49.26	-12.52%
	943.1		
	22869.1	6.74	22.36%
	3395.1		
	46553.99	2.23	-7.01%
	2085.1		
	4495.1	9.65%	-6.19%
	46553.99		
	4495.1	19.12%	-13.49%
	2351.1		
	4495.1	10.31%	-7.17%
	43613.83		

Additional information- pursuant to Para 2 of general instructions for the preparation of Consolidated Financial Statements for the year 2023-24

Name of the entity	Net Assets i.e. total assets minus total liabilities		Share in profit or loss	
	as % of Amount consolidated net assets	Amount (` in Crore)	as % of Amount consolidated net profit	Amount (` in Crore)
1	2	3	4	5

Parent	130.99	268.54	134.11	33.30
Subsidiaries				
Indian				
AFL	-30.99	-63.53	-34.11	-8.47
Foreign				
Minority Interest in all Subsidiaries				
Associates (Investment as per the equity method)				
Indian				
Foreign				
Joint Ventures (As pre proportionate consolidation/investment as per the equity method)				
Indian				
Foreign				
Total	100.00 %	205.01	100.00 %	24.83

